राजभाषा भारती

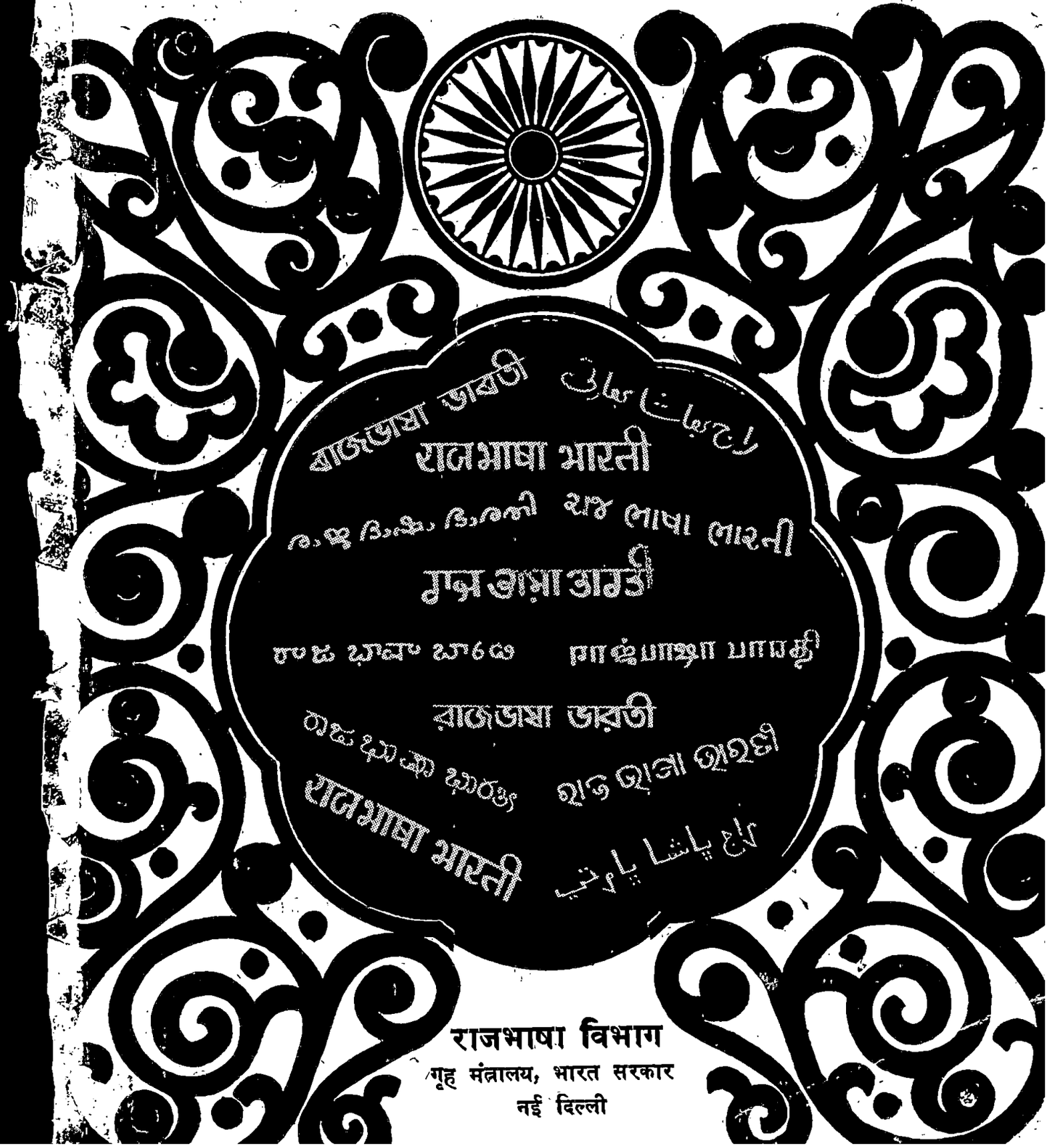

राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नई दिल्ली

प्रधान मंत्री

संदेश

किसी भाषा का विकास तब होता है जब वह जनसाधारण के हृदय में स्थान पाती है। हमने अपने संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए हमें देखना है कि सरकारी काम काज में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग हो।

मुझे खुशी है कि इस ध्येय को पूरा करने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। मेरी आशा है कि 1985 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के सभी सम्भव प्रयत्न किए जाएंगें। इस प्रयास की सफलता के लिए मेरी शुभ कामनायें।

राजीव गांधी

(राजीव गांधी)

नई दिल्ली,
21 जनवरी, 1985

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

जनवरी--मार्च, 1985 वर्ष 8, अंक 28

संपादक :

राजेन्द्र कुशवाहा

उप संपादक :

जयपाल सिंह

पत्र व्यवहार का पता :

संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (प्रथम तल)
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003

फोन : 617657

पत्रिका में प्रकाशित लेखों की अभिव्यक्ति से राजभाषा विभाग का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

(नि:शुल्क वितरण के लिए)

विषय सूची

		पृष्ठ
कुछ अपनी—कुछ आपकी		1
1. प्रजातंत्र में प्रशासन को आम जनता के निकट लाने में राजभाषा का बहुत बड़ा योगदान है।	श्री एस. बी. चव्हाण, गृह मंत्री, भारत सरकार	5
2. राजभाषा के कार्यान्वयन की सफलता केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सहयोग पर निर्भर करती है।	कुमारी कुसुम लता मित्तल, भारत सरकार की हिन्दी सलाहकार एवं राजभाषा सचिव	7
3. हिन्दी का राजभाषा के रूप में क्रियान्वयन	श्री ब्रह्म प्रकाश गुप्त	9
4. सम्पर्क भाषा हिन्दी, अंग्रेजी-परस्त मानसिकता और राष्ट्रीय भावात्मक ऐक्य	श्री सुरेन्द्र प्रसाद जमुआर	11
5. राजभाषा के संदर्भ में आलोचना-शब्द यात्रा	श्री श. वि. वाशिमकर	14
6. तकनीकी हिन्दी लेखन की प्रासंगिकता	प्रो. मुकुलचंद पांडे	17
7. हिन्दी में मौलिक एवं तकनीकी साहित्य का विकास और पी.आई.डी. (सी.एस.आई.आर.) की भूमिका	श्री तुरशनपाल पाठक	19
8. विधि के क्षेत्र में हिन्दी	श्री जगदीश प्रसाद	21
9. कार्यालयीन अनुवादकों की व्यावहारिक समस्यायें	श्री राजेन्द्र सिंह रावत	23
10. हिन्दी चली समंदर पार : सूरीनाम में गान्धी जयन्ती	कु. रागिनी सिन्हा	27
11. पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य में : हिन्दी एक सिंहावलोकन	डा. अमरनाथ झा	29
12. सम्मेलन/समिति समाचार— (1) राजभाषा सम्मेलन, नई दिल्ली (2) विशाखापट्टनम (3) वड़ोदरा (4) पुणे (5) चण्डीगढ़ (6) जालंधर (7) नई दिल्ली (8) इन्दौर (9) जयपुर (10) वाराणसी (11) लखनऊ		31
13. राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण— (1) एच. एम. टी. लिमि. हैदराबाद में हिन्दी (2) जेसप एण्ड कम्पनी लिमि. कलकत्ता में हिन्दी (3) दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन में हिन्दी (4) हिन्दुस्तान जिंक में हिन्दी (5) भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में हिन्दी (6) ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इण्डिया में हिन्दी (7) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड और क्षेत्रीय रेलों में हिन्दी) (8) न्यायाधिकरण (खान विभाग) के फैसलों में हिन्दी		43

पृष्ठ

14. हिन्दी कार्यशालाएं-- 55

(1) सिकन्दराबाद (2) बड़ोदरा (3) कलकत्ता (4) दिल्ली (5) फूलपुर (6) आगरा

15. हिन्दी सप्ताह --- 61

(1) सिकन्दराबाद (2) गुंतकल (3) बर्नपुर (4) नई दिल्ली

16. विविधा-- 66

(1) महाप्रबन्धक, दूरसंचार, मद्रास में पुरस्कार वितरण

(2) कुल्टी वर्क्स में राजभाषा क्लब का वार्षिकोत्सव

(3) दक्षिण मध्य रेलवे, हुबली में हिन्दी पुस्तकालय का उद्घाटन

(4) लघु उद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्ली में संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी

(5) लघु उद्योग सेवा संस्थान, त्रिचूर में संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी

(6) लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर म संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी

(7) निदेशक, दूरसंचार कार्यालय, भोपाल में हिन्दी पत्रिका

(8) हिन्दी परीक्षाओं के प्रमाण-पत्रों का वितरण

(9) "विश्व हिन्दी सम्मान" समारोह

(10) मेरठ में विधि संगोष्ठियों का आयोजन

17. आदेश, अनुदेश- 75

(1) वर्ष 1984-85 में राजभाषा विभाग की कतिपय उपलब्धियां

(2) हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों की सहायता के लिए कार्यशालाओं की स्थापना

(3) निजी प्रयत्नों से हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी, हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि परीक्षाओं तथा स्वच्छिक हिन्दी संस्थाओं आदि की मान्यता प्राप्त परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन, एक मुश्त पुरस्कार संबंधी आदेशों का समेकित किया जाना--पुरस्कार की राशि में वृद्धि

(4) खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय, खाद्य विभाग द्वारा खाद्य विभाग के कार्य क्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक योजना

(5) हिन्दी टाइपिंग परीक्षा में टंकण गति का होना आवश्यक

(6) विधि के क्षेत्र में राजभाषा की उन्नति के लिए स्वैच्छिक संगठन को सहायता

(7) वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों का संक्षिप्त ब्यौरा

कुछ अपनी

अब तक आप लोगों के पास राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1985-86 का वार्षिक कार्यक्रम पहुंच गया होगा। इस कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय गृह मंत्री जी ने अपने संदेशों में विशेष बल दिया है। हम आशा करते हैं कि 1985-86 के निर्धारित लक्ष्यों को आप जरूर प्राप्त कर लेंगे। "राजभाषा भारती" के 26वें अंक में हमने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था कि तकनीकी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग सफलता के साथ किया जा सकता है। इसी प्रकार 27वें अंक में हमने आप लोगों के सामने हिन्दी के सरलीकरण के ऊपर सामग्री प्रस्तुत की थी। हमें विश्वास है कि राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में तकनीकी क्षेत्र अथवा कठिन हिन्दी बाधक नहीं होगी। प्रजातन्त्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि राजकाज जन-मानस की भाषा में किए जाएं। गृह मंत्री माननीय श्री एस. बी. चव्हाण ने 30 मार्च, 1985 को नई दिल्ली में राजभाषा विभाग के तत्वावधान में भारत सरकार के सचिवों, मंत्रालयों/विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों के सम्मेलन एंव शील्ड वितरण समारोह के अवसर पर अपने संदेश में कहा था, "प्रजातन्त्र में प्रशासन को साधारण जनता के निकट लाने में राजभाषा का बहुत बड़ा योगदान है।" माननीय गृह मंत्री जी का यह विचार बहुत प्रेरणादायक है। इसी अवसर पर राजभाषा विभाग की सचिव कुमारी कुसुम लता मित्तल ने कहा था, "राजभाषा के कार्यान्वन की सफलता केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सहयोग पर निर्भर करती है।" राजभाषा सचिव का यह कथन राजभाषा के कार्यान्वयन पर बड़ी सटीक टिप्पणी है। स्वतंत्रता आन्दोलन के समय हिन्दी का प्रचार और प्रसार राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। आज जब हम स्वतंत्र हैं तब राजभाषा के रूप में हिन्दी के कार्यान्वयन के प्रति हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर इस अंक में श्री ब्रह्मप्रकाश गुप्त ने अपने लेख "हिन्दी का राजभाषा के रूप में क्रियान्वयन" में किया है। आज यह अनुभव किया जाता है कि राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हिन्दी की मानसिकता को बनाना। जब तक अंग्रेजीपरस्त मानसिकता का वातावरण बना रहेगा तब तक सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का कार्यान्वयन कठिन है। इस विषय पर बिहार सरकार के राजभाषा अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद जमुआर न अपने लेख "सम्पर्क भाषा हिन्दी, अंग्रेजीपरस्त मानसिकता और राष्ट्रीय भावात्मक ऐक्य" में विस्तृत विवेचना की है। हालांकि श्री जमुआर कई स्थलों पर भावुक हो गए हैं फिर भी उनका आधारभूत विचार विचारणीय है। श्री वाशिमकर ने अपने लेख "राजभाषा के संदर्भ में आलोचना-शब्द यात्रा" में आज के चर्चित विषय प्रयोजनमूलक हिन्दी के ऊपर अपने विचार प्रकट किए हैं। उनका यह कथन "जिस भाषा में कार्यसिद्धि हो वही प्रयोजनमूलक या कार्यकारी भाषा है, विचारणीय है। रुड़की विश्वविद्यालय स्थित केन्द्रीय भवन अनुसंधान स्थान द्वारा आयोजित "तकनीकी हिन्दी का विकास" विषय पर कार्यशाला में अनेक महत्वपूर्ण लेख प्रस्तुत किए गए। उन्हीं में से प्रोफेसर मुकुलचंद पांडे, श्री तुरशनपाल पाठक के लेखों को साभार इस अंक में हम उद्धृत कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि उनके इन लेखों से राजभाषा हिन्दी के प्रचार और प्रसार में बड़ी सहायता मिलेगी। विधि के क्षेत्र में हिन्दी का परिचय इस अंक में श्री जगदीश प्रसाद अपने लेख "विधि के क्षेत्र में हिन्दी" में करा रहे हैं। विधि के क्षेत्र में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अनेक पक्षों को इस लेख में उजागर किया गया है। इस अंक में सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अनुवादकों की व्यावहारिक समस्याओं को लेकर श्री राजेन्द्र सिंह रावत ने "कार्यालयीन अनुवादकों की व्यावहारिक समस्यायें" नामक लेख में अपने दीघकालीन अनुवादकीय अनुभव के आधार पर कार्यालयों में किए जा रहे अनुवाद एवं अनुवादकों की कठिनाइयों और समस्याओं पर विचार किया है। हम आशा करते हैं कि यह लेख अनुवादकों के लिए उपयोगी होगा।

हमारा स्थायी स्तम्भ "पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य में" पाठकों द्वारा पसन्द किया गया इससे हमारा मनोबल बढ़ा है। इस अंक स हम एक और स्थाई स्तम्भ "हिन्दी चली समंदर पार" प्रारम्भ कर रहे हैं। इस स्थाई स्तम्भ के अन्तर्गत भारत से बाहर हिन्दी के प्रचलन के सम्बन्ध में सामग्री देने का प्रयत्न किया जाएगा। इस अंक म सूरीनाम म मनाई गई गान्धी जयन्ती का विवरण दे रहे हैं जो कि सूरीनाम से हमें कु. राजिनी सिन्हा ने मूल रूप से हिन्दी म लिखकर भेजा है।

'पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य में' के अन्तगत इस अंक में हम डा. अमरनाथ झ का सन् 1928 में लाहौर में पंचम प्राच्य-विद्या सम्मलन के हिन्दी विभाग का अध्यक्षीय भाषण दे रहे हैं। अंग्रेजी के विद्वान प्रोफेसर डा. अमरनाथ झा, जिन्हें आज भी भारत का शिक्षा जगत इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में किए गए कार्यों क लिए स्मरण रखे हुए है, का यह भाषण उतना ही महत्वपूण है जितना कि सन् 1928 में था। डा. अमरनाथ झा की गिनती हमारे देश की महान विभूतियों में की जाती है।

30 माच, 1985 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राजभाषा विभाग के तत्वावधान में आयोजित भारत सरकार के सचिवों, मंत्रालयों/विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों के सम्मेलन एवं शील्ड वितरण समारोह का विवरण इस अंक में दिया जा रहा है। इस अवसर पर गृहमंत्री जी एवं राजभाषा सचिव ने जो भाषण दिए थे वे राजभाषा हिन्दी के लिए अत्यन्त महत्वपूण हैं। इसलिए उन्हें हमने इस अंक के प्रारम्भ में ही प्रस्तुत कर दिया है।

सम्मेलन समिति सामाचार, राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण, हिन्दी कार्यशालाएं तथा विविधा स्तम्भों म भी महत्वपूण सामग्री दी जा रही है। इन सबके बार में पाठकों के सुझावों का स्वागत है। □

कुछ आपकी

"राजभाषा भारती" का 26वां अंक मिला। अंक भाषा, सामग्री तथा प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से अत्यन्त सराहनीय है विशेष रूप से इस पत्रिका में भारत के मूर्धन्य समाज सेवियों तथा नीतियों के प्रेरक, उद्‌बोधक, छोटे-छोटे प्रसंग हैं।

कृ. गो. रस्तोगी
प्रो. तथा प्रभारी अधिकारी,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
श्री अरविन्द मार्ग,
नई दिल्ली 11016

राजभाषा भारती का 26वां अंक मिला। लंबी प्रतीक्षा के बाद मिले इस अंक को एक ही बैठक में आद्यन्त पढ़ डालने का लोभ संवरण न कर सका, क्योंकि सारी ही सामग्री अत्यन्त ज्ञानवर्द्धक, रोचक और उपयोगी जान पड़ी। डा. ओम विकास, श्री हरिबाबू कंसल और डा. नटवर दवे के लेख विशेष सारगर्भित और विचारोत्तेजक हैं। पूरक उद्धरण और विशिष्ट विद्वानों की उक्तियां स्थान-स्थान पर मणि-कांचन संयोग प्रस्तुत करती हैं। इनका चुनाव बहुत ही अच्छा हुआ है—सभी प्रेरणादायक हैं।

विश्वंभर प्रसाद "गुप्त-बंधु"
दि इंस्टिट्यूशन आफ़ इंजीनियर्स (इंडिया),
विशारद (द्विक) चार्टर्ड इंजीनियर,
रानी बाग,
दिल्ली 110034

"राजभाषा भारती" का जलाई–सितम्बर 1984 अंक मिला। धन्यवाद। 'पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य में' बहुत ही रोचक लगा। ऐसे प्रसंग पत्रिका में नियमित रूप से देते रहें तो उत्तम होगा। यह अंक विज्ञान तथा तकनीकी जगत में हिन्दी के बढ़ते चरण पर विशेष सामग्री लिए हैं। इस क्षेत्र में अभी विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं। इस दिशा में कार्यशालाओं, गोष्ठियों, सम्मेलनों, व शोध-प्रबंधों को प्रोत्साहन की विशेष आवश्यकता है। हिन्दी व्यवहार संगठन इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, जो एक कार्यशाला वकीलों और मुंशियों के लिए शीघ्र ही आयोजित कर रहा है।

अद्यतन हिन्दी में प्रकाशित विज्ञान/तकनीकी पुस्तकों पर एक लेख पत्रिका में देना उपयोगी होगा।

ब्रह्मप्रकाश गुप्त
ए-191, पंडारा रोड़, नई दिल्ली-110003.

राजभाषा भारती का 26वां "तकनीकी अंक" देर से प्रकाशित होकर अभी मिला। अंक को देखकर हार्दिक सुख, संतोष और प्रसन्नता हुई कि मेरे गत दिनों दिये गये सुझाव ने कार्यरूप में परिणत होकर अब राज-भाषा और सम्पर्क भाषा हिन्दी की सेवा का सुअवसर प्राप्त किया। आपको बधाई।

अंक बेजोड़ है। अपने को संपूर्णता और स्पष्टता में समेटे हुए लाभदायक प्रतीत हुआ। देश की अनेकता में एकता का संदेश लिए यह लोकप्रिय पत्रिका वस्तुतः समस्त राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का सशक्त साधन हो सकती है। इसमें अन्य राजभाषाओं के प्रगति-सूचक समाचारों का देवनागरी स्वरूप (लिप्यंतरण) भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

मुकुल चंद पांडेय
2/10, त्रिवेणी नगर, सीतापुर रोड़,
लखनऊ-20

राजभाषा भारती के 25वें अंक में छपे लेख साहित्यिक महत्व के हैं अतः इनकी भाषा सरकारी काम-काज की भाषा की तुलना में कठिन है।

क्योंकि पत्रिका का प्रचार-प्रसार सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से है, अतः इसके कुछ पृष्ठ भाषा के सह-प्रयोग संबंधी सुझाव के लिए होने चाहिएं। इसी के साथ-साथ मूल पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग की संभावनाओं को बल देने के लिए कुछ प्रयोग भी होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि सरकारी कामकाज की ऐसी जानकारी दी जानी चाहिए जो राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग में सहायक हो।

इस अंक में छपी सामग्री में विविधता है। हिन्दी के बारे में सूक्तियां उपयोगी हैं। हिन्दी में प्रचलित शब्दों के विभिन्न भाषाओं में अर्थ भी रोचक हैं, जैसे अनुरोध शब्द के विभिन्न भाषाओं में विभिन्न अर्थ गए दिए हैं। पत्रिका के इस अंक की छपाई सुधारी जा सकती थी।

कुल मिलाकर इस अंक में छपी सामग्री उपयोगी है।

विश्वनाथ
उप-निदेशक (राजभाषा)

आपके द्वारा भेजी गई राजभाषा भारती सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत की गई एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हिन्दी भाषा में प्रस्तुत किये गये सभी प्रकार के कार्यान्वयन–टिप्पणियां प्रस्तुत की गयी हैं। भारत सरकार द्वारा किये जा रहे हिन्दी सम्मेलन की रूपरेखा व विचार गोष्ठियां बहुत ही सुन्दर ढंग से लिखी गयी हैं। राजभाषा भारती पढ़ने से ज्ञात होता है कि भारत सरकार हिन्दी भाषा पर कितना प्रोत्साहन दे रही है।

हस्ताक्षर–
अपर पुलिस उप महा-
निरीक्षक
के. रि. पु. ब. रामपुर (उ. प्र.)

राजभाषा भारती के 26वें अंक की प्रति के साथ आपका पत्र प्राप्त हुआ। अति धन्यवाद। निश्चय ही इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री कार्यालयों तथा पाठकों के लिए बहुत ही सुरूचिपूर्ण एवं अत्यन्त उपयोगी है। आशा है भविष्य में भी आप राजभाषा भारती की प्रतियां नियमित रूप से भेज कर अनुगृहीत करते रहेंगे।

विश्व मित्र धीर
हिन्दी अधिकारी

"राजभाषा भारती" का अंक 26 मिला। धन्यवाद। आप लोग उपयोगी कार्य कर रहे हैं। "पुरानी यादें नये परिप्रेक्ष्य में" स्तम्भ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लेखों का चुनाव सही है क्योंकि प्रयत्न यही होना चाहिए कि भाषाओं की क्षमता का निरन्तर विकास हो।

डा. प्रेम शंकर
बी-16. सागर विश्वविद्यालय, सागर म. प्र. 470-003

राजभाषा भारती की साजसज्जा, संपादन एवं सामग्री में निरंतर निखार होता जा रहा है, यह देखकर प्रसन्नता होती है। प्रस्तुत अंक में "कंप्यूटर टेकनालॉजी और भारतीय भाषाएं" हिन्दी की वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में प्रगति " जैसे लेखों से लोगों का यह भ्रम दूर हो सकेगा कि अंग्रेजी के बिना हिन्दी या भारतीय भाषाओं में विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जा सकती। इन लेखों से स्पष्ट हो रहा है कि हिन्दी अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही है।

हरिशंकर
सम्पादक, 'हिन्दी शिक्षक',
महाराणा बिल्डिंग, 125,
गिरगांव रोड बम्बई-400004

"राजभाषा भारती" अंक 26 की प्रति प्राप्त हुई। इस अंक में प्रकाशित सभी सामग्री राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए काफी उत्साहवर्धक है। खासकर "कुछ अपनी-कुछ आपकी" स्तम्भ में प्रकाशित 1 से 13 तक की सामग्री ज्ञानवर्धक है। स्तम्भ 14 में प्रकाशित "समिति समाचार", स्तम्भ 15 के "राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण" तथा स्तम्भ 16 के "विविधा" में प्रकाशित जानकारी से निश्चय ही हमें अपने देश में राजभाषा हिन्दी की बढ़ती हुई लोकप्रियता की जानकारी मिलती है।

चूंकि हमारा कार्यालय "क" क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमारा विशेष उत्तरदायित्व हो जाता है कि हम दैनंदिन कामकाज में हिन्दी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। यह पत्रिका इस दिशा म हमारा माग दर्शन प्रशस्त करता है।

हरिहरनाथ पाण्डय
राजभाषा अधिकारी,
हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रक्शन,
लि. भिलाई-1

"राजभाषा भारती" का अंक 26 प्राप्त हुआ। मैं इस अंक के लगभग सभी लेख पढ़ गया हूं। निस्संदेह इस अंक की सामग्री राजभाषा की वर्तमान स्थिति की प्रगति/राजभाषा अधिनियम पर समग्रता से प्रकाश डालती है। राजभाषा के विविध पहलुओं को समेटने के साथ आपने तकनीकी हिन्दी का विकास, विज्ञान और प्रोद्यौगिकी के क्षत्र में हिन्दी का प्रयोग, हिन्दी विज्ञान पत्रकारिता के नए आयाम एवं अनवाद-प्रविधि के दौरान भाषिक समन्वय आदि विषयों के सम्बन्ध म जो प्रकाश डाला है वह हिन्दी के विकास, प्रचार, प्रसार आदि की दष्टि से बहुत उपयोगी है। मुझे इस अंक से ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो अन्यत्र आसानी से सुलभ नहीं हैं। इस अंक को मैं संग्रहणीय मानता हूं।

अतर सिंह
हिन्दी अधिकारी, का० रक्षा लेखा नियंत्रक,
पश्चिमी कमान, सेक्टर-9,
चण्डीगढ़

राजभाषा भारती का 26वां अंक प्राप्त हुआ। धन्यवाद। "विविधा" तथा "राजभाषा हिन्दी के बढ़ते चरण" नामक स्तम्भों में अधिकाधिक विभागों और कार्यालयों की जानकारी का समावश सराहनीय है। इससे स्पष्ट होता है कि राजभाषा हिन्दी निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रही है। श्री नारायण चतुर्वेदी का "शब्द एक अथ अनेक" मनोरंजक संस्मरण बहुत ही रोचक एवं ज्ञानवधक लगा।

केशवानन्द
हिन्दी अधिकारी,
मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय, पूर्ति विभाग,
नई दिल्ली

"राजभाषा भारती" का जुलाई–सितम्बर, 1984 (26वां) अंक प्राप्त हुआ हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करें। राजभाषा की प्रगति के बारे में जानकारी देने का यह सशक्त माध्यम है। इस अंक में शामिल किए गए सभी विषय ज्ञानवर्द्धक और मागदशक हैं। पत्रिका म राजभाषा "हिन्दी" के प्रयोग और प्रसार का समुचित वर्णन है। देश म राजभाषा के प्रयोग की सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन न होने के बारे में श्री सुभाष चन्द्र पालीवाल के विचार सटीक और स्पष्ट हैं। इस बारे में परचे में उठाये गये मुद्दों को समझने और समस्याओं को हल करने के लिए विचार करने की आवश्यकता है। फिर भी हमें कर्तव्यनिष्ठा और धैर्य से अपने प्रगति पथ पर साहसपूवक अग्रसर होना चाहिए।

बी. एल. बगाड़िया
राजभाषा अधिकारी,
सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, शिमला

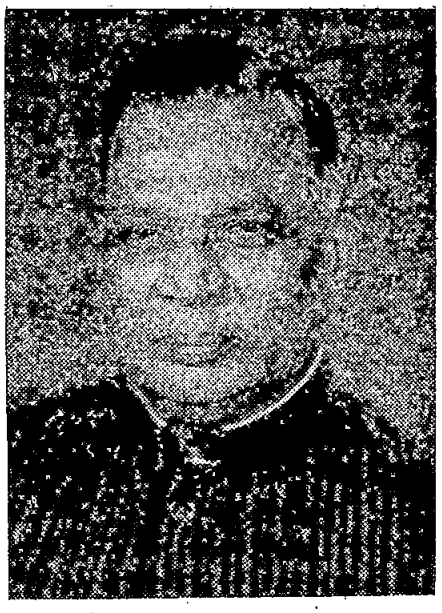

पहली जनवरी, 1985 को भारत सरकार के गृह मंत्री के पद का कार्यभार देश के जाने-माने राजनीतिज्ञ श्री एस. बी. चव्हाण ने सम्भाल लिया है।

श्री चव्हाण का जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पैथना गांव में 14 जुलाई, सन् 1920 को एक किसान परिवार में हुआ। आपने बी. ए. तथा एल. एल. बी. की डिग्रियां अर्जित कीं। प्रारम्भ में इन्होंने वकालत शुरू की, परन्तु "भारत छोड़ो" आन्दोलन के दौरान वकालत छोड़ दी। इन्होंने स्थानीय निकायों के अखिल भारतीय संघ में कार्य किया तथा श्रम आन्दोलन में एक अथक परिश्रमी कार्यकर्ता के रूप में सम्मान अर्जित किया। इन्होंने कृषि श्रमिकों के लिए स्थापित न्यूनतम वेतन समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। इन्होंने नांडेड़ सहकारी केन्द्रीय बैंक के उपाध्यक्ष तथा हैदराबाद राज्य सहकारी बैंक के निदेशक के पद पर कार्य किया। वे केन्द्रीय सहकारी यूनियन, हैदराबाद के कार्यकारी सदस्य भी रहे। वे नांडेड़ नगर पालिका के तीन वर्ष तक निर्वाचित अध्यक्ष भी रहे। वे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी समिति एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं। नवम्बर, 1956 में वे बम्बई में राजस्व उप मंत्री रहे। 1957 में नांडेड़ के धर्माबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए तथा उप राजस्व मंत्री के रूप में कार्य करते रहे। सन् 1960 में वे महाराष्ट्र के पहले मंत्रिमंडल में सिंचाई मंत्री के रूप में सम्मिलित किए गए। सन् 1962 के आम चुनाव में वे नांडेड़ जिले के धर्माबाद चुनाव क्षेत्र से पुनः महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य चुने गए और उन्होंने सिंचाई तथा विद्युत एवं विद्युत उत्पादन मंत्री के रूप में कार्य किया। सन् 1967 के आम चुनाव में भाकर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए तथा सिंचाई एवं विद्युत मंत्री के पद पर बने रहे। सन् 1967 से वे कांग्रेस विधायक दल के उप नेता रहे। वे सन 1972 के आम चुनाव में भाकर निर्वाचन क्षेत्र से पुनः चुने गए और फरवरी, 1975 में कांग्रेस के विधायक दल के नेता चुने गए जिसके परिणामस्वरूप 21 फरवरी, 1980 के आम चुनावों में वे कांग्रेस (ई) के टिकट पर लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और 15 दिसम्बर, 1980 में उन्होंने भारत सरकार के शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। वे 8 अगस्त, 1981 को योजना मंत्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। 2 अगस्त, 1984 को वे रक्षा मंत्री नियुक्त किए गए तथा आठवीं लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद 1 जनवरी, 1985 को गृह मंत्री नियुक्त किए गए।

65 वर्षीय अत्यन्त सरल तथा सौम्य व्यक्तित्व के धनी, श्री चव्हाण जहां भी रहे वहां अपनी अमिट छाप छोड़ी। हमें केवल आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि उनके व्यापक अनुभव से "राजभाषा भारती" को समुचित मार्गदर्शन एवं संरक्षण मिलता रहेगा और हमारा यह प्रयत्न होगा कि 'राजभाषा भारती' उनकी आकांक्षाओं और आशाओं के अनुरूप राजभाषा के प्रचार-प्रसार में योगदान देती रहे। □

'प्रजातंत्र में प्रशासन को साधारण जनता के निकट लाने में राजभाषा का बहुत बड़ा योगदान है'

—श्री एस० बी० चव्हाण
गृह मंत्री, भारत सरकार

(30 मार्च, 85 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राजभाषा विभाग के तत्वावधान में भारत सरकार के सचिवों और मंत्रालयों/विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों (संयुक्त सचिवों) का सम्मेलन एवं शील्ड वितरण समारोह का आयोजन किया गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की अतिव्यस्तता के कारण गृहमंत्री महोदय शील्ड वितरण समारोह में पधार नहीं सके। उनका भाषण गृह राज्य मंत्री द्वारा उक्त अवसर पर पढ़ा गया जिसे यहां उद्धृत किया जा रहा है।)

वर्ष 1983-84 के लिए भारत सरकार के राजभाषा शील्ड तथा अन्य पुरस्कारों के वितरण समारोह में भाग लेते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। जैसा कि आप जानते ही हैं, भाषा सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का जहां यह एकमात्र माध्यम है, वहीं पर इन नीतियों को निष्ठापूर्वक प्रतिबिम्बित करने का भी विशिष्ठ उत्तरदायित्व उस पर है। एक प्रजातंत्र में प्रशासन को साधारण जनता के निकट लाने में राजभाषा का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए साधारण जनता में प्रशासन के प्रति आस्था उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रशासन के सारे कामकाज जनता की भाषा में हों, जिससे प्रशासन और जनता के बीच की खाई को पाटा जा सके। भारत जैसे बहुभाषी देश में इन्हीं विचारों को ध्यान में रखकर संविधान में दी गयी 15 भाषाओं में राजकाज चलाने एवं केन्द्र तथा राज्यों की सम्पर्क भाषा का दायित्व निभाने का उत्तरदायित्व हिन्दी को ही सौंपा गया, क्योंकि यह देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है।

संविधान के लागू होने के पश्चात् सरकार ने राजभाषा विभाग के द्वारा हिन्दी का सरकारी कामकाज में अधिक-से अधिक प्रयोग पर हमेशा से बहुत बल दिया है। राजभाषा विभाग द्वारा अनेक प्रयास इस प्रयोजन के लिए किए गए, जिससे सभी मंत्रालय, विभाग, कार्यालय एवं सरकारी उपक्रम आदि हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। विभागों के उच्चाधिकारियों पर यह उत्तरदायित्व डाला गया है कि वे राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक और प्रभावी कदम उठाएं।

आरंभ में हिन्दी के प्रयोग के विषय में भारत सरकार के आदेशों के कार्यान्वयन के लिए एक हिन्दी कार्यान्वयन समिति की स्थापना हुई थी, जिसमें भिन्न-भिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि, सदस्यों के रूप में शामिल किए गए थे। बाद में यह निर्णय लिया गया कि सभी मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में भी हिन्दी कार्यान्वयन समितियां गठित की जाएं और उनकी बैठकें हर तिमाही में एक बार की जाएं। उनका काम सरकार के आदेशों व निदेशों का अनुपालन कराना तथा कार्यान्वयन की प्रगति पर नजर रखना है। इसी परिप्रेक्ष्य में देश के कई नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां भी स्थापित की गयीं।

राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग का काय राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। कानून बनाना और आदेश जारी करना जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है राजभाषा नीति का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन। प्रत्येक देश की अपनी भाषा शैली है, जिस पर उसे गर्व होता है। उसमें कार्य करना सुविधाजनक तो है ही, एक पुनीत कार्य भी है। अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्षों से अंग्रेजी में काम करने की आदत रही है। आजादी के 35 वर्ष बाद भी यह प्रवृति अभी पूरी तरह छूट नहीं पाई है। इसलिए सरकारी आदेशों के होते हुए भी हिन्दी में काम करना आरंभ नहीं कर पाते। किसी काम को आरंभ करना कठिन मालूम होता है, किन्तु करने से उसकी आदत पड़ती है और यह आसान भी हो जाता है। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मेरा अनुरोध है कि वे हिन्दी में काम करना शुरू तो करें। धीरे-धीरे इसमें वे स्वयं प्रवीण हो जायेंगे। झिझक को छोड़ कर आपको साहस से आगे बढ़ना है। गलतियां स्वयं दूर होती जाएंगी।

जहां हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना भारत सरकार का दायित्व है, वहां सरकार की यह सुविचारित नीति भी है कि हिन्दी को अहिन्दी क्षेत्रों में थोपा न जाए। बल्कि हिन्दी के प्रचलन को अनुनय-विनय तथा सद्भावना के द्वारा प्रोत्साहित किया जाए। हिन्दी का किसी भी अन्य भाषा के साथ कोई विरोध नहीं है। सरकार अन्य भारतीय

(शेष पृष्ठ 8 पर

14 फरवरी, 1985 को कुमारी कुसुम लता मित्तल ने राजभाषा विभाग के सचिव का कार्यभार सम्भाल लिया है।

कुमारी कुसुम लता मित्तल ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से दर्शन-शास्त्र एवं अंग्रेजी में एम. ए. किया और एल. एल. बी. की उपाधि भी अर्जित की। सन् 1953 में आपका अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ और आपको अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर-प्रदेश के संवर्ग में शामिल कर लिया गया। सेवा के दौरान उत्तर प्रदेश तथा केन्द्र सरकार में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर आपने पूर्ण सफलता के साथ कार्य किया है। राजभाषा विभाग में आने से पूर्व आप पर्यटन विभाग की सचिव थीं। गंभीर चिन्तनशील व्यक्तित्व की कुशाग्र कुमारी कुसुम लता मित्तल राजभाषा के रूप में हिन्दी के विकास एवं कार्यान्वयन के लिए कुछ ठोस काम करने पर विश्वास रखती हैं। हमें विश्वास है कि कुमारी कुसुम लता मित्तल के दीर्घकालीन प्रशासकीय अनुभव और मार्गदर्शन से राजभाषा विभाग लाभान्वित होगा और हिन्दी की राजभाषा के रूप में अभूतपूर्व प्रगति होगी। □

'राजभाषा के कार्यान्वयन की सफलता केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों के सहयोग पर ही निर्भर करती है'

—कुमारी कुसुमलता मित्तल
भारत सरकार की हिन्दी सलाहकार
एवं सचिव राजभाषा

(30 मार्च, 85 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राजभाषा विभाग के तत्वावधान में भारत सरकार के सचिवों और मंत्रालयों/विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों (संयुक्त सचिवों) का सम्मेलन एवं शील्ड वितरण समारोह आयोजित किया गया। उक्त अवसर पर सचिव, राजभाषा विभाग ने वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन और इस क्षेत्र में किये गये प्रयत्नों की सफलता के लिए केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों के सहयोग की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रारंभिक भाषण दिया। सचिव, राजभाषा का भाषण उद्धृत है)

केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन एवं सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए पिछले कुछ सालों से राजभाषा विभाग ने कई नये कार्यक्रम बनाये हैं। हिन्दी शिक्षण योजना और केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की गतिविधियों में तेजी लाई जा रही है। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो का एक प्रशिक्षण कक्ष अब बम्बई में भी खोला गया है। तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए इस विभाग में एक तकनीकी सैल भी हाल ही में खोला गया है और दिल्ली में एक हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान खोलने की भी योजना बनाई गई है। ये योजनाएं, योजना आयोग ने स्वीकार कर ली हैं और आशा की जाती है कि इन सब सुविधाओं से कुछ दिनों में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग और भी बढ़ जायेगा।

यहां पर मैं यह भी बताना चाहूंगी कि विभिन्न क्षेत्रों में, शब्दों में एकरूपता लाने के लिए काफी काम किया गया है। न केवल शिक्षा मंत्रालय के तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दावली आयोग और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने शब्दावलियों का प्रकाशन किया है, वरन विधायी विभाग के राजभाषा खंड, रिजर्व बैंक और अन्तरिक्ष विभाग ने भी शब्दावलियों का प्रकाशन किया है जिससे हिन्दी में कार्य करने में कोई कठिनाई सामने न आये। इस ओर मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहती हूं क्योंकि अक्सर यह कहा जाता है कि शब्दावलियों के अभाव से तकनीकी विषयों में हिन्दी में काम करने में असुविधा होती है।

परन्तु किये गये इन प्रयत्नों की सफलता केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों के सहयोग पर ही निर्भर करती है। हम वार्षिक कार्यक्रम हर वर्ष जारी करते हैं जिससे सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन हो सके परन्तु यह देखने में आया है कि लक्ष्य कहीं-कहीं पूरे नहीं हो पाये है। प्रधान मंत्री जी एवं गृह मंत्री जी ने अपने संदेशों में, जो कि 1985-1986 के कार्यक्रम के साथ संलग्न है, यह आशा प्रकट की है कि सब मंत्रालय एवं विभाग हर प्रकार के संभव प्रयास करके लक्ष्यों को पूरा करेंगे। इन लक्ष्यों को इस प्रकार निर्धारित किया गया जिससे किसी विभाग को कार्यान्वयन में कोई विशेष कठिनाई न हो। आज भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी यहां उपस्थित हैं, उनसे हमारा पुनः अनुरोध है कि वर्ष 85-86 के लिए जारी किये गये वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन वे अच्छी प्रकार से अपने-अपने विभागों में अवश्य करायें।

इसके अतिरिक्त आपका सहयोग हम अनिवार्य हिन्दी प्रशिक्षण और हिन्दी टंकण तथा आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए भी चाहेंगे। अक्सर यह देखा गया है कि जहां भी हमारे ये प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं वहां पर बहुत से केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों एवं उपक्रमों से प्रशिक्षार्थियों को समय से नामित नहीं किया जाता है। इन केन्द्रों का पूरा उपयोग करने से जहां सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का सदुपयोग हो पायेगा वहां हिन्दी के प्रसार और प्रचार में भी अधिक सफलता मिलेगी। इसलिए राजभाषा विभाग की ओर से हमारा अनुरोध है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि इन प्रशिक्षण केन्द्रों का पूरा-पूरा उपयोग हो और समय से प्रशिक्षार्थियों को नामित किया जाये।

इसी प्रकार राजभाषा कार्यान्वयन समितियां नगर स्तर पर हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

85-M/P(D)143MofHA—2

लेकिन कहीं-कहीं यह देखा गया है कि नगर स्थित कार्यालयों के वरिष्ठतम अधिकारी बैठक में भाग नहीं लेते हैं, फलस्वरूप नगर स्तर पर लिये गय निर्णयों का कार्यान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। अतः सभी प्रशासनिक मंत्रालयों से हमारा अनुरोध है कि वे इस विषय में उचित आदेश जारी करने की कृपा करें और यह सुनिश्चित करें कि बैठकों में नगर स्थित कार्यालयों के वरिष्ठतम अधिकारी भाग लें जिससे ये समितियां अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम हार्दिक भावना के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें अवश्य सफलता मिलेगी और और जो भी कठिनाई आज सामने आ रही है, वह दूर हो जायेगी ।

आज भारत सरकार के राजभाषा शील्ड वितरण समारोह में आप आये है इससे विजेताओं को तो प्रोत्साहन मिलेगा ही, राजभाषा विभाग भी आपका अत्यन्त आभारी है। पुरस्कार विजेताओं को तो हमारी हार्दिक बधाई और यह आशा करते हैं कि आप सब इसी प्रकार हिन्दी कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सहायता करते रहेंगे ।

(पृष्ठ 5 का शेषांश)

भाषाओं के विकास के लिए सार्थक कदम उठा रही है और बहुत-सी ऐसी योजनाएं शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में चल रही हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हिन्दी को न केवल केन्द्र सरकार की राजभाषा के रूप में बल्कि सर्व भारतीय संदर्भ में सम्पर्क भाषा की भूमिका भी निभानी है।

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग तथा इसके कार्यान्वयन का प्रश्न आज महत्वपूर्ण है। राजभाषा अधिनियम तथा नियमों में किए गए प्रावधानों को लागू करने के लिए अनेक आदेशों के होते हुए भी उनका कार्यान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। इसके लिए सभी को राजभाषा अधिनियम तथा अन्य नियमों की जानकारी देना परमावश्यक है। जैसे हम सरकार के अन्य कानूनों, नियमों का पालन करते हैं, वैसे ही हमें राजभाषा अधियिनम तथा राजभाषा नियमों का पालन भी करना चाहिए। वास्तव में इसे केवल कानून के अनुपालन की बात न सोचकर देश की गरिमा बढ़ाने का प्रश्न मानना चाहिए। अतः इसमें प्रत्यक कर्मचारी का योगदान आवश्यक और अपेक्षित है। ज्यों-ज्यों यह भावना पैदा होती जाएगी, त्यों-त्यों राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन का प्रश्न सहज होता जाएगा।

राजभाषा विभाग में कई योजनागत स्कीमें बनाई गई हैं और नये कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। मैं आशा करता हूं कि इनका पूरी तरह से फायदा उठाया जायेगा और हिन्दी की प्रगति राजभाषा के रूप में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और उपक्रमों में होगी। मैं विशेष रूप से तकनीकी उपकरणों का देवनागरी में प्रयोग करने पर जोर देना चाहूंगा। कम्प्यूटर, वर्ड-प्रोसैसर, इलैक्ट्रॉनिक टैलीप्रिन्टर, इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, इलैक्ट्रिक टाइपराइटर, पतालेखी मशीन, पिन-प्वाइन्ट टाइपराइटर आदि का प्रयोग देवनागरी में होना चाहिए। इसमें बहुत-से उपकरण द्विभाषिक भी है, जिनमें रोमन और देवनागरी, दोनों में काम करने की सुविधा है। ऐसे द्विभाषिक उपकरणों के उपयोग से, जहां खर्च में बचत होगी, वहीं दफ्तरों में कम जगह की आवश्यकता होगी और हमें इस तरह के उपकरणों का पूरा फायदा उठाना चाहिए। इस संबंध में राजभाषा विभाग नें एक तकनीकी सैल भी खोला है, जहां से विभिन्न मंत्रालय, विभाग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रोत्साहन योजनाओं का भी पूरा लाभ उठाना चाहिए। हिन्दी में टिप्पण एवं आलेखन करने के लिए प्रोत्साहन योजना पिछले वर्ष ही जारी की गयी है। अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में काम करने वाले टाइपिस्टों और आशुलिपिकों के लिए भी प्रोत्साहन योजना बनाई गई है। हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त के करने लिए प्रोत्साहन पहले से ही दिए जा रहे हैं। इन सबसे जहां कर्मचारी आर्थिक रूप से लाभान्वित होंगे, वहीं पर हिन्दी की भी प्रगति होगी। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रेरित करना अत्यन्त आवश्यक है।

राजभाषा विभाग के कार्यकलापों में वृद्धि के कारण इस विभाग द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका में सारी जानकारी संबंधित मंत्रालयों विभागों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय आदि में जल्दी नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिये नये वित्तीय वर्ष से राजभाषा विभाग नें "राजभाषा संदेश" नाम से एक न्यूज लैटर प्रकाशित करना शुरू किया है। आशा है कि नये कार्यक्रमों की जानकारी जल्दी मिलने से, उन पर अमल करने से हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा।

भारत सरकर की ओर से यह बात कई बार स्पष्ट की जा चुकी है कि सरकारी कामकाज की भाषा सरल, सहज और सुबोध होनी चाहिए। इसमें अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। हिन्दी का विकास कई भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली का समावेश करके ही किया जाना उचित होगा। शिक्षा मंत्रालय, जो इस कार्य को देख रहा है, इस दिशा में पूरी दिशा से जागरूक है और जो शब्दावलियां बनाई जा रही हैं, उनमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि अनुवाद का सहारा विशेष परिस्थितियों में ही लिया जाए। जितना काम हिन्दी में मूल रूप में होगा उतना ही इसके विकास में सहायक होगा। शब्दावली न होने या न जानने का बहाना करके अथवा तकनीकी विषय कहकर इसकी प्रगति में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए।

राजभाषा विभाग द्वारा मंत्रालयों/विभागों के लिए 'राजभाषा सेवा' के गठन का कार्य भी अब पूरा हो गया है। इससे हिन्दी अधिकारियों को भी प्रेरणा मिलनी चाहिए और पूरी लगन से कार्य करना चाहिए।

अन्त में मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को अपनी हार्दिक बधाई और शुभ-कामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आगे चल कर अन्य मंत्रालय तथा विभाग भी इस राष्ट्रीय कार्य में सच्ची लगन एवं निष्ठा लेकर पुरस्कार के पात्र बनेंगे। □

हिन्दी का राजभाषा के रूप में क्रियान्वयन

—ब्रह्म प्रकाश गुप्त

("विविधता में एकता भारत की सांस्कृतिक गरिमा का अनन्य प्रतीक है। इस प्रतीक को भाषा संबंधी विभिन्नताओं में एक सूत्रता का सशक्त माध्यम बनाना समय की अपरिहार्य अनिवार्यता है।" श्री बह्म प्रकाश गुप्त द्वारा सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान के 71 वें अनुभाग अधिकारी (पुनश्चर्या) कोर्स में हुई चर्चा पर प्रस्तुत रिपोतार्ज)

हिन्दी का राजभाषा के रूप में कार्यान्वयन काफी चर्चा का विषय रहा है। किसी एक भारतीय भाषा को सरकारी प्रयोजन तथा भारत की जनभाषा के रूप में अपनाने पर संविधान बनाते समय ही विचार किया जाना अपने में काफी महत्वपूर्ण बात है। व्यापक विचार-विमर्श के बाद हिन्दी को भारत की राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। सन 1952 से ही इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति जी का 27 मई, 1952 का आदेश इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। इस प्रपत्र और चर्चा में कुछ मदों पर विस्तार से विचार करने का प्रयास किया गया है, जैसे :—

(1) क्या इस दिशा में हुई प्रगति, किए गए प्रयासों के अनुरूप है? यदि नहीं, तो क्या कठिनाइयां हैं?

(2) हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्थापित करने की दिशा में जनसम्मति प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? उसमें अपेक्षित गतिशीलता लाने में कितनी सफलता मिली है?

राष्ट्रीय भाषा का महत्व

किसी देश की राष्ट्र भाषा उस देश की संस्कृति के अनुरूप होनी अनिवार्य है। इस दृष्टि से संस्कृत भाषा की मान्यता तर्क संगत है क्योंकि यह सभी भारतीय भाषाओं की जननी भी मानी जाती है और इसमें भारतीय संस्कृति का सनातन परम्परा का समावेश है। परन्तु कुछ भाषा की जटिलता, कुछ जनसामान्य में प्रचलित न होना, आदि कारणों से इसे राजभाषा के रूप में अपनाना उचित नहीं समझा गया। भाषा की सरलता और जनसाधारण में व्यापक प्रचलन की दृष्टि से हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति मिल सकती है। इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि जिस कारण से अंग्रेजी को सरकारी प्रयोजन में से हटाने की अनिवार्यता समझी गई है, हिन्दी से ही उस प्रयोजन की सिद्धि की संभावना सबसे अधिक और सुविधाजनक है।

भौगोलिक दृष्टि से भारत भाषायी आधार पर अनेक राज्यों में बंटा हुआ हुआ है। संख्यात्मक दृष्टि से ये राज्य छोटे नहीं है। इन सब राज्यों को एक सूत्र में बांधने तथा राष्ट्रीय स्थिरता एवं अखण्डता की दृष्टि से हिन्दी की अपूर्व तथा अनन्य क्षमता निर्विवाद है। संस्कृत में व्याप्त सांस्कृतिक धारा का व्यापक जन-प्रवाह भी हिन्दी के माध्यम से अधिक प्रभावी हो सकता है। अंग्रेजी के प्रसार में जो अंग्रेजी संस्कृति का अनिवार्य बोध शामिल है, वह अंग्रेजी शासन के लिए जितना उपयोगी तथा अपरिहार्य था, उतना ही अनिवार्य तथा अपरिहार्य है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की अपनी संस्कृति का राष्ट्रीय जीवन में प्रतिस्थान तथा जीवन के सभी पक्षों में उसके अनुरूप भाषा द्वारा प्रतिपादन। प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग उसका एक अभिन्न अंग है।

राजभाषा का कार्यान्वयन

सन् 1952 से अब तक हिन्दी को राजभाषा के रूप में अपनाने और कार्य में लाने के लिए काफी कदम उठाए गए हैं। राजभाषा, गृह मंत्रालय के संरक्षण में दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा जबलपुर में क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किए गए हैं। केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के अधिकतम प्रयोग के लिए अनुमति तथा प्रोत्साहन दिए गए हैं। अधिकतम विषयों में, अधिकतम शब्दों के अंग्रेज़ी के हिन्दी रूपान्तर निर्धारित कर दिए गए हैं। जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, उन कर्मचारियों के हिन्दी शिक्षण-प्रशिक्षण की योजनाएं आरम्भ की गई हैं। विधेयक-आवश्यक और महत्वपूर्ण प्रपत्र तथा सूचनाओं आदि के द्विभाषी प्रकाशन की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या के अनुसार हिन्दी अनुवादकों तथा लिपिकों की व्यवस्था की गई है।

सामान्यतः देश के सभी हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। अन्य क्षेत्रों में इस दिशा में कुछ उदासीनता सी प्रतीत होती है। वैसे, वास्तविकता यह नहीं है। तथापि सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति उल्लेखनीय नहीं है, चाहे वह हिन्दी भाषी क्षेत्र हो चाहे अहिन्दी-भाषी क्षेत्र।

अहिन्दी—भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उनमें हिन्दी के व्यावहारिक ज्ञान

का स्तर काफी कम रह जाता है : इस कारण वहां हिन्दी के प्रयोग के प्रति उत्साह भी उसी अनुपात में कम प्रतीत होता है। हिन्दी के इस अल्प ज्ञान के कारण ही वे राष्ट्रीय जीवन-धारा में अपनी क्षमता के प्रति अधिक चिन्तित और भावुक भी होने लगते हैं। इसी आशंका को ध्यान में रखकर सरकार ने समेकित कार्य के लिए द्विभाषा सिद्धान्त लागू किया था। इस सिद्धान्त में हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के सम्यक विकास की व्यवस्था है। एक अतिरिक्त भाषा के ज्ञान में राष्ट्रीय एकीकरण की भावना का भी समावेश था और अतिरिक्त भाषा बोझ को बराबर उठाने की व्यवस्था भी। परन्तु वास्तविक व्यवहार में इस दिशा में उत्साह नगण्य-सा रहा तथा क्रियान्वयन कुछ-कुछ पक्षपातपूर्ण थी।

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के उत्साहवर्धक प्रयास भी इसी लिए शिथिल से पड़ते दिखाई देने लगे और उन्हें अपेक्षित प्रोत्साहन भी नहीं मिल सका।

पारिभाषिक शब्दावली को तैयार करने में विलम्ब ने से उसकी सक्षमता पर भी संदेह व्यक्त किया जाने लगा।

इन प्रयासों में जब कभी गतिशीलता लाने का प्रयास किया गया तो जल्दबाजी की सी झलक मिलने लगी। हिन्दी के समुचित प्रचार-प्रसार के स्थान पर उसके सीमाबद्ध कार्यान्वयन को थोपने की संज्ञा देने में अतिशयोक्ति नहीं मानी जा सकती।

अपनी सहमति और स्वेच्छा से किसी भी भाषा को सीखना, अपनाना और व्यवहार में लाया जाना जितना लाभप्रद है उतना ही उसे आधिकारिक तौर पर बाध्य करना हानिप्रद भी है। रचनात्मक विचार और प्रेरणात्मक उपायों से ही बाधा को दूर किया जा सकता है। इस दिशा में हिन्दी को व्यावहारिक बनाने और उसे दिल से अपनाए जाने के लिए एक सशक्त जन-आन्दोलन की आवश्यकता है। आदेश के स्थान पर अनुरोध इस दृष्टि से अधिक प्रभावी सिद्ध होगा।

हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों की एक-एक भाषा सीखने की व्यवस्था से अहिन्दी भाषी क्षत्रों में हिन्दी सीखने के प्रति उदासीनता या उपेक्षा की भावना स्वतः ही क्षीण होते-होते विलीन हो जाएगी। इस प्रकार हिन्दी के व्यवहार को भी बढ़ावा मिलेगा और राष्ट्रीय एकात्मकता की भावना भी बढ़ेगी।

भाषा की सक्षमता

विविधता में एकता भारत की सांस्कृतिक गरिमा का अनन्य प्रतीक है। इस प्रतीक को भाषा संबंधी विभिन्नताओं में एक सूचना का सशक्त माध्यम बनाना समय की अपरिहार्य अनिवार्यता है। अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को राजभाषा के समय रूप में संवैधानिक ही नहीं जनतांत्रिक मान्यता मिलने पर इस दायित्व का सही निर्वाह संभव है। संस्कृत यदि सभी भारतीय भाषाओं की मां है तो हिन्दी को बड़ी बहन के अनुरूप सद्भाव तथा प्रश्रय मिलेगा। विवाद अंग्रेजी से अधिक अंग्रेजियत से है, जिसके कारण हीनभावना पनपती है और आपसी सद्भाव में बाधक होती है। अंग्रेजी का अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में समुचित स्वर अध्ययन तथा व्यवहार चलता रहे इसमें कोई दो मत नहीं हैं, परन्तु हमारी अपनी सांस्कृतिक परम्परा के विकास के लिए राष्ट्रीय जन-जीवन में हिन्दी को व्यावहारिक जन-भाषा, राजभाषा बनना ही होगा-सद्भाव और सौहार्द से अपने सही राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक परिवेश में।

ए–191, पंडारा रोड
नई दिल्ली, 119003

□□

"हिन्दी के विरोध का कोई भी आन्दोलन राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। हिन्दी, जबकि राष्ट्रीय एकता की ओर अग्रसर होने में एक कदम है, उसका विरोध करना अकारण होगा। यह अन्तः प्रान्तीय कार्य का एक माध्यम स्वरूप होगी और भारतीय एकता को एक सूत्र में बांध रखने में सहायक होगी।"

— सुभाषचन्द्र बोस

सम्पर्क भाषा हिन्दी, अंग्रेजीपरस्त मानसिकता और राष्ट्रीय भावात्मक ऐक्य

—सुरेन्द्र प्रसाद जमुआर

(राजभाषा के कार्यान्वयन में आज सबसे बड़ी कठिनाई है अंग्रेजी की मानसिकता। जब तक इस मानसिकता में बदलाव नहीं आता, हिन्दी की मानसिकता का वातावरण नहीं बनता तब तक हिन्दी का राजभाषा के रूप में कार्यान्वयन कठिन ही बना रहेगा। इस तथ्य को उजागर कर रहे हैं बिहार सरकार के राजभाषा पदाधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद जमुआर।)

राष्ट्रभाषा हिन्दी, जो भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की देन है, हमारे राष्ट्र की संविधान स्वीकृत 14 भाषाओं में वह ऐसी भाषा है जो आसेतु हिमालय तक व्याप्त है। हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक तो उसका प्रचार एवं प्रभाव दोनों अप्रतिहत हैं। सच तो यह है कि आज हिन्दी को राष्ट्र एवं सम्पर्क भाषा होने का जो गौरव एवं महत्व प्राप्त है, वह मात्र उसके प्रचार की बदौलत नहीं, वरन् उसकी सांस्कृतिक धरोहर (कल्चरल एसेट) भी उतनी ही बड़ी होने के कारण है। लोकतंत्र के तत्वज्ञान और कार्यक्रम के प्रचारार्थ हिन्दी भाषा को सार्वदेशिक साधन बनाने में ही उस देश का सच्चा कल्याण है। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हिन्दी को सच्चे अर्थ में व्यावहारिक दृष्टि से लागू करें।

हिन्दी का स्वरूप क्या हो, उसकी लिपि क्या हो, पारिभाषिक शब्दावली निर्माण, लिंग-निर्णय-स्थिरीकरण, शब्दों की एकरूपता, राष्ट्रीय एकता आदि प्रश्न हिन्दी की व्यावहारिकता से जुड़े हैं। वास्तव में हमारी अंग्रेजीपरस्त मानसिकता हिन्दी के विकास में सबसे बड़ी बाधक है - इस तथ्य को हम नकार नहीं सकते। भले ही अंग्रेजी ने हमारे जीवन को अंग्रेजीपन में रंग दिया है, किन्तु उसमें हमारे हृदय को प्रभावित नहीं किया है। अंग्रेजी में काम करने की कुछ ऐसी आदत बन गई है, जिसके चलते हिन्दी जानने वाले भी हिन्दी में काम नहीं करते। हिन्दी भाषी राज्यों में हमारे देश के कुछ पदाधिकारी हिन्दी भाषी रहने के बावजूद, कभी-कभार अंग्रेजी में टिप्पण-प्रारूपण करते पाए गए हैं, जो प्रासंगिक नहीं है। पूज्य महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि "बिना अंग्रेजी के ज्ञान के सभी भारतीय मस्तिष्क का सर्वोच्च विकास होना चाहिए। अंग्रेजी का मोह छोड़ना स्वराज्य के अन्यतम तत्वों में से एक है।" अतः हम अंग्रेजी को दरवाजा नहीं, मात्र वातायन समझकर, हिन्दी का हर स्तर पर प्रयोग करने का निष्ठापूर्वक प्रयास करें। शिक्षा, शासन, कानून-सभी क्षेत्रों में उसका व्यवहार करें। भारत की प्रादेशिक भाषाओं के द्वारा ही हम जनता के दिलो-दिमाग में रस घोल सकते हैं यह सुनिश्चित है। स्वार्थवश अंग्रेजी के प्रति अंधमोह बनाए रखना देश या हिन्दी के हित में बेहतर नहीं होगा। हिन्दीतर भाषी रहने के बावजूद भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति वी. वी. गिरी की धारणा थी कि "हिन्दी के बिना भारत की राष्ट्रीयता की बात करना व्यर्थ है।" हिन्दी के प्रति हमारी जो पावन भावना है, वह सम्पूर्ण राष्ट्र के एकीकरण की भावना है। हिन्दी के प्रति हमारी राष्ट्रीय भावात्मक ऐक्य (इमोशनल इन्टीग्रेशन) का साधन है, फूट या विखंडन का नहीं हिन्दी हमारे भारती समाज के सभी वर्गों एवं समुदायों की भावनाओं का आचरण—आशंकाओं को एक सूत्र में बांधने में सहज सक्षम है। हिन्दी के प्रख्यात विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिन्दी को जहां भारतीय चिन्तनधारा का स्वाभाविक विकास—क्रम माना है, वहां आचार्य राहुल सांकृत्यायन ने उसे राष्ट्रीय ऐक्य—संगठन की सुदृढ़ आधारशिला कहा है।

सचमुच हिन्दी का साहित्य एक हजार वष पुराना है। हिन्दी भाषा का प्राचीनतम रूप अपभ्रंश एवं प्राकृत है तथा हिन्दी, अवधी, ब्रज-भाषा को पार करती हुई अपने विकसित रूप में "खड़ी बोली" तक पहुंची है। प्राचीनता, ऐतिहासिक ऋृंखला, पुरातन संस्कृति से लगाव, जनप्रियता, साहित्यिक गंभीरता, लिपि की सरलता एवं बोध गम्यता, जो राष्ट्रभाषा के प्रमुख वैशिष्ट्य हैं, हिन्दी भाषा में स्पष्टतः विद्यमान हैं। सम्प्रति हिन्दी का स्वरूप इतना सशक्त एवं प्रौढ़ हो गया है कि वह भारतीय भाषाओं म प्रथम स्थान ग्रहण करने में सक्षम है। अब तो हन्दी को "विश्व भाषा" बनाने की चर्चा चल पड़ी है। तीन बार "विश्व हिन्दी सम्मेलन" का आयोजन किया जा चुका है। हिन्दी ने भारतीय जन-समाज के विशाल लोक मानस को स्पंदित किया है और अनेक प्रतिभाओं को लेखन कला की सहज शक्ति प्रदान की है।

हिन्दी का सहित्य -वभव अत्यन्त वृहत और समृद्ध है। हिन्दी क्षेत्र के रचनाकार हिन्दी क्षेत्रों पर "हिन्दी लादना" नहीं चाहते, बल्कि उनसे परस्पर मैत्री-भाव रखने के शुभाकांक्षी हैं। प्रश्न है कि इन सारी बातों

से हिन्दी की व्यावहारिकता के संबंध में किसी सुझाव का संकेत मिलता है, मेरी दृष्टि में पर्याप्त नहीं। हिन्दी का महत्व "सिद्धान्त"तक ही सीमित हो गया है, उसकी रचनात्मकता निरन्तर नहीं पनप रही है, जिसके कारण तथाकथित अंग्रेजीपरस्त अंग्रेजी मनोवृति वाले अथवा हिन्दीतर भाषी प्रान्तों के निहित स्वार्थ वाले मुट्ठी भर लोग भ्रांति के भंवर में चक्कर काट रहे हैं तथा हिन्दी को अपदस्थ करने की दिशा में विशेष यत्नशील नजर आते हैं। यह बात नहीं कि अहिन्दी क्षेत्र वाले ही हिन्दी का विरोध करते हैं, अपरंच हिन्दी भाषी प्रान्त वाले भी कभी-कभी हिन्दी ही से नाक-भौं सिकोड़ते दृष्टिगत होते हैं। सभी क्षेत्रों के भाषी-भाषी भाषा के पचड़े में पड़कर, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा नहीं देते। वे शायद यह भूल जाते हैं कि राष्ट्रभाषा की समस्या राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा का प्रश्न है, जिसे नजरन्दाज करना समीचीन न होगा। वास्तव में महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस सरीखे राष्ट्रीय नेतागण सदा हिन्दी को जो "राष्ट्रभाषा" कहा करते थे, उसके पीछे उनके मन में राष्ट्रीय एकता का प्रश्न सर्वोपरि था। हमारे विशाल देश में स्थायी भाषाई एकता "सम्पर्क भाषा" के द्वारा ही संम्भव है और यह भूमिका हिन्दी ही निभाने में समर्थ है।

यह सुनिश्चित है कि जब तक भाषा की समस्या हमारे देश में हल नहीं होती तब तक राष्ट्रीय अनुशासन का पालन असंभव है। संकीर्ण मतवाद से ऊपर उठकर हिन्दी की उज्वल परम्परा पर यदि हम सभी गंभीरता से विचार करें, तो हिन्दी को सच्ची गरिमा मिल सकती है। हिन्दी भाषा को, उसके व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझे-बुझे या मूल्याकंन किए बिना, अनर्गल बकवास करना मूर्खता या अनभिज्ञता का परिचायक है। हिन्दी आर्यकुल की उज्वल भाषा रही है, और इसका विकास भारतीय चिन्तनधारा के सर्वथा अनुकूल है। वही भाषा राष्ट्रभाषा पद को सुशोभित करती है, जो अधिक समझे-पढ़े-बोले जाने के अतिरिक्त विचारों के उज्वल प्रकाश से उद्दीप्त हो, बोधगम्य होने के साथ-साथ अपने राष्ट्र की संस्कृति की संवाहक हो। हिन्दी में वे सारे उपकरण सुलभ हैं। इन उपकरणों एवं तत्वों की जांच परख हेतु सहृदयता, सहानुभूति, विवेकशीलता की अपेक्षा होती है, तभी हम किसी भाषा के प्रति धर्म, जाति या राजनीति से ऊपर उठकर, सम्यक् न्याय कर सकेंगे। भाषा के प्रश्न को उलझाना संस्कृति एवं राष्ट्रीयता के प्रश्न को उलझाना है। इसके निदान का काम केवल सरकार का नहीं, आम नागरिकों और सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का भी है।ये सभी, राजभाषा हिन्दी के "राजदूत" हैं। आवश्यकता है अपने कर्तव्य को पहचानने और तदनुसार निष्ठापूर्वक कार्य करने की। तभी "व्यवहारिक हिन्दी" सरकारी कामकाज में प्रयुक्त हो सकेगी। सड़कों पर चिल्लाने, नारेबाजी करने से हिन्दी का सतही प्रचार भले ही हो सके, लेकिन व्यवहार में उसकी प्रयुक्ति कतई संभव नहीं। हम हिन्दी को उसका सही स्वरूप देकर ही "मानक हिन्दी" का निर्माण कर सकते है।

अंग्रेजीपरस्त मानसिकता के चलते ही हमारे अपने ही देशवासियों ने हिन्दी की उपेक्षा करना शुरु किया है। हिन्दी को व्यावहारिक गौरव देने के लिए यह वांछनीय है कि सर्वप्रथम, भारत का प्रत्येक जिम्मेवार नागरिक राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में हिन्दी को व्यवहार में लाने का प्रयास करे तथा भाषागत पचड़े और राजनीतिक अखाड़े से सर्वथा अलिप्त रहे हिन्दी की महत्ता से सुपरिचित होने पर भी हम उसके विरुद्ध आवाज कसें, यह राष्ट्रीय मर्यादा पर एक तरह का कुठाराघात है। अंग्रेजी, फ्रेंच या रूसी किसी भी विदेशी भाषा को भारत की प्रमुख भाषा करार देना अभारतीयता का लक्षण नहीं तो और क्या है। विदेशी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना अनुपयुक्त नहीं, किन्तु उन्हें अपनी राष्ट्रभाषा से ज्यादा अहमियत देना वेंजां जरूर है। ऐसी राष्ट्रभाषा, जो भारत की समन्वयात्मक भाषा है, भारत की सामाजिक संस्कृति (कम्पोजिट कल्चर) की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, को ठुकराकर, अनर्गल प्रलाप करना हमारी अंग्रेजीपरस्त मनोवृति का ही द्योतक है। सम्पर्क भाषा हिन्दी भारत की लोकभाषाओं की तरह भारतीय समाज को संस्कारपूर्ण ही बनाती है। अंग्रेजीयत और अंग्रेजी की गुलामी ने भारत की राष्ट्रीय संस्कृति की जड़ों को खोखला ही किया है, इसमें संशय नहीं। अचरज एवं खेद की बात है कि अंग्रेजी हमारे संस्कारों पर अब तक छायी हुई है। राष्ट्रीय एकता के हित में हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन से अंग्रेजीयत को दूर भगाना अत्यन्त आवश्यक है। इससे किसी का मत-भेद नहीं हो सकता। यह मानी हुई बात है कि अंग्रेजी की सत्ता-समाप्ति के बाद ही हमारी अपनी संस्कृति के आधार पर इस देश में जीवन-मूल्यों की नींव पड़ेगी, और समाज का नव-निर्माण होगा। इसके लिए भारतीय भाषाओं की एकता और साहित्यिक समृद्धि अपरिहार्य है। सभी भाषाओं में संवाद की प्रक्रिया तेज करने से सम्पर्क भाषा हिन्दी का स्वरूप निखरेगा ही। भाषा का प्रश्न राजनीति से पृथक रखकर और मूल्यों से संपृक्त कर, सम्पर्क भाषा हिन्दी को नूतन विकासात्मक आयाम दिया जा सकता है। यह गौरव की बात है कि हिन्दी सदियों से देश के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जुड़ी रही है और संपूर्ण राष्ट्र ने उसे राष्ट्रीयता की वाणी के रूप में स्वीकार किया है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान हिन्दी का प्राण रहा है।

हिन्दी शताब्दियों से इस देश की सम्पर्क भाषा (लिंक लैंग्वेज) रही है और बहुत अंशों में राजभाषा भी। कबीर, नानक, दादू, नामदेव, रसखान आदि संत कवियों ने जनसाधारण तक अपनी बात संप्रेषित करने क वास्ते हिन्दी में ही अपने उपदेश दिए। हिन्दी को अपनी क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक भाषाओं से कोई दुराव नहीं, बल्कि गहरी आत्मीयता है। किन्तु राष्ट्रभाषा का दर्जा साढ़े तीन दशक पूर्व 1949 ई. में मिलने के बावजूद हिन्दी अभी अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकी है। हमारा कर्तव्य हिन्दी के मार्ग के अवरोधक तत्वों को हटाना है। आज भी बड़े औद्योगिक घरानों एवं प्रतिष्ठानों में अंग्रेजी जमी हुई है, हालांकि बैंकों में हिन्दी का प्रयोग सराहनीय है। यह चित्य स्थिति है कि हिन्दी भाषी प्रांतों के सेठों, साहूकारों आई. ए. एस. पदाधिकारियों के बच्चे अंग्रेजी विद्यालयों में शिक्षा लेने के कारण अंग्रेजी ही बोलते हैं तथा उस परिवेश में रहने के चलते उन्हें टाई एवं सूट धारण करने पड़ते हैं। उनका जीवन अंग्रेजीमय वाता वरण में रंग जाता है। उन्हें हिन्दी बोलने में कठिनाई होती है। वे हिन्दी में बातें करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। मिथ्या प्रतिष्ठा के लिए कई तस्कर व्यापारी और पेशेवर अपराधी अंग्रेजी बोलने में संकोच नहीं करते। ऐसी दशा में, उद्योग एवं वाणिज्य के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय परिसर में तथा बड़े प्रतिष्ठानों, निगमों एवं निकायों में हिन्दी को प्रतिष्ठित करने का संकट उपस्थित है। फर्राटे से अंग्रेजी बोलने और सूट पहनने को शिक्षित या प्रतिष्ठित होने का प्रतीक मानना सरासर भूल है, गुलामी मनोवृति का सूचक है।

इस प्रकार, हिन्दी का भविष्य निःसन्देह शानदार और संभावना-बहुल है। अगर हमें हिन्दी का भविष्य समुज्वल बनाना है तो हिन्दी भाषा-भाषियों को अपने कर्त्तव्य पालन में दत्तचित्त हो जाना है। हिन्दीतर भाषी भी हमारे इस सांस्कृतिक अभियान में योगदान करें। हिन्दी की अभिव्यंजना-प्रणाली जितनी सरल, साहित्यिक, कलात्मक और सर्वजनग्राह्य हो तो अति उत्तम है। प्रादेशिक भाषाओं के बीच मन-मुटाव पैदा करना हिन्दी और देश के हित में ठीक नहीं होगा। जो भी शब्द मिलें, उन्हें हम अपनी भाषा में उसकी प्रकृति के अनुरूप ढालने की चेष्टा करें। हिन्दी के प्रति विरोधी मनोवृति और राष्ट्रद्रोही भावना रखने वाले व्यक्ति को हम गंभीरतापूवर्क राष्ट्रीय ऐक्य की विकट समस्या पर सोचने को विवश कर। हिन्दी की वर्तमान स्थिति जितनी अनुकूल एवं स्वस्थ होगी उतना ही उसके भावी चतुर्दिक विकास का राजमार्ग प्रशस्त होगा। लोकभाषा को प्रतिष्ठित करने में ही जनतंत्र की सार्थकता है। लोकतंत्र को जनसाधारण तक हमारी सम्पर्क भाषा, राष्ट्र भाषा एवं राजभाषा हिन्दी ही पहुंचा सकती है। मेरी मान्यता है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा, राष्ट्रभाषा हिन्दी को समुचित सम्मान देने तथा सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में व्यावहारिक हिन्दी के दैनंदिन प्रयोग से ही मिल सकेगा। गुटबन्दी और विद्वेष की भावना के पाश से जितनी दूर हम रहेंगे, उतनी ही हम राष्ट्रभाषा हिन्दी की सार्थकता सिद्ध कर, अपने राष्ट्र के निर्माण-यज्ञ में सहयोगी बन सकते हैं। अंग्रेज़ीयत की ललक जितनी कम होगी, हिन्दी के प्रति हमारा ममत्व उतना ही बढ़ेगा। राष्ट्रीय भावात्मक ऐक्य के आलोक में अंग्रेजीपरस्त मानसिकता स्वयमेव छूट जाएगी, ऐसी हमारी मान्यता है। "हिन्दी का उद्देश्य यही है, भारत एक रहे अविभाज्य" (राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त)

वन्दना कुटीर, दुजरा
पटना–800001

हिन्दी

"भाषा नहीं, वार्णा है।
वाणी शासन की नहीं, जन-जन की।
वाणी शासन की नहीं, मन की।
वाणी अधिकार की नहीं, प्यार की।
यह अधिकार की भाषा नहीं।
राष्ट्र के सुख-दुख की अभिव्यक्ति है।
संतों की अनुभूति है। राष्ट्र का स्वर है।
हिन्दी भाषा नहीं, नाद है। जो कबीर
ने अनहद के रूप में व्यक्त की थी और मैथिली शरण
तथा प्रेमचन्द द्वारा भारत भारती के रूप में सर्वत्र प्रचारित हुई।
हिन्दी राजाओं की बोली नहीं, सन्तजनों की झोली का प्रसाद है।"

□□□ □□□

राजभाषा के सन्दर्भ में आलोचना—शब्द यात्रा

—श० वि० वाशिमकर

(प्रयोजनमूलक हिन्दी आज एक चर्चित विषय है। सहज और मनोरंजक शैली में श्री वाशिमकर प्रस्तुत लेख में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, उनका मत है "जिस भाषा से कार्य सिद्धि हो वही प्रयोजनमूलक या कार्यकारी भाषा है।")

राजभाषा के सन्दर्भ में आलोचना करने से पूर्व यह आवश्यक हो जाता है कि हम हिन्दी के वास्तविक रूप, अर्थ, विभिन्न रूपों तथा इसके नानाविधि प्रयोगों को अच्छी तरह से जान लें। हम वित्तीय संस्थानों के कर्मचारी चाहे, वे बैंक के कर्मचारी हों या जीवन बीमा के कर्मचारी हों अथवा किसी अन्य वित्तीय निगम के कर्मचारी हों हम लोगों के लिए सर्व प्रथम कार्यकारी भाषा या प्रयोजन मूलक भाषा के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। अंग्रेज़ी में इसे 'फंक्शनल लैंग्वेज' कहते हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरे का एक उपयोगी प्रकाशन भी है।

इससे पूर्व कि हम राजभाषा के संदर्भ में आलोचना करें, आईए हम हिन्दी के वास्तविक रूप के विषय में आलोचना करें।

हिन्दी की व्युत्पति के विषय में डाक्टर लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में जो वर्णन किया है उसके आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतवर्ष (हिन्दुस्तान) के किसी भी प्रांत में बोली जाने वाली भाषा को हम हिन्दी की संज्ञा दे सकते हैं।

डा. वार्ष्णेय ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट उल्लेख किया है कि हम हिन्दी शब्द का प्रयोग हिन्द या भारत में बोली जाने वाली किसी भी आर्य या द्रविड़ भाषा के लिए कर सकते हैं किन्तु आजकल प्रचलित या साहित्यिक अर्थ में इसका व्यवहार उत्तर भारत के मध्यदेश के हिन्दुओं की वर्तमान साहित्यिक भाषा है और इसी भाषा के अर्थ में मुख्यतया इसी भूमि-भाग की बोलियों और उससे सम्बन्ध रखने वाले प्राचीन साहित्यिक भाषा के अर्थ में साधारणतया होता है।

अतः उपरोक्त व्याख्या के अनुसार हिन्द याने भारत के किसी भी भाग में बोली जानेवाली भाषा को हम हिन्दी कह सकते हैं।

आलोचना काल में हम राजभाषा को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं।

1. राजभाषा
2. जनसम्पर्क भाषा
3. कार्यकारी या प्रयोजनमूलक भाषा।

राजभाषा के सम्बन्ध में ज्ञान अर्जन करने के लिए यह आवश्यक है कि हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343–351 तथा संविधान में वर्णित अष्टम सूची में वर्णित सभी भारतीय भाषाओं का गहन अध्ययन करें।

संविधान में संघ की राजभाषा की लिपि तो देवनागरी स्वीकार की गयी किन्तु अंकों के लिए भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप स्वीकार किया गया।

भाषा के प्रयोगकाल में संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग वांछनीय माना गया है, किन्तु अन्य भारतीय भाषाओं, अंग्रेज़ी अथवा अन्य विदेशी शब्द जिन्हें हिन्दी ने आत्मसात कर लिया है उन्हें उसी में लिप्यंतरित कर या उसका वह विकृत रूप जो भारत में मान्य हो गया है उसका प्रयोग भी हम संघ की राजभाषा के लिए स्वतंत्रता पूर्वक लेखन कार्य में कर सकते हैं। यही कारण है कि अंग्रेज़ी स्टेशन शब्द या उसके विकृत रूप सटेशन को भी हिन्दी में आसानी से समझ लेते हैं और उसका प्रयोग भी हिन्दी में स्वतंत्रतापूर्वक करते हैं।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि भाषा में प्रयुक्त शब्दों में काल, स्थान, पात्र भेद से अर्थ में भिन्नता आती है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है।

अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप इसलिए आवश्यक माने गये कि देव नागरी अंकों के लेखन काल में कभी-कभी भ्रम पैदा होता है। इसका अनुमान आप निम्नलिखित घटनाओं से लगा सकते हैं।

एक सज्जन ने दवनागरी अंकों का प्रयोग किया और डाक विभाग 11/1 के स्थान पर उसे 99/1 पढ़ा। ठीक इसी तरह अंग्रेज़ी का "6" हिन्दी के "7" के समान होता है। इस तरह देवनागरी के अंकों का प्रयोग कभी–कभी भ्रामक होता है। यदि देवनागरी के अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के रूप का प्रयोग किया जाए तो यह भ्रामक स्थिति अपने आप खत्म हो जायेगी।

आइए अब हम काल परिवर्तन के साथ-साथ काल, स्थान व पात्र भेद से किस तरह एक ही शब्द के उच्चारण भेद से, प्रयोग भेद से अर्थ में भिन्नता आती है इस पर विचार करें।

इस दिशा में विचार करते समय हम इतिहास की ओर देखना पड़ेगा। ईस्ट इण्डिया कंपनी के अधिकारीगण जब भारत में आए तो वे अपने साथ कुछ अंगरक्षक, जो कि उनके अपने विश्वस्त व्यक्ति थे, उनको भी साथ लेते आए। वे भारत तथा भारत में नियुक्त स्थानों की भाषा से अनभिज्ञ थे अतः रात को पहरा देते समय कूट शब्द (कॉशन–वर्ड) का प्रयोग करते थे। वह कूटेशब्द इस प्रकार था :

–हाल्ट–हाल्ट–हाल्ट हू कम्स देअर, फ्रेन्ड और फो–परिवर्तित काल में जब कम्पनी के अधिकारियों ने मुसलमान अंगरक्षकों को नियुक्त किया और उन्हें यह कूट शब्द सिखाया जाने लगा तो मुसलमान अंगरक्षक इस शब्द का उच्चारण ही नहीं कर पाए। परिणामतः इस कूट शब्द का विकृत रूप बना "हुकम सदर" जिसका उर्दू में बिलकुल भिन्न अर्थ होता है–मुख्यालय के आदेश।

सामान्यतया उर्दू में "हुकम सदर" का अर्थ होता है "आर्डर्स फ्राम द हेड क्वार्टर्स" किन्तु परिवर्तिकाल में संदर्भ विशेष से आते इसका अर्थ यह भी लगाते हैं कि "हूं कम्स देअर" याने कौन आ रहा है, से लगने लगा।

आइए अब हम स्थान परिवर्तन के साथ उच्चारण भेद से एक ही शब्द का अर्थ किस तरह भिन्न हो जाता है, इस पर विचार करें।

ब्रिटेन में टाई का अर्थ नेक टाई है तो अमेरिका में इसका कुछ और ही अर्थ होता है, यहां पर लोग टाई का अर्थ रेलवे स्लीपर से लगाते हैं। इस संदर्भ में एक रोचक कहानी का स्मरण कराना चाहूंगा।

यह घटना एक इस्लाम प्रधान राष्ट्र की है। वहां के रेल मंत्रालय ने अमेरिकन सरकार को दो लाख टाइयों की आपूर्ति के लिए आदेश दिये। समय पर आपूर्ति न होने के कारण संबंधित अधिकारियों को एक तार भेजा गया जिसमें उक्त टाइयों को यथाशीघ्र भेजने के लिए लिखा गया। तार में लिखा गया संदेश पत्रकारों की नजर में आ गया। और यह एक जन चर्चा का विषय बन गया। जन साधारण के लिए यह एक चिंता का विषय बन गया। उन लोगों की यह धारणा हो गई कि संभवतः सरकार अपने कर्मचारियों के लिए टाई लगाने को अनिवार्य करने जा रही है और टाई जो कि क्रिश्चियन धर्म के अनुसार ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने का प्रतीक है जो क्रास रूप का एक प्रतीक है, अतः नेकटाई का व्यवहार करना ईस्लाम प्रधान देश में धर्म के विरुद्ध माना जायेगा। अतः ये टाइयां पाकिस्तान में आने ही न पाएं, इसके लिए पत्रकारों का शिष्ट मंडल वहां के उच्च आयोग से मिला। उच्च आयोग के कार्यकर्ता भी उक्त शिष्ट मंडल को संतुष्ट न कर सके। परिणामतः एक जांच आयोग बैठा और तब कहीं जाकर यह रहस्य खुला कि अमेरिकन सरकार को दिया हुआ आर्डर रेलवे स्लीपर के लिए है न कि नेकटाई के लिए। तब कहीं जाकर जनसाधारण को यह विश्वास हुआ कि सरकार धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर रही है।

इसी तरह उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के निवासी निपटान शब्द का प्रयोग शौच जाने के लिये करते हैं। जिसे हम अंग्रेजी में "टू गो फॉर ए नेचरल काल" कहते हैं। यह घटना सन् 1979 के शेषार्ध की है। यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया के प्रधान कार्यालय में भारत सरकार के निपटान और आपूर्ति विभाग से एक पत्र हिन्दी में आया। उन दिनों बैंकों में हिन्दी विभाग तो नहीं थे किन्तु ऐसे पत्रों का उत्तर देने के लिए, उसका अर्थ समझने के लिए इन पत्रों को बैंकों के मुंशियों को अनुवाद करना पड़ता था। वहां मुंशी जी भी बनारस के रहने वाले थे। उन्होंने बहुत माथा मारा किन्तु कोई अर्थ न निकाल पाए। किसी ने उन्हें बताया कि वे इस लेख के लेखक से सम्पर्क स्थापित करें। जब वे लेखक से पहले दिन मिले तो स्वयं लेखक भी इसका अर्थ न निकाल सके और बाद में यह रहस्य खुला कि निपटान का अर्थ डिस्पोजल विभाग याने सप्लाई एण्ड डिसपोजल विभाग है।

कभी-कभी विदेशी शब्दों के लिप्यंतरण किये जाने पर अर्थ समझने में भी कठिनाई पैदा हो जाती है। यह घटना संभवतः 1976 के आसपास की है। एक नव नियुक्त हिन्दी अधिकारी लेखक के पास आए। उन्होंने दो शब्दों के पर्याय जानने चाहे। वे शब्द थे आजा और सुलस। इन शब्दों के पर्याय तो नहीं मिल सके किन्तु संदर्भ से इस बात का पता चल सका कि वे इस्लाम शासन काल में ही प्रयुक्त किये जाते थे और उनका प्रयोग न्यायालयों में होता था और संभवतः ये शब्द उर्दू या अरबी से आए हैं या फिर फारसी से आए हैं। लेकिन इनका वास्तविक अर्थ सभी के लिए समझना कठिन है।

सामान्यतया जन-साधारण में यह मान्यता है कि अनुवाद कार्य बहुत ही आसान है किन्तु वास्तविकता इसके बिलकुल विपरीत है। एक बार मौलाना आजाद के भाषण का अनुवाद पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया। उस अनुवाद की प्रशंसा में मौलाना आजाद ने पं. नेहरू को जो पत्र लिखा वह बहुत ही महत्वपूर्ण है :

> "–तरजुमा करना नई चीज़ लिखने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। असली मज़मून की अदबी शक्ल बनाए रखना और साथ ही तर्जुमें के जरिए लेखक की अदबी तर्ज को जाहिर करना कोई आसान काम नहीं है। जिस आदमी की दोनों जुबानों पर एक सी क़ाबू हो वही वह काम करने की हिम्मत कर सकता है। आपके तर्जुमें में मज़मून की कोई भी खासियत बिगड़ी नहीं है और आपने अंग्रेजी के तर्जुमें में मेरे उर्दू के अदबी ढंग को इतनी कामयाबी से निबाहा है अगर पढ़ने वालों को ऐसा लगे कि असली तकरीर उर्दू में नहीं अंग्रेजी में लिखी है तो मुझे कोई अचरज नहीं होगा।–"

मौलाना आज़ाद के इस पत्र से यह तो स्पष्ट हो गया कि अनुवाद कार्य को हम जितना सरल समझते हैं, वह उतना सरल नहीं है। अनुवादक को स्रोत भाषा जिससे उसे अनुवाद करना है और लक्ष्य भाषा याने जिस भाषा में अनुवाद करना है, दोनों भाषाओं पर समान रूप से अधिकार होना चाहिए। उदाहरणार्थ अंग्रेजी का एक शब्द अंकल और उसका पर्याय है चाचा। किन्तु अंकल कहलाने वाला सचमुच चाचा ही है या ताऊ, फूफा या मामा में से कोई और।

यह एक ध्रुव सत्य है कि यदि स्रोत भाषा का एक शब्द लक्ष्य भाषा में एक से अधिक शब्दों का प्रतिनिधित्व करता है तो ऐसी अवस्था में भूल होने की संभावना बराबर बनी रहती है।

1. वह बालक बहुत सीधा है, उसे तंग न करो
   अंग्रेजी अनुवाद
   दैट ब्वाय इज़ वेरी स्ट्रेट डोन्ट नैरो हिम
2. शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का अनुवाद किया गया
   व्हाईट फोर्ट नाईट ऑर ब्लैक फोर्टनाईट

इस के तरह अनुवाद से आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे अनवादों से क्या स्थिति पैदा हो सकती है। यदि अनुवादक महोदय का स्त्रोत या लक्ष्य भाषा पर समान रूप से अधिकार नहीं है तो इस तरह की हास्यास्पद स्थिति किसी भी समय सामने आ सकती हैं।

जन भाषा

वैंकिंग उद्योग में की झलक हमें विभिन्न क्षेत्रों में वहां के खातेदारों, व्यापारियों और बैंकों में नियुक्त कर्मचारियों से प्राप्त पत्रों से मिलेगी। लोक या जन भाषा का अपना एक मुख-सुख सिद्धांत है, जिसके अन्तर्गत सभी शब्द इस प्रकार से घिसते हैं कि ज़बान न लड़खड़ाए और अनपढ़ व्यक्ति भी इसे आसानी से समझ सके। यही कारण है कि:

ब्राह्मण	बना	बामन
अग्नि	बना	प्राकृत में अगन और जन भाषा में आग
पुत्र	बना	पुत्त या पुत्तर
इंजिन	बना	ऐंजिन
प्लेटफार्म	बना	पलेंटफारम
स्टेशन	बना	टेशन या सटेशन
लैन्टर्न	बना	लालटेन

स्क्रू-ड्राईबर जैसा कठिन शब्द बना पेचकश। इस तरह के शब्दों का परिवर्तन कुछ इस प्रकार बना और जन भाषा ने उसे इस तरह आत्म-सात् किया कि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी उसे आसानी से समझ सकता है।

जनसाधारण को पत्र लिखते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि उसमें कठिन शब्दों का व्यवहार न किया जाय और उसे समझने में कठिनाई न आए और उसें समझने के लिए शब्द कोश का प्रयोग न करना पड़े। यदि अंग्रेजी का पर्याय न मिले तो उसे लिप्यंतरित करके ही उसी रूप में लिखा जाय तो कोई हानि नहीं होगी। हिन्दी के कुछ शब्द अंग्रेजी कोशों में भी स्थान पा गए हैं। जैसे सन्यासी, घेराव आदि। यदि अंग्रेजी हमारे शब्दों को आत्मसात कर सकती है तो कोई कारण नहीं है कि हम भी अंग्रेजी के शब्दों को आत्मसात् न कर सकें।

विदेशी भाषाओं में भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण एक होते हुए भी काल, स्थान व पात्र भेद से अर्थ में भिन्नता आ जाती है। यथा:

बी. पी. बैंकों में बिल्स पर्चेज्ड

औषधि विक्रेता इसी को ब्रिटिश–फार्माकोपिया को अर्थ में प्रयुक्त करता है।

एक चिकित्सक इसका अर्थ ब्लड प्रेशर के रूप में करता है।

रंग विक्रेता इसका अर्थ ब्रिटिश पेन्ट से लेता है।

यदि हम बी. पी. का हिन्दी अनुवाद करें तो संभवत: हिन्दी अनुवाद से जो अर्थ निकलेगा वह सहज व बोधगम्य न हो। अत: इसे लिप्यंतरित करके ही उसी रूप में प्रयोग उसका करें।

यदि हम चेक का अनुवाद हिन्दी में करते हैं तो उस कहा जायेगा धनादेश और यदि हम पुन: उसका अंग्रेजी अनुवाद करें तो उसका अनुवाद होगा मनीआर्डर। अत: इसका प्रयोग बैंकों के संदर्भ में हो तो इसका अर्थ होगा चेक और पोस्ट आफिस के संदर्भ में हो तो उसका अर्थ होगा मनीआर्डर। अत: यदि हम ऐसे भ्रामक शब्दों के अनुवाद के चक्कर में न पड़ कर यदि हम उसका यथावत प्रयोग करें तो संभवत: वह अधिक सहज, सरल और बोध-गम्य होगा।

कार्यकारी या प्रयोजनमूलक भाषा :

कार्यकारी या प्रयोजन मूलक भाषा के सैद्धान्तिक पक्ष का वर्णन करने से पूर्व एक घटना के आधार पर इसका वर्णन कहीं अधिक प्रभावी होगा।

> "पूर्वी बंगाल एक नदियों का देश है, यहां पर चारों तरफ नदियों का जाल बिछा हुआ है। एक विदेशी सज्जन जो बंगला सीख रहे थे, पूर्व बंगाल में गए। उन्हें नदी पार करनी थी। नाव किनारा छोड़ चुकी थी। उन्होंने नाविक को नाव लौटाने के लिए आवाज़ देते हुए कहा
>
> माझी ओ माझी नौको नियें आय,
>
> साहेब ओ पार जाईबे रे।"

इससे पहले वे साहब बार-बार चिल्ला रहे थे "हे तरणीधर तराय तरी नियें आय" किन्तु चूकि नाविक इस भाषा से अनभिज्ञ था अत: जब तक दूसरे व्यक्ति ने आवाज नहीं लगाई तब तक नाविक किनारे नहीं लौटा। अर्थात् जिस भाषा से कार्य सिद्धी हो वही कार्यकारी भाषा है।

जिस भाषा में बोधगम्यता ही न हो तो काम भी बने तो कैसे बने। अत: जिस भाषा से कार्य सिद्धि हो वही प्रयोजनमूलक या कार्यकारी भाषा है।

इस विषय पर केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा ने एक प्रकाशन भी निकाला है। इसका एक अंग्रेजी संस्करण 'फंक्शनल हिन्दी' के नाम से प्रकाशित किया है। इस पुस्तक के अध्ययन से अच्छा ज्ञान अर्जित किया जा सकता है।

इस पुस्तक के अलावा संस्थान ने एक और पुस्तक प्रकाशित की है उसका नाम है "बैंकों के लिए हिन्दी पाठ्यक्रम"। इस पुस्तक में पाठ्य-क्रम योजना, आधारपाठ, सामान्य हिन्दी तथा सांचा अभ्यास और रचना अभ्यास आदि के सुन्दर् नमूने दिये गये हैं जिसके अध्ययन से बैंको में प्रयुक्त हिन्दी का अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है।

991, अतीन्द्र मुखर्जीलेन,
शिवपुर, हावड़ा

तकनीकी हिन्दी लेखन की प्रासंगिकता

—प्रो० मुकुल चन्द पाण्डे

(तकनीकी और वैज्ञानिक विषयों के जाने-माने लेखक प्रो. मुकुल चन्द पाण्डे ने रुड़की विश्वविद्यालय स्थित केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित "तकनीकी हिन्दी का विकास" विषय पर कार्यशाला में महत्वपूर्ण लेख प्रस्तुत किया था उसे साभार यहां उद्धृत किया जा रहा है।)

राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वदेशी की भावना का उदय अत्यन्त आवश्यक है। स्वाधीनता के पहले और उसके परवर्ती कुछ वर्षों तक स्वभाषा को प्रत्येक स्तर पर उपयोग में लाने की बातें सोची जाती रहीं। किन्तु कालान्तर में यह स्वतः ही न जाने कहां तिरोहित हो गई और आयातित तकनीकी के साथ ही विदेशी भाषा का दामन पकड़ कर सदा सदा के लिए राष्ट्र उसके चंगल में फंसता चला गया। केवल प्रशासनिक क्षेत्र में हीं नहीं औद्योगिक, राजनैतिक सामाजिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी अंग्रेजी की प्रचुर मात्रा में प्रचार-प्रसार चिंता का विषय वनता जा रहा है, इसका अंत क्या होगा, विचारणीय प्रश्न है।

अकेले विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति को किसी भी विकासशील देश की तुलना में कम नहीं कहा जा सकता। सुदूर हिम प्रदेश से लेकर सागर की अतल गहराइयों में यहां तक कि अंतरिक्ष में भी देश के प्रतिभा सम्पन्न वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पहुंच गये परन्तु इसकी विस्तृत जानकारी प्रचार माध्यमों के अतिरिक्त जन सामान्य तक कदाचित उस रूप में नहीं पहुंच पा रही है. जितनी अभी जरूरत है। यह महत्वपूर्ण कार्य कौन करेगा, इस पर शायद किसी की भी दृष्टि नहीं पड़ी। इस राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति के महत्वाकांक्षी उद्देश्य को विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में जुटे मनीषी ही पूरा कर सकते हैं। यह सर्वमान्य तथ्य है कि इस दुष्कर कार्य को राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रचेतना से ओतप्रोत होकर करना होगा। युद्ध स्तर पर मनोयोगपूर्वक, त्याग व तपस्या की भावना से करना होगा।

युग की मांग : मौलिकता का हनन

अधिसंख्य लोग यह कहते हुए सुने जाते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषायें या हिन्दी के प्रयोग से हम विश्व की प्रगति की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। उनका यह कथन निरर्थक ही नहीं हास्यास्पद भी है। कोई भी कार्य भाषा या वैचारिक प्रस्तुतिकरण के सहारे नहीं चलता बल्कि मौलिक चिंतन, उद्भावनाओं के बल पर चलता है। हमारा विद्यार्थी जिस भाषा में आरम्भ से शिक्षा ग्रहण करता है उसे निरन्तर उसी भाषा में विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता रहे तो निश्चय ही वह अपनी प्रतिभा को सही उजागर कर सकता है। उसे जब भाषायी परतंत्रता या दासता में पड़कर परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया जाता है तो उसकी मौलिकता का हनन होता है और उस वेग या उत्साह से वह कार्य नहीं कर पाता जिस क्षमता से वह कर पाता। इस प्रकार राष्ट्रीय क्षति और प्रतिभा को कुंठित होने का मौका मिलता है। करोड़ों विद्यार्थी केवल इसी कारण आगे नहीं आ पाते हैं कि उनकी मातृभाषा या देश की सम्पर्क भाषा के माध्यम से उन्हें आगे आने का अवसर नहीं मिलता। दूसरा सबसे अच्छा उदाहरण प्रशासनिक सेवाओं में भारतीय भाषाओं का विकल्प दिया जाना है। इससे विदेशी भाषा का व्यामोह छोड़कर स्वदेशी भाषाओं के द्वारा अनेक क्षेत्र प्रशासनिक सेवाओं में तेजी से आ रहे हैं।

युग के अनुरूप यदि नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं भरी जाएगी तो उन्हें परमुखापेक्षी वनकर धन की लोलुपता में खाड़ी देशों या अन्यत्र भागने को मजबूर किया जाएगा। अतएव अपनी बहुमूल्य प्रतिभा सम्पदा को पलायित कराने में हमारी शिक्षा नीति ही उत्तरदायी होगी। प्रत्येक क्षेत्र में स्वभाषण की भावना जागृत कर इस जघन्य अन्तर्राष्ट्रीय कार्य से सदा के लिए मुक्ति पाई जा सकती है। युग की यही मांग है, इसे नकारा नहीं जा सकता।

तकनीकी कार्यों में अवरोध नहीं

परम्परागत रूप से चले आ रहे अंग्रेजी माध्यम से तकनीकी कार्यों को हिन्दी में करने से उनकी क्षमता, दक्षता या कार्यकुशलता पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ सकता है ऐसा कहना सर्वथा झूठ है। आरम्भ में ही स्वदेशी तकनीक को अपनी भाषा में अभिव्यक्ति करने की आदत डालने से निरन्तरता और दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वाभाविक है कि जिस प्रकार का प्रशिक्षण शुरू से दिया जायेगा उसी तरह की आदत बनी रहेगी अतएव आयातित तकनीक को हम अपनी भाषा में ग्रहण कर सकते हैं, वैसे अपने देश में भी इतनी खोजें और तकनीकी प्रगति के कार्य चल रहे हैं कि उन्हें अपनी भाषा में सरलता से अभिव्यक्त किया जा सकता है यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि अपनी भाषा में कार्य करते हुए तकनीकी कार्यों में कोई अवरोध नहीं उत्पन्न होगा। इस कार्य के लिए माध्यम परिवर्तन की प्रक्रिया को रोकना होगा। माध्यमिक स्तर तक छात्र अपनी मातृभाषा या हिन्दी माध्यम से पढ़ता है और अग्र कक्षाओं में उसे अंग्रेजी पढ़ने के लिए

बाध्य किया जाता है, इसका परिणाम यह होता है कि भाषायी कठिनाइयों के कारण लगभग, 66 प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं अथवा विज्ञान पढ़ना छोड़कर वाणिज्य, मानविकी या फिर अन्य उद्योग धन्धों की ओर भाग जाते हैं। फलस्वरूप जो अज्ञात, अनग्रप्रेषित बुद्धिमान विद्यार्थी भाषायी परेशानियों से तकनीकी क्षेत्र छोड़कर चले जाते हैं, हम उनके अपार ज्ञान भंडार से वंचित रह जाते हैं यह राष्ट्रीय क्षति अपूर्णनीय है।

राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन अपेक्षित

इस कार्य को केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही किया जाना संभव है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि हर एक रोजी रोटी और रोजगार से जुड़ा हुआ है, अस्तु जिस भाषा से नौकरी धंधा और सेवायोजन की संभावनायें प्रबल होंगी वही चलेगी, अन्य चीजें गौण और अनुपयोगी होंगी। यही बात अक्षरशः तकनीकी हिन्दी पर भी लागू होती है। चूंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य और वातावरण में एक लहर अंग्रेजी की दौड़ गयी है अतएव लाख प्रयत्नों के बाद भी अहित के कारण कोई सरलता से अपनाने को तैयार नहीं है, इसका उपचार एक ही है, वह है राष्ट्रीय नीति निर्धारण में स्वदेशी भावना का समावेश। जब तक गंभीरता और दृढ़तापूर्वक इस समसामायिक प्रश्न पर राष्ट्रीय चिंतन नहीं किया जावेगा तब तक सारे प्रयास नाकाम साबित होंगे और छुट पुट किये जा रहे सारे कार्य निष्प्रयोजन साबित होंगे। केवल वैज्ञानिक ही नहीं अपितु राजनेताओं को भी इस पर सोचना पड़ेगा। विज्ञान के चरमोत्कर्ष के युग में सामान्य नागरिकी ज्ञान पिपासा को शांत करना तथा उपलब्धियों से परिचित कराना आवश्यक है। आने वाली पीढ़ी को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए अपनी भाषा का अवलंब नितांत जरूरी है। यह बात नकारी भी नहीं जा सकती कि रोजगार के अवसरों को समाप्त कर हिन्दी का पल्ला पकड़ा जावे। पहले ये बात सार्वजनिक परीक्षाओं, प्रतियोगिताओं, साक्षात्कारों तथा व्यवहार में स्पष्ट हो जाये कि हिन्दी माध्यम से शिक्षा ग्रहण किये हुए वैज्ञानिक, इंजीनियर, तकनीशियनों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जावेगी, केवल हतोत्साहन की बात समाप्त हो जाये व तभी इस काम को गति मिलेगी अन्यथा जहां हिन्दी माध्यम से शिक्षा आरम्भ हुई थी वहां से निकले विद्यार्थियों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। अतएव जनमत जागृत कर इसे महत्व का विषय समझा जाना समीचीन होगा।

प्रभावी कदम : राष्ट्रीय संस्था

समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य को सुचारु रूप से तथा प्रभावी ढंग से लागू किए जाने के लिए अखिल भारतीय स्तर की एक संस्था का होना नितांत आवश्यक है। माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर अपने उद्घाटन भाषण में इस बात की ओर विशेष रूप से संकेत किया था कि विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी का समावेश राष्ट्रीय हित का उपयोगी कार्य होगा। इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया उसका कारण भी स्पष्ट था। इस समारोह के आयोजक अधिकांशतः हिन्दी साहित्य और भाषा से संबंधित थे जिनका उद्देश्य हिन्दी के द्वारा निजी हितों की रक्षा था। उन्हें इस बात की रंचमात्र भी परवाह नहीं थी कि हिन्दी को राष्ट्रीय एकता, विज्ञान, तकनीक और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा बनाने की चेष्टाएं की जाएं, वे हिन्दी के मंच से अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति मात्र करते रहे। विज्ञान के अध्यापक भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि इसमें कोई विशेष आकर्षण या तात्कालिक लाभ होता दृष्टिगत नहीं हो पा रहा है। अस्तु मामले को पूर्ववत टालते हुए खिसकाते हुए चले जा रहे हैं। तटस्थभाव के मूकदर्शक की भांति वस्तुस्थिति का जायजा ले रहे हैं।

इस कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था की अपेक्षा है। इस प्रकार की संस्था का उदय दिल्ली में कतिपय उत्साही वैज्ञानिक, तकनीकज्ञ और चिकित्सा क्षेत्र के मनीषियों के अथक प्रयत्नों से प्रस्तावित है। लोक विज्ञान परिषद नामक इस अखिल भारतीय हिन्दी सेवी संस्था के आविर्भाव से निश्चय ही जन-सामान्य को आविष्कारों और वैज्ञानिक सचेतनता से अवगत कराया जाना संभव हो सकेगा। यद्धपि इस प्रकार की एकाधिक संस्थाओं का जन्म पहले भी हुआ था लेकिन स्वार्थपरता, निष्ठा का अभाव तथा पर्याप्त निधि के अभाव में वे अकाल ही लुप्त हो गयीं। इस नवोदित संस्था से काफी आशायें हैं क्योंकि इसके कर्त्ता-धर्ता मनस्वी और राष्ट्रीय चेतना से जुटकर कुछ करने की प्रबल उत्कंठा में हैं। इस प्रकार की उच्चस्तरीय संस्था अपने ध्येयों की पूर्ति में सरकारी, निजी और अर्द्ध सरकारी संगठनों की सहायता से बहुत अधिक उपलब्धियां हासिल कर लेने में सक्षम हो सकती है।

युगानुरूप प्रासंगिक आवश्यकताएं

इस विराट कार्य के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रबल राष्ट्रीय चेतना की महती आवश्यकता है। अंग्रेजियत में बढ़ते वितान को ध्वस्त करने का एकमात्र यही रास्ता है कि समय की मांग को स्वीकार कर देश को मानसिक दासता की जंजीरों से मुक्त करायें। यह चिंता का विषय है कि जहां पहले हिन्दी नौकरियों में न्यूनाधिक स्थान भी पाती थी वहां इसके विपरीत अंग्रेजी का एकाधिपत्य सा होता जा रहा है। आरम्भिक अवस्था से ही अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रणाली वस्तुतः इनकी तरह देश को मिटाने में लग गयी है। यदि यही क्रम जारी रहा तो कदाचित हिन्दी का प्रायः लोप सा हो जायेगा और इसको संविधान में दिये गये आश्वासनों के विरुद्ध अपने ही घर में कैदी का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। हमें समय रहते इस घृणित मानसिकता, जहरीले कार्य को स्वदेशी के खिलाफ चल रहे कुचक्र और षड्यंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। इसमें आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। यही वास्तव में इसकी सही मायने में प्रासंगिकता कही जा सकती है जिसमें हम अपने को पहचानने और उसके अनुरूप आचरण करते हुए अतीत के आदर्शों का अनुसरण करें।

आइए मिल जुल कर हम उस दिशा में कदम बढ़ायें जो देश हित में दूरगामी परिणाम और आने वाली पीढ़ी को अच्छे देश प्रेमी नागरिक बनाने का दिशा निर्देशन कर सकें।

–210, त्रिवेणी नगर,
सीतापुर

हिन्दी में मौलिक एवं तकनीकी साहित्य का विकास और पी०आई०डी० (सी०एस०आई०आर०) की भूमिका

—तुरशनपाल पाठक

(हिन्दी में विज्ञान साहित्य के जाने-माने लेखक श्री तुरशनपाल पाठक का कहना है "भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बोलचाल की भाषा अथवा सम्पर्क भाषा में से आप इसका जो भी नाम उचित समझें वह "हिन्दी" कहलाती है....सच्चाई तो यह है कि आज विज्ञान के गूढ़तम विषयों के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों के हिन्दी पर्याय उपलब्ध हैं।" हिन्दी में मौलिक एवं तकनीकी साहित्य के विकास में सी. एस. आई. आर. के प्रमुख प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय ने जो भूमिका निभाई है उसका परिचय श्री पाठक अपने इस महत्वपूर्ण निबंध में दे रहे हैं।)

किसी भी इन्सान, समाज अथवा देश के पिछड़ेपन के मूल में जब कभी भी झांकने का अवसर मिलता है तो प्राय: रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और अशिक्षा ही मुख्य कारण नजर आते हैं। परम्परागत अवैज्ञानिक परिपाटियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा लगाव विकास के कार्य में एक ऐसा रोड़ा है जो विकास की महत्वपूर्ण कड़ी "वैज्ञानिक सोच-विचार" को पनपने ही नहीं देता। यदि किसी प्रकार रूढ़ियों के उभर कर उजाले की ओर बढ़ने का प्रयास भी किया जाये तो ज्ञान-विज्ञान के साहित्य का अभाव सामने आ जाता है, ज्ञान-विज्ञान का साहित्य जुटाया भी जाये तो कहा जाता है कि यह आम आदमी की ऐसी भाषा में नहीं मिलता है जिसे जन साधारण आसानी से पढ़ एवं समझ सके।

भारत की राष्ट्रभाषा, बोलचाल की भाषा अथवा सम्पर्क भाषा आदि में से आप इसका जो भी नाम उचित समझें, वह "हिन्दी" कहलाती है। इस हिन्दी के बारे में हम सभी को समय-समय पर खिल्ली भरी विचित्र आलोचनायें सुनने को मिलती रहती हैं। प्राय: लोग कहते रहते हैं कि साहब, हिन्दी में ज्ञान-विज्ञान कहां पढ़ा, लिखा और समझा जा सकता है। वहां तो सब की समझ में आने वाली रेलगाड़ी को "लोहपथगामिनी, और सिग्नल को "लोहपथगामिनी आवागमन सूचक पट्टिका" कहते हैं। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। यह सब तो निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलाया गया भ्रमित प्रचार है। किसी भी प्रमाणित शब्द-कोश में हिन्दी के इन प्रर्यायों का उल्लेख नहीं मिलता है। बल्कि सच्चाई तो यह है कि आज विज्ञान के गूढ़तम विषयों के वज्ञानिक और तकनीकी शब्दों के हिन्दी प्रर्याय भी उपलब्ध हैं। इनके समझने में कभी-कभी कठिनाई अवश्य आती है लेकिन अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में उनके समानार्थी शब्दों को पहली बार समझने पर आने वाली कठिनाई की तुलना में यह कठिनाई कहीं कम होती है। उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी के सामान्य वैज्ञानिक शब्द जैसे पैथोलोजी, पैरासाइट, क्लोरासिस और इनफ्लोरेंस भी पहली बार पढ़ते समय अटपटे और समझ में न आने वाले लगते हैं जबकि इनके हिन्दी पर्याय रोग विज्ञान, परजीवी, हरिमाहीनता, और पुष्पक्रम सरल, सहज सुग्राह्य और एकदम सही अर्थ देने वाले ऐसे लगते हैं बस पढ़ते जाइये और समझते जाइये, कहने का तात्पर्य यह है कि कठिन भाषा भी अभ्यास से सरल, मीठी और अपनी सी लगती है। अत: यदि हम कठिन-कठिन का ढोल पीटकर हिन्दी भाषा का उपयोग नहीं करेंगे तो वह अपनी होती हुई भी परायी लगेगी।

इसी संदर्भ में हिन्दी की विदुषी डा. महादेवी वर्मा ने तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर नई दिल्ली में अपने भाषण में ठीक ही कहा था कि हिन्दी की घोड़ा गाड़ी में गाड़ी चलाने के लिए लगाया गया विकास रूपी घोड़ा आगे के बजाय पीछे की ओर जोड़ दिया गया है जो हिन्दी के विकास की मंजिल पर उसे आगे ले जाने के बजाय पीछे की ओर खींच रहा है और दोष दिया जा रहा है कि हिन्दी अभी विकसित नहीं है, जब विकसित हो जाये तब इससे काम करने की बात सोचेंगे। अरे भाइयो अब दोष देना छोड़ो और हिन्दी की घोड़ा गाड़ी में विकास रूपी घोड़ा पीछे की बजाय आगे जोड़ो। तब आप देखेंगे कि हिन्दी तो चलती ही नहीं बल्कि दौड़ती है।

ऐसी विचित्र परिस्थितियों में आइये, हिन्दी वैज्ञानिक और तकनीकी मौलिक साहित्य पर एक नजर डालें कि हमारे देश में इसकी सही स्थिति क्या है। इस बारे में भी अक्सर सुनते रहते हैं कि हिन्दी में वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य का अभाव है और जब साहित्य ही नहीं है तो हिन्दी माध्यम से विज्ञान और तकनीकी विषयों में पढ़ाई भी आरम्भ नहीं की जा सकती। अत: जब तक हिन्दी समर्थ न हो जाये अंग्रेजी भाषा ही चलती रहनी चाहिए।

कुछ समय पहले हमें भी इस बारे में बड़ी भारी गलतफहमी थी। हम सोचते थे कि जब चारों ओर से हिन्दी वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य के अभाव की आवाज आ रही है तो यह अभाव अवश्य ही होगा। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर खोजा जाये और स्थिति का सही आंकलन, राष्ट्रहित में, आम जनता के सामने आये ऐसे विचार मन में आते रहते थे, लेकिन यह कार्य राष्ट्रहित का होने के साथ-साथ कठिन और चुनौती भरा था।

सी. एस. आई. आर. का प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय राष्ट्रहित के ऐसे प्रकाशनों को निकालने के लिए सदैव तत्पर रहता है जिन्हें आम प्रकाशक लाभ का कार्य न होने से निकालते नहीं हैं लेकिन वे आम जनता के लिए बेहद उपयोगी, सूचनावर्धक और देश के विकास के लिए नींव के पत्थरों की तरह आवश्यक होते हैं। हिन्दी वैज्ञानिक साहित्य का सर्वेक्षण भी इसी श्रेणी में आता है।

अत: देश में हिन्दी वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य की ठीक स्थिति तथा इसका सही उत्तर खोजने के लिए सी. एस. आई. आर. के प्रकाशन

और सूचना निदेशालय ने अपना कदम आगे बढ़ाया और हिन्दी वैज्ञानिक साहित्य के सर्वेक्षण का कार्य इसे सौंप दिया गया।

समूचे देश के विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के हिन्दी लेखकों, प्रकाशकों और संस्थानों तथा अन्य जानकारों से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक सूचनायें जब एकत्र की गई और जो साहित्य परिणाम सामने आय उससे हमारा यह भ्रम दूर हो गया कि देश में हिन्दी वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य का अभाव है। सन् 1966 से 1980 तक के 15 वर्षों के प्रकाशनों की जानकारी, जिसकी भी संभवत: पूरी सूचना हमें नहीं मिल पायी, बताती है कि देश में इस अवधि में 3344 हिन्दी वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है जो चिकित्सा विज्ञान से लेकर इंजीनियरी, कृषि तथा अन्य सभी आम आदमी तथा स्कूल कालेज के वैज्ञानिक विषयों से संबंधित है।

हमारी आंखें खोल देने वाली एक अन्य जानकारी जो सामने आयी वह यह थी कि देश में अनुदित साहित्य की तुलना में मौलिक साहित्य कहीं अधिक लिखा गया है। अत: जैसा कहा जाता है, हिन्दी केवल अनुवाद की ही भाषा नहीं है बल्कि विज्ञान और तकनीकी विषयों की हर विद्या में मौलिक लेखन के लिए पूरी तरह सक्षम है।

एक अन्य रोचक तथ्य यह भी है कि हिन्दी में वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं की भी कमी नही है। आज कृषि, चिकित्सा, अभियांत्रिकी, भू-विज्ञान, प्राणी विज्ञान आदि अनेक विषयों पर हिन्दी में नियमित रूप से लगभग 321 पत्रिकायें प्रकाशित हो रही हैं। इनमें से 82 ऐसी पत्रिकायें हैं जिनमें हिन्दी के साथ अंग्रेजी या किसी अन्य भारतीय भाषा में भी सामग्री प्रकाशित होती है। हिन्दी के अतिरिक्त दो या अधिक भाषाओं में सामग्री प्रकाशित करने वाली पत्रिकाओं की संख्या 19 है।

प्रकाशन अवधि के अनुसार विवेचन करें तो पायेंगे कि इन पत्रिकाओं में मासिक पत्रिकाओं की संख्या (89) सर्वाधिक है, दूसरा स्थान त्रैमासिक पत्रिकाओं (69) का है और तीसरी पाक्षिक पत्रिकाओं (21) का है। उसके बाद क्रमश: अर्धवार्षिक (15) साप्ताहिक (13) अन्य (10) द्विमासिक (6) तथा वार्षिक (4) पत्रिकायें आती हैं।

यहां यह बता देना उपयुक्त होगा कि हिन्दी में वैज्ञानिक शोध पत्रिकायें भी प्रकाशित हो रही हैं, इनमें से विज्ञान परिषद अनुसंधान पत्रिका "जरनल आफ इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स" (हिन्दी विभाग) प्रमुख है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हिन्दी में ऐसी अनेक वैज्ञानिक पत्रिकायें हैं जो पिछली अर्द्ध शताब्दी से भी अधिक समय से नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। इसके लिए "आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका" (1913) "विज्ञान" (1915) और "उद्यम" (1919) का उदाहरण दिया जा सकता है, इस समूची महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे निदेशालय ने एक निदेशिका के रूप में प्रकाशित किया है जिसका नाम "हिन्दी वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रकाशन निदेशिका, 1966–80" है। प्रसन्नता की बात यह है कि हमारे निदेशालय ने आम जनता की आवश्यकता को समझते हुए इस निदेशिका को देश और विदेश में नि:शुल्क वितरित कर दिया है और जिन महानुभावों ने इसे उपयोगी समझ कर हमारे कार्यालय से लिखित निवेदन कर अथवा स्वयं आकर लेना चाहा उन्हें भी यह नि:शुल्क उपलब्ध कर दी गई है। आज सभी प्रकाशित प्रतियां लगभग समाप्त हो गई हैं। हम समझते हैं कि इस निदेशिका से लोगों का भ्रम दूर होगा और उन्हें हिन्दी में वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य की स्थिति की सही जानकारी मिल सकेगी जो हिन्दी में कार्य करने वालों का मनोबल बढ़ाने के लिए नितांत महत्वपूर्ण और आवश्यक है।

यहां यह उल्लेख करना भी अनुचित न होगा कि हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी 27 अक्तूबर 1983 को इस निदेशिका का विमोचन करते समय इस कार्य को महत्वपूर्ण बताया और सराहना करते हुए कहा था कि आम आदमी को विज्ञान और तकनीकी साहित्य की सही जानकारी की आवश्यकता है जिसे यह निदेशिका पूरा कर सकेगी।

किसी भी देश की भौतिक सम्पदा के मूल स्रोत पेड़-पौधे, जीव-जन्तु, और खनिज पदार्थ होते हैं। यदि आप अपने आस-पास की किसी भी वस्तु को देखें तो निश्चित रूप से पायेंगे कि वह इन्हीं तीन प्राकृतिक पदार्थों से बनी है। इन विषयों की जानकारी सरल, सहज और प्रामाणिक तथ्यों के साथ किसी भी भाषा में लिखना और प्रकाशित करना निश्चय ही कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हमारे "प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय" ने ऐसी समस्त जानकारी से परिपूर्ण हिन्दी भाषा में एक विश्वकोश प्रकाशित किया है। इस वैज्ञानिक विश्वकोश का नाम भारत की सम्पदा प्राकृतिक पदार्थ है। इसके अब तक छ: खण्ड और दो पूरक खण्ड प्रकाशित हो चुके हैं तथा शेष चार खण्ड प्रकाशनाधीन हैं। इस ग्रन्थ माला में लगभग 5 हजार वनस्पति जातियों का वर्णन है। इसमें हमें वनस्पतियों में छिपी अपार मानव उपयोगी सम्पदा का ही पता नहीं चलता बल्कि अनेक उद्योगों के लिए कच्चे माल के स्रोत तथा देश-विदेश में व्यापार की नई संभावनाओं का भी ज्ञान होता है। इसके अलावा भी हमारे निदेशालय ने कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ग्रंथ हिन्दी में प्रकाशित किये हैं जिन सबका यहां उल्लेख करना संभव नहीं है।

यदि यह सब कुछ हिन्दी भाषा में लिखा जा सकता है तो मैं नहीं समझता कि प्रयास करने पर विज्ञान की अन्य विधाओं में जनोपयोगी संदर्भ साहित्य का सृजन क्यों नहीं हो सकता। मेरा तो यह पक्का मत एवं दृढ़ विश्वास है कि राजनैतिक कारण चाहे जो भी हों, विज्ञान और तकनीकी विषय के हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए हिन्दी पूरी तरह क्षमता रखती है, जरूरत केवल इस बात की है कि सब दृढ़ता के साथ इस पर कार्य करें जिसके लिए इसे अंग्रेजी के स्थान पर रोजी-रोटी के माध्यम का स्थान मिलना जरुरी है जो भाषा की कमजोरी नहीं है बल्कि अंग्रेजी का वर्चस्व निरन्तर बनाये रखने का संभवत: कुछ निहित स्वार्थी तत्वों का हाथ है जिसे यदि समय रहते दूर किया जा सके तो निश्चय ही हिन्दी ज्ञान-विज्ञान के प्रसार और शिक्षण में खरी उतर सकेगी।

–सम्पादक, "भारतीय सम्पदा"
हिल साइड रोड़, नई दिल्ली-12

विधि के क्षेत्र में हिन्दी

–जगदीश प्रशाद

(राजभाषा का विधिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। विधि के क्षेत्र में हिन्दी की स्थिति का परिचयात्मक लेख।)

लोकतंत्र में सभी नागरिकों का कर्त्तव्य है और अधिकार भी है कि देश की विधि (कानून) को जानें। देश की विधि को अधिक से अधिक नागरिक जान सकें यह तभी हो सकता है जब विधि की पुस्तकें/प्रकाशन जनभाषा में हों। भारत सरकार इस बात के प्रति सजग है कि अधिक से अधिक नागरिक राष्ट्र की विधि को जाने और न्याय जनभाषा में हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय ने विधि के विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी प्रयोग को प्रोत्साहित करने और लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से अपने अधीन "विधि साहित्य प्रकाशन" के माध्यम से कई योजनाएं कार्यान्वित की हैं :–

निर्णय पत्रिकाएं

देश के बहुत से न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही हिन्दी भाषा में हो रही है। न्यायालयों के निर्णयों में भी हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है। इस कार्य को और अधिक सुगम बनाने के उद्देश्य से विधि मंत्रालय निर्णयज विधि (केस लॉ) को हिन्दी भाषा में प्रकाशित कर रहा है। विधि मंत्रालय ने "उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका" के नाम से एक मासिक निर्णय पत्रिका का अप्रैल 1968 से प्रकाशन प्रारंभ किया है जिसमें उच्चतम न्यायालय के ऐसे सभी निर्णय, जो प्रकाशन योग्य हैं, प्रकाशित किये जाते हैं। 450 पृष्ठ की मासिक पत्रिका का वार्षिक चन्दा मात्र 65 रुपये है।

1 जनवरी, 1969 से "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" का आरम्भ किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों में से चुने हुए निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है। यह मासिक पत्रिका लगभग 600 पृष्ठ की होती है तथा इसका वार्षिक चन्दा मात्र 75 रुपये है।

उपर्युक्त दोनों पत्रिकाओं को एक साथ लेने पर इनका कुल वार्षिक चन्दा मात्र 120 रुपये है।

हिन्दी में विधि पुस्तकें

देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विधि की पढ़ाई हिन्दी के माध्यम से होने लगी है। किन्तु हिन्दी में विधि के ऐसे मौलिक ग्रन्थों का सदा अभाव रहा है जो विधि में मेधावी, जिज्ञासु, गंभीर तथा गहन अध्ययन के इच्छुक विद्यार्थी की ज्ञान-पिपासा को तृप्त कर सकें या उसे सही मार्ग दर्शन दे सकें। विधि साहित्य प्रकाशन ने इस शून्य को भरने का एक विनम्र प्रयास आरम्भ किया है और विधि के विद्वान लेखकों से हिन्दी में विधि की मौलिक पुस्तकें लिखवाने और अंग्रेजी में विधि के मानक ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद कराने की योजना शुरु की है। इस योजना के अन्तर्गत विधि के विभिन्न विषयों पर अब तक उन्नीस पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से प्रमुख पुस्तकों का विवरण नीचे दिया गया है :–

1. भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व–डा. प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी–36.50 रु.
2. साक्ष्य की विधि–रेवाशंकर गोविन्द राम त्रिवेदी–33.60रु.
3. अपकृत्य विधि के सिद्धान्त–शर्मन लाल अग्रवाल–14.50रु.
4. दण्ड प्रक्रिया संहिता–न्यायमूर्ति महावीरसिंह–46.50रु.
5. मुस्लिम विधि–प्रो. हफीजुल रहमान–16.50 रु.
6. चिकित्सा न्यायशास्त्र और विषय विज्ञान–डा. सी. के. पारिख (अनुवादक–डा. नरेन्द्र कुमार पटोरिया) –70.0रु.
7. खण्ड विधि के साधारण सिद्धान्त–डा. रमेशचन्द्र निगम–19.00रु.
8. प्रशासनिक विधि–डा. कैलाश चन्द्र जोशी–16.50 रु.
9. श्रम विधि–गोपी कृष्ण अरोड़ा–24.20 रु.
10. संविदा विधि–आर. जी. चतुर्वेदी–24.35 रु.
11. मध्यप्रदेश भू-विधि–न्यायमूर्ति शिवदयाल परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव–10.50रु.
12. अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय–डा. एम. सी. खरे–16.70 रु.

विधि शब्दावली

विधिक शब्दों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से विधि मंत्रालय के राजभाषा खण्ड ने 1970 में मानक विधि शब्दावली का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया। इस शब्दावली का पुनरीक्षित संस्करण 1979 में प्रकाशित किया गया

था तीसरा संस्करण 1983 में पुनः प्रकाशित करना पड़ा। यह विधि शब्दावली अंग्रेजी-हिन्दी, लैटिन-हिन्दी, हिन्दी-अंग्रेजी, पत्रीयों तथा अरबी और फारसी के शब्दों के हिन्दी पर्याय का नवीनतम संकलन है। यह मानक शब्दावली सीखने और प्रयोग करने में बहुत सहायक है। मानक शब्दावली के प्रयोग सरकारी कार्यालयों, हिन्दी अधिकारियों, विद्यार्थियों, अधिवक्ताओं और न्यायधीशों के लिए आवश्यक है। इस मानक विधि शब्दावली का मूल्य केवल 15.50 रु. है।

केन्द्रीय अधिनियम के द्विभाषी पाठ (हिन्दी–अंग्रेजी संस्करण)

विधि मंत्रालय के राजभाषा खण्ड ने अब तक 1048 अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद किया है। इनमें से 1004 अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत किये जा चुके हैं और भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं। जिन अधिनियमों के अनुवाद की मांग अधिक होती है उनका द्विभाषी संस्करण निकाला गया है, जिसमें बांई ओर के पृष्ठ पर अंग्रेजी पाठ और दाईं ओर के पृष्ठ पर हिन्दी का प्राधिकृत पाठ होता है। अब तक 251 अधिनियमों के द्विभाषी संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। ये प्रकाशन बहुत ही सस्ते मूल्य पर विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा विक्रय किये जाते हैं।

सम्पर्क सूत्र–
प्रकाशन और विक्रय प्रबन्धक
भारत सरकार
विधि साहित्य प्रकाशन
विधि और न्याय मंत्रालय
भारतीय विधि संस्थान भवन
नई दिल्ली–110001

"हिन्दी का अधिकार उसे मिलकर रहेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि यह समय आवेश या आक्रोश का नहीं है। यह समय है संगठन का और संगठित होकर अराष्ट्रीय तत्वों पर प्रहार करने का। आज भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों, धर्मों तथा सम्प्रदायों को अपने-अपने राजनैतिक एवं धार्मिक हितों को गौण बनाकर राष्ट्रभाषा हिन्दी को बल देने के लिए लोहे की दीवार की तरह बन जाना चाहिए। जितना काम संगठन और एकता से हो सकेगा, उतना हिंसा या उपद्रव से नहीं। इसलिए हमें शान्त रह कर विवेकपूर्ण कार्य करना चाहिए, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हमारी इस विनम्रता को गलत समझा जाए।"

(साप्ताहिक हिन्दुस्तान–7 मई, 1965)

कार्यालयीन अनुवादनों की व्यावहारिक समस्याएं

—राजेन्द्र सिंह रावत

(आज दो प्रकार का अनुवाद उपलब्ध है। एक तो वह अनुवाद जो बाजार में है तथा दूसरा वह अनुवाद जो कार्यालयों में किया जा रहा है। प्रस्तुत लेख में राजेन्द्र सिंह रावत ने अपने दीर्घकालीन अनुवादकीय अनुभव के आधार पर कार्यालयों में किए जा रहे अनुवाद में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं पर विचार किया है। विद्वान लेखक का मत है कि कार्यालयी अनुवाद में सबसे बड़ी समस्या पारिभाषिक शब्दों की है, हिन्दी की बोलियों से बहुत कम शब्द लिए गये हैं, परिभाषा कोश की कमी भी प्रमुख कठिनाई है, अनुवाद किये जाने वाली सामग्री के विषय का ज्ञान अनुवाद के लिए आवश्यक है जैसे मुद्दों पर श्री रावत के विचार कार्यालयी अनुवाद के लिए उपयोगी होंगे।)

संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी जानेवाली हिन्दी संघ सरकार की राजभाषा है। संविधान लागू होने की तारीख से 15 वर्ष की अवधि तक संघ सरकार के काम-काज में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया था। इसके साथ ही हमारे संविधान निर्माताओं ने यह छूट भी दे दी थी कि 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद संसद द्वारा कानून बना कर अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखा जा सकेगा। निर्धारित तिथि से अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग करना संभव होगा कि नहीं—इस मुद्दे पर विचार करने के लिए राजभाषा आयोग और एक संसदीय समिति बनाने की व्यवस्था भी संविधान में कर दी गई थी।

संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार सरकार द्वारा गठित प्रथम राजभाषा आयोग ने 1956 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी थी, जिन पर संसदीय समिति ने विचार करके अपनी रिपोर्ट 1959 में राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। दोनों का यह मत था कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी को केन्द्रीय सरकार के काम-काज में जारी रखा जाना चाहिए। राजभाषा आयोग और संसदीय समिति की सिफारिशों के मुताबिक अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने के लिए एक कानून की आवश्यकता पड़ी। अतः राजभाषा अधिनियम, 1963 संसद द्वारा पारित किया गया। लेकिन, अहिन्दी भाषियों को पंडित नेहरू द्वारा दिए गए आश्वासन को कानूनी रूप देने के लिए 1967 में राजभाषा अधिनियम का संशोधन करना पड़ा।

संशोधित राजभाषा अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार 1965 के बाद भी अनिश्चित काल तक अंग्रेजी के प्रयोग की छूट दे दी गई। साथ ही यह व्यवस्था भी की गई कि अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित कागज-पत्रों—जैसे संकल्प, सामान्य आदेश, अधिसूचनायें, रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संविदायें और करार इत्यादि के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना होगा।

राजभाषा के लिए किए गए संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार के काम-काज के लिए एक द्विभाषी स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जाहिर है कि देश भर में फैले केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनिवार्यताओं को अनुवाद के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। अतः कार्यालयी अनुवाद के लिए तीन प्रकार की व्यवस्था की गई। पहली प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत सांविधिक किस्म के साहित्य का अनुवाद शामिल किया गया जिसका दायित्व विधि मंत्रालय के राजभाषा विधायी विभाग को सौंपा गया। दूसरी प्रकार की व्यवस्था के तहत स्थायी किस्म के असांविधिक साहित्य के अनुवाद कार्य का दायित्व राजभाषा विभाग के अधीन केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो को सौंपा गया। तीसरी किस्म की व्यवस्था के अंतर्गत उस साहित्य के अनुवाद को शामिल किया गया जो तात्कालिक और अस्थायी किस्म का है जैसे-संसद प्रश्न, वार्षिक रिपोर्टें, मंत्रिमण्डल की बैठकों के लिए संक्षिप्त टिप्पणियां, बैठकों की कार्यसूचियां और कार्यवृत्त, सामान्य आदेश, पत्राचार, प्रेस विज्ञप्तियां, मासिक, त्रैमासिक, अथवा वार्षिक प्रकाशन इत्यादि। इस प्रकार का अनुवाद कार्य स्वयं निपटाने का उत्तरदायित्व प्रत्येक कार्यालय पर है। अतः इस कार्य के लिए भारत सरकार के प्रत्येक कार्यालय में आवश्यकतानुसार अनुवादकों की नियुक्ति की गई है।

अनुवादक का प्रमुख कार्य है—अंग्रेजी से हिन्दी या हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करना। कहीं-कहीं उनसे राजभाषा अधिनियम व उसके अधीन बनाये गए नियमों के कार्यान्वयन का कार्य भी लिया जा रहा है। अनुवादकों को अपने रोज-मर्रा के कार्य में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस लेख में उनकी कुछ प्रमुख समस्याओं पर रोशनी डालने की कोशिश की गई है।

कार्यालयी अनुवाद में सबसे बड़ी समस्या पारिभाषिक शब्दों की है। अंग्रेजी के कई शब्द ऐसे हैं जिनके अभी तक सही हिन्दी पर्याय नहीं बन

पाये हैं। पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण काफी समय पहले हो गया था। इस बीच सरकार के विभिन्न कार्यालयों में तकनीकी विषयों से संबंधित अंग्रेजी के नए-नए शब्द चल पड़े हैं जिनका हिन्दी पर्याय पारिभाषिक शब्द-संग्रहों में उपलब्ध नहीं हैं—जैसे Core Sector, Thrust Area, Casualty Sample, Monitering Cell, Biospere Reserves इत्यादि अनेकों शब्द गिनाए जा सकते हैं। पारिभाषिक शब्दों के संबंध में एक और कमी जो खटकती है—वह है एक अधिकृत परिभाषा कोश का अभाव। कार्यालयों में हम रोजाना ऐसे कई शब्दों को प्रयोग में लाते हैं जिनकी परिभाषा कार्यालय में काम करने वाला हर कोई व्यक्ति नहीं बता पाता। जैसे ज्ञापन (Memorandum) कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) कार्यालय आदेश (Office Order), परिपत्र (Circular), अधिसूचना (Notification), संकल्प (Resolution), पृष्ठांकन (Endorsement) की परिभाषा बहुत कम लोग बता पाएंगे।

अंग्रेजी में प्रत्येक शब्द का अर्थ संदर्भ के हिसाब से बदल जाता है। लेकिन पारिभाषिक शब्दावली में अंग्रेजी के दो-दो या तीन-तीन शब्दों का एक ही हिन्दी पर्याय दे रखा है जैसे-अनुबंध (annexure, contract), अध्यक्ष (Chairman, head, speaker), कक्ष (Chamber, room, cell), कृत्य (function, performance work), इत्यादि।

पारिभाषिक शब्दों के स्तर पर ही एक और समस्या है टकसाली शब्दों की। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माताओं ने हिन्दी की बोलियों से बहुत कम शब्द लिए हैं। अंग्रेजी के भी बहुत शब्दों को अपनाया गया है। प्रादेशिक भाषाओं से तो नाम मात्र के शब्द लिए गए हैं। अधिकांश शब्द संस्कृत से लिए गए तथा प्रत्यय और उपसर्गों की सहायता से नए शब्दों का निर्माण किया गया है। पारिभाषिक शब्द संग्रह में टकसाली शब्दों की अधिक भरमार है। इस प्रकार के अनेक शब्द गिनाए जा सकते हैं, जैसे-सहतादात्मीकरण (Co-identification), अंतध्वंसक (saboteur), अभ्यर्पण (surrender), संवर्गबाह्य (Ex-cadre), सम्पात (coincidence) संरेख (cellinear), प्रतिकृति (image), अवधान द्रव्य (Caution Money), प्रवर्तन (Enforcement), प्रतिभू (Security), दुरभिसंधि (Collusion), इत्यादि। इन शब्दों के प्रयोग से अनुवाद की भाषा बनावटी और दुरूह हो जाती है। यही वजह है कि शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित "पारिभाषिक शब्द संग्रह" अनुवादकों में अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाया। बल्कि इसकी तुलना में कामिल बुल्के, डा. हरदेव बाहरी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन इत्यादि द्वारा तैयार किए गए अंग्रेजी-हिन्दी शब्द कोश अधिक लोकप्रिय हैं।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और हिन्दी भाषी राज्यों में प्रयुक्त होने वाले अनेक पारिभाषिक शब्द ऐसे है जिनमें एकरूपता नहीं है। केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में "Director" के लिए "निदेशक" प्रयुक्त किया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए "संचालक" शब्द अपनाया है। इसी प्रकार Attestation के लिए केन्द्रीय सरकार ने "अनुप्रमाणन" शब्द चलाया है जबकि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों द्वारा इसके लिए क्रमशः "प्रमाणीकरण", "अभिप्रमाणीकरण" तथा "अभिप्रमाणन" शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। हिन्दीभाषी प्रदेशों की सरकारों से केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्राप्त होने वाले हिन्दी पत्रों का अनुवादकों को अंग्रेजी रूपान्तर करना पड़ता है। अतः अंग्रेजी रूपान्तर करते समय उन शब्दों का अंग्रेजी पर्याय ढूंढने में कठिनाई आती है जिनका प्रयोग संबंधित राज्य सरकार तो करती है लेकिन केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में उन शब्दों का प्रचलन नहीं है। यही नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में भी अनेक शब्दों के प्रयोग में एकरूपता नहीं है। जैसे-Monitering के लिए योजना आयोग में "प्रबोधन" का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि ग्रामीण विकास विभाग, सांख्यिकी विभाग, और गृह मंत्रालय में इसके लिए क्रमशः "निगरानी", "परिनियंत्रण" और "मानीटर" लिखा जा रहा है। इसी प्रकार विभिन्न विभागों में Processing के लिए "संसाधन", "विधायन" और "प्रक्रियान्वयन" का प्रयोग एक ही संदर्भ में पृथक-पृथक किया जा रहा है।

शब्द कोश से उपयुक्त शब्द के चयन करने में सावधानी बरतना अनुवादक के लिए बहुत जरुरी है। यदि गलत शब्द चुन लिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। विषय पर ठीक पकड़ न होने के कारण अनुवादक प्रायः गलत शब्द चुन लेते हैं। मेरे एक मित्र ने "Scientists of High Order" का अनुवाद "उच्च आदेश प्राप्त वैज्ञानिक" कर दिया था। इसी तरह एक दस्तावेज का अनुवाद करते समय अंग्रेजी के एक वाक्य में "leapfrog" शब्द आया। पूरे वाक्य का भावार्थ कुछ इस प्रकार था—"हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उन्नत क्षेत्रों में लम्बी छलांग लगानी होगी"। हमारे मित्र ने शब्दकोश से leapfrog का हिन्दी पर्याय चुनकर पूरे वाक्य का हिन्दी रूपान्तर किया—"हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उन्नत क्षेत्रों में मेंढक की कूद लगानी होगी।"

कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं जब कोई शब्द किसी भी शब्द कोश में नहीं मिलता। इस परिस्थिति में अनुवादक को कोई नया शब्द गढ़ना पड़ता है या हिन्दी में किसी भी तरह उसे अभिव्यक्त करना पड़ता है। यदि अनुवादक को संदर्भ और विषय का ठीक ज्ञान न हो तो उसकी कठिनाई और भी बढ़ जाती है। विशेषतः वैज्ञानिक विषयों से संबंधित सामग्री का अनुवाद करते समय इस प्रकार की समस्यायें उत्पन्न होती हैं। इसका एक उदाहरण "पर्यावरण" नामक पत्रिका में प्रकाशनार्थ एक लेख का हिन्दी अनुवाद करते हुए सामने आया। एक वाक्य में "Doomsayers" शब्द आया जो हमें किसी भी शब्दकोश में नहीं मिला। हमने इधर उधर परामर्श करके इस शब्द का भावार्थ निकाला—"भाग्य की बात करने वाले"। बाद में मूल लेखक से परामर्श करने पर मालूम हुआ कि "Doomsayers" से उनका अभिप्राय "सर्वनाश की बात करने वालों" से था।

अनुवादक के लिए आवश्यक है कि जिस विषय की सामग्री का वह अनुवाद कर रहा है उस विषय का उसे अच्छा ज्ञान हो, तभी वह अनुवाद के साथ न्याय कर सकता है। पर्यावरण विभाग के अनुवादक के लिए जहां "ज्योलाजी", "बायोलाजी" और "बाटनी" विषयों का कम-से-कम साधारण ज्ञान जरूरी है वहीं योजना मंत्रालय के अनुवादक के लिए "अर्थशास्त्र" और "सांख्यिकी" विषयों का प्रारंभिक ज्ञान उतना ही आवश्यक है। इसी प्रकार अंतरिक्ष, इलक्ट्रोनिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों तथा रक्षा, रेल व कृषि मंत्रालयों के अपने-अपने विशिष्ट विषय हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने-अपने विभागों या मंत्रालयों

की मात्र शब्दावली का ज्ञान अनुवादकों क लिए पर्याप्त नहीं है बल्कि उन्हें संबंधित विषय का कम से कम काम चलाऊ ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं दूर है। अनुवादकों की नियुक्ति के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार बी. ए. के स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी तथा एम. ए. के स्तर पर हिन्दी या अंग्रेजी विषयों में उत्तीर्ण होना पर्याप्त है। जाहिर है कि किसी भी वैज्ञानिक कार्यालय में अनुवादक की नियुक्ति करते समय संबंधित विषय ज्ञान पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वैज्ञानिक विषयों की अनुवाद सामग्री के साथ अनुवादक कितना न्याय कर पाता होगा। वैज्ञानिक किस्म की सामग्री को अनुवादक प्राय: ठीक से नहीं समझ पाते और अनुवाद करते समय वाक्य में मात्र शब्दों का जाल बुन देते हैं। इसका एक उदाहरण यहां प्रस्तुत है :—

> "पश्चिमी क्षेत्रीय केन्द्र और पश्चिमी घाट क्षेत्रीय केन्द्र के वैज्ञानिकों ने लघुपुच्छ वानरों अर्थात् शेर-पुच्छ वानरों तथा बोनेट वानरों का तुलनात्मक पारिस्थितिकी व्यवहार और गिद्ध की पारिस्थितिकी एवं व्यवहार, कुछ कृन्तक तथा छुछुन्दर की रसायनांगीकरण विज्ञान, कोशिकियों की रोमानी भी परजीवियों और मकड़ियों एवं बिच्छुओं पर अध्ययन किए"
> (पर्यावरण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, 1983-84—पृ. 79)

विषय के ज्ञान के साथ-साथ हिन्दी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखना भी अनुवादक के लिए जरूरी है। लेकिन देखने में आता है कि अनुवादकों का प्राय: एक पक्ष कमजोर रहता है जिनकी हिन्दी कमजोर है वे वर्तनी और वाक्य विन्यास की गलती कर डालते हैं और जिनकी अंग्रेजी कमजोर है वे वाक्य का भावार्थ ही बदल डालते हैं। इसका एक उदाहरण प्रस्तुत है :

> "अनुसूचित जनजाति के 7554 लोगों में से अब तक लगभग 6,000 लोगों को कुओं के अन्दर लाया जा चुका है"
> (Out of 7554 Scheduled Tribes population about 6,000 have already been covered so far under wells.)

अपने कार्यालय की वार्षिक रिपोर्ट का अनुवाद करते समय मेरे एक मित्र ने यह अनुवाद कर डाला था। अनुवादक को सामान्य बुद्धि और विवेक से भी काम लेना पड़ता है। शब्दों का मात्र रूपान्तर कर देने से कभी-कभी अनुवाद हास्यास्पद हो जाता है। एक अनुवादक द्वारा अनूदित सामग्री की जांच करते समय मुझे "Oil seeds" के लिए "तेल के बीज" और "Red Indian" के लिए "लाल भारतीय" लिखा हुआ देखने में आया।

अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाली संक्षिप्तियों का हिन्दी रूपान्तर करने में भी अनुवादकों को कभी-कभी कठिनाई महसूस होती है। अंग्रेजी भाषा में बिना किसी रुकावट के संक्षिप्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन इन संक्षिप्तियों को जब हम हिन्दी में प्रयुक्त करते हैं तो इनसे भाषा के प्रवाह में अनावश्यक रुकावट उत्पन्न होती है तथा भाषा में बनावटीपन आ जाता है। संक्षिप्तियों के "पूर्ण रूप" का हिन्दी रूपान्तर करके इन्हें हिन्दी में पूरा लिखा देना ही श्रेयष्कर होता है, जैसे I.R.D.P. (Integrated Rural Development Programme) के लिए "समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम" लिखना उचित होगा बजाए "स. ग्रा. वि. का." के। अनुवादक के समक्ष समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी संक्षिप्ति का "पूर्ण रूप" उसे ज्ञात नहीं होता। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी संक्षिप्तियों को देवनागरी में ज्यों का त्यों लिखना पड़ जाता है—जैसे आई. आर. डी. पी.। कुछ प्रचलित संक्षिप्तियां ऐसी ह जिन्हें पूरे एक शब्द के रूप में लिख देने से भाषा के प्रवाह में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती—जैसे "यूनेस्को" (UNESCO), "इकाफे" (ECAFE), "आइजेक" (ISEC), इत्यादि।

अंग्रेजी भाषा की एक विशेषता है कि एक ही वाक्य में कई जगह अल्प विराम लगा कर आप कई बातें कह सकते हैं। इस प्रकार के वाक्य दस-पन्द्रह पंक्तियों में जाकर कहीं समाप्त होते हैं। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने में अनुवादकों को विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हिन्दी भाषा की प्रकृति छोटे-छोट वाक्यों की है। अंग्रेजी की इस वाक्य रचना शैली की नकल अनुवादक हिन्दी में भी करने लगे ह, जिससे हिन्दी का वाक्य काफी दुरूह हो जाता है। जैसे—"परन्तु यह और भी कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा क रूप म अपनाया है, या किसी अन्य राज्य के साथ, उसकी सहमति से, पत्रादि क प्रयोजनों क लिए हिन्दी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है, और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा"। (राजभाषा अधिनियम, 1963)

अंग्रेजी की मूल सामग्री में प्रयुक्त व्यक्तियों और संस्थाओं व संगठनों के नाम को हिन्दी में लिखते समय भी कुछ कठिनाई उत्पन्न होती है। अंग्रेजी में व्यक्ति-नाम प्राय: संक्षप में लिखे जात ह-जैसे (I. S. Dutt) लेकिन हिन्दी में "आई. एस. दत्त" की बजाय "इन्द्र स्वरूप दत्त" पूरा लिखना ही उचित है। हिन्दी के हिसाब से इसे हम संक्षप में ई. स्व. दत्त भी लिख सकत ह, लकिन इस तरह से नाम लिखने का रिवाज अभी हिन्दी में नहीं आया है। संस्थाओं या संगठनों क नाम का हिन्दी रूपांतर करते हुए भी कुछ कठिनाई उत्पन्न होती है, जसे "National Institute of Health & Famliy Welfare" का हिन्दी रूपांतर अनुवादक प्राय: "स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण का राष्ट्रीय संस्थान" कर दते हैं। यह ठीक नहीं है। यदि इसे "राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण संस्थान" लिखा जाए तो हिन्दी में यह सही नाम होगा।

ऊपर जिन समस्याओं का उल्लेख किया गया है व मुख्यत: तकनीकी किस्म की हैं। इनके अलावा कुछ प्रशासनिक किस्म की समस्याएं भी अनुवादकों के समक्ष विद्यमान हैं। इन समस्याओं का भी यहां उल्लेख करना अनुचित न होगा।

राजभाषा विभाग ने अनुवादकों के लिए प्रतिदिन 1350 गैर-तकनीकी शब्दों की दर से अनुवाद कार्य का कोटा निर्धारित कर रखा है। इसी प्रकार तकनीकी शब्दों के मामले में प्रतिदिन 900 शब्दों के अनुवाद का कोटा निर्धारित किया गया है। तकनीकी और गैर-तकनीकी किस्म की सामग्री का वर्गीकरण करने के लिये कोई विशेष मानदंड न होने के कारण प्राय: यह तय करने में कठिनाई होती हैं कि कौन सी सामग्री तकनीकी है और कौन सी गैर-तकनीकी। यदि हम किसी सामग्री को गैर-तकनीकी मान भी लें तो एक औसत अनुवादक के लिए यह संभव नहीं होता कि वह रोजाना 1350 शब्दों का कोटा पूरा कर सके। प्रत्येक अनुवादक की कार्य क्षमता उसकी योग्यता और

अनुभव पर आधारित होती है। हर किसी अनुवादक के लिए रोजाना 1350 शब्दों का कोटा देना आसान नहीं है। इस समय भारत सरकार के कार्यालयों में लगभग 20% अनुवादक ही ऐसे होंगे जो पूरा कोटा देने का सामर्थ्य रखते हों। सरकार ने कनिष्ठ और वरिष्ठ अनुवादकों के लिए समान कर्त्तव्य निर्धारित किये हैं जबकि दोनों के वेतनमान में काफी असमानता है। जहां एक ओर वरिष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक के कर्त्तव्यों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता है वहीं दूसरी ओर अनुवादकों के लिए निर्धारित कार्य की मात्रा को तर्कसंगत बनाने की भी आवश्यकता है।

अनुवादकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। उनके लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में तीन माह का पूर्णकालिक अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया गया है। यह पाठ्यक्रम उन अनुवादकों के लिए अधिक उपयोगी है जिनकी नियुक्ति अनुवादक के पद पर हाल ही में हुई हो। जो अनवादक सेवा में आने के 4–5 वर्ष बाद इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं उनके लिए इस पाठ्यक्रम की कोई विशेष उपादेयता नहीं रह जाती क्योंकि अनुवाद का व्यावहारिक प्रशिक्षण वे इन 4–5 वर्षों में प्राप्त कर चुके होते हैं। इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में विस्तार करने की भी आवश्यकता है। इस पाठ्यक्रम को तकनीकी और गैर-तकनीकी दो हिस्सों में विभक्त करने पर विचार किया जा सकता है। तकनीकी साहित्य के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में केवल उन्हीं अनुवादकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है जो मुख्यतः वैज्ञानिक विभागों/कार्यालयों में कार्य कर रहे हों। दूसरे भाग में गैर-तकनीकी विभागों के अनुवादकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है।

कार्यालयी अनुवाद पर प्रायः यह आक्षेप लगाया जाता है कि वह अटपटा, नीरस और दुरूह होता है। जबकि गैर-सरकारी अनुवाद में इस प्रकार की कोई कमियां कम ही दिखाई देती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है सरकारी अनुवाद का किसी स्तर पर कोई मूल्यांकन न किया जाना। कार्यालयी अनुवाद महज एक कानूनी औपचारिकता पूरी करने के लिए किया जाता है। चूंकि सरकारी साहित्य पढ़ने में किसी की रुचि नहीं होती इसलिए अनुवादक भी जसे-तसे उक्त सामग्री का अनुवाद कर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेता है। हिन्दी कार्य से जुड़े कर्मचारियों की एक ओर समस्या है आत्म सम्मान के रक्षा की। साधारणतः उनके कार्य को सरकारी दफ्तरों में कोई महत्व नहीं दिया जाता बल्कि मात्र "डुप्लिकेशन ऑफ वर्क" समझा जाता है।

मंत्रालयों और विभागों में कार्य कर रहे अनुवादकों के सामने एक अन्य समस्या है—तात्कालिक किस्म के अनुवाद कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने की। संसद सत्रों के दौरान अनुवादकों को तनावपूर्ण स्थिति में काम करना पड़ता है। संसद प्रश्नों तथा संसद में प्रस्तुत किये जाने वाले कागज-पत्रों के अनुवाद कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। प्रायः एक दिन पहले अनुवादकों को संसद प्रश्नों का अनुवाद कार्य दिया जाता है। यह कार्य किसी भी सूरत में उसी दिन पूरा करना पड़ता है चाहे अनुवाद सामग्री कितनी भी अधिक क्यों न हो। लिहाज़ा अनुवादकों को सारी रात काम में जुटे रहना पड़ता है। इस प्रकार निरन्तर काम में जुटे रहने से अनुवादकों को मानसिक थकान तो होती ही है साथ में उनकी कार्यकुशलता और अनुवाद की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

हिन्दी अधिकारी
अनु. जाति एवं अनु. जनजाति आयोग,
लोकनायक भवन, नई दिल्ली

मैं यह बात सोच भी नहीं सकता कि भविष्य के भारत में शिक्षा का मुख्य माध्यम अंग्रेजी हो सकती है। वह माध्यम तो हिन्दी ही हो सकती है या कुछ अन्य क्षेत्रीय भाषाएं। केवल उसी अवस्था में हम अपने लोगों के सम्पर्क में रह सकते हैं और सर्वतोमुखी प्रगति में सहायक हो सकते हैं।

जहां तक विज्ञान और शिल्प-शिक्षा का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि उनकी शिक्षा भी हमारे विद्यालयों में हिन्दी के माध्यम से होनी चाहिए।

—पं० जवाहरलाल नेहरू

हिन्दी चली समंदर पार

—कुमारी रागिनी सिन्हा

(राजभाषा भारती के 27वें अंक से प्रारंभ किये गये इस स्थाई स्तम्भ में प्रकाशित की जा रही है यह दूसरी किस्त। 29वें अंक में फीजी में हिन्दी की स्थिति के विषय में एक लेखमाला प्रकाशित करने का प्रयत्न किया जायेगा।)

सूरीनाम में गांधी जयन्ती

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 11 5वां जन्म दिवस दि. 2 अक्तूबर, 1984 को सूरीनाम में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। देश की राजधानी में एक प्रमुख स्थान पर स्थित गांधी जी की आदमकद मूर्ति को प्रातःकाल सूरीनाम के उप प्रधान मंत्री श्री लिफ लांग, भारत के राजदूत महामहिम श्री बच्चूप्रसाद सिंह तथा अनेक गण्यमान्य नागरिकों, वकीलों, पत्रकारों, भारतीय दूतावास और सांस्कृतिक केन्द्र के कार्मिकों, अनेक भारतीयों तथा स्थानीय लोगों ने माल्यार्पण कर युग-पुरुष के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की।

सांयकाल, स्थानीय भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र में एक सभा आयोजित की गई जिसमें अतिथि वक्ता थे सूरीनाम-गणतंत्र के शिक्षा मंत्री श्री लिफो शु। सभा में भारतीयों के अतिरिक्त सूरीनाम के अनेक बुद्धिजीवियों एवं विद्वानों ने पूरी निष्ठा से भाग लिया। सभा में कुछ ऐसे वरिष्ठ और स्थानीय जनता में अत्यन्त सम्मान्य बुद्धिजीवियों की उपस्थिति विशेष उल्लेखनीय रही जो सामान्यतः समारोहों में नहीं देखे जाते। सभा के प्रथम वक्ता के रूप में भारत के राजदूत, महामहिम श्री बच्चप्रसाद सिंह ने राष्ट्रपिता के जीवन, उनके ऐतिहासिक कार्यों, भारतीय आध्यात्मिक परम्परा और भारतीय जनमानस के साथ महात्मा गांधी के एकात्म्यभाव, उनके सत्य, प्रेम और अहिंसा के आदर्श की वास्तविक अनुभूति तथा तत्कालीन विश्व परिप्रेक्ष्य में भारत की राजनीतिक स्थिति की गांधी जी की अद्‌भुत सूझ-बूझ के बारे में विस्तार और गहराई से प्रकाश डाला। महामहिम ने जार्ज कैटलिन, जिन्होंने गांधी जी को बीसवीं शताब्दी के आधे दर्जन सर्वोत्कृष्ट व्यक्तियों में से एक माना था और प्रसिद्ध इतिहासकार आर्नल्ड टायन्बी जिन्होंने गांधी जी को प्राचीन युगों की महान आत्माओं के समकक्ष कहा था, का उल्लेख करते हुए कहा कि गांधी जी उन महान आत्माओं में से थे जो शताब्दियों में कभी जन्म लेती हैं। महामहिम ने प्रसिद्ध दार्शनिक और वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टीन के इस कथन का उल्लेख किया कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर सहज रूप से विश्वास न कर पाएंगी कि दुनियां में और इस धरती पर कभी ऐसा महामानव सशरीर विद्यमान था। गांधी के दर्शन की व्याख्या करते हुए महामहिम ने कहा कि गांधी जी ने आध्यात्मिकता से वास्तविकता, धर्म से सदाचार और मोक्ष से धर्म की ओर जाने का रास्ता अपनाया था। उन्होंने "ईश्वर ही सत्य है" की अवधारणा को "सत्य ही ईश्वर है" की अवधारणा में बदल दिया था।

गांधी जी ने विज्ञान, तर्कवाद, पश्चिमी देशों की औद्योगिक आर्थिक नगति की उपलब्धियों को और साम्यवाद के समतावादी आदर्शों को, प्रतिकता और प्रेम के भारतीय आध्यात्मिक आदर्श से मंडित करते हुए; समाज के सबसे अधिक गरीब और पिछड़े व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए उसे स्वावलम्बी और स्वाभिमानी बनाने का संकल्प किया था। नियतिवाद, धार्मिक-सामाजिक रूढ़ियों और अन्धविश्वासों, अशिक्षा और पराजय की निराशाहीन भावना से ग्रस्त सारी मानवता के लिए गांधी जी का जीवन, उनके विचार, उनके ऐतिहासिक कार्य; उनकी अहिंसा और मानव प्रेम का सन्देश वास्तविक मुक्ति का साधन है। गांधी जी ने भारत में जो रक्तहीन क्रांति की वह भारत की आजादी के साथ ही सारी दुनियां के देशों के लिए भी राष्ट्रीयता और आजादी की शुरूआत की थी और आज जिन्हें हम तीसरी दुनियां के देश कहते हैं, उनका आविर्भाव ही इसीलिए संभव हुआ कि गांधी जी दुनियां की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति को समाप्त करने म सफल हुए और यह काम उन्होंने विना किन्हीं साधनों के, बिना रक्तपात और कटुता के, अपने सत्य, अहिंसा और प्रेम के सन्देश द्वारा सम्पन्न किया।

सूरीनाम के शिक्षा मंत्री श्री लिफोशु ने इस अवसर पर अपने भाषण में कहा कि गांधी जी एक छोटे से स्थान पोरबन्दर में पैदा हुए थे। बचपन के दिनों में व बड़े ही साधारण छात्र और शर्मीले स्वभाव के थे। उन दिनों किसी को इसका अनुमान भी नहीं था कि यह साधारण बालक एक दिन संसार का महान व्यक्ति बनेगा। प्रारंभिक शिक्षा के बाद गांधी जी लन्दन गए और आश्चर्य की बात है कि पश्चिम में शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद उनके भीतर भारत की आध्यात्मिक परम्पराओं के प्रति जीवन भर अटूट निष्ठा बनी रही। साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो आवाज उन्होंने उठाई वह सबसे जोरदार आवाज थी और गांधी के सत्य अहिंसा का सिद्धान्त इस संसार के लिए सदा प्रासंगिक रहेगा। गांधी जी की हत्या की गई; संभवतः हत्यारे का उद्देश्य यह था कि गांधी का विचार संसार से मिट जाए लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। गांधी के महाप्रयाण के बाद उनके विचार ज्यादा लोकप्रिय हुए। गांधी जी के प्रेम, सहिष्णुता और सत्याग्रह का सिद्धान्त आकाशदीप की तरह सदैव मानवता को राह दिखाता रहेगा। गांधी जी की एक-एक बात अनमोल और सदा याद रखने योग्य हैं; उन्होंने कहा था कि हम अपने घर की खिड़कियां खुली रखें ताकि प्रकाश की किरणें सब ओर से आ सकें, पर हमारे पैर अपनी जमीन पर अडिग रहने चाहिए ताकि बाहरी हवा हमें उड़ा न ले जाए।

सूरीनाम हिन्दी परिषद के अध्यक्ष श्री जानकी प्रसाद सिंह ने सूरीनाम के जन-मानस में गांधी जी के प्रति गहरी आस्था और लगाव का उल्लेख करते हुए, गांधी जी के उस संदेश को उद्धृत किया जो उन्होंने सन् 1935 में सूरीनाम में बसे प्रवासी भारतीयों के नाम दिया था। श्री जानकी प्रसाद सिंह ने सूरीनाम की उन तमाम संस्थाओं का जिक्र किया जो किसी न किसी प्रकार गांधी जी के नाम से, उनके दर्शन से और उनके सिद्धांतों से जुड़ी हुई हैं। सूरीनाम में गांधी जी से संबंधित जो साहित्य स्थानीय डच भाषा में प्रकाशित किया गया है, उसका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी जी हमारे लिए सम्पूर्ण भारतीयता, सम्पूर्ण मानवीयता के प्रतीक हैं।

सभा के अन्त में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र के निदेशक श्री एम. जेसुदास ने सभी उपस्थित लोगों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा गांधी जी के जीवन से संबंधित चित्रों की एक भव्य प्रदर्शिनी भी आयोजित की गई थी। इस अवसर पर सभा के अन्त में, गांधी जी के जीवन से संबंधित एक लघु-वृत्तचित्र का प्रदर्शन भी किया गया।

प्रस्तुति : कु. रागिनी सिन्हा

'हिन्दी का प्रश्न मेरी दृष्टि में भाषा के माध्यम मात्र का प्रश्न नहीं है, वह हमारी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना का विकास बिन्दु है।

कोई भी देश पूर्णरूपेण अपनी स्वतंत्रता को अपनी भाषा के अभाव में मौलिक रूप में परिभाषित नहीं कर सकता, यह मेरी मान्यता

हिन्दी किसी प्रान्त विशेष की भाषा नहीं है। उसके अर्थ-बोध में तो सम्पूर्ण देश की एकता का स्वर मुखर होता है। इसलिए संविधान सभा में हिन्दी को सर्वमत से राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, जबकि संविधान सभा के सदस्यों में अहिन्दी भाषा-भाषियों का बहुमत था। राजभाषा ही क्या, वैदेशिक व्यवहार-प्रयोग में फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश आदि अन्य भाषाओं के समान हिन्दी का भी हमें स्वागत एवं सम्मान करना चाहिए।"

---सेठ गोविन्ददास

पुरानी यादें नये परिप्रेक्ष्य में : हिन्दी—एक सिंहावलोकन

—डा० अमरनाथ झा

(बहु प्रतिभा संपन्न महान शिक्षाविद् डा० अमरनाथ झा का नाम भारतीय मनीषियों में अग्रगण्य है। सन् 1928 में लाहौर में पंचम प्राच्य विद्या सम्मेलन के हिन्दी विभाग का अध्यक्षीय भाषण, हिंन्दी के प्रति उनके सहज और स्वाभाविक विचारों को प्रदर्शित करता है। ये विचार आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितन कि उस समय थे ।)

यह खेदजनक संयोग है कि रायबहादुर लाला सीताराम इस सम्मेलन में उपस्थित न हो सके और उनका स्थान मैं ग्रहण कर रहा हूं। इससे न केवल इस आसन पर एक साधारण प्रतिनिधित्व हुआ है, वरन् हम एक ऐसे सांनिध्य से वंचित रह गए, जिसकी सक्रिय साहित्य-सेवा वर्तमान हिन्दी की प्रगति से संगत भी है। मैं तो अपनी उपस्थिति के औचित्य में केवल यही कह कर संतोष कर सकता हूं कि अपनी विनम्र रीति से मैं हिन्दी से स्नेह करता हूं और उसके भविष्य में मेरी निष्ठा है।

अंगरेजी साहित्य का इतिहास लिखने का कारण समझाते हुए फ्रेंच विद्वान तेने ने कहा था कि अंगरेजी की विचित्र शृंखलता ने उसे बहुत प्रभावित किया। कदाचित् ही ऐसा अवसर आया हो, जब अंगरेजी ने ह्रास के दिन देखे हों और इसके इतिहास को हम तभी ठीक से ग्रहण कर सकते हैं, जब हममें युगों और उसके जनों की मनोवृत्ति को हृदयंगम करने की क्षमता हो। यही बात प्रत्येक साहित्य के संबंध में लागू होती है। यदि हम उसका ठीक से अध्ययन करें, तो हम जनजीवन के अंतस्तल में प्रवेश करके उसके युग-युग के स्वप्न, आदर्श और आकांक्षाओं को जान सकते हैं और इस प्रकार उसका सही दर्शन पा सकते हैं। उसकी पृष्ठभूमि का परिचय होना चाहिए। हिन्दी साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसका जन्म एक स्थानीय बोली के रूप में सहसा ही हुआ और जो, क्षणिक पोषण में पल्लवित होकर, अब शासन के कुटिल भ्रू-निक्षेप में लड़खड़ा रही है? भारतीय मानवता और साहित्य—समग्र राष्ट्र के जीवन स्रोत से इसके विकास का अटूट संबंध है? हिन्दी साहित्य का पूर्ण इतिहास अभी शैशवावस्था में है। हम ग्रियर्सन के महत्वपूर्ण कार्य, शिवसिंह सरोज की वार्ता तथा मिश्र-बंधुओं के कार्यों को नहीं भूल सकते। परन्तु साहित्यिक धाराओं और आंदोलनों का पूर्ण तथा विस्तृत पर्यवेक्षण, साहित्यिक शैलियों का विकास, भाषा का सही विवरण, भाषा की उत्पत्ति का बुद्धिगम्य इतिवृत्त, साहित्य पर विदेशी प्रभाव का पर्यालोचन आदि ऐसी आवश्यकताएं हैं, जिनके अभाव में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की खोज अस्थायी ही रहेगी। प्रायः यह कहा जाता है कि हिन्दी एक नई बोली है, जिसे अतिवादी-हिंदू-आंदोलन के समर्थकों का समर्थन प्राप्त है, मैं इस वक्तव्य का खंडन करूंगा। विपरीत इसके यह पर्याप्त प्राचीन तथा उस भाषा की सीधी वंशानुगामिनी है, जिसमें ईसा से तीन शताब्दियों पूर्व जैन अंगों का लेखन किया जाता था। इनमें कुछ अर्द्धमागधी में लिखे जाते थे, जो अवधी ही हैं। अवश्य ही यह पता लगाना आधुनिक शोध का विषय है कि इस युग तथा 1000 ई. के बीच हिन्दी किन धाराओं के बीच बही थी। इसके बाद के वर्ष में किसी मुआल नामधारी ने भगवद्गीता का पद्यानुवाद प्रस्तुत किया। फिर दूसरा महत्वपूर्ण युग 14वीं शती का है। इसके उपरांत, हिन्दी का क्रमबद्ध विवरण दिया जा सकता है। अमीर खुसरू, मलिक मुहम्मद, कबीर, सूर, तुलसी, अब्दुर्रहीम, केशव, मतिराम, मीरा, लल्लूलाल, लक्ष्मणसिंह, शिवप्रसाद, हरिश्चन्द्र, सीताराम, बालमुकुंद गुप्त, प्रतापनारायण मिश्र, देवी प्रसाद पूर्ण, बालकृष्ण भट्ट, बदरीनारायण उपाध्याय आदि की धारा अनवरुद्ध तथा प्रवाह सुरक्षित है।

कोई पूछे कि क्या हिन्दी की कोई विशेष देन विश्व-साहित्य को है? साहित्य-सृजन के भंवर में ऐसी कौन सी लाक्षणिक विशेषता है, जो हिन्दी की अपनी है? कलात्मक प्रेरणा और सैद्धांतिक वातावरण ग्रीक की, सामाजिक नियमों के प्रति आस्था लैटिन की, तीखी, मधुर और छाने वाली वेदना इटालियन की, साधारण जन का आचार तथा शौर्यप्रियता अंगरेजी की, धीर गंभीरता जर्मन की और भौतिक वासनात्मक आनंदवाद फारसी की देन हैं। हिन्दी हमारे लिये कौन सा वातावरण उपस्थित करती है? किस वृत्त से हम आनंद अथवा प्रेरणा के लिये हिन्दी कवियों को देखें ? हिन्दी का कौन सा अनोखा संदेश है? यदि हम सूरसागर, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, ललितललाम, शब्दावलियां, प्रेम सागर, शकुंतला, सत्यहरिश्चन्द्र, जयद्रथवध, रंगभूमि, पल्लव आदि महान हिन्दी कृतियों को देखें तो मैं समझता हूं कि हम देखेंगे कि उसमें इस ठोस, केवल ठोस, मांस-पिंड के बंधन से दूर हटने की कामना है, और यह अभिलाषा भी कि वह कुछ ऐसा लाभ करें, जो इस पार्थिव अस्तित्व से परे हो— अखंड आनंद में दृढ़ विश्वास। इसमें क्षणिक विनाशवृत्ति-जनित के नैराश्य का छिछलापन नहीं है, वरन् उसका गहरा विराग है जिसने मानव-आचार को जागरूकता से देखा है, जिसने जीवन के आनंद से भरे प्याले को खाली करके उसका परिणाम कड़ुआ पाया है। इसमें आनंदोन्मत्त—थकावट, ऊष्णता और बंधन से अपरिचित—युवक का अविवेकी आशावाद नहीं है। यह दार्शनिक का अवश्यंभावी आनंद है, जिसमें क्षमता और सामंजस्य के प्रभाव में जीवन को देखने की दृष्टि है। इसमें सदैव यह भावना है कि सदाचार का एक मानदंड हैं, जिसके नीचे, जहां तक संभव हो, हमें नहीं उतरना है, और सदाचार की एक उच्चता है उसे जहां तक संभव हो लांघना है।

जहां तक मेरा हिन्दी साहित्य का अध्ययन है, इसमें कोई बात ऐसी नहीं है जिससे किसी की भावना को ठेस लगे। क्या वस्तुतः सभी धर्मों में वही आकांक्षा नहीं है—उसी स्वर्ग (बिहिश्त) की आकांक्षा, स्वर्ग के साम्राज्य की आकांक्षा? फिर भारत में प्रायः दीख पड़ने वाली हिन्दी-उर्दू के समर्थकों की यह आपसी कटुता क्यों? हिन्दी हिन्दुओं

की भाषा उसी हद तक नहीं है जिस हद तक उर्दू मुसलमानों की। मैं लिपि की मुख्य कठिनाई को स्वीकार करता हूं। यह एक ऐसी बाधा है जो पारस्परिक सद्भावना के बीच नहीं आनी चाहिए। बहुत से हिंदुओं ने उर्दू में लिखा है और लिख रहे हैं, बहुत से मुसलमानों ने भी बीते युग में हिन्दी लिखी है। राजनीतिक मतभेदों को भारती-मन्दिर को भ्रष्ट करने दिया जाए? सभी विद्यानुरागियों और विद्वता के पुजारियों को इस पवित्र मंदिर में प्रवेश पाने का अधिकार है। मैं उर्दू को अपनी कहूं तो किसी मुसलमान को रोकने का अधिकार नहीं है, और उसी प्रकार किसी हिंदू को उस मुसलमान से कुछ कहने का अधिकार नहीं है जो हिन्दी-मन्दिर की पूजा करता है। समान साहित्यानुराग के आगे धार्मिक मतभेद क्या है ?

एक बार मैंने लिखा था–

सरस्वती के उपासकों में जाति, धर्म, वर्ण इत्यादि का भेद नहीं है, इस मंदिर में देवी की वीणा का स्वर सब सुन सकते हैं, आराध्य भगवती की शुश्रुषा के लिये केवल विद्यानुराग अपेक्षित है। साहित्य-क्षेत्र में सभी बंधुभाव से प्रेरित होते हैं। उर्दू तो भारतवर्ष की ही है, यहीं इसका जन्म हुआ, यहीं इसका विस्तार हुआ।

उर्दू को कोई अति-क्षेत्रीय भक्ति रखने का अधिकार नहीं है। स्वर्गीय सर सैयद अहमद खां ने अपने असरुस्सनदिद में और आपके मुहम्मद हुसैन आजाद ने अपने आबेहयात में निश्चित रूप से उर्दू की विशुद्ध भारतीय उत्पत्ति प्रमाणित कर दी है। उसके आरंभिक युग में उसे तत्कालिक हिन्दी से अलग करना असम्भव है। मैं समझता हूं गालिब तक इसका संकेत करते हैं कि उनका उर्दू दीवान हिन्दी में लिखा गया था। मीर और वली की भाषा कोई भारतीय ग्रामीण भी प्रायः समझ सकता है।

'सिरहाने "मीर" के आहिस्ता बोलो अभी टुक रोते-रोते सो गया है।'

"आहिस्ता" शब्द को छोड़ शेष शुद्ध हिन्दी है, उर्दू के आरम्भिक कवियों ने चौपाई और दोहा जैसे हिंदी छंदों का भी प्रयोग किया है। आगे एक ओर निखिल इस्लामवाद और दूसरी ओर निखिल हिंदुवाद की वृद्धि के साथ दरार पड़ना आरंभ हुआ, खाई बढ़ती गई, आज तक हम महान इकबाल को कहता पाते हैं–पहलुए इंसां में एक हंगामए खामोश है––

इसमें केवल शब्दांश फारसी के हैं, अथवा मेरे विद्यार्थी सुमित्रानंदन ने ऐसे पद्य लिखे मानो वे संस्कृत-पद-रचना के अंग हों। यही सुझाव हिन्दी और उर्दू के गद्य में भी दिखाई पड़ेगा। थोड़ी सूझ-बूझ उन लेखकों में नहीं लाई जा सकती जो जानबूझ कर इन मतभेदों को उकसाते हैं? कोई उर्दू लेखक, भले ही वह हिन्दू हो, नीरस, बुलबुल, रिंद, कारवां पर लिखता है, यद्यपि उसके लिये नरगिस का अस्तित्व काव्य में ही है, बुलबुल जिसे वह देखता है कभी गाती नहीं, और कारवां केवल अरब के रेगिस्तानी यात्रियों को ही दीखते हैं। क्यों उर्दू कवि अपनी रचनाओं को जीवन के निकट नहीं ला पाते–बसंत में कोयल का कूकना, वर्षा में मयूर का नाचना, प्रिय के लिये पपीहे की गुहार, सूर्य के प्रकाश में ही कमल का खिलना। मय और काफिर, सैयाद और नकछीर, बाज और हूर, गुल और बुलबुल के प्रतीकवाद के दिन पूरे हो चुके, यथार्थता का थोड़ा संमिश्रण काव्य का बड़ा उपकार करेगा। कितनी मोहक लगती है लखनऊ के एक जीवित कवि की यह पंक्तियां–

जोशे बहार तो आवे फिर जोशे जुनूं की कहत नहीं,
कूकेगी कोयल बागों में बौर आमों में आने दो।

मेरा कहना यही है कि भारत से उर्दू को निष्कासन से बचाना चाहिए। उसी प्रकार हिन्दी-लेखकों का कर्तव्य है कि जहां हिंदी का प्रयोग संभव है, वहां संस्कृत शब्दों को बचावें––

"आप कहां रहते हैं की तुलना में "आपका निवास स्थान कहां है' स्वीकार्य है, "मेरा जाना मत रोको" "मेरे गमनकार्य में बाधा मत डालो" की अपेक्षा अधिक सुंदर है।

हिंदी और उर्दू में अनावश्यक गूढ़ शब्द भरने की प्रवृत्ति 17वीं शती की अंगरेजी की प्रवृत्ति के समानांतर ही है। किसी भाषा को "पांडित्य-पूर्ण" बनाने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। जब लोकभाषा संस्कृत की गुरुता लाने की स्पर्धा करती है तो बाहरी आडंबर और अनावश्यक तत्व निरंकुश महत्व लेने लगते हैं। किसी नई भाषा में तो यह अपरिहाय है, परन्तु हिन्दी और उर्दू में–उर्दू केवल फारसी जानने वालों की हिन्दी ही है–जिनके पीछे शताब्दियों का इतिहास है, यह अवांछनीय और हानिकर है।

इस धारणा से बड़ी भूल दूसरी नहीं होगी कि हिन्दी का क्षेत्र संकुचित है। जो नाम मैंने गिनाए हैं–जिन्हें मैंने यत्र-तत्र से ही चुन लिया है–हिंदी साहित्य के विविध रूपों की ओर संकेत करते हैं। उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, व्यंग्य, इतिहास, समीक्षा–सबके विविध रूप हमारे पास हैं। काव्य अपने समस्त रूपों में, महाकाव्य, गीत, वीरकाव्य नाट्यकाव्य, हमारा भंडार समृद्ध है। समीक्षा अपने आधुनिक अर्थ में यूरोप के लिये भी नया उद्भव है। अरस्तू, होरेस, क्विंतीलियन या बोलिऊ जैसे प्राचीनतम आचार्यों की मान्यताओं का मान अब कदाचित् ही है। वर्तमान लेखक की समीक्षा की मर्यादा वहां है जहां कोई मर्यादा न हो। प्राचीन हिन्दी शास्त्रकारों में ऐसी स्वच्छंदता नहीं रही, वे निरंकुश स्वच्छंदता के अनुगामी नहीं थे, उन्हें स्वनिर्मित बंधनों में ही आनंद था। परन्तु अब हिन्दी में भी इन नियमों का उल्लंघन करने की, प्रत्येक लेखक को स्वयं विधायक बनने की समीक्षा को हठधर्मी से अद्भुत (रोमांटिक) और स्वच्छंद बनाने की प्रवृत्ति हो रही है। असंतुलित और अपरिपक्व उत्साह, निलज्ज सद्असद् विवेकशून्य दुरुपयोग के साथ कंधे भिड़ा रहा है, व्यक्तिगत रागद्वेष साहित्य-सृजन का कर्तव्य बन रहा है। ऐसा है पागलपन का रूप और यहां हम सावधान रहने का संकेत दे सकते हैं।

मैंने कुछ बिखरे विचार उपस्थित कर दिए। इस अल्पकालिक सूचना पर यही मैं कर सकता था। पर मुझे आशा है कि चिंतन की दिशा में कुछ सुझाव रखने में मैं सफल हुआ हूं। यदि इस विद्वन्मंडल के बदले मुझे युवक छात्रों के बीच बोलना होता तो म उनसे कहता कि वे भारतीय भाषाओं का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध अध्ययन करें। हमारे चारों ओर विशाल और कोरा क्षेत्र पड़ा है तथा उसम महत्वपूर्ण शोधकार्य संभव हैं एवं नितांत आवश्यक भी। कुछ दिशाओं म यह कार्य हिंदी-छात्रों के लिये ही संभव है। इसके लिये विदेश यात्रा की अपेक्षा नहीं है, यहीं यह शोध कार्य हो सकता है। यद्यपि कार्य नया और विशाल है, पर उसका पुरस्कार भी आकर्षक है। □□□

सम्मेलन/समिति समाचार

(1) राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित राजभाषा सम्मेलन--

राष्ट्रीयकृत बैंकों, सरकारी उपक्रमों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों एवं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों एवं हिन्दी शिक्षण योजना के सर्व-कार्यप्रभारी अधिकारियों का एक राजभाषा सम्मेलन 2 फरवरी, 1985 को आयोजित किया गया।

संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने माननीय गृह राज्य मंत्री जी, आमंत्रित अध्यक्षों एवं अधिकारियों का स्वागत करते हुए आशा प्रकट की कि कार्यान्वयन की गति को तेज करने के लिए विचारों का जो आदान-प्रदान होगा उससे हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में आने वाली समस्याओं का निराकरण करना सम्भव होगा और उससे राजभाषा की प्रगति का वातावरण बनेगा जिसमें प्रावधानों के अनुरूप अपेक्षित मामले में हिन्दी का प्रयोग होगा।

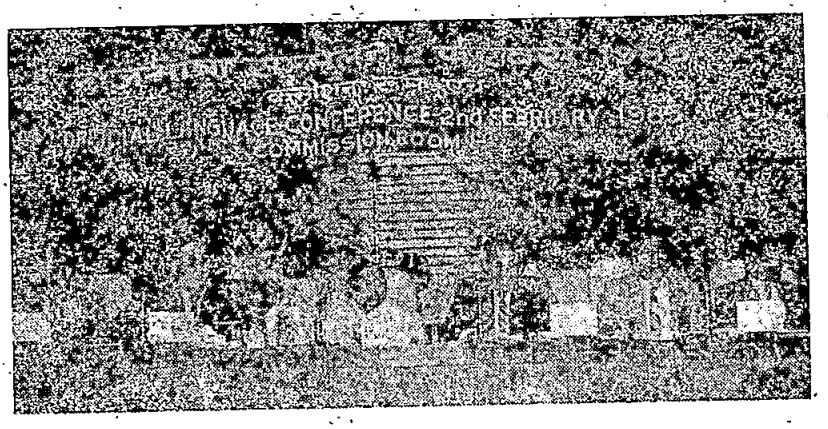

2 फरवरी, 1985 को आयोजित राजभाषा सम्मेलन में उपस्थित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को संबोधित करती हुई गृह राज्य मंत्री श्रीमती रामदुलारी सिन्हा।

इसके पश्चात् सचिव राजभाषा विभाग ने बैंकों, उपक्रमों, कार्यान्वयन समितियों, मंत्रालयों एवं विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध किया कि राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य के लिए जो सहयोग उनसे मिला है वह भविष्य में भी मिलता रहेगा। ऐसे समारोहों से कार्यालयों म उचित स्तर पर हिन्दी का प्रयोग बढ़ेगा। उन्होंने यह बताया कि हिन्दी का प्रयोग अब एक ऐसे सीमित स्तर तक पहुंच गया है, जहां से उसे आगे बढ़ाने के लिए उच्चतर अधिकारियों का सहयोग अपेक्षित है। इसी प्रयोजन से आज का समारोह आयोजित किया गया है। विहगावलोकन करते हुए उन्होंने हिन्दी प्रयोग की सामान्य स्थिति पर भी प्रकाश डाला।

माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति की सांविधानिक एवं सांविधिक स्थिति की अपेक्षाओं का उल्लेख करते हुए उपस्थित प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में अपना सहयोग दें और आशा तथा अपेक्षाओं के अनुसार अपने दायित्वों का भलीभांति निर्वाह करते हुए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा दें। इसके बाद उनके कर-कमलों से राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार 1985 निम्नलिखित पुरस्कार विजेताओं को नकद राशि मूर्ति और प्रशस्ति वितरण के द्वारा संपन्न हुआ :--

राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार--1985

पुरस्कार-विजेता

नगर कार्यान्वयन समितियां

1. **क्षेत्र "क" प्रथम पुरस्कार**

श्री टी. एन. पांडे अध्यक्ष	आगरा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
श्री राम चन्द्र मिश्र सदस्य सचिव	आगरा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

जनवरी--मार्च, 1985
85-M/P(D)143MofHA—5

द्वितीय पुरस्कार

श्री वी. दोराइस्वामी

अध्यक्ष	जयपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

श्री राजाराम

सदस्य सचिव	जयपुर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

2. क्षेत्र "ख", प्रथम पुरस्कार

श्री के. कृष्णामूर्ति

अध्यक्ष	बम्बई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

कुमारी सरोज जैन

सदस्य सचिव	बम्बई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

द्वितीय पुरस्कार

श्री एन. वी. सोनावणे

अध्यक्ष	बड़ौदा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

श्री चन्द्र गोपाल शर्मा

सदस्य सचिव	बड़ौदा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

3. क्षेत्र "ग" प्रथम पुरस्कार

श्री रवि रत्न वांचू

अध्यक्ष	कलकत्ता नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

डा. तपती घोष

सदस्य सचिव	कलकत्ता नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

द्वितीय पुरस्कार

श्री सी. एम. मल्लिक

अध्यक्ष	हैदराबाद नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

श्री विजय कुमार सल्होत्रा

सदस्य सचिव	हैदराबाद नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

4. एक विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार वाराणसी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री आर० पी० एम० त्रिपाठी को दिया गया।

5. सरकारी उपक्रम एवं राष्ट्रीयकृत बैंक

श्री एस. वाई. शिवराम कृष्ण

अध्यक्ष	बैंक आफ बड़ौदा केन्द्रीय कार्यालय बम्बई	विशिष्ट पुरस्कार

श्री पी. सी. लाहा

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	मेकन रांची	विशिष्ट पुरस्कार

श्री पी. सी. गुप्ता

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	नेशनल मिनरल डेवलपमैंट कार्पोरेशन	विशिष्ट पुरस्कार

श्री आर. पी. कपूर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर	विशिष्ट पुरस्कार

कैप्टन डी. बोस

प्रबंधक निदेशक	एयर इंडिया	सांत्वना पुरस्कार

श्री नारायणनगो

अंचल प्रबंधक	पंजाब नेशनल बैंक, पटना	प्रशस्ति पत्र

श्री पी. के. कामथ

मंडल प्रबंधक	केनरा बैंक, आगरा	प्रशस्ति पत्र

श्री पी. के. जैन

प्रबंधक कृषि प्रशिक्षण केन्द्र	पंजाब नेशनल बैंक लखनऊ	प्रशस्ति पत्र

सबसे पहले अप्रैल, 1984 में सम्पन्न राजभाषा सम्मेलन के कार्यवृत्त पर सर्वसम्मति से पुष्टि की गई और इस सम्मेलन में की गई सिफारिशों पर हुई अनुवर्ती कार्रवाई पर चर्चा हुई। सचिव महोदय ने अधिकारियों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि राजभाषा संबंधी अधिनियम और नियम सरकारी उपक्रमों तथा बैंकों के लिए उसी प्रकार लागू होते हैं जिस प्रकार अन्य अधिनियम और नियम आदि लागू होते हैं। इस संबंध में पुनः आवश्यक अनुदेश जारी किए जाने की संभावना की ओर उन्होंने संकेत किया।

इसके बाद संयुक्त सचिव ने गृह मंत्री जी द्वारा अनुमोदित 1985-86 के वार्षिक कार्यक्रम के संबंध में प्रधानमंत्री जी के संकेत का उल्लेख करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री जी यह चाहते हैं कि इसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएं ताकि हिन्दी का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने यह घोषणा भी की कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को बैठकें आयोजित करने के संबंध में बड़े नगरों को 4,000 रुपये तथा छोटे नगरों को 2,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

खान विभाग के उपनिदेशक की इस सूचना पर कि अभी भी उनको हिन्दी आशुलिपिक की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, सचिव महोदय ने विचार व्यक्त किया कि अन्य समकक्षीय अधिकारियों की भांति हिन्दी का काम

करने वाले वरिष्ठ हिन्दी अधिकारियों को भी आशुलिपिकों की सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। संयुक्त सचिव ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में मानदण्ड के आधार पर पद सृजन करने के बारे में ज्ञापन जारी किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि बैंक तथा उपक्रम इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए स्वयं सक्षम हैं।

हिन्दी टंकण और आशुलिपि तथा हिन्दी प्रशिक्षण के बारे में प्रतिनिधियों ने जब यह बताया कि प्रशिक्षण केन्द्र कम हैं और प्रशिक्षण की अवधि बहुत लम्बी है तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है तब सचिव महोदय एवं उपसचिव (सेवा) ने स्पष्ट किया कि राजभाषा प्रशिक्षण क्षमता का पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन फिर भी, यदि उन्हें अपेक्षित संख्या में परीक्षार्थी और स्थान उपलब्ध कराए जाते हैं तो वह कहीं भी केन्द्र खुलवा सकते हैं। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के प्रभारी ने बताया कि उन्हें हिन्दी कार्य के लिए अपेक्षित आशुलिपिक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। बाद में उन्होंने केवल अंग्रेजी में जारी किए जाने वाले धारा 3(3) के पत्रों की विधिक मान्यता पर और तमिलनाडु में बोर्डों के प्रयोग पर भी प्रश्न उठाया।

संयुक्त सचिव (रा० भा०) ने उन्हें सूचित किया कि दिल्ली और इलाहाबाद कर्मचारी चयन आयोग में क्रमश: 104 और 66 आशुलिपिक पैनल पर विद्यमान हैं। वे वहां से उनकी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जब बैंक अधिकारियों ने वी. एस. आर. वी. की व्यवस्था के कारण इस सुविधा से लाभ उठाने में असमर्थता प्रकट की तो संयुक्त सचिव ने आश्वासन दिया कि वे इस संबंध में बैंकिंग प्रभाग से चर्चा करेंगे। धारा 3 (3) की विधिक मान्यता के संबंध में उन्होंने विधि विभाग से चर्चा करने का आश्वासन दिया और तमिल-नाडु के बोर्डों की स्थिति पर अपना मत प्रकट किया।

कलकत्ता नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष ने कहा कि वे अपने यहां उच्च श्रेणी लिपिक तथा सहायकों से भी हिन्दी टंकण का कार्य लेते हैं परन्तु उन्हें वर्तमान आदेशों के अनुसार राजभाषा विभाग द्वारा दी गई प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। इस पर सं० सचिव ने आश्वासन दिया कि इस मामले पर विचार किया जायेगा। हिन्दी, हिन्दी टंकण तथा आशुलिपि परीक्षा पास करने वालों को मिलने वाली वेतन वृद्धि का स्थायी आधार पर दिए जाने पर सचिव महोदय ने आश्वासन दिया कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

प्रतिनिधियों द्वारा यह प्रश्न उठाये जाने पर कि प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारी यदि प्रशिक्षण के लिए नहीं जाते हैं या अनियमितता बरतते हैं तो उनके मामले में विभागीय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है और इस संबंध में राजभाषा विभाग पत्र जारी करेगा।

बड़ौदा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं कलकत्ता के सचिव ने सुझाव दिया कि दूरदर्शन पर राजभाषा संबंधी जानकारी और इस संबंध में आने वाली कठिनाइयों के समाधान के विषय पर चर्चा हो तो जनसाधारण के लिए अत्यंत लाभप्रद होगा। संयुक्त सचिव ने इस संबंध में बताया कि राजभाषा विभाग इस विषय में सजग है। इसमें लघु चित्र, क्वुईकीज आदि बनाकर टी. वी. पर प्रसारित करने की योजना पर अमल करने जा रहा है। इस योजना के परिणामस्वरूप राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी स्लोगन टी. वी. पर प्रसारित होने लगे हैं।

निर्धारित मानदण्डों के अनुसार हिन्दी पदों के सृजन के संबंध में चर्चा होने पर बैंकों के प्रतिनिधियों ने बताया कि बड़े पदों पर आयु सीमा पर प्राय: छूट दी जा रही है परन्तु छोटे पदों पर छूट नहीं दी जा सकती है।

चर्चा के दौरान सचिव महोदय ने हिन्दी के प्रयोग को सही दिशा में बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाओं के महत्व पर विशेष जोर दिया और कहा कि प्रत्येक कार्यालय में अपेक्षित अवधि की अधिक से अधिक कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए। संयुक्त सचिव ने यह बताया कि राजभाषा विभाग सारे देश में की गई कार्यशालाओं पर ठीक से सुपरवीजन रखने पर विचार कर रहा है। ये कार्यशालाएं उपनिदेशक की देख-रेख में सहायक निदेशक स्तर पर उच्चाधिकारियों के द्वारा की जायेंगी। जहां तक हिन्दी शिक्षण योजना के पाठ्यक्रम को छोटा करने का प्रश्न है उन्होंने बताया कि अभी थोड़े दिन पहले ही यह पाठ्यक्रम लागू किया गया है। उन्होंने देहरादून के मेजर जनरल श्री अग्रवाल जी के उन प्रयासों की सराहना की जिनके द्वारा नक्शे आदि के लिए विश्व की 5 भाषाओं के रूप में हिन्दी की भी मान्यता मिली है। परीक्षाओं में हिन्दी के विकल्प दिए जाने के सुझाव को उन्होंने स्वीकार किया और यह बताया कि जहां वरिष्ठ पद नहीं बन पा रहे हैं वहां यदि उचित मात्रा में कार्य बढ़ाया जाए तो स्वत: ही पद बढ़ने लगेंगे।

वार्षिक कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए यह अनुरोध किया गया कि प्रशिक्षण, स्टाफ, पत्राचार के संबंध में अभी भी प्रयास किए जाएं। यह प्रयास तभी सफल होंगे जबकि लक्ष्यों की पूर्ति निष्ठा के साथ की जाए।

बिहार राज्य के मुख्य सचिव तथा भारत सरकार के भूतपूर्व राजभाषा सचिव एवं हिन्दी सलाहकार श्री के. के. श्रीवास्तव ने यह बताया कि सरकारी उपक्रमों में हिन्दी का प्रयोग दक्षता और लाभ दोनों ही दृष्टि से ही हो सकता है। इसके लिए हिन्दी संबंधी उपक्रमों को शीघ्र ही आवश्यकतानुसार विकसित किया जाए। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि केन्द्रीय कार्यालय, मंत्रालय, विभाग अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को राजभाषा विभाग के कार्यक्रम के अनुसार अपेक्षित प्रतिशत में पत्र भेजें ताकि उन्हें उससे प्रेरणा मिल सके और पत्रोत्तर देने में सहूलियत हो।

राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष के संयुक्त निदेशक, श्री पाण्डे ने बड़ी रोचक और सरल भाषा में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए हिन्दी संबंधी उपक्रमों की जानकारी देते हुए इस संबंध में राजभाषा द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला।

सम्मेलन का समापन करते हुए पर्यटन एवं नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री महोदय ने राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित इस प्रकार के सम्मेलन की उपयोगिता की सराहना करते हुए सभी अधिकारियों से यह आग्रह किया कि वे हिन्दी के बढ़ाने के लिए अपनी मानसिकता में परिवर्तनलाएं तथा प्रतिस्पर्धा की भावना से उत्साह के साथ हिन्दी का प्रयोग करना आरम्भ करें जिससे हिन्दी के लिए उचित वातावरण बन सके। भाषा से लोगों के दिलों में घर किया जा सकता है और देश की एकता को और भी मजबूत किया जा सकता है।

संयुक्त सचिव (रा. भा.) द्वारा सभी उपस्थित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया गया और इस प्रकार इस राजभाषा सम्मेलन का समापन हुआ।

विशाखापट्टनम

दिनांक 18-2-85 को अपराह्न तीन बजे मंडल रेल प्रबन्धक दक्षिण-पूर्व रेलवे, वाल्टेयर के सभाकक्ष में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक श्री टी. के. सिंह, मंडल रेल प्रबन्धक, दक्षिण पूर्व रेलवे, वाल्टेयर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। मुख्य अतिथि के रूप में राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि और अनुसंधान अधिकारी श्री एम. एल. मैत्रेय बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक में विशाखापट्टनम के केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों और उपक्रमों के 49 अधिकारी/प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।

बैठक निर्धारित समय पर प्रारंभ हुई। अध्यक्ष और मुख्य अतिथि ने बैठक में उत्साहवर्धक सदस्य संख्या देखकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। श्री डी. आर. कोष्ठी, सहायक निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना, विशाखापटनम में उपस्थित अधिकारियों और प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री कोष्ठी ने पिछली बैठक के कार्यवृत्त की समीक्षा की और कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति के समेकन से परिलक्षित प्रगति की जानकारी दी।

अध्यक्ष महोदय ने हिन्दी के प्रयोग में निरन्तर हो रही प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए इस दिशा में और आगे बढ़ने की सलाह दी।

श्री एम. एल. मैत्रेय ने राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि और मुख्य अतिथि के रूप में बैठक को सम्बोधित किया और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुए वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढकर वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने का आह्वान किया।

श्री मैत्रेय ने राजभाषा नीति, वार्षिक कार्यक्रम, हिन्दी टाइपराइटरों की व्यवस्था, हिन्दी पदों का सृजन, हिंदी टंकण व आशुलिपि प्रशिक्षण, प्रोत्साहनों की व्यवस्था, हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन, हिन्दी शिक्षण योजना का योगदान आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने विशाखापट्टनम में हिन्दी की प्रयोगगत प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की और इस दिशा में सदस्यों के योगदान की सराहना की।

उन्होंने सदस्यों से उनकी समस्याओं की जानकारी भी प्राप्त की तथा समाधान सम्बन्धी सुझाव भी दिए।

अंत में अध्यक्ष श्री टी. के. सिंह ने सभी अधिकारियों और प्रतिनिधियों को बैठक में शामिल होने और उसे सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। इस प्रकार बैठक का समापन हुआ।

डी. आर. कोष्ठी
सहायक निदेशक
हिन्दी शिक्षण योजना
गृह मन्त्रालय, भारत सरकार,
विशाखापट्टनम

वडोदरा :

वडोदरा नगरराजभाषा कार्यान्वयन समिति की छठी बैठक दिनांक 27-2-85 को आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता श्री ना. ब. सोनावणे समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क ने की।

अध्यक्ष ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि वडोदरा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने वर्ष 84 के दौरान अपने अच्छे कार्य के लिए भारत सरकार की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि सरकार को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में व्यक्तिगत योगदान के लिए समिति के अध्यक्ष की हैसियत से खुद उन्हें और सदस्य-सचिव को क्रमशः रु. 500/– और 300/– का नकद पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा, महात्मा बुद्ध की एक काष्ठ प्रतिमा और माननीय गृह मंत्री जी द्वारा हस्ताक्षरित एक सराहना प्रमाण-पत्र भी समिति को मिले हैं। ये सभी पुरस्कार केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्रीमती राम दुलारी सिन्हा द्वारा दिनांक 2 फरवरी 85 को नई दिल्ली में आयोजित राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर समिति को प्रदान किए गए थे। अध्यक्ष ने रु. 500/– का अपना वैयक्तिक पुरस्कार समिति को सोपने की घोषणा की जिसका सभी प्रतिनिधियों ने स्वागत किया।

अध्यक्ष ने समिति को बताया कि वर्ष 1985 के दौरान बैठकों के आयोजन आदि खर्च के लिए रु. 4,000/–का अनुदान राजभाषा विभाग से समिति को प्राप्त हुआ है।

नगर राजभाषा कार्यन्वयन समितियों की बैठकों में विभागाध्यक्षों द्वारा भाग लिए जाने पर जोर देते हुए, अध्यक्ष ने कहा कि विभागाध्यक्षों द्वारा इन बैठकों में भाग लेने से सरकार को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। चूंकि ये बैठकें वर्ष में दो ही बार आयोजित होती है, अतः उनका विचार था कि विभागाध्यक्षों को इन बठकों में भाग लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय सरकारी संगठनों के विभागाध्यक्षों द्वारा इन बठकों में भाग लिए जाने के बारे में सरकार के आदेश पहले से ही विद्यमान है।

अपना भाषण समाप्त करते हुए अध्यक्ष ने सभी केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में सरकार की राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने के संबंध में सकारात्मक रवैया अपनाएं। उन्होंने आगे कहा कि केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए विशेष समय-बद्ध कार्य-योजना बनाई जानी चाहिए और उसे लागू किया जाना चाहिए।

वडोदरा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा शील्ड प्रदान इस बारे में मूल्यांकन समिति का गठन :

समिति के निणय के अनुसार मूल्यांकन समिति के निम्न सदस्य होंगे :—

1. श्री ना० बा० सोनावणे, अध्यक्ष, बडोदरा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति —अध्यक्ष। 2. श्री कि० र० वेंकटरामन, कम्पनी-सचिव, इंडियन डेरीकार्पोरेशन, बडोदरा—सदस्य।

3. श्री बी० आर० जरीवाला, प्रबन्धक (कार्यालय प्रशासन) बैंक ऑफ बडौदा प्रधान कार्यालय, मांडवा; बडोदरा-सदस्य। 4. श्री विनोद शंकर, उप प्रबन्धक (प्रशासन) गुजरात रिफाइनरी, जवाहर नगर, जिला बडोदरा-सदस्य। 5. पेट्रोफिल्स को-आपरेटिव लिमिटेड का प्रतिनिधि (शील्ड प्रदाता)–सदस्य। 6. श्री मो० अ० भीमय्या, सर्वकार्य प्रभारी अधिकारी, हिन्दी शिक्षण योजना तथा उप समाहर्ता (कार्मिक और स्थापना), केन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क, बडोदरा–सदस्य। 7. श्री गजेन्द्र चतुर्वेदी, हिन्दी अधिकारी, रेलवे स्टाफ कालेज बडोदरा–सदस्य। 8. श्री चन्द्र गोपाल शर्मा, सदस्य-सचिव, बडोदरा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा हिन्दी अधिकारी, केन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क, बडोदरा–सदस्य।

यह भी निर्णय हुआ कि सभी कार्यालय शील्ड प्रदान किए जाने से संबंधित सूचना दिनांक 8-3-85 तक निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत कर दें (इस बारे में अलग से परिपत्र भी जारी कर दिया गया है)।

सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन :

समिति ने निर्णय लिया कि शील्ड आदि समारोह-पूर्वक वितरित की जाएं। इसके लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाए। निर्णय हुआ कि प्रस्तावित सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां उक्त पैरा 3 के अनुसार शील्डों की सिफारिश के लिए गठित मूल्यांकन समिति द्वारा की जाएगी।

समिति का विचार था कि सरकारी क्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठित संगठनों से विज्ञापन लेकर स्मारिका प्रकाशित की जा सकती है और इस तरह उक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम का खर्च निकाला जा सकता है। यह निर्णय हुआ कि स्मारिका प्रकाशन की अनुमानित व्यय प्राप्त करने के सम्बन्ध में राजभाषा विभाग से सम्पर्क किया जाए।

कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग की स्थिति :

समिति की दिनांक 27-7-84 को आयोजित अपनी पिछली बैठक में लिए गए निणयों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। यह सराहा गया कि समिति के निर्णय के अनुसरण में, केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, आयकर विभाग, रेलवे स्टाफ कालेज, पश्चिम रेलवे मण्डल कार्यालय, सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया, बैंक आफ बड़ौदा, यूनियन बक आफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, गुजरात रिफाइनरी, आई. पी. सी. एल. आदि कार्यालयों ने हिन्दी सप्ताह मनाया।

हिन्दी टाइपिंग/हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण :

समिति ने नोट किया कि हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन कक्षाएं गुजरात रिफाइनरी और भारतीय स्टेट बैंक में शुरू की गई हैं। आई. पी. सी. एल. पेट्रोफिल्स, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा पश्चिम रेलवे मण्डल कार्यालय आदि में कक्षाओं के आयोजन के सम्बन्ध में हिन्दी प्राध्यापिका द्वारा कार्यवाही की जा रही है। यह निर्णय हुआ कि अन्य संगठन भी हिन्दी प्रशिक्षण की इस सुविधा का लाभ उठाएं।

हिन्दी टाइपिंग/हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण की सुविधाएं जुटाने के बारे में सविस्तार विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि ऐसी सुविधा शहर के बीच किसी स्थान पर उपलब्ध की जानी चाहिए।

निर्णय हुआ है कि इस प्रशिक्षण केन्द्र के सुचारु संचालन के लिए सदस्य कार्यालयों द्वारा प्रर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को नामित किया जाना चाहिए। यह भी निर्णय हुआ है कि सरकार के विद्यमान आदेशों के अनुसार प्रशिक्षक को भी समुचित मानदेय दिया जाना चाहिए।

हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन :

समिति ने नोट किया कि केन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क, आयकर विभाग बैंक आफ बड़ौदा (प्रधान कार्यालय), गुजरात रिफाइनरी, भारतीय खाद्य निगम, आई. पी. सी. एल. पेट्रोफिल्स को-आपरेटिव लिमिटेड आदि कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन हो रहा है।

निर्णय हुआ है कि अन्य कार्यालय भी कार्यशालाएं आयोजित करें।]

समिति ने नोट किया कि बैंक आफ बड़ौदा (प्रधान कार्यालय), यूनियन बैंक आफ इण्डिया (क्षेत्रीय कार्यालय) तथा भारतीय सर्वेक्षण विभाग आदि कार्यालयों ने सभी सामान्य आदेश आदि द्विभाषिक रूप में या हिन्दी में जारी किए हैं। समिति ने यह महसूस किया कि यह सुखद स्थिति उत्साहवर्धक और अनुकरणीय है। आगे यह भी नोट किया गया कि रेलवे स्टाफ कालेज, पश्चिम रेलवे मण्डल कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, बैंक आफ इण्डिया और डाक प्रशिक्षण केन्द्र आदि कार्यालयों ने भी ऐसे दस्तावेज अधिकांशतः द्विभाषिक रूप में जारी किए हैं। इसी प्रकार, रेल डाक सेवा कार्यालय में भी लगभग सभी कागजात हिन्दी और अंग्रेजी में जारी हुए हैं।

मूल पत्र व्यवहार :

वह नोट किया गया कि कन्द्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क, पश्चिम रेलवे मण्डल कार्यालय, रेलवे स्टाफ कालेज, डाक प्रशिक्षण कन्द्र आदि कार्यालयों द्वारा कम से कम 40 प्रतिशत पत्र मूल रूप में हिन्दी में भेजे जाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, तेल एवं प्राकृतिक गस आयोग जैसे अन्य कार्यालय इस दिशा में बहुत पीछे हैं।

समिति न निर्णय लिया कि सभी सदस्य-कार्यालयों द्वारा रुटीन किस्म के सभी पत्र हिन्दी में भेजकर हिन्दी मूल पत्र व्यवहार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए।

राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 की व्यवस्थाओं का अनुपालन :

समिति ने नोट किया कि स्टेट बैंक आफ इन्दौर, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, बैंक आफ इण्डिया, भारतीय स्टेट बैंक, पश्चिम रेलवे मण्डल कार्यालय, रेलवे स्टाफ कालेज, रेल डाक सेवा आदि कार्यालयों में द्विभाषिक रबड़ मोहरें मौजूद हैं।

अध्यक्ष ने चाहा कि दिनांक 31-3-85 तक अंग्रेजी रबड़ स्टाम्पों की जगह द्विभाषिक स्टाम्प तैयार करवा लें। साथ ही, राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 में उल्लिखित सभी वस्तुएं हिन्दी और अंग्रेजी में हिन्दी के अक्षर ऊपर रखते हुए तैयार करवा ली जाएं।

ना. व. सोनावणे
अध्यक्ष, न. रा. भा. का. समिति
तथा समाहर्ता, बडोदरा

पुणे :

हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड के मुख्यालय की राजभाषा कार्मान्वयन समिति की बैठक 20 दिसम्बर, 1984 को हुई और इसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :—

1. प्रबन्ध निदेशक–अध्यक्ष। 2. निदेशक (वित्त) उपाध्यक्ष। 3. श्री मुकुलचंद पाण्डेय, गैर सरकारी सदस्य, राजभाषा सलाहकार समिति, रसायन और उर्वरक मंत्रालय नई दिल्ली– विशेष आमंत्रित। 4. प्रबन्धक (विपणन) ट्रेड–सदस्य। 5. प्रबंधक (विनिर्माण)–सदस्य। 6. ग्रुप प्रबंधक (अनु. एवं विकास)–सदस्य। 7. कार्मिक प्रबन्ध (औद्योगिक संबंध)–सदस्य। 8. उपसामग्री प्रबन्धक–सदस्य 9. जनसम्पर्क अधिकारी–सदस्य। 10. अधिकारी संघ के प्रतिनिधि श्री डी. वाई. बाबले–सदस्य। 11. मजदूर संघ के प्रतिनिधि श्री वी.–जी. पिल्लै–सदस्य। 12. सहा. प्रशासनिक अधिकारी (हिन्दी) सदस्य सचिव।

बैठक आरंभ करने से पहले दिवंगत प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के निधन पर दो मिनट का मौन रखा गया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में पहली बार हमारे प्रशासनिक मंत्रालय की राजभाषा सलाहकार समिति के गैर सरहकारी सदस्य श्री मुकुलचंद पाण्डेय को आमंत्रित किया गया। उनका हार्दिक स्वागत किया गया और उन्हें राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों से परिचित कराया गया।

पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही की समीक्षा :

सहा. प्रशासनिक अधिकारी (हिन्दी) ने पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही से सदस्यों को अवगत कराया जिसकी पुष्टि की गई। इस संबंध में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए।

1. सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्र इत्यादि शत प्रतिशत द्विभाषिक रूप में जारी किये जाएं। इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी यह देखें कि यह दोनों भाषाओं में जारी किया जाता है। यह देखने की जिम्मेदारी कि यह पत्र दोनों भाषाओं में जारी किया जाता है उन अधिकरियों की है जो इन पर हस्ताक्षर करते हैं। कोई भी विभाग इस संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हिन्दी कक्ष से अनुवाद एवं टाईपिंग की सुविधा प्राप्त कर सकता है।
2. वर्ष में कम से कम दो बार हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया जाए।
3. कर्मचारियों की वर्दियों पर एच. ए. का मोनोग्राम दोनों भाषाओं में बनवाया जाए।

द्विभाषिक "लोगो" के संबंध में सम्पर्क अधिकारी ने बताया कि संशोधित लोगो का डिजाइन तैयार किया गया है जिसमें हिन्दी के अक्षरों को अंदर की तरफ रखा गया है। सभी अंग्रेजी के अक्षरों को गहरे शेड में रखा जा रहा है लेकिन कालांतर में धीरे-धीरे हिन्दी के अक्षरों को अधिक गहरे शेड में रखा जाएगा।

4. श्री पाण्डेय ने समिति की बैठक में उपस्थित होने के पूर्व कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्ति की कि नाम-पट्ट एवं सूचनापट्ट अंग्रेजी-हिन्दी दोनों भाषाओं में हैं और कहीं-कहीं तीनों भाषाओं में अर्थात् मराठी, हिन्दी, अंग्रेजी में हैं। फिर भी तकनीकी प्रकृति के कुछ विभागों में कुछ नामपट्ट एवं सूचनापट्ट अंग्रेजी में ही हैं, जिनकी संख्या नगण्य है। उन्हें भी द्विभाषिक रूप में बनाये जाने की उन्होंने सलाह दी। उन्होंने कहा कि कार्य की प्रगति का निरीक्षण करने के लिये एक मूल्यांकन समिति गठित की जाए जिसमें सदस्य कार्मिक विभाग तथा अनुसंधान एवं विकास विभाग तथा जनसम्पर्क विभाग से लिए जाएं। यह समिति हर तीसरे माह विभिन्न विभागों का निरीक्षण करेगी और इस कार्य में हुई प्रगति की रिपोर्ट प्रबंध निदेशक महोदय को देगी और इसकी एक प्रति हिन्दी कक्ष को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजेगी।

5. पाण्डेयजी ने कहा कि हमारे संस्थान से हिन्दी में भेजे जाने वाले मूल पत्रों की संख्या बहुत ही कम है। वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार "ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालय को 40 प्रतिशत सरकारी कामकाज हिन्दी में करना है। इस पर वित्त निदेशक श्री तेलंगजी ने सदस्यों से कहा कि सिर्फ हिन्दी कक्ष ही अकेले इन पत्रों की संख्या में वृद्धि नहीं कर सकता। इसके लिए सभी कर्मचारियों को मिलजुलकर प्रयत्न करना चाहिए। हम मिलजुलकर ही अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इस संबंध में हिन्दी कक्ष किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हर समय तैयार है। इस सन्दर्भ में कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि श्री पिल्ले ने सुझाव दिया कि कर्मचारी संघ द्वारा प्रबंध से जो पत्राचार किया जाता है और उसका जवाब हिन्दी में दिया जाता है उन्हें सरकारी पत्र माना जाए। यदि उन्हें सरकारी पत्र माना जाए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि वे और भी अधिक पत्राचार हिन्दी में करेंगे। श्री पिल्लेजी ने सुझाव दिया कि संस्थान में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जो विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू हैं उनमें अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को विशेष सुविधा दी जाए ताकि वे हिन्दी भाषियों के साथ प्रतियोगिता में पीछे न रहे और इस प्रकार हतोत्साहित न हो। इस पर उन्हें बताया गया कि भारत सरकार की आलेखन टिप्पण संबंधी नकद पुरस्कार योजना में अहिन्दी भाषियों के लिए विशेष प्रावधान पहले ही किया हुआ है।

6. सहा. प्रशासनिक अधिकारी (हिन्दी), ने बताया कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की एक उप समिति बनाई गई है जो मंत्रालय और मंत्रालय के नियंत्रणाधीन उपक्रमों में प्रयोग में लाये जा रहे वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों के लिए उपयुक्त

रूपांतर तैयार करने की दिशा में अपना कार्य प्रारंभ कर चुकी है। इस संबंध में विभिन्न विभागों में प्रयोग में लाए जा रहे वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली की सूची मंगाई गई थी। अब तक हमें केवल तकनीकी सेवा एवं गुण नियंत्रण विभाग से ही यह सूची प्राप्त हुई है। श्री पाण्डेय जी ने कहा कि शब्दावली के संग्रह का कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाए, ताकि अधिक से अधिक तकनीकी शब्दावली के प्रामाणिक हिन्दी रूपांतर तैयार किए जा सकें।

7. उपर्युक्त के अलावा श्री मुकुलचन्द पाण्डेय ने निम्नलिखित सुझाव दिए :—

क. गोपनीय पत्र-और अन्य सामग्री को सील करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली पीतल की सील द्विभाषिक बनवाई जाए।

ख. पहचान पत्र (आईडेंटीटी कार्ड) द्विभाषिक रूप में मुद्रित कराए जाएं तथा उसके पिछले पृष्ठ पर दिए गए अनुदेशों को स्थान की कमी के कारण केवल हिन्दी में ही मुद्रित किया जाए।

ग. सभी विभागाध्यक्षों को एक-एक हिन्दी का टाइपराइटर उपलब्ध कराया जाए तथा जो विभाग एक ही जगह पर स्थित हों वहां फिलहाल 2-3 विभागों में एक टाइपराइटर से काम चलाया जाए।

घ. यदि भविष्य में अंग्रेजी टाइपिस्टों/आशुलिपिकों की भर्ती की जाती है तो ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाए जो हिन्दी टंकण/आशुलिपि भी जानते हों।

ङ सभी विभाग प्रमुख पत्रों पर तथा फाइलों पर हस्ताक्षर हिन्दी में ही करें क्योंकि हिन्दी में किये गए हस्ताक्षर वाले पत्रों को सैद्धांतिक रूप में से हिन्दी का ही पत्र माना जाता है और उनका जवाब भी दिया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार हिन्दी में हस्ताक्षर करने से हिन्दी पत्राचार का सिलसिला शुरू हो जायेगा।

च. सहायक कंपनी में भी राजभाषा का कार्यान्वयन किया जाना है। मुख्य कार्यालय के हिन्दी अधिकारी को इन सहा० कंपनियों का दौरा कर वहां पर कार्यान्वयन समिति का गठन करवाना चाहिए तथा उन्हें राजभाषा संबंधी अधिनियमों/नियमों से अवगत कराया जाना चाहिए। इस संबंध में एक परिपत्र निदेशक (वित्त) द्वारा जारी किया जाए।

छ. बम्बई में राजभाषा विभाग का एक नया कार्यालय खुला है। इस कार्यालय में हिन्दी अधिकारी जाएं और उनसे राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन प्राप्त करें।

ज. जिन डिपो कार्यालयों में 25 से कम लोग हैं उनमें नजदीक स्थित अन्य सरकारी उपक्रमों के कार्यालयों के साथ राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाए।

झ. हिन्दी भाषी क्षेत्रों को भेजे जाने वाले 30 प्रतिशत तार हिन्दी में भेजे जाएं।

ञ. अधिक से अधिक चैक हिन्दी में बनाए जाएं तथा इन चैकों को भेजने के लिए जो कवरिंग/फारवर्डिंग लेटर बनाया जाता है वह द्विभाषिक तैयार किया जाए।

सा. भ. तलंग
निदेशक (वित्त)

चण्डीगढ़

चण्डीगढ़ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की इस वर्ष की पहली बैठक दिनांक 7-2-85 को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर वाई. एल. खुल्लर की अध्यक्षता में उन्हीं के कार्यालय में आयोजित की गई। इस अवसर पर भारत सरकार के राजभाषा विभाग के अनुसंधान अधिकारी श्री एम. एल. मैत्रेय विशेष रूप में चण्डीगढ़ पधारे थे। बैठक में चण्डीगढ़ स्थित केन्द्रीय कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के कार्यालयों के लगभग 80 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अपने अध्यक्षीय भाषण में ब्रिगेडियर खुल्लर ने दिनांक 2 फरवरी 85 को नई दिल्ली में हुए राजभाषा सम्मेलन में चर्चित विभिन्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला और राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उपस्थित प्रतिनिधियों से सक्रिय सहयोग की अपील की।

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के प्रतिनिधि श्री एम. एल मैत्रेय ने राजभाषा अधिनियम के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पारित अन्य अधिनियमों की भांति ही राजभाषा अधिनियम का पालन करना भी हम सब का परम कर्त्तव्य है।

बैठक में हिन्दी शिक्षण योजना तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। उपस्थित प्रतिनिधियों ने सक्रिय सहयोग का आश्वासन दिया।

के. सेन शर्मा
हिन्दी प्राध्यापक,
सदस्य सचिव, नगर राजभाषा
कार्यान्वयन समिति,
चण्डीगढ़।

जालंधर

जालंधर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 1985 की प्रथम बैठक श्री वी. पी. भात, आयकर आयुक्त, जालंधर की अध्यक्षता में उनके 711 मॉडल टाऊन स्थित कार्यालय में दिनांक 11-3-85 को 2.30 बजे दोपहर बाद सम्पन्न हुई।

इस बैठक में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से श्री एम एल. मैत्रेय, अनुसंधान अधिकारी राजभाषा विभाग के विशेष प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए। जालंधर नगर के केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों/निगमों/बैंकों/निकायों आदि से भारी संख्या में अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। इसके अतिरिक्त उक्त कार्यालयों के हिन्दी

के कार्य से सम्बद्ध कुछ कनिष्ठ पदाधिकारी भी बैठक में सम्मिलित हुए।

सर्वप्रथम सदस्य-सचिव द्वारा राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि श्री मनोहर मैत्रेय, अनुसंधान अधिकारी एवं सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। अध्यक्षमहोदय की अनुमति से गत बैठक की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई तथा निहित मदों की समीक्षा के पश्चात् रिपोर्ट की पुष्टि कर दी गई। तदुपरान्त कार्यसूची के मदों पर भी चर्चा हुई। तिमाही रिपोर्ट का प्रोफार्मा जिन कार्यालयों के पास नहीं था, उन्हें उक्त प्रोफार्मा उपलब्ध करवाए जाने के लिए अनुरोध किया गया। हिन्दी टंकण/आशुलिपि संबंधी आंकड़े जिन कार्यालयों से प्राप्त नहीं हुए थे उन्हें आवश्यक अनुपालन हेतु पुनः स्मरण करवाया गया ताकि भारत सरकार को समेकित आंकड़े भेजकर हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र करवाई जा सके। वार्षिक कार्यक्रम पर अग्रसर होने के लिए गति में तीव्रता लाने के लिए कहा गया।

श्री मनोहर मैत्रेय द्वारा सभी सदस्यों का परिचय प्राप्त किया गया। उन्होंने उपस्थिति पर सन्तोष व्यक्त किया इसके साथ ही सभी सदस्यों से उनकी निजी कठिनाइयों के विषय में श्री मैत्रेय ने सुना तथा प्रश्नों के उत्तर देते हुए औपचारिक पग सुझाए।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप से श्री मैत्रेय जी ने प्रकाश डाला तथा सभी सदस्यों से आग्रह किया वे दृढ़तापूर्वक अपेक्षित अनुपालन करें जिससे कि हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को निरन्तर बढ़ावा मिलता रहे।

नगर राजभाषा समितियों की महत्ता एवं उनकी उपादेयता के विषय में बतलाते हुए श्री मैत्रेय ने बैठकों में कनिष्ठ अधिकारियों के स्थान पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं उपस्थित होने पर बल दिया जिससे कि रचनात्मक निर्णय लेने में सुविधा हो। उपस्थित पदाधिकारियों से यह बात अपने-अपने कार्यालयों के मुख्याधिकारियों के ध्यान में लाने के लिए कहा गया ताकि भविष्य में वांछित अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

भारत सरकार हिन्दी शिक्षण योजना के प्राध्यापक द्वारा उठाई गई समस्या, जिसमें उन्होंने कक्षाओं में कर्मचारियों को नामित किए जाने व अल्प उपस्थिति की ओर संकेत दिया, पर टिप्पणी करते हुए श्री मैत्रेय जी ने स्पष्टतया बतलाया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने की बात अब किसी की "नीयत व तबीयत" पर निर्भर नहीं है, यह तो राष्ट्रपति जी के 27 अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार अनिवार्य है। अतः हिन्दी/हिन्दी टंकण/आशुलिपि के लिए नामित सभी कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित हों।

वार्षिक कार्यक्रम के कुछ अंगों की चर्चा करते हुए श्री मैत्रेय जी ने सभी कार्यालयों द्वारा "हिन्दी दिवस" वर्ष में सुविधानुसार कभी भी मनाने की ओर ध्यान दिलाया।

"हिन्दी कार्यशाला" चलाने के विषय में सुझाव दिया गया कि कार्यालय अपने-अपने मुख्यालयों से तत्संबंधी सामग्री प्राप्त कर लेवें। कार्यशालाओं का आयोजन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में भी किया जा सकता है जिसमें ऐसे पाठ लिए जा सकते हैं जो कि सभी कार्यालयों में समान रूप से लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं।

सभी सदस्य इस सुझाव पर एक-मत थे कि राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन करने वाली जो भी आवश्यक सामग्री प्रकाशित हो, उनकी प्रतियां प्रचुर संख्या में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जालंधर के सदस्यों में वितरणार्थ अध्यक्ष/सचिव के पते पर नियमित रूप से भिजवाने की व्यवस्था की जाए।

श्री वी. पी. भात, अध्यक्ष महोदय ने समापन-भाषण में श्री मैत्रेय जी का धन्यवाद किया। उन्होंने हिन्दी के प्रयोग पर बल देते हुए इस बात को दोहराया कि हिन्दी हमारी राजभाषा है तथा सांविधिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए हमें हिन्दी के कार्य को बढ़ावा देना है। यह तभी संभव हो सकता है जब हम सब हिन्दी के प्रति उदासीनता से मुक्ति पाकर उत्साह एवं मनोबल के साथ अग्रसर हों। कुछ सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों के समाधान में श्री वी. पी. भात ने श्री मैत्रेय से सहमत होते हुए यह बतलाया कि अधिकांश कठिनाइयां राजभाषा नीति के प्रावधानों व तत्संबंधी नियमों का पूर्णतया ज्ञान न होने के कारण उत्पन्न होती है। अतः उन्होंने राजभाषा नियमों के समुचित अध्ययन हेतु अनुरोध किया।

डी. के. अग्निहोत्री
सचिव, नगर राजभाषा
कार्यान्वयन समिति
जालन्धर–1

नई दिल्ली :

श्री आर. एन. गर्ग, कार्यपालक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग कार्यमण्डल सं. 23, दिल्ली प्रशासन, नई दिल्ली की अध्यक्षता में तारीख 15–12–84 को सांय 3.00 बजे विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में इन अधिकारियों ने भाग लिया :—

1. श्री आर. एन. गर्ग	– कार्यपालक इंजीनियर	– सभापति
2. श्री कमल सिंह	– सहायक निदेशक (हिन्दी) मुख्य इंजीनियर, कार्यालय	– आमंत्रित
3. श्री सुरेन्द्र मल्होत्रा	– हिन्दी अनुवादक मुख्य इंजीनियर, कार्यालय	– आमंत्रित
4. श्री एम. सी. कपूर	– हिन्दी अनुवादक अधीक्षक इंजीनियर, कार्यालय	आमंत्रित
5. श्री एस. पी. कत्याल	– सहायक इंजीनियर	– सदस्य
6. श्री जे. पी. गुप्ता	– सहायक इंजीनियर	– सदस्य
7. श्री के. एल. कत्याल	– मण्डल लेखापाल	– सदस्य
8. श्री जगदीश प्रसाद	– मुख्य प्रारूपकार	– सदस्य
9. श्री एस. एन. रैना	– मुख्य लिपिक	– सदस्य
10. श्री राज कुमार सुन्दूरिया	– उच्च श्रेणी लिपिक	– सदस्य

सभापति महोदय ने सर्वप्रथम सभी उपस्थित सदस्यों और आमंत्रितों का स्वागत किया। इसके बाद बैठक की कार्यवाही शुरू हुई।

1. लैटर आफ अवार्ड :

श्री कमल सिंह, सहायक निदेशक (हिन्दी) ने इस बात पर जोर दिया कि सभी लैटर ऑफ अवार्ड हिन्दी में जारी किए जाएं तथा उनका स्टैन्सिल कटवाया जाएं।

2. 'हिन्दी सहायिका' पुस्तिका उपलब्ध करवाना :

श्री कमल सिंह सहायक निदेशक (हिन्दी) ने कहा कि प्रयोग के लिए सहायक पुस्तिका -1 नवीनतम संस्करण की 10 पुस्तिकाएं निर्माण महानिदेशालय से मंगवाई जाएं तथा शाखा प्रधानों को जारी करने तथा उपरोक्त पुस्तिकाएं उपलब्ध न होने पर डा. महेश चन्द्र जी से मिल कर पुस्तिकाओं को उपलब्ध कराने के लिए कहा जाए।

3. राजभाषा सम्बन्धी आदेशों का संकलन हिन्दी पुस्तिका :

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राजभाषा सम्बन्धी आदेशों का संकलन हिन्दी पुस्तिका की दो प्रतियां किताब महल, बाबा खड़ग सिंह मार्ग से मंगवाकर मुख्य लिपिक तथा मण्डल लेखापाल को जारी की जाएं ताकि हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग हो सके।

4. हिन्दी टंकण के प्रशिक्षण के लिए अवर श्रेणी लिपिकों को भेजना :

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सर्व श्री राकेश कुमार तथा के. देव राजन्, अवर श्रेणी लिपिकों को सत्र जनवरी 85 में होने वाले हिन्दी टंकण प्रशिक्षण के लिए 11.00 बजे से 1.00 बजे के बीच नामित किया जाए।

5. लोक निर्माण पुस्तिका :

श्री कमल सिंह सहायक निदेशक (हिन्दी) ने कहा कि लोक निर्माण पुस्तिका केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद 68-एक्स वाई, सरोजनी नगर से मंगवाई जाए तथा केन्द्रीय सचिवालय में उपलब्ध न होने पर जनता बुक डिपो, लेडी हार्डिंग रोड, नई दिल्ली से मंगवाकर शाखा मुखियों को जारी की जाए।

6. हिन्दी प्रतियोगिता नकद पुरस्कार :

श्री कमल सिंह, सहायक निदेशक (हिन्दी) ने वर्ष 84 (1 जनवरी 84 से 31 दिसम्बर 84) तक के लिए हिन्दी प्रतियोगिता नकद पुरस्कार के लिए इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कर्मचारियों को जनवरी से प्रथम सप्ताह में विवरण भेजने के लिए जोर दिया ताकि 26 जनवरी से पूर्व नकद पुरस्कार दिए जा सकें।

7. हिन्दी में लिखवाना :

श्री कमल सिंह, सहायक निदेशक (हिन्दी) ने इस बात पर जोर दिया कि कार्यालय के सभी बोर्ड तथा अलमारियों/फर्नीचर पर कार्यालय का नाम तथा नम्बर भी तुरन्त अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी में लिखवाये जायें।

8. हिन्दी में पत्राचार :

मण्डल तथा उपमण्डलों में हिन्दी पत्राचार का लक्ष्य नीचे दिये विवरणानुसार निर्धारित किया गया :

	31-3-85 तक का निर्धारित लक्ष्य
1. मण्डल कार्यालय	70 प्रतिशत
2. उप-मण्डल-1	70 ,,
3. उप-मण्डल-2	70 ,,
4. उप-मण्डल-3	70 ,,
5. उप-मण्डल-4	70 ,,

9. केवल मण्डल कार्यालय में 1-10-84 से 15-12-84 तक की अवधि के दौरान हिन्दी पत्राचार का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(क) केवल हिन्दी में प्राप्त पत्रों की संख्या	334
(ख) केवल हिन्दी में जारी पत्रों की संख्या	329
(ग) कुल हिन्दी तथा अंग्रेजी में जारी पत्रों की संख्या	518

सभापति महोदय को धन्यवाद देते हुए सभा विसर्जित हुई।

—आर. एन. गर्ग
कार्यपालक, इंजीनियर
लोक निर्माण विभाग मण्डल
सं. 23, दिल्ली प्रशासन,
नई दिल्ली

इन्दौर :

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इन्दौर की चौथी बैठक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क समाहर्तालय माणिक बाग पैलेस इन्दौर के सभागृह में दिनांक 21 दिसम्बर 1984 को प्रातः 11-00 बजे प्रारम्भ हुई। समिति के अध्यक्ष श्री शिवन के. धर, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क मध्य प्रदेश ने बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में केन्द्रीय सरकार के विभागीय/कार्यालय अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

आरम्भ में समिति के सचिव श्री राजकुमार केसरवानी ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत किया तथा पिछली बैठकों की जानकारी प्रदान की।

समिति के अध्यक्ष श्री शिवन के. धर, समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क मध्य प्रदेश ने अपने अध्यक्षीय भाषण में वर्ष 1984-85 के वार्षिक कार्यक्रम की अपेक्षाओं का विस्तृत विवेचन करते हुए, उन्हें पूरा करने का सभी से अनुरोध किया। उन्होंने कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत निजी तौर पर प्रशिक्षण दिलाए जाने तथा निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर प्राप्त होने वाले पुरस्कारों की जानकारी भी दी।

श्री धर ने अपने भाषाण में यह भी जानकारी दी की 28 अप्रैल 84 को राजभाषा विभाग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राजभाषा सम्मेलन मे इन्दौर में हिन्दी शिक्षण योजना का प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने पर भी विचार-विमर्श किया गया, तथा कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इन्दौर में यह प्रशिक्षण केन्द्र जल्दी खुले ताकि कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाने में तेजी लाई जा सकें। कर्मचारियों द्वारा हिन्दी कार्य में महसूस की जाने वाली झिझक को दूर करने के लिए श्री धर ने कहा कि उन्हें हिन्दी-अंग्रेजी के मानक मसौदों के रूप में सहायक साहित्य प्रदान किया जा सकता है।

लघु उद्योग सेवा संस्थान के निदेशक श्री गोपनीकृष्ण जाखेटिया ने कहा कि हमारे कार्यालय में दो-तिहाई काम हिन्दी में हो रहा है। कर्मचारी/अधिकारी अधिक से अधिक कामकाज हिन्दी में कर रहे हैं। हमारे कार्यालय से "स्माल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट न्यूज लेटर" हिन्दी में प्रकाशित होता है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा कम-से-कम उन हिन्दी भाषी क्षेत्रों में जहां हिन्दी अधिकारी या हिन्दी अनुवादक के पद रिक्त पड़े हैं, ये विभागाध्यक्षों को नियुक्ति के आधार पर दिए जाएं।

केन्द्रीय कार्यालयों में रिक्त हिन्दी पदों पर अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए समिति के अध्यक्ष श्री धर ने कहा कि हिन्दी के रिक्त पदों को भरने के लिए विभागाध्यक्षों को अधिकार दिये जाने चाहिए। इस संबंध में राजभाषा विभाग को एक एक अर्द्ध-सरकारी पत्र लिखा जाए। इस पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रकट की।

आकाशवाणी के हिन्दी अधिकारी श्री देवेन्द्र प्रसाद शर्मा ने कहा कि हिन्दी प्रशिक्षण के लिए इन्दौर में हिन्दी शिक्षण योजना का केन्द्र खोला जाना चाहिए।

समिति के सचिव श्री राजकुमार केसरवानी ने समिति को अवगत कराया कि नई दिल्ली में 28 अप्रैल, 84 को आयोजित राजभाषा सम्मेलन में इन्दौर में हिन्दी शिक्षण योजना का प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने पर विचार विमर्श किया गया है।

श्री गोपीचन्द्र मिश्र ने कहा कि सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष द्वारा इसकी निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि बैठकें नियमित रूप से होती रहें।

श्री धर ने कहा कि हिन्दी के विकास के लिए पुस्तकें पढ़ना बहुत आवश्यक है। रचनात्मक साहित्य का अपना महत्व है। केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली ने काफी लोकप्रिय और उपयोगी साहित्य प्रकाशित किया है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से सभी केन्द्रीय कार्यालयों को परिषद द्वारा प्रकाशित साहित्य की सूची प्रसारित कर दी जाएगी ताकि अन्य सभी केन्द्रीय कार्यालय अपनी आवश्यकता के अनुसार परिषद से सहायक साहित्य/चार्ट आदि मंगा सकें।

बैठक में उपस्थित सदस्यों ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से एक पत्रिका का प्रकाशन किए जाने पर जोर दिया, जिसमें हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने संबंधी सामग्री प्रकाशित की जा सके। साथ ही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से हिन्दी के विकास संबंधी कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं आदि के समारोह भी आयोजित किए जाने का अपना विचार प्रकट किया जिसके लिए अलग से कोष प्रदान किए जाने की मांग की गई। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि राजभाषा विभाग से मंजूरी प्रदान करने के लिए अनुरोध किया जायेगा।

श्री धर ने सभी कार्यालयों क अधिकारियों/कमचारियों से हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के समान रुचि लने तथा परस्पर प्रेम, प्रेरणा और सहयोग के आधार पर हिन्दी का विकास करने का अनुरोध किया।

—श्री शिवन के. धर
समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
एवं सीमाशुल्क, म. प्र.
अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन
समिति, इन्दौर

जयपुर :

आकाशवानी जयपूर केन्द्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 5 जनवरी, 85 को अपराह्न 3.00 बजे केन्द्र निदेशक श्री गिरीश कुमार चतुर्वेदी जी की अध्यक्षता में उनके कक्ष म सम्पन्न हुई। इस बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुए :—श्री शारदा प्रसाद, केन्द्र अभियन्ता, दूरदशन केन्द्र, जयपुर, श्री यशपाल चोपड़ा प्रादेशिक अधिकारी, क्षत्रीय प्रचार कार्यालय, जयपुर, डा. भीमराज शर्मा, सहायक केन्द्र निदेशक, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी, जयपुर, श्री गिरीश चन्द्र द्विवदी, सहायक सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, जयपुर डा. महिमाशंकर पाण्डय, श्रोता अनसंधान अधिकारी, आकाशवाणी, जयपुर, श्री जी. पी. माहेश्वरी, सहायक केन्द्र अभियन्ता, आकाशवाणी जयपुर, श्री सीताराम शर्मा, कार्यक्रम निष्पादक आकाशवाणी जयपुर, श्री लक्ष्मी चन्द्र शर्मा, मध्य लिपिक, आकाशवाणी, जयपुर, श्री सुरेश कुमार जसवाल, हिन्दी अधिकारी, आकाशवाणी, जयपुर।

बठक के प्रारम्भ में अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए हिन्दी अधिकारी को आदेश दिया कि बैठक की कार्यसूची के अनुसार कार्यवाई शुरू करें।

पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा :

आकाशवाणी, जयपुर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त को पढ़कर सुनाया गया। निम्नलिखित रुके हुए मामलों पर आग कायवाई करने के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा आदेश दिए गए :—

(क) हिन्दी मे कार्य की गति को देखते हुए दो नए हिन्दी के टाइपराइटर खरीदने पर शीघ्रता से कार्रवाई की जाए।

(ख) पिछली बठक में निणय लिया गया था कि राजस्थान राज्य में स्थित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी में किए जा रहे कार्य के निरीक्षण, मागदशन एवं उनक द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक निरीक्षण दल बनाया जाए। इस हेतु आकाशवाणी महानिदेशालय से इस कार्यालय के पत्र सं. 1/1/84—हि. ए. दिनांक 21—9—84 द्वारा अनुरोध किया गया

था कि वे मंत्रालय की अनुमति इस संबंध में प्राप्त करें। अभी तक महानिदेशालय से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । उन्हें अनुस्मारक भेजकर पुनः अनुरोध किया जाए ।

पिछली तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा :

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित 30–9–84 को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई । हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में भेजे गए । तीस प्रतिशत तार हिन्दी में भेजे गए । लगभग 50 प्रतिशत मूल-पत्राचार हिन्दी में किया गया तथा 188 सामान्य आदेश हिन्दी में व 29 अंग्रेजी में जारी किए गए ।

अध्यक्ष महोदय ने मूलपत्रों को और अधिक मात्रा में हिन्दी में भेजने के निदेश दिए । क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, पत्र सूचना कार्यालय तथा विज्ञापन प्रसारण सेवा से प्राप्त तिमाही रिपोर्ट में प्रगति सन्तोषजनक थी ।

वर्ष 1984-85 के लिए निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम के बारे में विचार विमर्श :

वर्ष 1984–85 के वार्षिक कार्यक्रम पर विचार-विमर्श किया गया । मूल हिन्दी टिप्पण आलेखन में हुई प्रगति पर सन्तोष प्रकट किया गया । पहले बनाए गए जांच बिन्दु जैसे दफ्तरी, प्रेषण, मुख्य लिपिक आदि भी सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं । लेकिन इस तिमाही में 29 सामान्य आदेश केवल अंग्रेजी में जारी हुए हैं, अतः सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके हस्ताक्षरों से जारी होने वाले सामान्य आदेश केवल अंग्रेजी में जारी न होने पाएं । अनुवाद के लिए हिन्दी एकक की सेवाएं प्राप्त की जाएं । सभी कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों, व्यक्तियों आदि को तार केवल हिन्दी में भेजे जाएं ।

कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयां तथा उसके निराकरण पर विचार विमर्श :

सभी कार्यालय-अध्यक्षों ने बताया कि उनके यहां से हिन्दी टाईपिंग प्रशिक्षण के लिए निम्न श्रेणी लिपिकों को बराबर भेजा जा रहा है । फिर भी अध्यक्ष महोदय ने बताया की किसी लिपिक को लगातार छः महीने तक प्रशिक्षण के लिए भेजने में व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, अतएव यह निर्णय लिया गया कि चूंकि राजस्थान राज्य (क) क्षेत्र में आता है और वहां पर अधिक से अधिक मात्रा में हिन्दी में काम किया जाना अपेक्षित है, इसके लिए भविष्य में जब भी कनिष्ठ लिपिकों के खाली पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग को मांगपत्र भेजा जाए उसमें यह खुलासा किया जाए कि इस राज्य में नियुक्ति के लिए केवल वे ही अभ्यर्थी नामित किए जाएं जो हिन्दी टाइप जानते हैं । मुख्य लिपिक तथा प्रशासन अधिकारी कृपया ध्यान रखें ।

सभी सहयोगी कार्यालयों में हिन्दी की गतिविधियां प्रभावी रूप से अग्रसरित करने के लिए वे इस केन्द्र के हिन्दी एकक की सेवाओं का सदुपयोग कर सकते हैं । चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सहयोगी कार्यालयों में जो दैनिक प्रयोग में आने वाले प्रोफार्मा प्रपत्र केवल अंग्रेजी में हैं, उनकी एक-एक प्रति इस केन्द्र के हिन्दी अधिकारी को भेज दी जाए । वे उनका अनुवाद उन्हें उपलब्ध करवा देंगे ।

यह भी निणय लिया गया कि महानिदेशालय में सभी पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाए । इसके लिए जो भी रिपोर्ट/रिटर्न आदि भेजी जाती है उनके अग्रेषण पत्र हिन्दी में लिखे जाएं । यदि कभी हिन्दी टाइप की सुविधा न हो तो हाथ से लिखे पत्र भी भेजे जा सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय :

इस केन्द्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति क सभी सदस्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जयपुर में स्थित अधीनस्थ कार्यालय अध्यक्ष भी हैं । अतः इन सहयोगी कार्यालयों में हिन्दी की गतिविधियां प्रभावी रूप से अग्रसरित करने के लिए यह निणय लिया गया कि इस समिति की बैठकें बारी-बारी से प्रत्येक कार्यालय म आयोजित की जाएं । वष 1985 की प्रथम तिमाही की बठक दूरदशन कन्द्र, जयपुर क कार्यालय में 19 मार्च, 1985 को अपराह्न 3.00 बज रखन का निश्चय किया गया । केन्द्र अभियन्ता, दूरदशन कन्द्र, जयपुर न इसक लिए आवश्यक प्रबन्ध करन का आश्वासन दिया ।

—जी. सी. द्विवेदी
सहायक, सूचना अधिकारी
आकाशवाणी, जयपुर

वाराणसी :

दिनांक 19 जनवरी, 85 को पूर्वोत्तर रेलव वाराणसी मण्डल के अपर मण्डल रेल प्रबन्धक एवं मण्डल राजभाषा अधिकारी श्री राम अवध पाण्डेय ने पूर्वोत्तर रेलव द्वारा आयोजित वाराणसी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बठक को सम्बोधित किया । उन्होंन कहा कि आज अंग्रेजी के चलते हमारे देश का हर आदमी अपनी ही जमीन पर अजनबी और एक गर-भारतीय की तरह चकित तथा गंगा है । परिणामस्वरूप हमारी नई पीढ़ी हमारी ही भाषायी उदासीनता क कारण दिशाविहीन हो गई है । आज बनियादी परिवतन की बात की जाती है लेकिन बुनियाद में तो जनता है अतः उसको भाषा से जड़े बिना यह परिवतन संभव नहीं है । श्री पाण्डय न बठक म उपस्थित सभी केन्द्रीय विभागों के प्रतिनिधियों से कहा कि यदि वे सरकारी कामकाज म हिन्दी क प्रयोग करन लगग तो स्वत; कार्यालयों क कमचारी हिन्दी का प्रयोग शरू कर दग क्योंकि गंगा, गंगोत्री से ही निकलती है न कि गंगा सागर से । प्रत्यक सरकारी कार्यालय का प्रधान अपन कार्यालय म एसी गंगोत्री है । उन्होंन राजभाषा नियमों क अनपालन पर बल देते हुए कहा कि वास्तव म हिन्दी भाषी क्षत्रों में राजभाषा आधनियम एवं नियामों की अपेक्षा तो होनी ही नहीं चाहि । सकी आवश्यकता मात्र इतनी ही है कि हम यह सुनिश्चित कर ल क संविधान नियम तथा अधिनियम म उल्लिखित प्रावधानों की जान-अनजाने कहीं अवहलना तो नहीं हो रहीं है ।

मुख्य अतिथि पद से पूर्वोत्तर रेलव क मख्य कार्मिक एवं मख्य राजभाषा अधिकारी श्री चिन्मय चक्रवर्ती ने राजभाषा हिन्दी को प्रगति में वाराणसी क्षेत्र द्वारा किये गये योगदान की सराहना करते हुए कहा कि कबीर, तुलसी, भारतेन्दु और प्रसाद की यह भूमि न कवल हिन्दी भाषी अपितु समग्र भारत का मार्गदर्शन करती रही है । पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मण्डल द्वारा सरकारी कामकाज म राजभाषा हिन्दी के

की चर्चा करते हुए श्री चक्रवर्ती ने कहा कि हिन्दी-प्रयोग की दिशा में रेल मंत्रालय, रेलों में पूर्वोत्तर रेलवे तथा पूर्वोत्तर रेल में वाराणसी मण्डल अग्रणी है। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी कन्द्रीय कार्यालय प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि जब सभी एकमत हो सरकारी प्रयोजन लिए हिन्दी का प्रयोग करेंगे तभी देश अंग्रेजी भाषा की गुलामी से मुक्त हो सकेगा। उन्होंने कहा कि यद्यपि हम सब हिन्दी-प्रयोग की दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं तथापि हमें उस प्रगति को न केवल बनाए रखना है अपितु आगे और आगे बढ़ाते जाना है।

समिति के अध्यक्ष श्री रामप्रसाद मणि त्रिपाठी ने कहा कि भाषा के आधार पर राष्ट्र को अलग-अलग करके सोचना उचित नहीं है। भाषा देश की एकता का माध्यम होनी चाहिए और वह माध्यम हिन्दी ही है। गृह मंत्रालय अनुवाद ब्यूरो के निदेशक डा. बी. एन. सिंह ने कहा कि कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी जब हिन्दी का प्रयोग करेंगे तो राजभाषा प्रयोग के कार्य को अधिक प्रभावी रूप से लागू किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे में हिन्दी प्रयोग की स्थिति ने, निरीक्षण के दौरान उन्हें बेहद प्रभावित किया है।

बैठक के पूर्व हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें आमंत्रित अधिकारियों ने राजभाषा प्रयोग के मार्ग में आने वाली अड़चनों के निराकरण पर विचार-विमर्श किया।

इस अवसर पर राजभाषा प्रदर्शनी भी आयोजित की गई जिसका उदघाटन पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य कार्मिक एवं राजभाषा अधिकारी श्री चिन्मय चक्रवर्ती ने दीप, प्रज्वलित करके किया। प्रदशनी में पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल, जीवन बीमा निगम तथा युनाइटड बैंक में हिन्दी प्रयोग के दिग्दर्शक नमूनों को प्रदर्शित किय गया।

—जगदीश नारायण श्रीवास्तव
हिन्दी अधिकारी

लखनऊ :

पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मण्डल की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 25वीं बैठक अशोक मार्ग स्थित कार्यालय में श्री धनंजय पति त्रिपाठी की अयक्षता में 16-1-85 को सम्पन्न हुई। इस बैठक में केन्द्रीय हिन्दी समिति तथा रेल मंत्रालय के हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य डा. श्याम नन्दन किशोर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सदस्यों को सम्बोधित करते हुए डा. किशोर ने लखनऊ मण्डल में हिन्दी प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। आपने इस बात पर विशेष प्रसन्नता व्यक्त की कि लखनऊ मण्डल ने अपने प्रमुख स्टेशनों पर प्रसिद्ध साहित्य कारों के सम्बन्ध मे परिचय पट्ट लगवाने का सराहनीय कार्य किया है स्वभाषी का महत्व प्रतिपादित करते हुए डा० किशोर में बताया कि आदमी जब सहज बोलता है तो अपनी भाषा बोलता है। अपनी विदेश यात्रा के अनुभवों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विदेशों में अपनी भाषा के प्रति ममता है। डा० किशोर ने सदस्यों का आह्वान करते हुए कहा कि स्वतन्त्रता की कुरबानियों का तकाजा है कि हम हिन्दी भाषा के प्रयोग के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हों और हिन्दी की गति को रेल गाड़ी की गति से आगे बढ़ायें। अपर मण्डल रेल प्रबन्धक श्री धनंजय पति त्रिपाठी न अतिथियों का स्वागत किया और यह आश्वासन दिया कि लखनऊ मण्डल में हिन्दी प्रयोग को शत प्रतिशत स्तर तक लाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जायेगा। आपने उपस्थित शाखा अधिकारियों से आग्रह किया कि हिन्दी के कार्य को निरन्तर आगे बढ़ाने के लिए समुचित उपाय करें। आपने यह भी सुझाव दिया कि हिन्दी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से अधिकाधिक साहित्यिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। हिन्दी अधिकारी श्री कामता प्रसाद अवस्थी ने पिछली तिमाही की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और अन्त में धन्वयाद ज्ञापन किया।

—का. प्र. अवस्थी
मंडल रेल प्रबन्धक,
(राजभाषा) लखनऊ

'तमिलनाडु में हिन्दी-विरोध कुछ लोगों का फैशन है।'

—न० ई० मुट्टूस्वामी

'क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाने के जोश में सम्पर्क भाषा हिन्दी के विकास की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।'

— डा० वी० गोपालरेड्डी

चित्र समाचार

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा चलाए जा रहे अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के 45वें सत्र के समापन समारोह के अवसर पर प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित करती हुई राजभाषा सचिव, कु. कुसुम लता मित्तल। उनके दायीं ओर हैं—श्री विनोद कुमार बजाज, उप निदेशक, श्री भैरवनाथ सिंह, निदेशक एवं श्री देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग।

उक्त अवसर पर राजभाषा सचिव, कु. कुसुमलता मित्तल सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रशिक्षणार्थी को पदक प्रदान करती हुई।

पंजाब नैशनल बैंक, पटना में "हिन्दी दिवस" के उपलक्ष में अन्तर बैंक वाद-विवाद प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान करते हुए राजभाषा विभाग के संयुक्त-सचिव श्री देवेन्द्र चरण मिश्र। साथ में बैठे हैं, श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, मुख्य सचिव, बिहार (भूतपूर्व राजभाषा सचिव)।

राष्ट्रीयकृत बैंकों, सरकारी उपक्रमों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों एवं विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों एवं हिन्दी शिक्षण योजना के सर्वकार्यकारी अधिकारियों का एक राजभाषा सम्मेलन 2 फरवरी, 1985 को आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्रीमती राम दुलारी सिन्हा, गृह राज्य मन्त्री पुरस्कार प्रदान करती हुईं :

क्षेत्र "क"—1. श्री टी. एन. पाण्डेय, अध्यक्ष, न.रा.भा. कार्य-समिति आगरा एवं आयकर आयुक्त—प्रथम पुरस्कार

—2. श्री वी. दोराई स्वामी, अध्यक्ष, न.रा.भा. का-समिति, जयपुर एवं महालेखापाल—द्वितीय पुरस्कार

क्षेत्र "ख"—1. श्री के. कृष्णमूर्ति, अध्यक्ष, न.रा.भा. कार्य-समिति, बम्बई—प्रथम पुरस्कार

—2. श्री एन. वी. सोनावणे, अध्यक्ष, बड़ौदा न.रा.भा. कार्य-समिति—द्वितीय पुरस्कार

क्षेत्र "ग"—1. श्री रवि रत्न वांचू, अध्यक्ष, कलकत्ता न.रा.भा. कार्य-समिति—प्रथम पुरस्कार

—2. श्री सी. एन. मल्लिक, अध्यक्ष, हैदराबाद न.रा.भा. कार्य-समिति—द्वितीय पुरस्कार

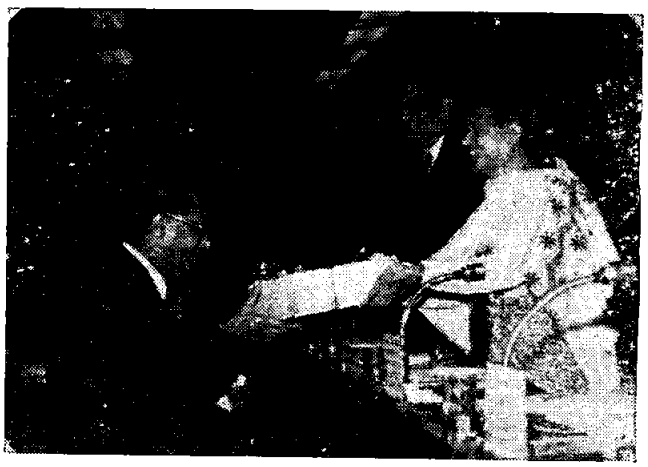

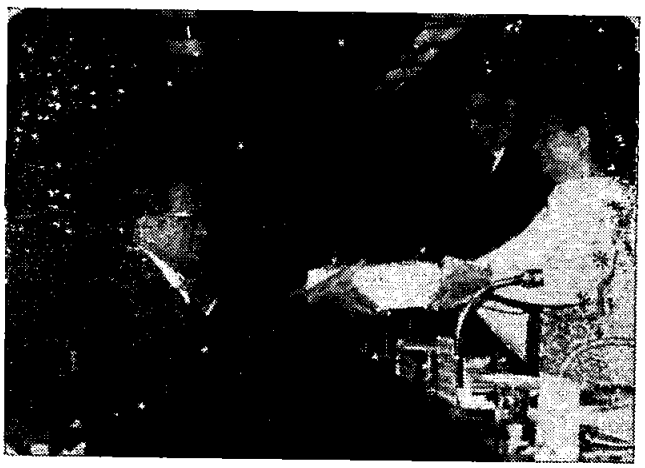

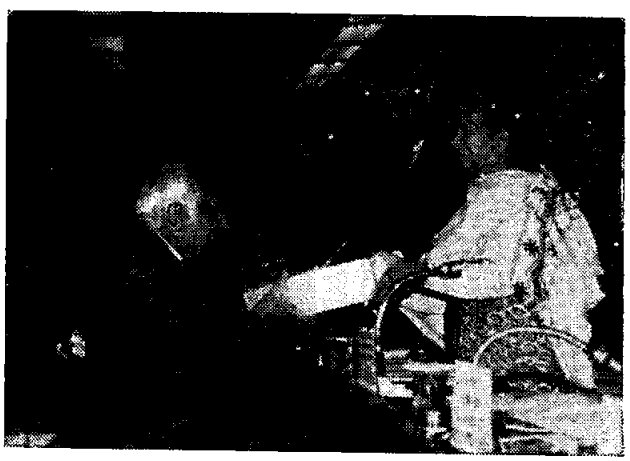

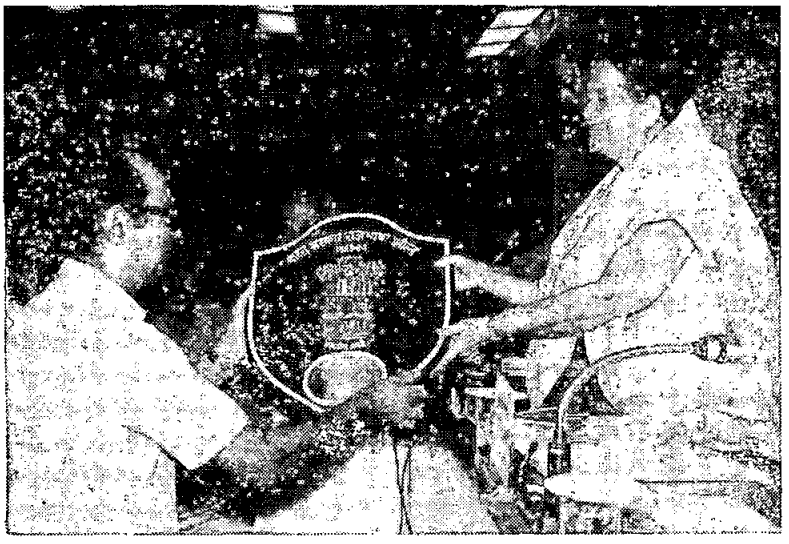

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राजभाषा विभाग के तत्वावधान में राजभाषा शील्ड वितरण समारोह में गृह राज्य मंत्री, श्रीमती रामदुलारी सिन्हा, गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग के संयुक्त सचिव श्री रमेश ग्रोवर को प्रथम पुरस्कार स्वरूप शील्ड प्रदान करती हुई ।

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राजभाषा विभाग के तत्वावधान में हुए राजभाषा शील्ड वितरण समारोह में गृह राज्य मंत्री श्रीमती रामदुलारी सिन्हा, पूर्ति विभाग के संयुक्त सचिव श्री पी. एस. हरिहरन को द्वितीय पुरस्कार स्वरूप कप प्रदान करती हुई। उनके दायीं ओर हैं संयुक्त सचिव राजभाषा, श्री देवेन्द्र चरण मिश्र ।

भारतीय जीवन बीमा निगम, वाराणसी मंडल द्वारा आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को सम्बोधित करते हुए श्री देवेन्द्र चरण मिश्र, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग । उनके दाएं हैं श्री भैरवनाथ सिंह, निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो एवं बाईं ओर हैं श्री रामप्रसाद मणि त्रिपाठी, अध्यक्ष न. रा. भा. का. स. एवं निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त, वाराणसी, श्री राजेन्द्रनाथ त्रिपाठी, तथा प्रबन्धक श्री जगदीश नारायण राय ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपूर की बैठक के अवसर पर सदस्यों को सम्बोधित करते हुए भूतपूर्व राजभाषा सचिव श्री आर. के. शास्त्री । उनके दाईं ओर हैं श्री वी. दोराईस्वामी, अध्यक्ष न. रा. भा. का. समिति एवं महालेखाकार, तथा श्री एम. एल. मैत्रेय, अनुसंधान अधिकारी, राजभाषा विभाग । उनके बाईं ओर हैं श्री राजाराम, सचिव, न. रा. भा. का. समिति ।

11 फरवरी, 85 को उदयपुर में आयोजित अ. भा. हिन्दी सप्ताह समारोह के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे में हिन्दी के उल्लेखनीय प्रचार-प्रसार के लिए सोनपुर मंडल के रेल प्रबन्धक श्री कुमार दिग्विजय सिन्हा को रेल राज्य मंत्री श्री माधव राव सिंधिया, पदक और प्रशस्ति-पत्र प्रदान करते हुए ।

मावलंकर हाल, विट्ठल भाई पटेल हाऊस, नई दिल्ली में हिन्दी सप्ताह के अवसर पर—बायें से दायें—श्री जे. सी. जेटली, अतिरिक्त सचिव, श्री आर. गोपालस्वामी, सचिव, श्रीमती मोहसिना किदवई, ग्रामीण विकास मंत्री श्री सुधाकर पाण्डेय, संसद सदस्य तथा श्री जगदम्बी प्रसाद यादव, संसद सदस्य । पीछे खड़े हैं—श्री सत्यप्रकाश बिशनोई, संयुक्त सचिव एवं अध्यक्ष, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति ।

हिन्दी के बढ़ते चरण

एच० एम० टी० लिमि०, हैदराबाद में हिन्दी

भारत सरकार के गृह मंत्रालय---राजभाषा विभाग तथा सामूहिक प्रधान कार्यालय द्वारा प्राप्त कार्यक्रमानुसार एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम 1976 के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 1984 तक एच. एम. टी. लिमिटेड, हैदराबाद की यूनिट में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति निम्न प्रकार है :---

चतुर्भाषिक रूप :

(1) यूनिट के स्थायी आदेश तथा छुट्टी नियमावली को चार भाषाओं में अर्थात् तेलुगु, हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू में प्रकाशित किया गया है ।

त्रिभाषिक रूप

(1) फैक्टरी के नाम बोर्ड सहित सभी साइन बोर्ड त्रिभाषी, अर्थात्, तेलुगु हिन्दी तथा अंग्रेजी में बनाये गये हैं ।

(2) वेतन कवर पर लिखी जाने वाली सांविधिक चेतावनी को भी त्रिभाषी रूप में मुद्रित किया गया है ।

(3) यूनिट की गृह पत्रिका-न्यूज डाइजेस्ट को मुखपृष्ठ सहित त्रिभाषा में अर्थात् तेलुगु, हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाता है ।

(4) कुछ सामान्य परिपत्र, नोटिस आदि को त्रिभाषा अर्थात् तेलुगु, हिन्दी तथा अंग्रेजी में जारी किया जाता है ।

द्विभाषिक रूप :

(1) यूनिट के उत्पादों के नामपट्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी में हैं।

(2) पत्र शीर्ष, लिफाफे, मिसिल तथा अन्य सामान्य स्टेशनरी मदों को भी द्विभाषा में मुद्रित किया है ।

(3) यूनिट के करीब 180 प्रपत्रों को द्विभाषा में मुद्रित किया गया है तथा करीब 170 प्रपत्रों को हिन्दी में अनुदित कर संबंधित विभागों को उन्हें अपनी ओर से अगली आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है । शेष प्रपत्रों के लिए हिन्दी अनुभाग में जैसे ही ये प्रपत्र प्राप्त होते हैं, उनका आवश्यक अनुवाद करके दिया जाता है।

(4) कुछ विभागाध्यक्षों/अनुभागाध्यक्षों के दरवाजों पर लिख गये पदनामपट्ट भी द्विभाषी हैं । शेष बोर्डों में आवश्यक बदल के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

(5) करीब 70 रबड़ की मुहरें द्विभाषिक रूप में तथा 6 केवल हिन्दी में हैं ।

(6) यूनिट के कर्मचारियों की सामान्य सूचना के लिए जारी किये जाने वाले आदेश, नोटिस, ज्ञापन, परिपत्र आदि द्विभाषा में होते हैं ।

(7) वेतन पत्रक, बोनस तथा अनुपूरक वेतन पत्रक आदि को भी द्विभाषिक रूप में मुद्रित किया गया है ।

(8) सुरक्षा अमला के नाम बैजों को भी द्विभाषिक रूप में बनाया गया है ।

हिन्दी पत्राचार :

(1) हिन्दी अनुभाग में सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिये जाते हैं।

(2) प्राप्त पत्रों के उत्तरों के अलावा हिन्दी अनुभाग से प्रतिमाह 90% पत्र मूल रूप से हिन्दी में लिखे जाते हैं।

(3) सभी विभागाध्यक्षों/अनुभागाध्यक्षों के दैनंदिन कार्य में उपयोगार्थ अंग्रेजी-हिन्दी नोटिंग भी प्रतिमाह हिन्दी अनुभाग से जारी किये जाते हैं ।

(4) सामूहिक प्रधान कार्यालय के निदेशानुसार हिन्दी पत्राचार के लिए एक अलग से रजिस्टर का रखरखाव किया जा रहा है तथा उसकी सामयिक जांच संबंधित अनुभाग प्रमुख द्वारा की जाती है ।

(5) हिन्दी अनुभाग से आंतरिक पत्राचार भी हिन्दी में प्रारम्भ किया गया है ।

हिन्दी प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहन :

(1) नवम्बर 1984 के सत्र में प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ की परीक्षाएं दिलवाने के लिए प्रत्येक वर्ग में 20-20 प्रशिक्षार्थियों के एक-एक बैच को भेजने की योजना बनायी गयी है । इसके अलावा यूनिट के करीब 30 वरिष्ठ अधिकारी इसी सत्र में परीक्षा देने के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(2) विशेष अंकों से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को कंपनी के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के आदेशानुसार नकद पुरस्कार दिये जाते हैं ।

(3) हिन्दी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले हर प्रशिक्षार्थी को नकद पुरस्कार के अलावा क्रमशः फादर कामिल बुल्के का अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोश, डा. भोलानाथ तिवारी तथा श्री महेन्द्र चतुर्वेदी का हिन्दी अंग्रेजी कोश तथा श्री करुणापति त्रिपाठी का हिन्दी-हिन्दी शब्दकोश दिया जाता है । अर्थात् हर परीक्षा उत्तीर्ण करने पर हर प्रशिक्षार्थी को एक एक शब्दकोश दिया जाता है ।

(4) हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हमारी यूनिट में अब तक प्रबोध में 103, प्रवीण में 37, प्राज्ञ में 2 तथा हिन्दी टाइपराइटिंग में एक कर्मचारी प्रशिक्षित हो चुके हैं ।

अनुभागीय पुस्तकालय :

यूनिट में राजभाषा के प्रोत्साहन तथा प्रभावी कार्यान्वयनार्थ हिन्दी अनुभाग द्वारा करीब 1500 से भी अधिक पुस्तकों से युक्त एक अनुभागीय पुस्तकालय का संचालन हिन्दी अनुभाग द्वारा किया जाता है । इन पुस्तकों को सामान्य साहित्य तथा संदर्भ साहित्य—दो भागों में विभक्त किया गया है ।

प्रकाशन :

(1) हमारी यूनिट ने सरकारी कामकाज के उपयोग में आने वाले प्रशासनिक शब्दों की एक हिन्दी-अंग्रेजी शब्दावली को संकलित कर 14 सितम्बर, 1981 को हिन्दी दिवस के अवसर पर प्रकाशित किया ।

(2) एच० एम० टी०, लिमिटेड, हैदराबाद की हिन्दी-अंग्रेजी शब्दावली भाग-2, 'लेखा' शब्दावली को संकलित कर 14 सितम्बर, 1982 के दिन प्रकाशित किया गया ।

(3) अंग्रेजी-हिन्दी शब्दावली भाग-3 "इंजीनियरी" शब्दावली 14 सितम्बर, 1983 को प्रकाशित की गयी ।

(4) तीनमाह में एक बार प्रकाशित होने वाली यूनिट की गृह पत्रिका का प्रकाशन तेलुगु, हिन्दी, तथा अंग्रेजीमें होता है । वर्ष में एक बार 4 मार्च, को यूनिट की गृह पत्रिका का "संरक्षा" विशेषांक का प्रकाशन त्रिभाषा अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी तथा तेलुगु में होता है । हर वर्ष हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में यूनिट की गृह पत्रिका के "हिन्दी" विशेषांक का प्रकाशन केवल हिन्दी भाषा में होता है।

राजभाषा विभाग का वार्षिक कार्यक्रम

सामूहिक प्रधान कार्यालय के निदेशानुसार राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी सभी रिपोर्टें सामूहिक प्रधान कार्यालय के मुख्य प्रशासनिक प्रबन्धक तथा हिन्दी अधिकारी के साथ-साथ निम्नलिखित अधिकारियों को भी प्रेषित की जाती हैं :—

(1) हिन्दी अधिकारी, सरकारी उच्च कार्यालय, वित्त मंत्रालय, नयी दिल्ली ।

(2) हिन्दी अधिकारी, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय, नयी दिल्ली ।

(3) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, राजभाषा संसदीय समिति, नयी दिल्ली ।

10. प्रतियोगिताएं तथा अन्य क्रिया कलाप :

(1) हिन्दी दिवस आदि जैसे विशेष अवसरों पर यूनिट के अहिन्दी भाषी कर्मचारियों के लिए हिन्दी निबंध लेखन, वाक् तथा पारिभाषिक शब्दलेखन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है तथा इनमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त विजेताओं को क्रमशः रु. 100—00, रु. 75.00, रु. 50.00 तथा रु. 25.00 देकर पुरस्कृत किया जाता है ।

(2) केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित हिन्दी निबंध लेखन प्रतियोगिता में हमारी यूनिट की ओर से 8 उम्मीदवारों ने भाग लिया था । हैदरबाद-सिकंदराबाद के अन्य केन्द्रों के साथ एच एम टी लि., हैदराबाद को भी एक केन्द्र के रूप में चुना गया था । अतः प्रतियोगिताएं यूनिट के प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित की गयी । 3 प्रतिभागियों को तेलुगु, कन्नड़ तथा मराठी भाषी वर्गों के आधार पर प्रशस्ति पत्रों से पुरस्कृत किया गया ।

(3) सद्भाव की मान्यता स्वरूप नगर स्थित कई केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों द्वारा विचार विमर्श, व्याख्यान देने तथा चर्चा संगोष्ठी एवं कार्यशालाओं के आयोजन के लिए यूनिट के हिन्दी अधिकारी को आमंत्रित किया जाता है ।

11. विज्ञापन तथा प्रेस विज्ञप्तियां :

(1) यूनिट में रोजगार संबंधी अखिल भारतीय स्तर के विज्ञापन हिन्दी में भी प्रकाशित किये जाते हैं ।

(2) यूनिट में आयोजित कुछ महत्वपूर्ण समारोह संबंधी समाचारों को स्थानीय हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है ।

12. राजभाषा कार्यान्वयन समिति :

(1) वर्ष 1977 में यूनिट की राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन हुआ था । यूनिट के वरिष्ठ अधिकारियों के फेरबदल के कारण फरवरी, 1983 में इसका पुनर्गठन किया गया । यूनिट में प्रमुख महाप्रबन्धक इस समिति के अध्यक्ष हैं तथा 7 वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य हैं । यूनिट के हिन्दी अधिकारी इस समिति के सदस्य संयोजक हैं ।

(2) यूनिट की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित मासिक बैठकों में हिन्दी कार्यान्वयनार्थ उठाये जाने वाले कदमों पर विषद् चर्चा की जाती है । इन बैठकों के द्विमासिक हिन्दी अंग्रेजी कार्यवृत्त सभी संबंधितों को प्रेषित किये जाते हैं ।

13. सम्मेलन तथा पुरस्कार :

(1) दिनांक 24 तथा 25 फरवरी, 1983 को कंपनी के हिन्दी अधिकारियों का तृतीय सम्मेलन एच. एम. टी. लिमिटेड, हैदराबाद में आयोजित किया गया। कम्पनी में राजभाषा कार्यान्वयनार्थ उठाए जाने वाले विविध कदमों पर इसमें चर्चा की गयी ।

(2) वर्ष 1982 के लिए कंपनी के हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित पिंजोर एवं हैदराबाद यूनिटों को राजभाषा के सफल तथा अधिक कार्यान्वयन के लिए कंपनी की ओर से अलग-अलग राजभाषा रनिंग शील्ड दोनों यूनिटों को प्रदान की गयीं ।

14. हिन्दी अनुभाग में भर्ती :

(1) हिन्दी अनुभाग के कार्यभार को सम्हालने के लिए एक हिन्दी अधिकारी तथा एक अनुवादक टंकक की नियुक्ति की गयी है ।

(2) वर्ष 1977 में ही एक देवनागरी टाइपराइटर की खरीद की गयी ।

—पी. आर. घनाते,
हिन्दी अधिकारी

2. जेसप एण्ड कम्पनी लिमि०, कलकत्ता में हिन्दी

देश के डाक, पावर परियोजना, इस्पात प्लांट, रेलवे, पथ उन्नयन उपस्कर, प्रतिरक्षा, खान तथा अन्य उन्नयन मूलक निर्माण कार्य में संलग्न जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता के तकनीकी एवं प्रशासनिक कर्मचारियों की रुचि भी हिन्दी की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है साथ ही यह कम्पनी राजभाषा के प्रचार-प्रसार में सतत प्रयत्नशील अन्य सरकारी कम्पनियों तथा संस्थाओं के साथ शामिल है। जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड में हिन्दी अनुभाग की स्थापना 18 फरवरी, 1981 को हुई। इतनी कम अवधि में इस कम्पनी में राजभाषा का कार्यान्वयन जितनी मात्रा में हुआ एवं यहां के कर्मचारियों ने इस भाषा को जितनी चाह के साथ अपनाया हैं, वह उल्लेखनीय है। कार्यान्वयन का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नांकित है :—

1. हिन्दी प्रशिक्षण

विभिन्न वर्गों के 86 अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी भाषा प्रवीणता में प्रशिक्षण दे दिया गया है। चालू सत्र में 43 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हिन्दी में प्रशिक्षण पाने वाले कर्मचारियों के लिए रोस्टर भी बनाए जा रहे हैं।

2. लेखन सामग्री मदें

कम्पनी की लेखन सामग्री मदों को द्विभाषी रूप देने के लिए कदम उठाए गए हैं। 30 लेखन सामग्री मदों को अनुवादोपरान्त अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली से पुनरीक्षण करवा लिया गया है एवं वे द्विभाषी रूप में काम में लाए जा रहे हैं।

3. उत्पादों पर हिन्दी में नामकरण

कुछ उत्पादों पर हिन्दी में नामकरण करवाए जा रहे हैं एवं अन्य उत्पादों पर हिन्दी में नामकरण करवाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इस काम के लिए भारत सरकार की तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दावली आयोग की सहायता ली गई है ।

4. नाम-पट्ट, सूचना-पट्ट तथा रबड़ की मोहरें

कम्पनी के सभी नामपट्ट, 80 प्रतिशत सूचना पट्ट तथा वरिष्ठ अधिकारियों की रबड़ मोहरें द्विभाषी रूप में बनवा ली गयी हैं।

5. राजभाषा पर सेमिनार

कम्पनी की राजभाषा समिति में यह निर्णय लिया गया था कि हर वर्ष हिन्दी पर एक सेमिनार किया जाए। इस निर्णय के अनुसार एक सेमिनार का आयोजन किया गया। उपस्थित सभी अधिकारियों ने इसकी प्रशंसा की।

6. राजभाषा नियम ,1976 के नियम 5 के पूर्ण अनुपालन के लिए प्रशस्ति पत्र

31 दिसम्बर, 1982 एवं 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त होने वाली अर्द्धवार्षिक अवधि में राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के पूर्ण अनुपालन के लिए इस कम्पनी को कलकत्ता नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से दो प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

7. हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में देना

इस कम्पनी से हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाते हैं। मूल रूप से भी हिन्दी विभागों को हिन्दी में पत्र भेजे जाते हैं।

8. परिपत्र, नोटि आदि हिन्दीसें में जारी करना

मुख्य परिपत्र, नोटिसें आदि अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी जारी किए जाते हैं। हिन्दी संबंधी परिपत्र, नोटिसें आदि तो कभी-कभी सिर्फ हिन्दी में ही जारी किए जाते हैं। इसके अलावा निविदाएं, विज्ञापन आदि भी अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी जारी किए जाते हैं।

9. हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं की व्यवस्था

कम्पनी के पुस्तकालय के लिए हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं की भी व्यवस्था की गई है।

10. विविध

हिन्दी में प्राप्त पत्रों एवं हिन्दी में प्रेषित पत्रों के रिकार्ड रखे जाने की व्यवस्था की गई है। राजभाषा कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, नई दिल्ली से जो कार्यक्रम भेजे जाते हैं, उनके पूर्ण अनुपान के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाते हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति में मुख्यालय एवं दमदम मिश्र कारखाना में हिन्दी के कार्यान्वयन पर समीक्षा की जाती है। हिन्दी में प्रशिक्षण पाने के बाद कर्मचारियों को सरकारी नीति के अनुसार प्रोत्साहन देने की व्यवस्था भी है।

भारी उद्योग विभाग के हिन्दी अधिकारी ने अपने दौरे के दौरान जेसप एण्ड कम्पनी का निरीक्षण करते हुए संतोष व्यक्त किया।

—सुबोध कुमार बनर्जी
हिन्दी अनुभाग

3. दादरा एवं नगर हवेली प्रशासन में हिन्दी

(1) "क" "ख" क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले हिन्दी पत्रों का जबाव केवल हिन्दी में ही दिया जाता है। अतः यहां से जारी होने वाले पत्र इस क्षेत्र हेतु हिन्दी में ही भेजे जाते हैं। जहां पर द्विभाषी जाना उचित समझा जाता है वहां द्विभाषिक हिन्दी एवं अंग्रेजी में ही दिया जाता है।

(2) "ग" क्षेत्रों एवं अन्य संघ प्रदेशों से प्राप्त होने वाले हिन्दी पत्रों का जबाव हिन्दी में दिया जाता है। जहां से अंग्रेजी में पत्र आता है वहां पर अंग्रेजी में ही जबाव दिया जाता है।

(3) इस संघ शासित प्रदेश में तीन भाषाएं बोली जाती हैं जैसे गुजराती, मराठी, पुर्तगीज एवं हिन्दी को भी तकरीवन सभी बोल लेते हैं। इस प्रदेश में शिक्षा विभाग ने पहले हिन्दी विषय दसवीं/एस. एस. सी. वर्ग तक सभी को पास करना अनिवार्य कर रखा था। परन्तु वर्ष 1983 से इसे अनिवार्य घोषित नहीं किया है। इसलिए इस विषय पर दुबारा फिर से यूनिवरसिटी/बोर्ड से अनुरोध किया जा रहा है कि हिन्दी विषय को अनिवार्य रखा जाये।

(4) इस प्रदेश में लोगों से हिन्दी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी में ही पत्र व्यवहार किया जा रहा है। परन्तु अभी हिन्दी में ज्यादातर पत्र लिखे जा रहे हैं। वैसे भी यहां के स्थानिक लोक हिन्दी अच्छी तरह समझते हैं। अतः हिन्दी को प्रयोग में लाने के लिये भी काफी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(5) इस संघ प्रदेश में हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1982 से हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि का शिक्षण शुरू किया गया है। इस में प्रशासन के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिकीय वर्गों के कर्मचारियों को यह प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। यह प्रशिक्षण विभागीय व्यवस्था के अधीन प्रारम्भ किया गया है। अभी तक नीचे लिखे निम्न कर्मचारी प्रशिक्षण ले चुके हैं।

हिन्दी टंकन—26 हिन्दी आशुलिपि—13

(6) इस संघ शासित प्रदेश में अखिल भारतीय हिन्दी परिषद् के द्वारा ली जाने वाली निम्न प्रतियोगिताओं को प्रशासन द्वारा वर्ष 1983 से प्रारम्भ किया गया हैं। इन प्रतियोगिताओं में निम्न कर्मचारी उत्तीण हुये :—

हिन्दी टंकण	हिन्दी आशुलिपि	हिन्दी नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग
2	2	2

जितने कर्मचारी वर्ष 1984 में अखिल भारतीय हिन्दी परिषद् की परीक्षा में बैठे हैं, परन्तु परिणाम बाकी हैं :—

हिन्दी टंकण—18 आशुलिपि—4

(7) उपर्युक्त प्रशिक्षण में उत्तीर्ण हुये कर्मचारियों को वार्षिक एक या दो वेतन वृद्धि या अग्रिम रूप में दी जाती हैं। अच्छे अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार भी दिये जाते हैं।

(8) इस प्रशासन के द्वारा प्रकाशित होने वाले संकल्प, अधिसूचना, सामान्य आदेश, लाईसेंन्स विज्ञापन, प्रशासनिक रिपोर्ट, भर्ती नियम आदि सभी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित किये जाते हैं।

(9) इस संघ प्रदेश के प्रशासन के 30 अधीनस्थ कार्यालय हैं जिन के साईन बोर्ड और नाम पट् हिन्दी एवं अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में बनवा लिये गये हैं।

(10) प्रशासन के सभी अधीनस्थ कार्यालयों की रबड़ मोहरों को द्विभाषिक हिन्दी एवं अंग्रेजी में बनवा लिया गया हैं। यह करीब 1200 स्टैम्प थी।

(11) प्रशासन के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के टैकनिकल कर्मचारियों के लिये चैस्ट नाम पट् हिन्दी में बनवा लिये गये हैं जैसे पुलिस विभाग का स्टाफ, वन विभाग का स्टाफ, उत्पाद शुल्क विभाग का स्टाफ, ड्राईवर, चपरासी, हस्पताल स्टाफ इत्यादि।

(12) प्रशासन के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के लिपिकीय वर्गों एवं अधिकारियों हेतु टेबल पट् हिन्दी एवं गुजराती में द्विभाषिक रूप में बनवा लिये गये हैं।

(13) हिन्दी भाषी प्रदेशों में जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते हिन्दी में ही लिखे जाते हैं।

(14) प्रशासन के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में प्रयोग होने वाले फाईल कवरों को हिन्दी एवं अंग्रेजी में छपवा लिया गया है।

(15) प्रशासन के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों हेतु हिन्दी से संबंधित प्रयोग वाली पुस्तकों को केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् से 50 सेट खरीद कर वितरित कर दिया गया हैं। ये किताबें सभी कर्मचारियों को पत्राचार हेतु काफी सहायक हुई हैं।

(16) इस प्रशासन के पास 8 हिन्दी टाईपराईटर उपलब्ध है। 7 हिन्दी टाईपराईटर और फरवरी 1984 को खरीद लिये गये हैं। इस प्रकार अब 15 हिन्दी टाईपराईटर उपलब्ध हैं।

(17) प्रशासन के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों जैसे पुलिस स्टाफ एवं वन विभाग स्टाफ, उत्पाद शुल्क विभाग स्टाफ एवं ड्राइवर आदि के शोल्डर बैच एवं कैप बैच हिन्दी में बनवाये जा रहे है इन्हें इसी वर्ष बनवा लिया जायेगा।

(18) हमारे प्रशासन के सभी अधीनस्थ कार्यालयों का 1200 लिपिकवर्गीय स्टाफ है जिन्हे पांच वर्ष से पहले हिन्दी म प्रशिक्षण दिये जाने का प्रयास प्रारम्भ कर रखा ह।

(19) हमारे प्रशासन द्वारा इस वर्ष से ही एक प्रतियोगिता प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है जिस में किसी भी निर्धारित विषय पर "निबन्ध" होगा। यह निम्न तीन वर्गों में ली जायेगी जैसे अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग एवं विद्यार्थी वर्ग। इस में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वालों को "ओफिसर क्लब" की ओर 26 जनवरी 1985 के दिवस पर सिल्वर कप आदि इनाम के रूप में दिये गये। इस से काफी संख्या में अधिकारी एवं लिपिकीय वर्गों को प्रोत्साहन मिला।

(20) इस प्रशासन में प्रयोग होने वाले अधिकतर फार्मों को द्विभाषिक रूप में हिन्दी एवं अंग्रेजी में छपवा लिया गया हैं।

(21) हिन्दी का ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों हेतु अथवा जिन्हें हिन्दी का ज्ञान नहीं है उन के लिए सभी कार्यालयों में एक रोस्टर बनाया गया है। हमारे इन 30 कार्यालयों में 80 प्रतिशत से अधिक

कर्मचारी हिन्दी का ज्ञान रखते हैं। इन 30 कार्यालयों को नियम 1976(10) (4) के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जा रहा है।

(22) हिन्दी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ावा देने हेतु या हिन्दी के कार्य में आने वाली कठिनाइयों हेतु इस प्रशासन में "राजभाषा कार्यान्वयन समिति" का दिनांक 16 अगस्त, 1983 को गठन किया गया है। इस समिति के 30 सदस्य है। इस समिति द्वारा प्रत्येक तीन मास के बाद बैठक रखी जाती है। उपरोक्त जितनी भी प्रगति की गई है यह राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन के बाद ही की गई है।

(23) इस प्रशासन में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु नीचे लिखा स्टाफ नियुक्त किया गया है।

1. हिन्दी अनुवादक	एक पद
2. हिन्दी आशुलिपिक	एक पद
3. हिन्दी टाईपिस्ट	एक पद

(24) हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार को देखते हुये नीचे लिखे निम्न पदों के सृजन हेतु भारत सरकार गृह मंत्रालय से पत्राचार चल रहा है और यह प्रस्ताव गृह मंत्रालय से वर्ष 1982 से विचाराधीन है।

नीचे लिखे पदों के सृजन की आवश्यकता

(1)	हिन्दी अधिकारी	एक पद 650-1200 रुपये
(2)	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक दो	पद 550-900 रुपये
(3)	हिन्दी सहायक	एक पद 425-800 रुपये

(25) वर्ष 1985 से इस प्रशासन द्वारा हिन्दी दिवस मनाए जाने का भी प्रावधान है। इससे भी काफी प्रगती होगी।

(26) इस प्रशासन के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को राजभाषा से सम्बन्धित सरकारी कार्य करने हेतु कार्यसाधक ज्ञान के लिये कार्यशालाओं का भी निजी प्रयत्नों से आयोजन करने का सुझाव स्वीकार कर लिया गया है। और यह वर्ष 1985 में शुरू हो जायेगा, जिससे काफी प्रगति हासिल होगी।

(27) इस प्रशासन द्वारा चल-शील्ड की व्यवस्था भी वर्ष 1985 से की गई ह। जो विभाग/कार्यालय हिन्दी में सब से अधिक कार्य कर के अपनी प्रगति प्रस्तुत करेगा उसे यह चल-शील्ड प्रथम इनाम के रुप में दी जायेगी। इस व्यवस्था से सभी कर्मचारियों का उत्साह बढ़ेगा।

(28) इस वर्ष से हिन्दी सप्ताह मनाये जाने की व्यवस्था हैं। प्रत्येक मास के हर एक सप्ताह में एक दिन कार्यालय में आपसी बातचीत हिन्दी में होगी। और हर एक कर्मचारी उस दिन किसी भी विषय से सम्बधित एक-एक पत्र हिन्दी में अवश्य लिखेगा। इस से काफी कर्मचारियों का उत्साह बढेगा।

(29) इसी वर्ष से प्रशासन के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन के प्रशिक्षण हेतु मनोनीत किये हुये कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी मार्च मास से शुरू किये जाने की व्यवस्था हैं।

के. डी. सिंह
प्रशासन के सचिव
दादरा एवं नगर हवेली,
सिलवासा

4. हिन्दुस्तान जिंक में हिन्दी

कार्यालय के कामकाज में राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करना न सिर्फ संवैधानिक आवश्यकता है, अपितु राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रशासन एवं जनता के बीच की दूरी को कम करने में भी इसकी महती आवश्यकता है। केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति एवं नियमों आदि के अनुपालन के लिए हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु हिन्दी शिक्षण, हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण एवं हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं के संयोजन तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियों के संचालन के माध्यम से पिछले कुछ वर्षो से सुनियोजित प्रयास किये जा रहे हैं।

1. संवैधानिक आवश्यकताएं एवं उनकी स्थिति

1. हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है।

2. 'क' क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों या व्यक्तियों से हिन्दी में पत्र व्यवहार करने में निरन्तर प्रगति हो रही है। इस समय लगभग 34 प्रतिशत पत्र हिन्दी में जारी किये गये हैं। वर्ष 1977-78 में जहां अन्य मूल पत्राचार हिन्दी में केवल एक प्रतिशत था, वहां अब 15 प्रतिशत तक पत्र व्यवहार हिन्दी में किया जाता है।

3. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार सामान्य आदेश, परिपत्र, निविदा, सूचनाएं, रिपोर्ट आदि द्विभाषिक रूप में जारी करने में निरन्तर प्रगति हो रही है। वर्ष 1977 में इसका प्रतिशत 33 था, जबकि जून, 1984 में यह प्रगति 83 प्रतिशत तक पहुंच गई है। परन्तु निविदा सूचनाएं, विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्तियां, वार्षिक रिपोर्ट व लेखे शत प्रतिशत द्विभाषिक रूप में जारी किये जाते हैं।

4. नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष, लिफाफे तथा स्टेशनरी की अन्य मदें, रबड़ मोहरें आदि द्विभाषिक रूप में तैयार करा लिये गये हैं।

5. सभी फार्मों आदि का अनुवाद करा लिया गया है और आवश्यकतानुसार इन्हें द्विभाषिक रूप में मुद्रित/साइक्लोस्टाइल करवा लिया गया है।

6. कम्पनी के विभिन्न उत्पादनों पर हिन्दी में भी विवरण दिया जाता है।

7. हिन्दी के काम के अनुसार सभी इकाइयों में हिन्दी के टाइपराइटर उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 1977 में इनकी संख्या प्रधान कार्यालय में केवल 4 एवं इकाइयों में 17 थी। अब यह संख्या क्रमशः 13 एवं 33 हो गई है।

8. कम्पनी की सभी इकाइयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। इनकी नियमित बैठकों में हिन्दी

के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की जाती है और कठिनाइयों के निराकरण के लिये सुझाव दिये जाते हैं। सभी इकाइयों में हिन्दी के आवश्यक पद सृजित किये गये हैं।

9. विभिन्न विभागीय परीक्षाओं में कर्मचारियों को हिन्दी माध्यम लेने की छूट दी गई है।

10. कम्पनी की सभी इकाइयों में हिन्दी पुस्तकालयों की व्यवस्था की गई है। अब तक लगभग 60,000 रु. की हिन्दी पुस्तकें खरीद ली गई हैं।

2. हिन्दी पुरस्कार परियोजना

कम्पनी में चेदी पुरस्कार योजना लागू की गई है। इसके अन्तर्गत तीन महीनों में (हिन्दी भाषी कर्मचारियों द्वारा 15,000 शब्द तथा अहिन्दी भाषी कर्मचारियों द्वारा 10,000 शब्द) हिन्दी में लिखने वाले प्रत्येक कर्मचारी को 100 रु. का नकद पुरस्कार दिया जाता है। 30 जून, 84 तक 31 कर्मचारियों को इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत किया जा चुका है।

3. हिन्दी में प्रकाशन

1. कम्पनी का मुख्य पत्र 'जिंक समाचार' हिन्दी और अंग्रेजी में अलग अलग प्रकाशित किया जाता है।

2. वार्षिक रिपोर्ट व लेखे तथा अन्य प्रचार पुस्तिकाएं आदि हिन्दी में भी जारी की जाती है।

3. हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बल देने तथा हिन्दी के अनुकूल वातावरण बनाने की दृष्टि से 'जिंकवाणी' त्रैमासिक पत्रिका हिन्दी में निकाली जाती है। 'पदनाम सूची' नामक पुस्तिका द्विभाषिक रूप में प्रकाशित की गई है।

4. अब तक 3 राजभाषा स्मारिकाएं जारी की गई हैं।

4. हिन्दी शिक्षण

भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना को कम्पनी में लागू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत कम्पनी को अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित विशाखापत्तनम, सर्गीपल्ली और अग्निगुण्डाला इकाइयों में हिन्दी कक्षाएं लगायी जाती हैं। इसके अलावा प्रधान कार्यालय में भी हिन्दी कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं'। अभी तक लगभग 200 कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण दिया गया है। जो कर्मचारी हिन्दी परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं उन्हें नियमानुसार वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाते हैं। कुछ इकाइयों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी लागू किये गये हैं।

5. हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन

जो कर्मचारी हिन्दी में प्रवीणता तो रखते हैं परन्तु अभ्यास न होने से वे हिन्दी में कार्यालय कामकाज नहीं कर पाते हैं उनकी झिझक दूर करने के लिये हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। पिछली तिमाही तक कुल 38 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है जिसमें 439 कर्मचारियों को हिन्दी का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया है।

6. हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण

कम्पनी में हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कर्मचारी निजी प्रयत्नों से इन कलाओं को सीखकर परीक्षा में बैठते हैं। इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण कर्मचारियों को नियमानुसार वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाते हैं। अब तक 96 कर्मचारी हिन्दी टंकण परीक्षा में तथा 5 कर्मचारी हिन्दी आशुलिपि परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं।

7. हिन्दी में रचनात्मक गतिविधियां

कर्मचारियों की हिन्दी के प्रति रुचि जागृत करने के लिये कम्पनी की सभी इकाइयों में समय समय पर हिन्दी की रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इन गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं, राजभाषा सेमिनार, विचार गोष्ठियां, कवि सम्मेलन एवं हिन्दी विद्वानों के प्रवचन रखे जाते हैं। इन गतिविधियों के लिये अलग बजट राशि स्वीकृत की गई है। वर्ष 1984-85 के लिये कुल मिलाकर 1,90,000 रु. की राशि व्यय करने का प्रावधान है।

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली की शाखाएं स्थापित की गई है। परिषद द्वारा आयोजित विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं की व्यवस्था की जाती है। हर्ष का विषय है कि कम्पनी को कई कर्मचारियों को अखिल भारतीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

कम्पनी के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिये यथाशक्ति प्रयास किये जा रहें हैं और प्रयासों के फलस्वरूप अच्छी सफलता भी प्राप्त हुई है। परन्तु अभी मंजिल बहुत दूर है। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हम हिन्दी को पूर्णतया प्रतिष्ठापित कराने के लिये दृढ़ संकल्प रखते हैं।

5. भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में हिन्दी

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के "ख" क्षेत्र में स्थित अन्य सभी कार्यालयों की तुलना में वर्ष 1981-82 में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए पुनः निदेशक लेखा परीक्षा, पश्चिम रेलवे के कार्यलय को विभागीय शील्ड प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त हुआ है। यह शील्ड भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ओर से निरीक्षण निदेशक, श्री के. एल. झिंगन द्वारा निदेशक, लेखा परीक्षा पश्चिम रेलवे, श्री के. आर. पार्थसारथी को दिनांक 21 सितम्बर 1894 को एक सादे समारोह में प्रदान की गई।

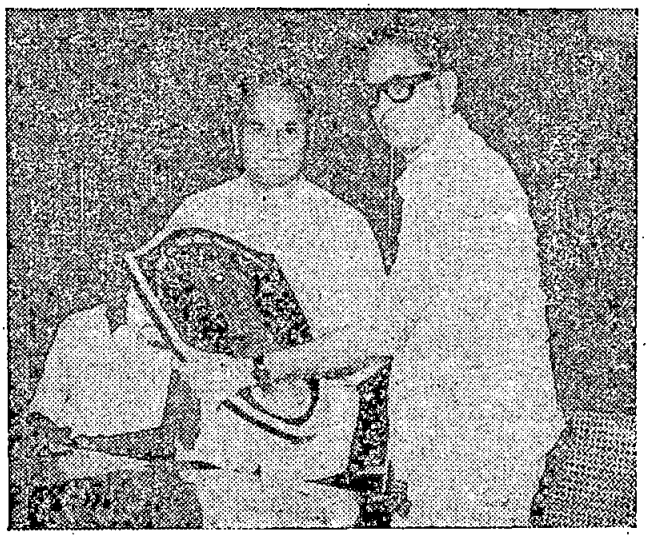

इसी प्रकार इस विभाग के "ग" क्षेत्र में स्थित अन्य सभी कार्यालयों की तुलना में वर्ष 1981-82 में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए पुनः महालेखाकार द्वितीय हैदराबाद के कार्यालय को विभागीय शील्ड-प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त हुआ। यह शील्ड भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक द्वारा श्री पी. जी. एन. नम्पूतिरि महालेखाकार (लेखा परीक्षा) 11 को 22 नवम्बर 1984 को एक सादे समारोह में प्रदान की गई।

"क" क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालयों की तुलना में वर्ष 1981-82 में हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए महालेखाकार, तृतीय के कार्यालय को यह शील्ड भारत में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी, द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश श्री समीर चन्द्र मुकर्जी को 6 दिसंबर 1984 को महालेखाकार एवं लेखापरीक्षा निदेशकों के सम्मेलन के दौरान प्रदान की गई।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) तथा महालेखाकर (लेखा परीक्षा) 1, 2 आन्ध्र प्रदेश के कार्यालयों की राजभाषा समिति के तत्वावधान में प्रकाशित की गई अर्धवार्षिक पत्रिका "कलिका" के सातवें अंक का विमोचन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 14-8-84 को सम्पन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता श्रीमती पद्मा, आई. ए. एस. सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड ने की।

इस विभाग में हिन्दी के प्रयोग में रुचि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्यालयों द्वारा त्रैमासिक/अर्धवार्षिक पत्रिकाएं, प्रकाशित की जा रही हैं:—

"क" क्षेत्र

1. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर	"दर्पण"
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहबाद	"त्रिपथगा"
3. महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश, शिमला	"हिमआभा"
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर	"धूमर"
5. निदेशक, लेखापरीक्षा रक्षा सेवाएं नई, दिल्ली	"अभिलाषा"
8. उपनिदेशक, लेखापरीक्षा, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी।	"सुबोधिनी"

"ख" क्षेत्र

7. महालेखाकार, पंजाब, चण्डीगढ़	"अंकुर"
8. महालेखाकार, गुजरात, अहमदाबाद	"आरोहण"
9. महालेखाकार-द्वितीय, महाराष्ट्र, नागपुर	"किरण"
10. निदेशक, लेखापरीक्षा, मध्य रेलवे, बम्बई	"पुकार"

"ग" क्षेत्र

11. महालेखाकार, जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर	"देशमसेतु"
12. महालेखाकार, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद	"कलिका"

महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश, शिमला, महालेखाकार, जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर, महालेखाकार, केरल, त्रिवेन्द्रम, महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर, तथा उप-निदेशक, डाक-तार, लेखापरीक्षा, लखनऊ के कार्यालयों में हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन किया गया जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा अधिकतम कार्य हिन्दी में करने का संकल्प लिया गया। काव्य गोष्ठियों आदि भी आयोजित की गई।

उप-निदेशक, डाक-तार, लेखापरीक्षा, लखनऊ के कार्यालय में "हिन्दी का राष्ट्रीय एकता में योगदान" विषय पर विचार गोष्ठी प्रतियोगिता तथा "हिन्दी के प्रयोग से कार्यक्षमता में वृद्धि" विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई।

—प्रभुनारायण मिश्र
संयुक्त निदेशक (हिन्दी)

6. ट्रेड फेयर अथारिटी ऑफ इंडिया में हिन्दी

ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इंडिया में राजभाषा अधिनियम व इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का यथासम्भव पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है और अथारिटी में हिन्दी के काम की देख-रेख करने के लिए महाप्रबन्धक (प्रसार) की अध्यक्षता में एक हिन्दी कार्यान्वयन समिति काम कर रही है जिसकी बैठकें नियमित रूप से होती हैं। अथारिटी में हो रहे हिन्दी कार्यों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1 विदेशों के मेलों में भी हिन्दी का प्रयोग:—ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इंडिया द्वारा विदेशों में आयोजित किए जाने वाले मेलों एवं प्रदर्शनियों में हिन्दी का प्रयोग शुरू कर दिया गया है। इस वर्ष आयोजित हेनावर तथा मास्को प्रदर्शनियों में लेटर हैड व भागीदारों को दिए जाने वाले प्रमाणपत्रों में अंग्रेजी के साथ हिन्दी का भी प्रयोग किया गया। मारीशस में आयोजित की गयी भारतीय प्रदर्शनी के लिए दर्शकों व व्यापारियों के लाभार्थ आवश्यक जानकारी देने वाली पुस्तिका "मेला संदर्शिका" हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में प्रकाशित की गयी है।

2. बीस लाख से अधिक प्रवेश टिकटें हिन्दी में:—प्रगति मदान म प्रवेश टिकटें केवल हिन्दी में छापी जाती हैं। अभी तक 20 लाख से अधिक टिकटें हिन्दी में छापी जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अन्य टिकटें भी हिन्दी में छापने की व्यवस्था की जा रही है।

3. सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिन्दी:—प्रगति मैदान म होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रचुर मात्रा में हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा

है। यहां प्रतिदिन दिखाए जाने वाले चलचित्र, नाटक, तथा लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम अधिकांश हिन्दी में ही होते हैं।

4. अथारिटी द्वारा नियमित रूप से एक हिन्दी मासिक "उद्योग व्यापार पत्रिका" का प्रकाशन किया जाता है जिसमें अथारिटी से संबंधित समाचारों के अतिरिक्त उद्योग, वाणिज्य, विदेश व्यापार पर विशिष्ट लेखकों के प्रामाणिक लेख होते हैं। 1984 में पत्रिका के दो विशेषांक प्रकाशित किये गये। इसमें मूल लेख भी प्रकाशित किये जाते हैं। लेखकों का एक पेनल है जिसके लेख पारिश्रमिक पर प्रकाशित किये जाते हैं।

5. भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 1984 के अवसर पर दैनिक "मेला समाचार" हिन्दी में भी निकाला जाता है।

6. अंग्रेजी पत्रिकाओं के ग्राहकों के पते भी हिन्दी में:—ग्राहकों के पतों की प्लेटें हिन्दी में तैयार करने की हिन्दी एम्बासिंग मशीन अथारिटी में है और अथारिटी द्वारा प्रकाशित की जाने वाली उद्योग व्यापार पत्रिका तथा अंग्रेजी पत्रिकाओं के हिन्दी भाषी क्षेत्रों के ग्राहकों के पते हिन्दी में ही अंकित किए जाते हैं।

7. अथारिटी में प्राप्त होने वाल सभी हिन्दी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाते हैं। अथारिटी से भेजे जाने वाले पत्रों आदि में से प्रति माह लगभग एक हजार लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखे जा रहे हैं।

8. अथारिटी के प्रत्येक अनुभाग में हिन्दी में काम करने के लिए एक या दो व्यक्ति नामांकित कर दिए गए हैं, इन में एक या दो वे व्यक्ति हैं जिनको अथारिटी में आयोजित हिन्दी कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया जा चुका है या जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं।

9. अथारिटी में काम में लायी जाने वाली सभी प्रकार की स्टेशनरी, लिफाफे, रजिस्टर, पत्रशीर्ष, फाइलें आदि हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में छापी गयी हैं।

10. अथारिटी द्वारा आयोजित मेलों में गर्ल गाइड आदि कर्मचारियों को नियुक्ति करते समय उनकी हिन्दी योग्यता का भी ध्यान रखा जाता है। मेले में सभी मार्गदर्शक चित्र, सूचना पट्ट और साइनबोर्ड आदि हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रदर्शित किए जाते हैं। प्रगति मैदान में सभी घोषनाएं हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ही की जाती हैं।

11. अथारिटी की वार्षिक रिपोर्ट हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की जाती है।

12. प्रगति मैदान में अथारिटी द्वारा आयोजित मेलों की गाइड पुस्तिकाएं, नियम और विनियम पुस्तिका तथा इन मेलों से संबंधित सभी प्रकार का प्रचारात्मक साहित्य व विज्ञापन आदि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित किए जाते हैं।

13. जो फाइलें हिन्दी में प्रस्तुत की जाती हैं उन पर महाप्रबन्धक तथा अन्य अधिकारी हिन्दी में नोट लिखते हैं और हस्ताक्षर भी हिन्दी में करते हैं।

14. अथारिटी के स्टाफ से संबंधित सेवा आदि के नियमों और विनियमों को हिन्दी में प्रकाशित किया गया है।

15. अथारिटी के स्थापना अनुभाग, रोकड़ अनुभाग, सामान्य अनुभाग आदि में अथारिटी के कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार के फार्म हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रयोग में लाए जा रहे हैं।

16. स्थापना अनुभाग से जारी होने वाले आदेशों और परिपत्रों को अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में जारी किया जा रहा है।

17. वेतन-चैक भी हिन्दी में जारी किये जाते हैं।

18. टाइपराइटर आदि यंत्रों की व्यवस्था—अथारिटी में 6 हिन्दी टाइपराइटर हैं और एक हिन्दी ऐम्बासिंग मशीन व प्रिंटिंग मशीन है जिससे ग्राहकों के पतों की प्लेटें हिन्दी में तैयार की जाती हैं।

19. ट्रेड फेयर अथारिटी के पुस्तकालय में हिन्दी की पुस्तकों की पर्याप्त और उचित व्यवस्था है। प्रति वर्ष हिन्दी साहित्य की नई पुस्तकें खरीदी जाती हैं। हिन्दी शब्दकोशों के अतिरिक्त इस वर्ष रु. 1000 की नई पुस्तकों की व्यवस्था की गई है।

20. अथारिटी में हिन्दी का काम करने के लिए पर्याप्त अधिकारियों व कर्मचारियों की व्यवस्था है:—

(क)	उप प्रबन्धक	1	(वेतनमान रु. 1100 से 1600)
(ख)	सहायक प्रबन्धक	1	(वेतनमान रु. 700 से 1300)
(ग)	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1	(वेतनमान रु. 550 से 900)
(घ)	हिन्दी अनुवादक	2	(वेतनमान रु. 425 से 800)
(ङ)	आशुलिपिक	1	(वेतनमान रु. 330 से 560)
(च)	टाइपिस्ट	2	(वेतनमान रु. 260 से 400)

—वी. डी. एन. वाव
प्रबन्धक

7. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) और क्षेत्रिय रेलों में हिन्दी

रेल मंत्रालय में हिन्दी कक्ष की स्थापना सन् 1952 में हो गई थी और 1956 से मंत्रालय की वार्षिक प्रशासनिक रपट और रेलवे बजट सम्बन्धी सभी प्रलेख अंग्रेजी और हिन्दी में साथ-साथ तयार किये जाने लगे थे। लेकिन, हिन्दी कार्य में वास्तविक तेज़ी 1972 के बाद आनी शुरू हुई जब हिन्दी कार्य के लिए एक अलग राजभाषा निदेशालय की स्थापना हुई।

संवैधानिक अनिवार्यता

इस समय रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत एक अधिसूचित कार्यालय है। इस नियम के अन्तर्गत अब तक 289 रेल कार्यालयों को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जा चुका है। इसी प्रकार 119 रेल कार्यालयों में नियम 8(4) के अन्तर्गत विषय विनिर्दिष्ट किये जा चुक हैं। इन कार्यालयों में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी नियमानुसार विनिर्दिष्ट विषयों में हिन्दी

में ही कार्य करें, इस की जांच की व्यवस्था भी की गई है। इस समय रेलवे बोर्ड कार्यालय में हिन्दी में प्राप्त शत-प्रतिशत पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये जा रहे हैं। क्षेत्रीय रेलों में यह प्रतिशत इस समय 99.9 है। धारा 3(3) के अन्तर्गत रेलवे बोर्ड से शत-प्रतिशत प्रलेख हिन्दी में जारी होने लगे हैं। क्षेत्रीय रेलों में धारा 3(3) के अन्तर्गत 80 प्रतिशत कागजात हिन्दी अथवा हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में जारी हो रहे हैं। बोर्ड कार्यालय से "क" और "ख" क्षेत्र की राज्य सरकारों और "क" क्षेत्र के गैर सरकारी व्यक्तियों को 64 प्रतिशत पत्र मूलतः हिन्दी में भेजे जा रहे हैं। बोर्ड द्वारा "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को 51 प्रतिशत पत्र मूलतः हिन्दी में लिखे गये हैं। क्षेत्रीय रेलों द्वारा "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को 79 प्रतिशत पत्र मूलतः हिन्दी में लिखे गये हैं। "ख" क्षेत्र को 73 प्रतिशत और "ग" क्षेत्र को 17, प्रतिशत पत्र मूलतः हिन्दी में लिखे गये हैं। नामपट्ट, फाइल कवर, रबड़ की मोहरों में हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए रेलों में विशेष अभियान चलाया गया है। राजभाषा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लगभग सभी कार्यालयों में चैक प्वाइंट की व्यवस्था की गयी है।

विभागीय तारों में भी हिन्दी का प्रयोग काफी मात्रा में शुरू हो गया है। 4,600 सिगनेलरों में से 1,200 सिगनेलर हिन्दी मोर्स में प्रशिक्षित हो चुके हैं। इन प्रशिक्षित सिगनेलरों को जोड़ी स्टेशनों पर तैनात करके देवनागरी में तार संदेश भेजने के लिए कारगर कार्रवाई की गई है। इस समय रेलवे के 236 तार घरों में विभागीय तार हिन्दी में देनकी सुविधा उपलब्ध है। देवनागरी के टेलीप्रिंटर लगाने की दिशा में भी शुरुआत की गई है।

भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम

रेल कार्यालयों को शुरू से ही हिन्दी जानने वाले कर्मचारी सुलभ हों, इस उद्देश्य से रेलों में भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी विषय में भी उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है। रेल सेवा आयोगों द्वारा ली जाने वाली श्रेणी 3 के तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों की भर्ती परीक्षाओं में उम्मीदवारों को हिन्दी माध्यम से परीक्षा देने की छूट है। "क" और "ख" क्षेत्रों में रेल कार्यालयों द्वारा ली जाने वाली सभी अर्हक और प्रतियोगी विभागीय परीक्षाओं में भी हिन्दी माध्यम से उत्तर लिखने की छूट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड "सी" की परीक्षाओं में हिन्दी अथवा अंग्रेजी आशुलिपि में परीक्षा देने की स्वतंत्रता दी गयी है।

आरक्षण चार्ट और नामपट्ट

अंग्रेजी न जानने वाले यात्रियों को गाड़ी में अपना आरक्षित स्थान ढूंढने में कठिनाई न हो, इस उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार विशेष रूप से हिन्दी भाषी क्षेत्रों में गुजरने वाली सभी प्रमुख गाड़ियों के आरक्षण चार्ट अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में में भी लिखने की व्यवस्था की गयी है। इस समय कुल मिलाकर लगभग 500 महत्वपूर्ण गाड़ियों के आरक्षण चार्ट हिन्दी में भी लगाये जा रहे हैं।

केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णय के अनुसार सभी नाम पट्ट, सूचना आदि प्रादेशिक भाषा, हिन्दी और अंग्रेजी के क्रम में प्रदर्शित किये जा रहे हैं।

देवनागरी टाइपराइटर

रेलों में जैसे-जैसे हिन्दी का काम बढ़ रहा है, वैसे वैसे देवनागरी टाइपराइटरों की संख्या भी बढ़ रही है। सितम्बर, 1983 में इनकी कुल संख्या 2,772 थी जो सितम्बर, 1984 में बढ़कर 2,807 हो गयी है। दस वर्ष पहले रेलों में देवनागरी के केवल 248 टाइपराइटर थे।

विविध प्रोत्साहन योजनाएं

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रसारित नकद पुरस्कार योजना तो रेलों में लागू है ही, रेल मंत्रालय ने अपनी ओर से भी इस दिशा में पहल करके अनेक प्रोत्साहन योजनाएं लागू की हैं। हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने के लिए रेल मंत्री राजभाषा शील्ड लगभग 8 वर्ष पहले शुरू की गई थी। हिन्दी के प्रयोग-प्रसार की प्रेरणा देने वाले और इस दिशा में अनुकरणीय काय करने वाल अधिकारियों को प्रति वर्ष अखिल भारतीय समारोह में रेल मंत्री पदक/प्रशस्ति पत्र दिये जाते हैं। सामूहिक पुरस्कार योजना के अधीन वष भर में हिन्दी का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले विभागों को क्रमशः तीन हजार, दो हजार और एक हजार रुपये के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। कर्मचारियों के व्यक्तिगत प्रयासों को मान्यता देन क लिए व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना के अधीन बोड कार्यालय और प्रत्यक क्षत्रीय रेलवे के पांच-पांच (कुल 65) कमचारियों को दो-दो सौ रुपये के नकद पुरस्कार दिय जाते हैं। प्रतिवष रेल मंत्री हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता, हिन्दी वाक्, निबन्ध, टिप्पण, प्रारूप लखन, टंकण, आशुलेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। तकनीकी रेल विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए भी एक पुरस्कार योजना लागू है। पूर्णतः अहिन्दी भाषी रेल कर्मचारियों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से बोलने लायक हिन्दी सिखाने के लिये वार्तालाप प्रशिक्षण योजना कार्यरत है। इन कर्मचारियों को देवनागरी लिपि का ज्ञान कराने के इस योजना का विस्तार करने का भी प्रस्ताव है। इन सभी योजनाओं के अन्तर्गत देय पुरस्कारों की संख्या और राशि बढ़ाने में बारे में भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

हाल में रेलवे स्टाफ कालेज, वड़ोदरा में रेल सेवा में आन वाले नये प्रशिक्षण अधिकारियों को हिन्दी के प्रयोग के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए एक नयी पुरस्कार योजना लागू की गई है जिसक अधीन हिन्दी माध्यम से परीक्षा देने वालों को नकद पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई है।

क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूलों में रेल कर्मचारियों को हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है।

हिन्दी सप्ताह

सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग के लिए अनुकूल वातावरण बनाने क उद्देश्य से पिछले 9 वर्षों से रेलों में अखिल रेलवे स्तर पर और क्षेत्रीय रेलों में प्रधान कार्यालय/मण्डल स्तर पर हिन्दी सप्ताहों का आयोजन किया जा रहा है। नौवां अखिल रेल हिन्दी सप्ताह हाल ही में उदयपुर में मनाया गया है। इस अवसर पर राजभाषा प्रदर्शनी, कवि गोष्ठी, विचार गोष्ठी, एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम रख जाते हैं।

हिन्दी कार्यशालाएं

हिन्दी की निर्धारित परीक्षाएं पास करने के बाद कर्मचारी अपना अर्जित ज्ञान बनाये रखें और हिन्दी में टिप्पणी-प्रारूप आदि लिखने में उन्हें संकोच न हो, इसके लिए उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण देने की दृष्टि से 30-30 दिन की हिन्दी कार्यशालाएं चलाई जाती हैं। टेबल ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की गई है।

हिन्दी पुस्तकालय और वाचनालय

हिन्दी में प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों को हिन्दी का अर्जित ज्ञान बनाये रखने में सहायता देने के उद्देश्य से रेलों में हिन्दी पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना की गयी है। इस समय ऐसे 660 हिन्दी पुस्तकालय खुले हुए हैं जिनमें लगभग 9 लाख पुस्तकें उपलब्ध हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन समितियां

सम्पूर्ण भारतीय रेलों पर इस समय 533 राजभाषा कार्यान्वयन समितियां कार्यरत हैं। गृह मंत्रालय मे आदेशानुसार ऐसे हर कार्यालय में कार्यान्वयन समिति गठित की जानी अपेक्षित है जहां श्रेणी-3 और इससे ऊपर के 25 कर्मचारी कार्यरत हैं। रेलवे के विशाल कार्यक्षेत्र को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था कि ये समितियां केवल उन्हीं कार्यालयों में बनायी जायें जहां श्रेणी 3 और इससे ऊपर 250 कर्मचारी काम करते हैं। हाल में संसदीय राजभाषा उप-सतिमि की अनुशंसा पर हमने 150 कर्मचारियों वाले रेल कार्यालय/स्टेशन पर भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित करने का निर्णय लिया है। आशा है, इस निर्णय के परिणाम-स्वरूप छोटे कार्यालयों में भी हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर नजर रखने में सहायता मिलेगी।

हिन्दी का सेवाकालीन प्रशिक्षण

यद्यपि केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के सेवाकालीन हिन्दी प्रशिक्षण का दायित्व गृह मंत्रालय का है, तथापि प्रशिक्षण के कार्य को गति देने के उद्देश्य से रेलों में गृह मंत्रालय की सहमति से अपने विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र भी खोल रखे हैं। इस समय रेलों के 182 विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र कार्यरत हैं। रेल मंत्रालय अपने कर्मचारियों के हिन्दी प्रशिक्षण पर निरन्तर नजर रखता है और इस प्रयोजन के लिए सभी रेल कार्यालयों में छमाही प्रगति रपट मंगाई जाती है। अब तक तीन लाख से कुछ अधिक रेल कर्मचारियों को हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान प्राप्त हो चुका है। परिचालनिक कोटि के एक लाख से भी अधिक कर्मचारियों को अभी प्रशिक्षत किया जाना शेष है। इनकी शिफ्ट ड्यूटी के कारण इनके प्रशिक्षण के लिए कोई नियमित व्यवस्था नहीं है। एक मुश्त पुरस्कार देकर इन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन, पुरस्कार की राशि इतनी कम है कि कर्मचारी आगे नहीं आते। हमने गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है कि यह राशि बढ़ाई जानी चाहिए।

रेलों में कुल मिलाकर 6,261 टाइपिस्ट और 4,508 आशु-लिपिक हैं जिनमें से 2,873 टाइपिस्टों और 1,400 आशुलिपिकों ने हिन्दी टंकण और आशुलिपि की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं। 219 टाइपिस्ट और 220 आशुलिपिक प्रशिक्षण ले रहे हैं। आशुलिपिकों के प्रशिक्षण की गति धीमी रही है क्योंकि पिछले लगभग एक वर्ष से आशुलिपि की पुस्तक उपलब्ध नहीं हैं। राजभाषा विभाग से सूचना मिली है कि ये पुस्तक मुद्रणाधीन हैं। वास्तव में रेलवे जैसे बड़े विभाग के लिए गृह-मंत्रालय द्वारा की गई व्यवस्था पर्याप्त सिद्ध नहीं हो रही है।

नियम पुस्तकों का द्विभाषीकरण

सरकारी काम-काज हिन्दी में करने वालों की सुविधा के लिए नियम पुस्तक हिन्दी में उपलब्ध हों, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। रेल मंत्रालय की 72 में से 33 नियम पुस्तकें द्विभाषी रूप में उपलब्ध हो गयी हैं। इसके अलावा 10 पुस्तकें विभिन्न प्रेसों में मुद्रणाधीन हैं। क्षेत्रीय रेलों में स्टेशन संचालन नियमों को हिन्दी में तैयार करने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम बनाये गये हैं।

फार्मों का हिन्दीकरण

रेलवे के विभागीय फार्मों को हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में सुलभ कराने की दिशा में विशेष कार्रवाई की गयी है और अधिकांश फार्म द्विभाषी रूप में उपलब्ध हो गये हैं। जनता और यात्रियों के काम आने वाले फार्मों को हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है।

केन्द्रीय हिन्दी समिति के निदेशानुसार रेल मंत्रालय में रेल मंत्री जो की अध्यक्षता में रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति कार्यरत है। रेलों के हिन्दी पुस्तकालयों के लिए हिन्दी के स्तरीय पुस्तकों की खरीद सुनिश्चित करने के लिए रेलवे हिन्दी पुस्तक चयन-उप-समिति गठित है। रेलवे के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित तकनीकी शब्दों और वाक्यांशों के हिन्दी पर्याय निर्धारित करने के लिए रेलवे हिन्दी शब्दावली उप-समिति कार्यरत है। अब तक सांख्यिकी, यांत्रिक इंजीनियरी रेल भण्डार, सिगनल एवं दूर संचार, लेखा एवं वित्त, यातायात और वाणिज्य एवं सिविल इंजीनियरी, बिजली इंजीनियरी और सतर्कता से सम्बन्धित शब्दावलियां प्रकाशित करवा कर वितरित की जा चुकी है। रेलवे स्टेशनों के नाम-कूट हिन्दी में तैयार करने का महत्वपूर्ण काम भी प्रगति पर है।

रेलों में हिन्दी प्रयोग-प्रसार की गतिविधियों से आम कर्मचारियों को अवगत कराने और राजभाषा विषयक आदेशों के व्यापक प्रचार के उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा "रेल राजभाषा" त्रैमासिक पत्रिका की 15,000 प्रतियां निशुल्क वितरित की जाती हैं। क्षेत्रीय रेले भी अपने स्तर पर हिन्दी की विभिन्न पत्रिकाएं निकालती हैं।

—शिवसागर मिश्र
निदेशक, राजभाषा

8. न्यायाधिकरण (खान विभाग) के फैसलों में हिन्दी

भारत सरकार, खान विभाग का मुख्य कार्य यों तो सभी प्रकार के खनिज-स्रोतों की खोज, खनिज भंडारों का आकलन और विकास; तथा सोना, चांदी, जस्ता, सीसा, तांबा, एल्यूमिनियम आदि अलौह धातुओं का उत्पादन करना है, लेकिन राभाषा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और हिन्दी प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम के कार्यन्वयन में भी वह समान रूप से महत्वपूण भूमिका निभा रहा है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 में हिन्दी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश दिये गये हैं, जिसके अनुसार हिन्दी की प्रसार वृद्धि

करना, उसका विकास करना और उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृत के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, भारत सरकार का दायित्व है। इस सांविधानिक प्रावधान को ध्यान में रखकर खान विभाग के खानों और खनिजों से संबंधित विवादों पर याचिकाओं की सुनवाई हेतु गठित न्यायाधिकरण में, अप्रैल, 1981 में, यह निर्णय किया था कि हिन्दी क्षेत्रों में विद्यमान खानों और खनिजों से उत्पन्न विवादों पर प्राप्त पुनरीक्षण याचिकाओं पर पूर्ण खुलासा आदेशों के रूप में पारित अर्द्धन्यायिक फैसले हिन्दी में जारी किये जाएं।

देश की खनिज सम्पदा की वास्तविक मालिक राज्य सरकारें होती हैं, लेकिन, खान और खनिज (विनियमन और विकास अधिनियम, 1957 और उसके अन्तर्गत पारित खनिज अनुदान नियमावली, 1960 के अनुसार खनिज विकास की सर्वांगीण जिम्मेदारी केन्द्र सरकार (खान विभाग) की है। खान विभाग में इस जिम्मेदारी के निर्वाह के लिए दो न्यायाधिकरण हैं, प्रत्येक में खान विभाग और विधि मंत्रालय का एक एक संयुक्त सचिव सदस्य है। पुनरीक्षण याचिकाओं पर, आवश्यक होने पर, वादग्रस्त पक्षों और उनके विद्वान वकीलों की सुनवाई भी की जाती है, और उस सुनवाई के आधार पर पूर्ण खुलासा अंतिम आदेश पारित किये जाते हैं। इस प्रकार देश के खनिज विकास में इन न्यायाधिकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभाग के कथित निर्णय के अनुसार इन न्यायाधिकरणों द्वारा 1 अप्रैल, 1981 से 31 दिसम्बर, 1984 तक साढ़े तीन वर्ष की अवधि में हिन्दी भाषी इलाकों की खानों व खनिजों से संबंधित याचिकाओं पर ऐसे लगभग **2,000 अर्द्धन्यायिक फैसले** हिन्दी में पारित और जारी किए जा चुके हैं। यह न केवल अपने आप में एक कीर्तिमान है, अपितु मंत्रालयों के न्यायाधिकरणों और हिन्दी क्षेत्रों के न्यायालयों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण भी है।

खान विभाग ने अपने सचिवालय और सभी सरकारी संगठनों के काम काज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए व्यापक प्रबन्ध किये हैं। इन प्रबन्धों के फलस्वरूप हुई हिन्दी प्रगति के लिए, माननीय गृह-मंत्री ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच हुई प्रतियोगिता में खान विभाग को वर्ष **1981-82 का द्वितीय पुरस्कार राजभाषा ट्राफी तथा 1982-83 का प्रथम पुरस्कार राजभाषा शील्ड प्रदान की हैं**। साथ ही, उक्त अवधि में विभाग के दो संयुक्त सचिवों, एक निदेशक, एक अनुभाग अधिकारी और दो सहायकों (अधिकतर अहिन्दी भाषी) को हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में सर्वाधिक योगदान के लिए गृह मंत्री जी ने विशेष पदक, प्रमाण-पत्र और नकद पुरस्कार भी प्रदान किये हैं। इस समय विभाग के 40% से अधिक कर्मचारी निर्धारित प्रतिशत में हिन्दी में काम करते हैं, इनमें 12 कर्मचारियों को विभाग द्वारा नकद पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत किया जा चुका है।

खान विभाग और उसके संगठनों के अधिकारियों ने अक्तूबर, 1983 में नई दिल्ली में आयोजित तृतीय विश्व हिन्दी सम्मेलन में भी तन-मन-धन से योगदान किया था। विभाग के विभिन्न संगठनों द्वारा अनेक पत्र-पत्रिकायें नियमित रूप से हिन्दी में प्रकाशित की जाती हैं, यथा–**भारतीय खान ब्यूरो समाचार, जिंक वाणी, जिंक समाचार, खनिज संदेश, ताम्र संदेश, बाल्को समाचार, बाल्को वार्ता** आदि, जिनमें विभाग की गतिविधियों, खनिज सम्पदा और विभिन्न धातुओं के बारे में दुर्लभ जानकारी आम पाठकों के लिए हिन्दी में सुलभ की जाती है इसके अलावा, "खनिज वर्ष पुस्तक", खनिजों की खोज हेतु, "भूगर्भीय सर्वेक्षण के क्षेत्र-वार वार्षिक कार्यक्रम, खनन यंत्रों के उपयोग और रख-रखाव संबंधित निर्देश पुस्तकें, जिला-वार खनिज सम्पदा जैसे अनेक प्रकाशन भी हिन्दी में जारी किए गए हैं। अनेक भूवैज्ञानिक अपनी क्षेत्रीय सर्वे रिपोर्ट मूलतः हिन्दी में तैयार करके देते रहे हैं।

भारत की अन्य 14 भाषाओं के विकास में भी खान विभाग का योगदान कम नहीं है। विभिन्न प्रदेशों में मौजूद खनिज सम्पदा की स्थिति भंडार और उपयोग से संबंधित जानकारी प्रादेशिक भाषाओं में **"अपना जिला जानिए"** नामक पुस्तिकाएं बड़ी संख्या में प्रकाशित करके संबंधित जनता के लिए सुलभ की गई है। इसके अलावा, अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित विभाग के कार्यालयों/कारखानों में श्रमिकों के लिए विभिन्न निर्देश और सूचनाएं क्षेत्रीय भाषाओं में भी सुलभ की जाती हैं। इन श्रमिकों के मनोरंजन हेतु, विभिन्न उपक्रमों के सांस्कृतिक क्लबों द्वारा बहु-भाषायी नाटकों, कवि सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है तथा सभी भाषाओं की फिल्मों के शो दिखाए जाते हैं।

हिन्दी प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम का भी खान विभाग और उनके संगठनों–**बाल्को, हिन्दुस्तान जिंक लि०** आदि द्वारा बढ़-चढ़ कर पालन किया जा रहा है। गत तीन वर्ष की अवधि में विभाग से 12,000 से अधिक पत्र हिन्दी में जारी हो चुके हैं। विभाग के सचिवालय, सरकारी उपक्रम **भारत एल्यूमिनियम कम्पनी** तथा सुदूर कर्नाटक स्थित **भारत गोल्ड माइन्स लि०** में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अन्तर्गत सभी सामान्य आदेश, परिपत्र, अधिसूचनाएं आदि शत-प्रतिशत द्विभाषा रूप में जारी की जा रही हैं। हिन्दुस्तान जिंक लि०, खनिज गवेषण निगम, हिन्दुस्तान कापर लि०, भारतीय खान ब्यूरो आदि में भी इस धारा का पालन 70-80 प्रतिशत के बीच है। सभी हिन्दी पत्रों के उत्तर बिना विलम्ब हिन्दी में दिए जा रहे हैं। मूलपत्राचार के प्रसंग में हिन्दी भाषी क्षेत्र की राज्य सरकारें, कार्यालयों, व्यक्तियों आदि को खान वभाग सचिवालय से क्रमशः 57%, भारत एल्यूमिनियम कम्पनी से 37%, भारतीय खान ब्यूरो से 36%, हिन्दुस्तान जिंक लि० व खनिज गवेषण निगम लि. से 25% और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों से 2 से 20 प्रतिशत के बीच मूलपत्र हिन्दी में लिखे जा रहे हैं।

इस्पात और खान मंत्री द्वारा भी समय-समय पर कमचारियों के नाम हिन्दी में अधिकाधिक काम करने की अपीलें जारी की जाती हैं। मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति और खान विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठकें होती हैं और उनमें हिन्दी प्रयोग की प्रगति की कड़ी समीक्षा की जाती है। दोनों अधीनस्थ कार्यालयों और छहों उपक्रमों के प्रमखतम अधिकारी अपनी-अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के स्वयं अध्यक्ष हैं।

हिन्दी के प्रयोग की दिशा में वर्ष 1981-82 से एक नया कदम विभिन्न क्षेत्रों में वार्षिक राजभाषा सेमिनार आयोजित करने का उठाया गया है। खान विभाग की पहल पर विभाग के सचिवालय दिल्ली, हिन्दुस्तान जिंक लि. के उदयपुर और विशाखापत्तनम स्थित संयंत्र केन्द्रों पर विभाग के सभी संगठनों के तीन बड़े राजभाषा के सेमिनार आयोजित किए जाचुके हैं, जिनमें हिन्दीतर अधिकारियों ने भी अपने

विचार व्यक्त किए हैं। इस कदम से अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रति अच्छे वातावरण का सृजन हुआ है, और इसकी काफी सराहना हुई है। इन आयोजनों में हिन्दुस्तान जिंक लि. की अग्रणी भूमिका रही है, जो अपने टुण्डू (बिहार) जावर (राजस्थान) स्थित संयंत्रों में अन्य हिन्दी संगोष्ठियों, का भी समय-समय पर आयोजन कर चुका है। यह कम्पनी हिन्दी के प्रसार-प्रचार हेतु हर वर्ष 1½ से 2.00 लाख रुपए का अलग बजट मंजूर करती है।

खान विभाग के अधीन विभिन्न कारखानों में तैयार माल-सीसा-जस्ता, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम के पिण्डों, सिल्लियों, उर्वरक थैलों पर सभी प्रकार का अंकन भी हिन्दी में किया जा रहा है। उपक्रमों की प्रचार सामग्री, डायरियां, कैलेंडर आदि द्विभाषी और किन्ही मामलों में त्रिभाषी प्रकाशित की जाती हैं। सभी लेखन सामग्री द्विभाषी प्रकाशित और इस्तेमाल की जाती हैं। सभी संगठनों के पुस्तकालयों में हिन्दी पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं के अलावा, क्षेत्रीय भाषाओं का मूल और हिन्दी में अनूदित साहित्य कर्मचारियों को पढ़ने के लिए सुलभ किया जाता है तथा विभिन्न राष्ट्रीय दिवसों पर हिन्दी-अहिन्दी सभी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों/कारखानों में हिन्दी कवि-सम्मेलन, वाद-विवाद, प्रतियोगिताओं, नाटकों का आयोजन किया जाता है, जिनमें गैर-हिन्दी भाषी लोग अधिक संख्या में भाग लेते हैं, जो हिन्दी के प्रति उनके प्रेम का परिचायक है। कमचारियों की हिन्दी में टिप्पण और आलेखन में व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए अनेक कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। भारत एल्यूमिनियम कंपनी, हिन्दुस्तान जिंक लि., हिन्दुस्तान कापर लि., खनिज गवेषण निगम लि. ने अपने-अपने कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए "तिमाही नकद पुरस्कार योजना लागू की है, जिससे वहां हिन्दी में काम करने वाले कमचारियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। भारत एल्यूमिनियम कम्पनी के कोरबा कराखाने तथा अमरकण्टक बाक्साइट खान कार्यालय में तो 50% से अधिक लिखा पढ़ी का काम केवल हिन्दी में किया जा रहा है, जो अन्य संगठनों विशेषतया हिन्दी भाषी क्षेत्र में स्थित संगठनों और हिन्दी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता हैं और इस दलील को झुठला देता है कि तकनीकी और वित्तीय कार्य हिंदी भाषी के माध्यम से नहीं किया जा सकता।

जयवीर सिंह चौहान
उपनिदेशक (हिन्दी)

'हिन्दी सीखे बिना भारतीयों के दिल तक नहीं पहुंचा जा सकता।'

—डा० लोथर (जर्मनी)

'केरल को अपने हिन्दी प्रेम पर गर्व है।'

—एस० लक्ष्मण शास्त्री

हिन्दी—कार्यशालाएं

(1) सिकन्दराबाद

दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल में कार्मिक शाखा के 30 कमचारियों के लिए दिनांक 21–12–1984 से 16–1–1985 तक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। दिनांक 21–12–1984 को आयोजित उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता मंडल राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री पी. शेषगिरि राव ने की। इस अवसर पर श्री विजय कुमार मल्होत्रा और श्री सुदर्शन खन्ना हिन्दी अधिकारियों ने हिन्दी कार्यशाला की उपयोगिता पर प्रकाश डाला।

दक्षिण मध्य रेलवे, सिकन्दराबाद मंडल द्वारा आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए अपर मंडल रेल प्रबंधक तथा राजभाषा अधिकारी श्री पी० शेषगिरि राव

इस कार्यशाला में कर्मचारियों द्वारा दैनंदिन कार्य में प्रयुक्त शब्दों, टिप्पणियों और प्रारूपों पर विशेष ध्यान देकर उन्हें हिन्दी में प्रस्तुत करने के लिए सक्षम बनाने का प्रयास किया। कार्यशाला में लेक्चर देने के लिए अनुभवी अधिकारियों/स्टाफ की सहायता ली गयी।

दिनांक 16–1–1985 के समापन समारोह में मंडल राजभाषा अधिकारी ने कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र दिये।

—पी. एम. रेड्डी
कृते मंडल राजभाषा अधिकारी

(2) बड़ोदरा

इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. गुजरात रिफाइनरी, बड़ौदा में 12 जनवरी, 1985 को विभागाध्यक्षों और प्रभागाध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र में हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उप-प्रबंधक से लेकर मुख्य प्रबंधक तक के 13 उच्चाधिकारियों ने भाग लिया। गुजरात रिफाइनरी में विभागाध्यक्षों/प्रभागाध्यक्षों के लिए यह दूसरी (क्रम में चौथी) कार्यलाशा आयोजित की गयी। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए महाप्रबंधक श्री जे. एल. वासुदेवने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि हमें अपने देश की भाषा पर गर्व करना चाहिए तथा जहां तक हो सके सरल भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लोग हमारी बात समझ सकें। यह कार्यशाला पहले आयोजित की गयी कार्यशालाओं की परम्परा से थोड़ा हटकर थी। कारण कि इस कार्यशाला में व्याख्यान नहीं दिए गए बल्कि सभी क्षेत्रों में आपसी बातचीत का मुद्दा सर्वोपरि रहा। इस कार्यशाला में विभागाध्यक्षों/प्रभागाध्यक्षों की सहभागिता अधिकतम रही।

डा. सतीशचन्द्र
हिन्दी अधिकारी

(3) कलकत्ता

लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन के हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने की झिझक को दूर करने के उद्देश्य से दिनांक 11 मार्च से 15 मार्च, 85 तक द्वितीय पांच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस हिन्दी कार्यशाला में मुख्य कार्यालय के 15 तथा क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, कानपुर तथा हैदराबाद के एक-एक कर्मचारियों ने हिन्दी में टिप्पण तथा आलेखन का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन समारोह दिनांक 11 मार्च, 85 को लोहा इस्पात नियंत्रक, श्री दीपक कुमार की अध्यक्षता में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कलकत्ता विश्वविद्यालय के आचार्य (प्रो.) विष्णुकान्त जी शास्त्री आमंत्रित थे। इस अवसर पर प्रो. शास्त्री ने हिन्दी को अपनाने के प्रति इस कार्यालय के कमचारियों के सहज उत्साह को अपने लिए सुखद अनुभूति बताया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का ऐसा सुन्दर वातावरण कम ही देखने को मिलता है। इस समारोह में कलकत्ता स्थित अन्य केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के हिन्दी अधिकारी तथा हिन्दी शिक्षण योजना के हिन्दी प्राध्यापक भी उपस्थित थे। इस विषय में सबकी आम राय थी कि कलकत्ता स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में इस कार्यालय ने ही सर्वप्रथम हिन्दी कार्याशाला का आयोजन किया है। इस अवसर पर श्री दीपक कुमार घोष, लोहा और इस्पात नियंत्रक ने हिन्दी कार्यशाला भाग लेने वाले कर्मचारियों को "केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद" द्वारा प्रकाशित संदर्भ साहित्य–संघ की राजभाषा, सामान्य प्रशासन, स्थापना कार्य, आवेदन प्रारूप तथा नेमी कार्यालय टिप्पणियां भी प्रदान किये, जिसका उद्देश्य यह था कि वे प्रशिक्षण के बाद भी अपने सरकारी काम काज में हिन्दी का प्रयोग करते समय इनसे लाभ उठावें। अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री घोष ने उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे राजभाषा संबंधी प्रावधानों का

निष्ठापूर्वक पालन करें तथा टिप्पण और आलेखन में हिन्दी अपनाने में किसी प्रकाश का संकोच न करें, क्योंकि अंग्रेज़ी से हिन्दी में सरकारी कामकाज करना अपेक्षाकृत सरल है।

हिन्दी कार्यशाला का समापन समारोह दिनांक 15-3-85 को अपराह्न 2.30 बजे से डा. सुभाष चन्द्र मजूमदार, संयुक्त लोहा और इस्पात नियंत्रक की अध्यक्षता में मनाया गया। समापन समारोह का शुभारम्भ श्री स्वपन बनर्जी, श्री तपन कुमार साहा, श्रीमती केया घोष, कुमारी शिप्रा चन्दा के समवेत स्वर में गाये मंगलाचरण से हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण पूर्व रेलवे के उप–महाप्रबंधक तथा राजभाषा अधिकारी श्री ए. के. श्रीवास्तव आमंत्रित थे। "श्री श्रीवास्तव ने अपने भाषण में इस बात पर सुखद आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि अहिन्दी भाषा क्षेत्र में स्थित किसी केन्द्रीय सरकारी कार्यालय में हिन्दी के प्रसार–प्रचार का ऐसा अनुकूल वातावरण हो सकता है, यह मेरे लिए एक नया अनुभव है। श्री श्रीवास्तव ने आगे कहा कि मैं इस कार्यालय के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में हो रही निरन्तर प्रगति को देखकर अत्यन्त प्रभावित हूं। इस अवसर पर डा. रिजवी, हिन्दी अधिकारी, नेशनल टेस्ट हाउस, कलकत्ता, श्री वी. डी. तिवारी, हिन्दी प्राध्यापक, कलकत्ता, श्री प्रभु प्रसार, हिन्दी प्राध्यापक, कलकत्ता, श्री एम. एन. ठाकुर, हिन्दी अधिकारी, द. पू. रेलवे, कलकत्ता, श्री पाराशर, हिन्दी अधिकारी, राष्ट्रीय सर्वेक्षण प्रतिदर्श संगठन आदि ने भी अपने उद्गार प्रकट किये। इस कार्यालय के हिन्दी अधिकारी श्री धीरेन्द्र कुमार झा ने अपने स्वागत भाषण में इस कार्यालय के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में हुई प्रगति तथा तत्संबंधी भावी योजनाओं की जानकारी समागत अतिथियों को दी।

हिन्दी कार्यशाला में भाग लेने वाले कर्मचारियों में सर्व श्री गोपालकृष्ण भास्कर, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद, उर्वीदत्त कण्डपाल, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर, जी. सी. नेगी, क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली, स्वपन कुमार दास, मुख्य कार्यालय तथा नगेन्द्र प्रसाद शाह, मुख्य कार्यालय ने भी इस अवसर पर अपने विचार प्रकट किये तथा उन्होंने से अपने लिए अत्यन्त उपयोगी बताया।

दीपंकर कीर्ति
उपलोहा और इस्पात नियंत्रक

(4) नई दिल्ली

(क) सिंडीकेट बैंक, नई दिल्ली

सिंडीकेट बैंक, प्रादेशिक कार्यालय, दिल्ली, द्वारा दिनांक 18-3-85 से 20-3-85 तक आंचलिक कार्यालय, दिल्ली के सभाकक्ष में लिपिकवर्ग हेतु हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए बैंक के दिल्ली प्रादेशिक कार्यालय के उप महाप्रबंधक श्री टी. जे. ए. गानिया ने कहा कि हिन्दी कार्यशालाओं के माध्यम से हिन्दी में कामकाज किए जाने के बारे में कर्मचारियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिए जाने से निश्चित ही बैंक में हिन्दी का प्रचार–प्रसार होगा। ऐसे ही उद्गार बैंक के दिल्ली प्रभागीय कार्यालय के प्रभागीय प्रबंधक श्री के. दिनकर पै ने भी व्यक्त किए।

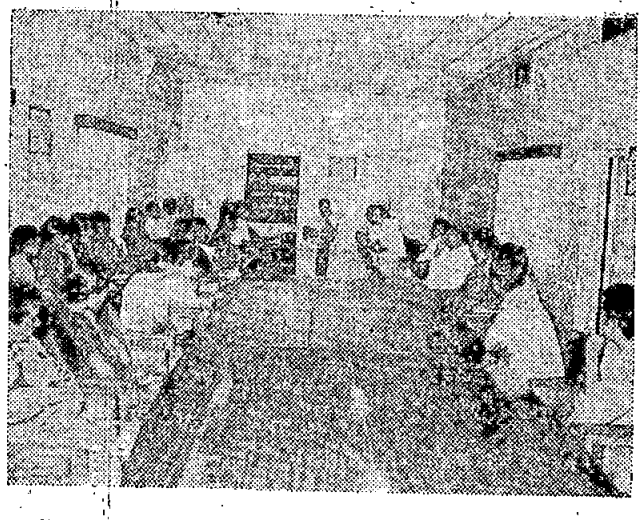

सिंडीकेट बैंक, आंचलिक कार्यालय, दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन अवसर का दृश्य।

प्रारम्भ में बैंक के प्रादेशिक कार्यालय, दिल्ली, के राजभाषा अधिकारी डा. देशबंधु राजेश ने हिन्दी कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत की और सहभागियों तथा अतिथियों का स्वागत किया। धन्यवाद ज्ञापन बैंक के दिल्ली प्रभागीय कार्यालय के राजभाषा अधिकारी श्री चेतन दास कबीर ने किया।

"उक्त कार्यशाला में निम्नलिखित विषयों पर सत्र किए गए:–

1. राजभाषा नीति–राजभाषा अधिनियम, नियम।
2. भारत सरकार भा० रि० बैंक प्र. का. के हिन्दी विषयक अनुदेश एवं सुविधाएं।
3. तिमाही प्रगति रिपोर्ट का भरा जाना।
4. हिन्दी-अंग्रेज़ी (और विपरीत) अनुवाद।
5. प्रयोजनमूलक हिन्दी।
6. टिप्पण और प्रारूप लेखन एवं कार्यालयीन पत्र–व्यवहार।
7. हिन्दी वर्तनी की समस्याएं एवं अभ्यास।
8. प्रयोग किए जाने वाले बैंकिंग प्रपत्र जमा राशियों आदि का हिन्दी में भरा जाना।
9. सामूहिक विचार–विमर्श एवं शाखा स्तर पर हिन्दी का प्रयोग।

बैंक के कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, दिल्ली, के संकाय सदस्य (हिन्दी) डा. अमर सिंह वधान बैंक के प्रभागीय कार्यालय, दिल्ली, के राजभाषा अधिकारी श्री चेतन दास कबीर, बैंक के दिल्ली, प्रादेशिक कार्यालय के अधिकारी श्री श्याम सुंदर वैद्य उक्त कार्यशाला में अतिथि वक्ता थे।

कार्यशाला के समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक के दिल्ली प्रादेशिक कार्यालय के नए सहायक महाप्रबंधक श्री बी. पी. बालिगा ने की। श्री बालिगा ने कार्यशाला के सफल आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की और दिल्ली प्रदेश हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए हर संभव सहायता दिए जाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर श्री के. दिनकर पै ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की।

वल्देव दुआ
उप प्रभागीय प्रबन्धक

(ख) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, नई दिल्ली

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के अधिकारियों हेतु तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन 18, 19 व 20 मार्च को भोपाल में किया गया। श्री ए. वैद्यनाथ मुख्य प्रबंधक (व्यवसाय) क्षे. का. दिल्ली ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला में व्यावहारिक पत्राचार पर विशेष बल दिया गया। कार्य शाला के दौरान अधिकारियों ने सभी प्रकार के पत्रों का अभ्यास किया। सभी अधिकारियों एक स्वर में कहा कि हिन्दी में पत्र लिखना अंग्रेज़ी की अपेक्षा सरल है।

पहले दिन, अतिथि वक्ता श्री महेश श्रीवास्तव, सम्पादक, "दैनिक भास्कर" भोपाल ने हिन्दी कार्यशालाओं की सार्थकता पर बोलते हुए कहा कि हम इन कार्यशालाओं के माध्यम से अपनी पहचान बना रहे हैं। यह इसका सकारात्मक और उज्वल पक्ष है। उन्होंने कहा कि बैंकों का गरीब-अमीर सभी से सीधा सम्पर्क है। अतः बैंक कर्मचारी एक बार मन से हिन्दी में काम करना आरम्भ कर दें तो इससे हिन्दी की प्रगति तो होगी ही, बैंक का व्यवसाय भी बढ़ेगा।

दूसरे दिन आकाशवाणी के सहायक स्टेशन निदेशक, श्री एम. सी. वर्मा और हिन्दी अधिकारी श्रीमती सुमन श्रीवास्तव ने अधिकारियों को सम्बोधित किया। श्रीमती सुमन श्रीवास्तव ने हिन्दी के प्रचार, प्रसार में भारतीय संतों के योगदान की चर्चा की। उन्होंने बताया कि अहिन्दी भाषी क्षेत्र के संतों का योगदान हिन्दी भाषी संतों से कम नहीं है।

तीसरे दिन डा. धनंजय वर्मा प्रोफेसर व हिन्दी विभाग हमीदिया कालेज, भोपाल व अध्यक्ष, हिन्दी अध्ययन मंडल, भोपाल विश्वविद्यालय ने हिन्दी शब्द समूह तथा हिन्दी के विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अन्य भाषाओं के जिन शब्दों को आम जनता ने अपना लिया है उनका हिन्दी अनुवाद करने का, हिन्दी पर्याय खोजने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हिन्दी में काम करते समय न तो बिल्कुल शुद्धतावादी बनना चाहिए और न ही भ्रष्ट अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बैंक जैसे व्यावसायिक संस्थान में ऐसे शब्दों का प्रयोग आवश्यक है जिनका अर्थ स्पष्ट हो। वाक्य सरल और सुबोध हों।

कार्यशाला का समापन करते हुए श्री ध्यान सिंह तोमर राजा, सम्पादक, नवभारत भोपाल, ने कहा कि बैंकिंग व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बैंक कर्मचारियों को अपने एवं राष्ट्र के हित में हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए।

श्री राजनारायण, सहायक प्रबंधक क्षेत्रीय, कार्यालय दिल्ली ने अतिथियों का धन्यवाद किया। उन्होंने भोपाल में कार्यशाला को सुन्दर व्यवस्था हेतु भोपाल शाखा के प्रबंधक श्री गोमतीनायकम् को विशेष रूप से साधुवाद कहा।

गंगाप्रसाद राजौरा
राजभाषा अधिकारी

"चाहे कुछ भी हो, एक दिन हिन्दी देश की राजभाषा बनकर रहेगी। जो हिन्दी अपनाएगा वही आगे चलकर अखिल भारतीय सेवा में जा सकेगा और देश का नेतृत्व भी वही कर सकेगा, जो हिन्दी जानता होगा।"

—नीलम संजीवा रेड्डी

(ग) उच्च शक्ति प्रेषित्रः आकाशवाणी, किंग्जवे, दिल्ली–

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सरकारी काम काज में हिन्दी के प्रयोग संबंधी वर्ष 1984–85 के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस कार्यलय में दिनांक 14–1–85 से 19–1–85 तक हिन्दी सप्ताह/कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह निश्चय किया गया था कि हिन्दी सप्ताह के दौरान समस्त अधिकारी/कर्मचारी अपना सारा काम यथासम्भव हिन्दी में ही करने का प्रयास करेंगे।

यह बड़े हर्ष की बात है कि विभागाध्यक्ष से लेकर समस्त अधिकारियों तक ने अपने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रेरणा ही नहीं दी अपितु हिन्दी में काम करनेकी पहल भी कीऔरएक उदाहरण स्थापित किया। इस का परिणाम यह हुआ कि कार्यालय के तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियों को प्रोत्साहन और प्रेरणा मिली और हिन्दी के प्रयोग में भी अत्यधिक तीव्रता आई। कार्यालय की सभी फाइलों पर हिन्दी में टिप्पणी प्रारूप प्रस्तुत किए गए। यदि आंकड़ों की भाषा में कहा जाए तो सप्ताह में 22,000 से अधिक शब्द हिन्दी में लिखे गए।

इस अवधि में हिन्दी में सर्वाधिक कार्य करने वालों के लिए कुछ पुरस्कार भी रखे गए थे। यद्यपि यह कार्यालय अत्यधिक तकनीकी प्रकृति का कार्यालय है किन्तु हर्ष का विषय है कि प्रथम और द्वितीय पुरस्कार तकनीकी अधिकारियों ने प्राप्त किए। यह उल्लेखनीय है कि इस दिशा में सर्वाधिक प्रोत्साहन एवं प्रेरणा देने, मार्गदर्शन करने और सबसे ज्यादा 3059 शब्द लिखने का और प्रथम पुरस्कार जीतने का श्रेय विभागाध्यक्ष को जाता है।

उनके अनथक और सतत प्रयासों का ही परिणाम है कि तकनीकी लॉग बुक हिन्दी में लिखी जाने लगी, एरियल यूनिट का सारा काम हिन्दी में होने लगा।

निम्नलिखित तकनीकी और गैर-तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार दिए गए :–

प्रथम पुरस्कार–श्री आर. डी. गुप्ता, अधीक्षक अभियंता

द्वितीय पुरस्कार–श्रीमती स्वर्ण लता सहगल, सहायक अभियंता

तृतीय पुरस्कार–श्री आर. के. लूथरा, स्टोर कीपर

प्रोत्साहन पुरस्कार–1. एरियल एवं वी बी सी यूनिट

2. प्रशासन-लेखा यूनिट

3. मालरोड़ स्थित ट्रांसमीटर समूह

इसी सप्ताह कार्यशाला का भी आयोजन किया गया जिसमें तकनीकी और गैर-तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में निम्नलिखित विद्वानों ने "राजभाषा हिन्दी-नीति एवं दिशानिर्देश" "साधारण टिप्पणियां, कार्यालय में प्रयुक्त वाक्यांश एवं शब्दावली", आवेदन लेखन, पत्रों, पृष्ठांकनों, अधिसूचनाओं के प्रारूप" एवं "प्रशासनिक एवं तकनीकी शाब्दावली" आदि महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए।

1. प्रो. मलिक मोहम्मद, अध्यक्ष, वज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. डा. एन. डी. पालीवाल सचिव, हिन्दी अकादमी, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली
3. श्री राजमणि तिवारी, निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली।
4. डा. एन. जी. गोयल हिन्दी अधिकारी, उच्च शक्ति प्रेषित्र, आकाशवाणी खामपुर, दिल्ली
5. प्रो. श्रीपति शर्मा, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली।

उक्त विद्वानों के व्याख्यानों/प्रशिक्षण से कार्यालय में काम करने वालों को काफी सहायता एवं मार्ग दर्शन प्राप्त हुआ।

हिन्दी सप्ताह कार्यशाला के समापन समारोह में श्री वी पी प्रधान, मुख्य अभियंता (उत्तरी क्षेत्र) मुख्य अतिथि थे। उनके करकमलों द्वारा पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए इस बात पर बल दिया कि सरकारी कामकाज में सरल भाषा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए।

अंत में श्री प्रधान एवं अन्य अतिथि वक्ताओं को धन्यावाद देकर समारोह सम्पन्न हुआ।

आर. डी. गुप्ता
अधीक्षक अभियन्ता

(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, नई दिल्ली

केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत जारी आदेशों के अनुसार प्रधान कार्यालय के सौजन्य से, विकास बैंक के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने दिनांक 10 से 12 जनवरी, 1985 को हिन्दी कायशाला का आयोजन किया गया जिसमें नई दिल्ली कार्यालय के अतिरिक्त अधीनस्थ पांच शाखा कार्यालयों-जयपुर, कानपुर, जम्मू शिमला व चंडीगढ़ के अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्घाटन महाप्रबन्धक डा. एन. डी. जोशी द्वारा हुआ। इस तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य राजभाषा नीति एवं बैंक द्वारा उसके कार्यान्वयन के विभिन्न पक्षों को स्टाफ सदस्यों के सम्मुख रखते रूए उन्हें हिन्दी प्रारुपण व टिप्पण, सामान्य पत्र-व्यवहार का ज्ञान देना व इस संबंध में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करना था ताकि अपनी शंकाओं व संकोच से मुक्त होकर अधिकारी व कर्मचारीगण और अधिक विश्वास के साथ बैंक के रोजमर्रा के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग कर सकें।

अपने उद्घाटन भाषण में डा. जोशी ने प्रशिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास बैंक एक सरकारी संस्थान है और इस रूप में केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति का अनपालन हमारे लिए अनिवार्य है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि यद्यपि राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में काफी काम भी हुआ है फिर भी बहुत कुछ किया जाना अभी शेष है तथा अधिकारी कार्य की इसमें अहम भूमिका है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिन्दी भाषी क्षेत्र होने के नाते "क" क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का दायित्व और भी बढ़ जाता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस कार्यशाला के आयोजन से हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को गति मिलेगी और हिन्दी म प्रारुपण एवं टिप्पण व प्रशासनिक शब्दावली का ज्ञान प्राप्त कर सभी प्रशिक्षार्थी सरल व सुबोध शब्दों में बैंक का कामकाज हिन्दी में करने की आदत डालेंगे

उद्घाटन के अनुवर्ती सत्र में श्री जे. आर. सेठ, उप निदेशक (हिन्दी) बैंकिंग प्रभाग ने सभी प्रशिक्षार्थियों को सरकार की राजभाषा नीति व उसके वार्षिक क्रियान्वयन कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी दी। तदुपरान्त प्रथम सत्र के प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रधान कार्यालय के उप प्रबन्धक (हिन्दी), डा. वी. के. गुप्ता (जिन्होंने काम-काजी हिन्दी के स्वरूप पर व्याख्यान दिया) तथा विधि मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव (हिन्दी) श्री ब्रज किशोर शर्मा द्वारा विधि शब्दावली पर दिए गए व्याख्यान के सहयोग से संपन्न हुआ। कार्यशाला के दूसरे क्षेत्र में प्रशिक्षण का कार्यक्रम रिज़र्व बैंक के हिन्दी अधिकारी डा. राम प्रकाश सिंघल, प्रधान कार्यालय में औद्योगिक वित्त अधिकारी (हिन्दी) श्री देवेन्द्र नाथ त्रिवेदी के क्रमशः परिपत्र, कार्यालय आदेश और फाइलों पर टिप्पणियां तथा अनुवाद विधि पर दिए गए विचारोत्तेजक व्याख्यानों के सहयोग से पूर्ण हुआ।

कार्यशाला के अंतिम दिन "हिन्दी में तार" विषय पर व्याख्यान देने के लिए डा. एम. एल. चतुर्वेदी, उप निदेशक (राजभाषा विभाग) गृह मंत्रालय को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। उन्होंने अपने वाकचातुर्य से अभिव्यक्ति क्षमता से सभी प्रशिक्षार्थियों को मुग्ध कर दिया। इस तीन दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का समापन कार्यक्रम. प्रधान कार्यालय में प्रबन्धक (प्रशासन कार्मिक अनुभाग) श्री डी. एम शिरोदकर तथा विभिन्न प्रशिक्षार्थियों के मध्य हुई सामूहिक परिचर्चा व मूल्यांकन सत्र के साथ सम्पन्न हुआ। इस कार्यशाला की अनिवार्यता व उपयोगिता पर वक्तव्य देते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की कि यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् जब अधिकारी अपनी शाखाओं व अनुभागों में लौटेंगे तो हिन्दी के प्रयोग में वे अधिक उत्साह से काम करेंगे साथ ही उन्होंने इस बात पर बल दिया कि रोजमर्रा के छोटे-मोटे पत्र को हिन्दी में लिखने का अभ्यास तुरन्त शुरू कर देना चाहिए। हिन्दी के प्रयोग में आने वाली अन्य प्रशासनिक कठिनाइयों के संबंध में सदस्यों से विचार-विमर्श करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी लोग बिना किसी हिचकिचाहट के स्वतंत्र रूप से हिन्दी में कार्य करें। हिन्दी कार्यशाला को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों व व्यक्त की गई प्रतिक्रियाओं पर भी विचार किया गया। अंत में सभी प्रशिक्षार्थियों द्वारा कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए प्रबन्धक श्री शिरोदकर, व प्रधान कार्यालय से आए डा. वी. के. गुप्ता व श्री त्रिवेदी के प्रति आधार प्रकट किया।

—ज्ञान प्रकाश गुप्ता
उप महाप्रबन्धक

(ङ) एन बी सी सी—हुडको (निर्माण तथा आवास मंत्रालय) नई दिल्ली

निर्माण एवं आवास मंत्रालय के दो विभागों, नैशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड तथा आवास एवं नगर विकास निगम समिति ने दिनांक 26 और 27 मार्च, 1985 को संयुक्त रूप में दो दिवसीय हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया। एन बी सी सी के सम्मेलन कक्ष में आयोजित इन कार्यशालाओं में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले दोनों विभागों के 25 अधिकारियों ने सोत्साह भाग लिया। इस दौरान सभी अधिकारियों को राजभाषा आदेशों का संकलन नामक पुस्तिका की प्रतियां वितरित की गई।

कार्यशालाओं के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित हुडको के प्रमुख (परियोजना) एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री एच. के. यादव ने पुष्पों का गुलदस्ता देकर मुख्य अतिथि श्री जी. डी. बेलिया, उपसचिव, भारत सरकार, राजभाषा विभाग का स्वागत किया। अपने उद्घाटन भाषण में श्री बेलिया ने भारत सरकार की राजभाषा नीति पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए और इस संबंध म अधिकारियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए यह सलाह दी कि सभी अधिकारी सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के लिए सघन प्रयास करें। इस दौरान अनुवाद की पद्धति से बचते हुए मूल रूप से आसान हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना अधिक उपयोगी है।

हुडको-राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री एच० के० यादव ने श्री बेलिया के सरस व्याख्यान के लिए उनका आभार प्रकट किया। इसके उपरान्त एन बी सी सी के हिन्दी अधिकारी, डा. भ. प्र. निदारिया ने दोनों विभागों की ओर से राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में किए जा रहे कार्यों की संक्षिप्त जानकारी देते हुए यह आशा व्यक्त की कि सरकार की राजभाषा नीति को तेजी से लागू कराने में अधिकारियों की पहल पर्याप्त लाभदायक रहेगी। हुडको की ओर से प्रमुख (प्रशासन एवं कार्मिक) श्री अनूप अग्रवाल ने द्विभाषी रूप में प्रकाशित डायरी और हिन्दी में प्रकाशित "अपना घर" अंक की नई प्रति तथा एन बी सी सी की ओर से मुख्य अभियंता श्री डी. ए. एस. अय्यर ने "हिन्दी स्मारिका" और "सरल राजभाषा" नामक पुस्तिका श्री बेलिया को भट की।

इसके उपरान्त लोक उद्यम विभाग के हिन्दी अधिकारी श्री रामरज मिश्र ने "प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग" विषय पर अपने विचार रखे और शिक्षणार्थियों को संबंधित अभ्यास कराया।

दिनांक 27-3-85 को भारतीय सड़क निर्माण निगम के हिन्दी अधिकारी, डा. ब्रजानन्द सिंह ने "वित्तीय एवं लेखा कार्यों में हिन्दी का प्रयोग" की भावी संभावनाओं को उजागर किया। डा. सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि इस संबंध में हिन्दी में अधिक से अधिक संक्षिप्तियां (एब्रीवियेटिड फार्म्स) बनाना बहुत आवश्यक है।

"इंजीनियरिंग कार्यों में हिन्दी का प्रयोग" विषय पर इंजीनियर्स इण्डिया लि. के हिन्दी अधिकारी, श्री हरशरन गोयल ने तकनीकी विषय के लिए हिन्दी के अबाध प्रयोग के मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने विभाग की ओर से निकाले गए ई आई एल संदर्भ साहित्य की दो प्रतियां भी भट की। अंत में आवास तथा नगर निगम समिति के हिन्दी अधिकारी, श्रीमती मीरा सिन्हा ने श्री गोयल का आभार प्रकट करते हुए सभी अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे इन कार्यशालाओं में मिले दिशा-निर्देशों तथा यहां किए गए अभ्यास के आधार पर हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने का अधिक से अधिक प्रयास करें।

डा. भ. प्र. निदारिया
हिन्दी अधिकारी

(5) फूलपुर

अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से इफको मुख्यालय ने फूलपुर संयंत्र में 5 से 8 फरवरी 85 तक एक चार दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में 30 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। उन्हें विभिन्न सत्रों में राजभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्थाओं, राजभाषा अधिनियम व आदेशों, हिन्दी में टिप्पण व आलेखन, चैक तैयार करना, अधिसूचनाएं, विज्ञापन, टेण्डर नोटिस आदि मूल रूप से हिन्दी में तैयार करने आदि का प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन सुप्रसिद्ध हिन्दी लेखक और रायपुर व सागर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति डाक्टर बाबू राम सक्सेना द्वारा किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूतपूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष, डाक्टर रघुवंश उद्घाटन अवसर के प्रमुख अतिथि थे। इफको द्वारा हिन्दी कार्यशाला के आयोजन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डाक्टर सक्सेना ने इसे पुण्य कार्य बताया और कहा कि संविधान के अनुसार 1965 तक सभी सरकारी कार्यों को हिन्दी में होना चाहिए था परन्तु ऐसा नहीं हो सका। डा. रघुवंश ने मुख्य अतिथि पद से भाषण देते हुए कहा कि किसी भी भाषा में शब्द नहीं, अपितु सोचने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है और जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी हिन्दी का विकास नहीं हो सकेगा। उनका मत था कि हिन्दी के विकास के बिना राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। कार्यशाला में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने बहुत दिलचस्पी दिखलाई और अपने कामकाज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करने का संकल्प लिया।

कार्यशाला का उद्घाटन एवं समापन सत्र के अलावा 7 कार्य सत्र रखे गये जिनमें सभी भाग लेने वालों से हिन्दी में काम भी कराया गया।

आर. के. गुप्ता
महाप्रबन्धक (कार्मिक व प्रशासन)

(6) आगरा

केनरा बैंक मंडल कार्यालय, आगरा द्वारा अपने कमचारियों के लिए दो दिवसीय केनरा बैंक मण्डल कार्यशाला का आयोजन 25 फरवरी से 26 फरवरी, 86 तक किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं आयकर आयुक्त माननीय श्री त्रिलोकी नाथ पाण्डेय, आई. आर. एस. द्वारा सरस्वती को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने हिन्दी के प्रयोग में प्रशंसनीय स्थिति की चर्चा करते हुए बैंकों द्वारा इस क्षेत्र में की गई प्रगति की सराहना की और विशेष कर केनरा बैंक की उपलब्धियां गवर्नर राजभाषा शील्ड, नगर राजभाषा शील्ड और राजभाषा विभाग द्वारा उनके तत्कालीन मण्डल प्रबन्धक, श्री पी. के. एन. कामत को पुरस्कृत किये जाने पर सराहना की। उन्होंने इस अवसर पर प्रतिभागियों से अपील की कि वे इस प्रशिक्षण से लाभ उठावें और यहां से जाने के बाद अपनी शाखाओं में जाकर हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करके इस हिन्दी भाषी क्षेत्र में जनता की बेहतर सेवा करें। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग हिन्दी भाषी क्षेत्र में हैं। हिन्दी ही मातृभाषा है और हिन्दी का सभी कर्मचारियों को काफी अच्छा ज्ञान है। अतः हमें इस दिशा में यह स्तर बनाये रखने के साथ-साथ और अच्छी कोटि का कार्य करके दिखाना चाहिए। हम सब के प्रयत्नों से वह दिन दूर नहीं जब कि हमारे देश की राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि केनरा बैंक हिन्दी के प्रसार की दिशा में एक महत्वपूर्ण और अनुकरणीय भूमिका निभा रहा है जिससे अन्य बैंकों को भी सीख लेनी चाहिए।

—एच. डी. सूडा
मंडल प्रबन्धक

'भारत की अखण्डता और व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए हिन्दी का प्रचार अत्यन्त आवश्यक है।'

—महाकवि शंकर कुरुप।

हिन्दी सप्ताह

(1) **सिकन्दराबाद**

राजभाषा हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग तथा प्रचार-प्रसार को साकार रूप देने तथा समुचित वातावरण तैयार करने के दृष्टिकोण से श्री एम. वी. श्रीनिवासन, मंडल रेल प्रबन्धक की अध्यक्षता में सिकंदराबाद मंडल पर "राजभाषा सप्ताह" समारोह 1984–85 का आयोजन किया गया। कुमारी लीला बावडेकर, स्टेशन निदेशक, आकाशवाणी, हैदराबाद ने दीप प्रज्वलन के साथ समारोह का उद्घाटन किया। इसके बाद श्री अशोक कुमार, अपर मंडल रेल प्रबन्धक ने अतिथियों का स्वागत किया। तत्पश्चात् श्री पी. एन्. रेड्डी, सहायक हिन्दी अधिकारी ने मंडल द्वारा हिन्दी में की गई प्रगति का ब्यौरा प्रस्तुत किया।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा, हिन्दी अधिकारी, प्रधान कार्यालय ने सिकंदराबाद मंडल द्वारा प्राप्त राजभाषा संबंधी उपलब्धियों पर विशेष प्रकाश डाला। उन्होंने आगे कहा कि सिकंदराबाद मंडल राजभाषा संबंधी नियमों में बहुत आगे बढ़ गया है। कुमारी लीला बावडेकर ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि सभी स्टाफ अपने कार्यालय का कामकाज वैझिझक हिन्दी में करना शुरू करें। श्री वेमूरि राधाकृष्णा मूर्ति, सदस्य, हिन्दी सलाहकार समिति ने स्टाफ को संबोधित किया कि त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन अनिवार्य है और इसी के माध्यम से राजभाषा (हिन्दी) का विकास भी निश्चित रूप से किया जा सकता है। श्री एम. वी. श्रीनिवास, मंडल क्षेत्र रेल प्रबन्धक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में आश्वासन दिया कि वे अपने कार्यालय में हिन्दी की शुरुआत करेंगे। कुमारी लीला बावडेकर, स्टेशन निदेशक, आकाशवाणी हैदराबाद ने इस मंडल पर हिन्दी में अधिकाधिक काम करने वाले एवं अच्छे अंक लेकर पास करने वाले और हिन्दी में काम में सहयोग देने वाले स्टाफ को पुरस्कार वितरित किए।

दिनांक 29-1-85 को मंडल सभागृह में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय था "केन्द्र और राज्यों में राजभाषा–समस्याएं और समाधान"। संगोष्ठी का आयोजन अपर मंडल रेल प्रबन्धक श्री अशोक कुमार की अध्यक्षता में किया गया। इसमें भाग लेने वालों में प्रमुख वक्ता थे श्री वन्दे मातरम रामचन्द्रराव, भूतपूर्व अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश राजभाषा आयोग, श्री वेमूरि आंजनेय शर्मा कुल सचिव, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा उच्च शिक्षा और शोध संस्थान, श्री विजय कुमार मल्होत्रा, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी और श्री सुदर्शन खन्ना, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी, प्रधान कार्यालय।

दिनांक 31-1-85 को मंडल के मुख्य केन्द्र काजीपेट में मंडल राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबन्धक श्री पी. शेषगिरि राव जी की अध्यक्षता में "राजभाषा सप्ताह समारोह" का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरम्भ मंगलाचरण से हुआ। श्री मधुसूदन, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर ने समारोह के मुख्य अतिथि प्रो० टी० वासुदेव, उपकुलपति, काकतीय विश्वविद्यालय और अतिथि वक्ता डा० ऐ, एन. चन्द्रलेखर रेड्डी, लेक्चरर लाल बहादुर कालेज का स्वागत किया। श्री पी. एन. रेड्डी, सहायक हिन्दी अधिकारी ने केन्द्र में राजभाषा नीति के अनुपालन में काजीपेट केन्द्र द्वारा प्राप्त उपलब्धियों की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की।

प्रो. वासदेव ने बताया कि बोलचाल और कामचलाऊ भाषा का विकास किया जाना चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे अपने सरकारी काम में हिन्दी का उपयोग करते हुए अपना पूरा सहयोग दें। इस अवसर पर डा. चन्द्रशेखर और सुदर्शन खन्ना ने भी अपने विचारों से कर्मचारियों को अवगत कराया। श्री पी. एन. रेड्डी, सहायक हिन्दी अधिकारी ने अतिथिगण और उपस्थित जन समूह को धन्यवाद देते हुए समारोह का समापन किया। इस अवसर पर डीजल शेड थिएटर में हिन्दी फीचर फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया।

–पी. एन. रेड्डी

कृते मंडल राजभाषा अधिकारी

(2) **गुंतकल**

गुंतकल मंडल पर राजभाषा सप्ताह समारोह दिनांक 22-2-85 से 28-2-85 तक शानदार ढंग से मनाया गया। इस सप्ताह का उद्घाटन 22 फरवरी को रेल कल्याण, तिरुपति में किया गया। इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता श्री आर. अनंतकृष्णन, मंडल रेल प्रबन्धक, गुंतकल ने की और डा. टी. आर. शर्मा, प्राध्यापक, श्री वेंकटेश्वर

चित्र सं० 9

22 से 28 फरवरी, 85 तक आयोजित गुंतकल रेल मंडल राजभाषा सप्ताह समारोह का उद्घाटन करते हुए मंडल रेल प्रबंधक श्री आर० अनन्तकृष्णन

विश्वविद्यालय, तिरुपति ने मुख्य अतिथि के रूप में सभा को संबोधित किया। इस असवर पर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं विसव मुलेधि सिकंदराबाद भी उपस्थित थे। दिनांक 23-2-85 को तिरुपति में राजभाषा कार्यान्वियन उप-समिति भी गठित की गई और रेल कर्मियों के लाभार्थ एवं हिन्दी के ज्ञान को बढ़ाने के लिए हिन्दी पुस्तकालय भी खोला गया।

दिनांक 23-2-85 को पाकाला उप-समिति द्वारा और दिनांक 26-2-85 को नंद्याल एवं द्रोणाचलम की समितियों द्वारा संयुक्त रूप से और 27-2-85 को डीजल शेड, गुंतकल उप-समिति द्वारा राजभाषा सप्ताह मनाया गया। इन समितियों ने अपने स्तर पर हिन्दी निबंध लेखन, वाक् प्रतियोगिताओं का आयोजन किया और विजेता कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किया गया।

राजभाषा सप्ताह के दौरान मंडल स्तर पर वाक्, निबंध लेखन टिप्पण व प्रारूप लेखन और हिन्दी टाईपिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें कर्मचारियों ने सोल्लास बड़ी संख्या में भाग लिया। वाक् और निबंध लेखन में तीन-तीन विजेता प्रतियोगियों और टिप्पण व प्रारुपण तथा हिन्दी टाईपिंग में दो-दो सफल प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया गया।

दिनांक 28-2-85 का समापन समारोह अविस्मरणीय रहा। सप्ताह के एक अंग के रूप म ही 11.00 बजे मंडल रेल प्रबन्धक की अध्यक्षता में मंडल राजभाषा कार्यान्वियन समिति की बैठक संपन्न हुई। शाम को 7.00 बजे रेलवे इन्स्टीयुट गुंतकल में समापन समारोह आयोजित था। मंडल राजभाषा अधिकारी ने अध्यक्ष श्री आर. अनंतकृष्णन, मरेप्र/गुंतकल श्रीमती लक्ष्मी अनंतकृष्णन, मुख्य अतिथि एवं वक्ता श्री लालाराम भिलवारे, हिन्दी अधिकारी हुबली एवं उपस्थित रेल कर्मियों का स्वागत करते हुए बताया कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार एवं हिन्दी में कार्य करने में कर्मचारी जिस तरह रुचि दिखा रहे हैं, आगे भी उसी प्रकार लेते रहेंगे। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि यह मंडल भी एक दिन राजभाषा कार्यान्वियन में अग्रणी होगा। श्री आर. अनंतकृष्णन, मरेप्र, गुंतकल ने अपने अध्यक्षीय भाषण म हिन्दी की प्रगति, कर्मचारियों द्वारा अपने दैनिक कार्यों में प्रयोग के बारे में बताते हुए हिन्दी को कार्यान्वियन में और भी तेजी लाने की कामना की। इसके बाद मुख्य अतिथि श्री लालाराम भिलवारे, हिन्दी अधिकारी ने हिन्दी को राजभाषा बनाये जाने के कारणों एवं इसके दूरगामी प्रभावों, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाये रखने में हिन्दी के योगदान के बारे ग विस्तारपूर्वक बताया। आपने इस बात पर भी जोर दिया कि प्राचीन काल में मुनि-मनीषियों द्वारा प्रयुक्त यह हिन्दी भाषा आज के इस यांत्रिक युग में, इस कम्पयूटर युग में भी अन्य भाषाओं के मुकाबले हिन्दी ही अधिक सक्षम है और वक्त के थपेड़ों को सहती हुई आगे बढ़ रही है।

इसके बाद श्रीमती लक्ष्मी अनंतकृष्णन द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। ये पुरस्कार हिन्दी परीक्षाओं में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों, विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता कर्मचारियों, हिन्दी में सरकारी कामकाज करने वाले कर्मचारियों, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग, प्रचार-प्रसार में संलग्न कर्मचारियों के अलावा रेलवे हाई स्कूल, तेलुगु एवं अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के बच्चों में बांटे गये। सायं 7 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम का रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। गीत-संगीत के इस आकर्षक मनोरंजन कार्यक्रम ने उपस्थित बड़ी भीड़ को शुरू से अंत तक अपने में बांधकर रखा। श्री जी. नरसिम्हप्प, हिन्दी अधीक्षक के धन्यवाद ज्ञापन के बाद यह समापन समारोह समाप्त हुआ।

—के. वेंकटाकृष्णन

कृते मंडल राजभाषा अधिकारी

एवं अपर रेल प्रबन्धक

(3) बर्नपुर

इस्को के प्रबन्धक निदेशक श्री एम. एफ. मेहता ने गत 19 नवम्बर (इन्दिरा गांधी का जन्म दिन) को राजभाषा सप्ताह के उद्घाटन के अवसर पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के शब्दों को दोहराते हुए कहा, "हिन्दी राष्ट्रीय एकता का सशक्त माध्यम है। इसका विकास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है। इसने समय-समय पर मानवीय शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई और साथ ही मिल-जुल कर प्रगति करने की भावना जगाई।" उन्होंने इस अवसर पर यह आह्वान किया कि हम राष्ट्रीय एकता और समृद्धि से काम में जोर शोर से लग जाएं। उन्होंने कहा कि इस्को के कर्मियों और अधिकारियों ने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के कार्यक्रमों में स्वेच्छा से सहयोग देकर अच्छी स्थिति बनाई है। यह एक सराहनीय बात है।

इस अवसर पर प्रबंध निदेशक महोदय ने एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जो काफी आकर्षक और सूचनापूरक थी। इस प्रदशनी को देखने से इंदिरा जी के हिन्दी के प्रति विचार और विदेशों के हिन्दी के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों के हिन्दी के प्रति उद्गार तथा देश और इस्को में हिन्दी के प्रचार-प्रसार की गतिविधियों से दर्शक सहज ही परिचित हो जाता है। बर्नपुर में आयोजित हिन्दी कार्यशाला में अहिन्दी भाषी कर्मियों द्वारा किए गए प्रदर्शन से यह पता चलता था कि हिन्दी में काम करना कितना आसान है।

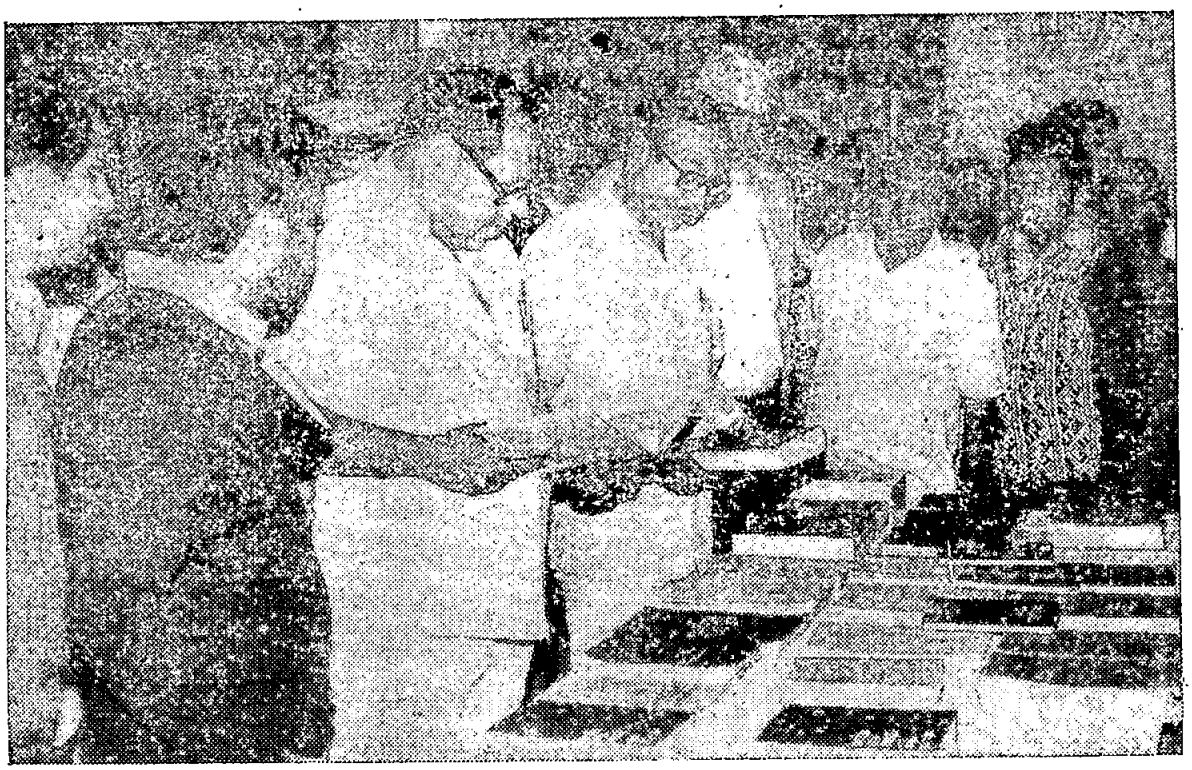

'इस्को' बर्नपुर द्वारा राजभाषा सप्ताह के उपलक्ष्य में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए इस्को के प्रबंध निदेशक श्री एम० एफ० मेहता।

हिन्दी प्रकोष्ठ तथा राजभाषा क्लब की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित चित्र, विभिन्न विषयों जैसे–इंजीनियरी, विज्ञान, मानविकी, बैंकिंग, विधि संबंधी शब्दकोश, मूल हिन्दी साहित्य की पुस्तकें श्रेष्ठ भारतीय साहित्य की हिन्दी में अनुवादित पुस्तकें आकर्षण का केन्द्र थीं।

उद्घाटन समारोह का प्रारम्भ श्री तन कुमार घोष, प्रबन्धक (तकनीकी सेवा) के उद्घाटन भाषण से हुआ जिसमें उन्होंने इस्को में हिन्दी कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों का ब्यौरा दिया तथा इसमें सहयोग देने वालों के प्रति आभार प्रकट किया। समारोह का समापन हिन्दी प्रकोष्ठ के वरिष्ठ सहायक श्री रामसजीवन यादव के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ।

इस अवसर पर सप्ताह भर में आयोजित विभिन्न तरह की हिन्दी प्रतियोगिताएं जैसे–भाषण, निबन्ध, आशुभाषण, पहेली, कविता पाठ, और हिन्दी में सर्वाधिक कार्यालयीन कार्य प्रतियोगिता में अहिन्दी भाषी और हिन्दी भाषी कर्मियों ने काफी उत्साह के साथ हिस्सा लिया। हिन्दी में सर्वाधिक कार्यालयीन कार्य करने वाले विभाग ने 26 दिनों में 47,747 शब्दों का प्रयोग किया। यह उल्लेखनीय है कि अधिकतर काम करने वाले अहिन्दी भाषी कर्मी थे। अहिन्दी भाषी कर्मियों के लिए 21–22 नवम्बर को भारती भवन में आयोजित हिन्दी नाटक प्रतियोगता में भरी हुई दर्शक दीर्घा इसका प्रमाण है कि ये गतिविधियां काफी लोकप्रिय हो रही हैं और अपना उद्देश्य पूरा कर रही हैं। यह सप्ताह 24 नवम्बर 1984 को समाप्त हुआ।

अमरेन्द्र कुमार सिंह
कनिष्ठ प्रबन्धक (हिन्दी)

(4) नई दिल्ली

(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास मंत्रालय में 15 नवम्बर से लेकर 22 नवम्बर, 1984 तक "हिन्दी सप्ताह" का आयोजन किया गया। "हिन्दी सप्ताह" के अवसर पर 15 नवम्बर, 1984 को ग्रामीण विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में मावलंकर हाल, विठ्ठल भाई पटेल हाउस, नई दिल्ली में एक उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मंत्रालय के सभी अधिकारियो/कर्मचारियों के अलावा नागरी प्रचारिणी सभा के महासचिव, श्री सुधाकर पाण्डेय, संसद सदस्य तथा श्री जगदम्बी प्रसाद यादव, संसद सदस्य ने इस समारोह में भाग लिया। समारोह की कार्रवाई आरम्भ होने से पहले देश की प्रिय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की असामयिक मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए दो मिनट का मौन भी रखा गया।

ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा उद्बोधन

ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती मोहसिना किदवाई ने कहा कि देश की आजादी के कर्णधार चाहते थे कि हिन्दी को अंग्रेजी के स्थान पर राजभाषा का सम्मानित दर्जा मिले। हिन्दी को यही सम्मानित स्थान दिलाने के लिए संविधान में अनेक महत्वपूर्ण धाराएं रखी गई हैं और इन धाराओं में निहित नीति को अमल में लाने के लिए राजभाषा अधिनियम बनाया गया। उन्होंने कहा कि भाषा का प्रश्न भावना का प्रश्न है और भावनाएं केवल कानूनों से नहीं बदली जा सकतीं। इसलिए राजभाषा कानून में सभी के सहयोग और सद्भावना की अपेक्षा की गई और इसी सहयोग और सद्भावना से सरकारी काम-काज में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को लाना है।

उन्होंने स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि **"कोई भी देश अपनी मातृभाषा के द्वारा ही आगे बढ़ सकता है। हम दूसरी भाषा सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन नए विचार उससे पैदा नहीं होते हैं। नए विचार केवल अपनी मातृभाषा के द्वारा ही मिल सकते हैं।"**

उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय गांवों के विकास संबंधी कार्य करता है इसलिए विकास नीतियां, विकास संबंधी कार्यक्रम और उनको पूरा करने के लिए किए जाने वाले उपाय आदि सभी को उसी भाषा के माध्यम से ग्रामवासियों के पास ले जाना होगा जो उनकी भाषा है। सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। इसलिए इस मंत्रालय में काम करने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का यह विशेष कर्तव्य हो जाता है कि वे अपना अधिक से अधिक काम हिन्दी में करें।

इस समारोह के अवसर पर हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य एवं संसद सदस्य के नाते श्री जगदम्बी प्रसाद यादव ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा "हिन्दी सप्ताह" के आयोजन पर शुभ कामनाएं देते हुए कहा कि इस मंत्रालय में हिन्दी की प्रगति के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय में हिन्दी का माहौल बनाने के लिए कर्मचारियों में और अधिक चेतना तथा जागरूकता की आवश्यकता है। मंत्रालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करें, बातचीत हिन्दी में करें। "हिन्दी सप्ताह" के दौरान सभी अधिक से अधिक हिन्दी में लिखें और हस्ताक्षर भी हिन्दी में ही करें। उन्होंने मंत्री जी को इस बात का धन्यवाद दिया कि उन्होंने "हिन्दी सप्ताह" आयोजित करने का जो आश्वासन दिया उसको पूरा कर दिखाया।

इस समारोह में नागरी प्रचारिणी सभा (वाराणसी) के महासचिव तथा संसद सदस्य श्री सुधाकर पाण्डेय, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय

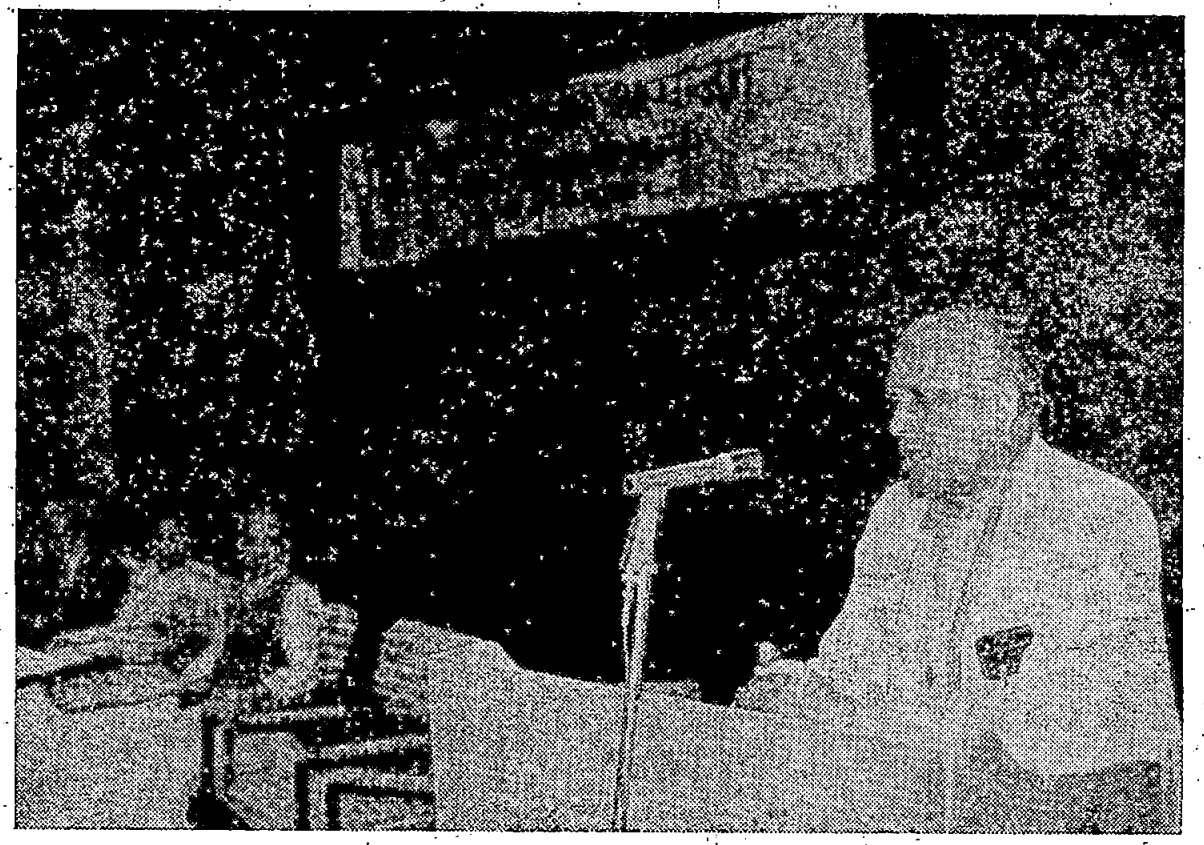

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित 'हिन्दी सप्ताह' के आयोजन के अवसर पर शुभकामनाएं प्रदान करते हुए संसद सदस्य श्री जगदम्बी प्रसाद यादव।

की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं, ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में "हिन्दी सप्ताह" का आयोजन किए जाने पर अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस मंत्रालय द्वारा गांवों के विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनके लिए आम लोगों की भाषा ही प्रयोग में लाई जानी चाहिए। यदि ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसे मंत्रालय हिन्दी में कार्य करें तो ग्राम स्तर पर हिन्दी की प्रगति होगी। उन्होंने कहा कि हिन्दी लिखने में शुरू-शुरू में कठिनाई अवश्य होती है लेकिन अभ्यास से वह दूर हो जाती है। उन्होंने कहा कि केवल हिन्दी अनुवाद पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए क्योंकि अनुवाद की भाषा कठिन होती है। गलतियों से घबराना नहीं चाहिए। धीरे-धीरे अभ्यास करने से भाषा में स्वयं सुधार हो जाता है। हिन्दी प्रेम की भाषा है। परिश्रम से हमें काम करना चाहिए। चाहे हम टूटी-फूटी हिन्दी में ही लिखें। भाषा का समझा जाना आवश्यक है और ऐसी भाषा लिखने में आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। शब्द हिन्दी में

नहीं लिखे जा सकते हैं तो उनको अंग्रेजी में लिख सकते हैं। हिन्दी तब बढ़ेगी जब सबका सहयोग होगा। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि ग्रामीण विकास मंत्रालय "हिन्दी सप्ताह" से अपना अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करना आरम्भ कर देगा।

इस अवसर पर संयुक्त सचिव (हिन्दी) ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि माननीय मंत्रीजी तथा माननीय संसद सदस्यों द्वारा मंत्रालय में हिन्दी के प्रचार-प्रसार व प्रयोग के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उन्हें मंत्रालय अवश्य अमल में लाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि माननीया मंत्रीजी के मार्गदर्शन में सभी अधिकारी/कर्मचारी अधिक से अधिक हिन्दी के प्रयोग को गति देंगे।

सप्ताह के दूसरे दिन ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री आर. गोपालस्वामी द्वारा सभी सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी में काम करने का आग्रह करते हुए एक अपील जारी की गई। जैसा कि ग्रामीण विकास मंत्री जी ने आह्वान करते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध किया था कि वे "हिन्दी सप्ताह" के दौरान ही नहीं बल्कि मिसिलों पर अधिक से अधिक टिप्पणी और आलेख हिन्दी में लिखें, बैठकों में हिन्दी में ही चर्चा करें, इसी आह्वान पर जोर देते हुए सचिव महोदय ने अपील की कि राजभाषा नियमों के अनुसार हिन्दी भाषा राज्यों और "ख" क्षेत्र के राज्यों के साथ हिन्दी में ही पत्र-व्यवहार किया जाना चाहिए और सभी निर्दिष्ट कागजात अनिवार्य रूप से हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी किए जाने चाहिए। इसके अलावा, कहीं से भी हिन्दी में प्राप्त पत्र का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिया जाना चाहिए। मंत्रालय के जिन अधिकारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है और जिन्होंने हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी का प्रशिक्षण लिया है, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना सरकारी काम-काज अधिक से अधिक हिन्दी में ही करें। हिन्दी को भारत की राजभाषा का व्यावहारिक रूप देने की जिम्मेदारी सभी की है।

उन्होंने सभी से सानुरोध प्रार्थना की है कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी "हिन्दी सप्ताह" से मंत्रालय का अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में ही करने की शपथ लें।

"हिन्दी सप्ताह" के दौरान मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिवों द्वारा अपने-अपने प्रभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की अलग-अलग बैठकें आयोजित की गई जिनमें सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उन्हें हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित व प्रेरित किया। "हिन्दी सप्ताह" के दौरान मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा हिन्दी अधिकारी ने विभिन्न अनुभागों व अधिकारियों के पास जाकर हिन्दी के प्रयोग में आ रही उनकी कठिनाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त की और उन्हें हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित किया तथा उनकी कठिनाइयों का समाधान किया। मंत्रालय के सभी कमरों में हिन्दी के प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए चार्ट आदि टांगे गए तथा हिन्दी में काम करने के लिए कुछ वाक्यांश, हिन्दी शब्दावली आदि वितरित की गई। "हिन्दी सप्ताह" के आयोजन से अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी में काम करने का दृढ़ निश्चय पैदा हुआ है।

भारतसिंह भदौरिया
वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी

(ख) प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में 20 फरवरी, 1985 बुधवार को प्रातः 11 बजे "हिन्दी दिवस" का आयोजन निदेशालय के निदेशक श्री सुरेन्द्र कुमार टुटेजा की अध्यक्षता में किया गया। श्री रामदास उपनिदेशक ने कार्यक्रम का संचालन किया।

कार्यक्रम के आरम्भ में श्री रामदास ने "हिन्दी दिवस" के आयोजन की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया है, अतः हमें इसका सम्मान करना चाहिए। भारत की सभी भाषाएं हमें समान रूप से प्रिय हैं। उनसे हमारी स्पर्धा नहीं है। हमें हिन्दी में कार्य प्रारम्भ करना चाहिए। अन्य भाषाओं के शब्दों को उदारता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। तभी हिंदी सर्वप्रिय भाषा बन सकेगी।

इस के बाद हिंदी अधिकारी ने निदेशालय में हिंदी की प्रगति के बारे में बताया। साथ ही भारत सरकार के महत्वपूर्ण आदेशों को पढ़ा। उन्होंने बताया कि कहीं से भी प्राप्त हिंदी पत्र का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना चाहिए। "क" क्षेत्र के राज्यों से हिन्दी में पत्र-व्यवहार भी जरूरी है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्रीमती वर्षा दास, उपनिदेशक ने मीरा का एक भजन गाया। श्री हरीसिंह पाल ने अपनी कविता के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ने की बात कही। श्री देवेन्द्र शर्मा ने हास्य रस की रचनाएं सुना कर वातावरण को सरस बनाया।

हिन्दी अधिकारी ने बताया कि हमारा निदेशालय हिंदी में काम करने वाले कार्यालयों की सूची में अधिसूचित हो चुका है, अतः हिंदी के प्रयोग में वृद्धि लाना हमारा दायित्व बन गया है। स्टाफ को सूचित किया गया कि हिंदी में कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा विभाग द्वारा घोषित प्रोत्साहन के अलावा प्रशस्ति-पत्र दिए जाएंगे।

निदेशालय के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने निम्नलिखित संकल्प को दोहराया :

> "प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के हम सभी कर्मचारी एवं अधिकारी यह संकल्प लेते हैं कि सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग भारत सरकार के आदेशों के अनुरूप यथासंभव करने का प्रयास करेंगे।"

निदेशक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि हम सरल भाषा का उपयोग करते हुए अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों का भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरणार्थ यदि हमें इंजीनियर का हिंदी पर्याय नहीं पता तो हम देवनागरी में ही इंजीनियर लिख सकते हैं। इसी तरह से नोटिंग में सभी प्रकार की मिश्रित शब्दावली उपयोग में लाई जा सकती है।

निदेशक ने इस आयोजन के लिए श्री रामदास, उपनिदेशक हिन्दी अधिकारी और उनके स्टाफ की प्रशंसा की। उन्होंने हिंदी में काम करने वालों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

सत्य प्रकाश आर्य
हिन्दी अधिकारी

विविधा

1. महाप्रबन्धक, दूरसंचार, मद्रास में पुरस्कार वितरण

सन् 1984 मई महीने में हुई हिन्दी शिक्षण योजना की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार वितरित करने के लिए 10-12-84 को एक भव्य समारोह इस कार्यालय में संपन्न हुआ।

श्री ए. वि. एस. मणि, महाप्रबन्धक ने अध्यक्षासन ग्रहण किया और पुरस्कार वितरित किये।

अपने अभिनन्दन भाषण में, श्री सुन्दरम हिन्दी संपर्क अधिकारी एवं मंडल इंजीनियर (प्रशा.) ने हिन्दी शिक्षण योजना का ब्यौरा दिया और प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध सुविधाओं की भी सूचना दी। फिर कहा कि इस क्षेत्र से कक्षाओं को बड़ी संख्या में कर्मचारियों को भेजा जा रहा है और पुरस्कार भी दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सात कर्मचारियों ने पुरस्कार पाकर एक रिकार्ड बनाया है।

इस संबंध में श्री एस. दुरैस्वामी, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने एक संक्षिप्त भाषण दिया और पुरस्कार विजेताओं के नाम पढ़े। महाप्रबन्धक ने उपस्थित कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किये।

श्री ए. वि. एस. मणि ने अपने भाषण में विजेताओं को उनके अच्छे अंक पाने और पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाइयां दीं। उन्होंने जोर दिया कि अधिक से अधिक कर्मचारी आगे आएं और इस सेवाकालीन प्रशिक्षण में भरपूर भाग लें। उन्होंने बताया कि चूंकि भारत विविध सांस्कृतियों वाला राष्ट्र है और यहां की प्राप्त भाषाओं में सैंकडों बोलियां हैं, इस लिए हिन्दी ही सभी स्थिति में संपर्क भाषा बन सकती है। अतः हमारा मुख्य लक्ष्य उस भाषा में क्षमता ग्रहण करना है।

I नकद पुरस्कार पाने वाले कर्मचारी :–

		रु०
1.	जे राममूर्ति, क. इ.	प्रबोध—100.00
2.	वि. अरविंद लोचन, क. इ.	प्राज्ञ—200.00
3.	श्रीमती सुन्दरवल्ली, टी. ओ. ए.	प्राज्ञ—300.00
4.	श्रीमती वि. भानुमति, आशुलिपिक,	प्राज्ञ—300.00
5.	श्री जे. संपत श्रीनिवासन, आशुलिपिक,	प्रवीण—200.00
6.	श्रीमती पी. शांता, क. इ. प्रवीण	100.00
7.	श्रीमती एम. मनोरमा, टि. ओ. ए.	प्रवीण—100.00

II. एक वेतनवृद्धि के समान वैयक्तिक वेतन का पुरस्कार :—

1. श्री वि. अरविंद लोचन, क. इ. प्राज्ञ—12 महीने के लिए
2. श्रीमती वि. भानुमति, आशुलिपिक, प्राज्ञ—12 महीने के लिए
3. श्रीमती एन. सुन्दरवल्ली, टि. ओ. ए. प्राज्ञ—12 महीने के लिए

–एस. सुन्दरम
हिन्दी सम्पर्क अधिकारी
एवं मंडल इंजीनियर (प्रशा.)

2. कुल्टी वर्क्स में राजभाषा क्लब का वार्षिकोत्सव

"इस्को" का कुल्टी वर्क्स अहिन्दी भाषी क्षेत्र में स्थित है और यहां हिन्दी के प्रसार-प्रचार के लिये राजभाषा क्लब गठित किया गया है। इस क्लब का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों से माध्यम से हिन्दी का प्रसार प्रचार करना और सभी कर्मियों में हिन्दी के प्रति रुचि पैदा करना है। यह क्लब वर्ष में अपना वार्षिकोत्सव मनाता है एवं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

9 फरवरी, 85 को राजभाषा क्लब ने अपना वार्षिकोत्सव मनाया। इस अवसर पर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम तथा एक सुरुचिपूर्ण कवि सम्मेलन आयोजित किया। हजारों कर्मियों ने कवि सम्मेलन का आस्वादन किया।

कुल्टी वर्क्स क विभिन्न विभाग अपना दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज हिन्दी में करने लगे हैं। सूचना, परिपत्र, ज्ञापन, निविदा आदि हिन्दी में ही जारी किये जा रहे हैं। हिन्दी में कामकाज करने की गति का बढ़ावा देने के लिए दिवम्बर, 84 में अंतर्विभागीय हिंदी कार्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। सबसे अधिक हिन्दी में काम करने वाले विभाग को "राजभाषा चल कप" तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विभाग को "राजभाषा कप" प्रदान किया जाना था। इसके अतिरिक्त उत्पादन और गैर उत्पादन वर्ग के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार देने थे। इस प्रकार कुल 10 पुरस्कार थे। अतः इस प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे।

राजभाषा चल कप —— उत्पादन योजना व प्राक्कलन

राजभाषा कप —— कार्मिक विभाग

उत्पादन वर्ग	गैर-उत्पादन वर्ग
प्रथम—जी. सी. शाप	प्रथम—महाप्रबन्धक का कार्यालय
द्वितीय—मशीन शाप	द्वितीय—सामग्री विभाग
तृतीय—स्पन पाइप सयंत्र	तृतीय—नगर प्रशासक
सांत्वना—धातुकर्म विभाग	सांत्वना—तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र

9 फरवरी, 85 को राजभाषा क्लब के वार्षिकोत्सव के अवसर पर उपर्युक्त विभागों को पुरस्कार प्रदान किये गए। पुरस्कार प्रदान किये श्रीमती केटी मेहता ने। इस अवसर पर विशित अतिथि के रूप में कम्पनी के प्रबंध निदेशक श्री एम. एफ. मेहता तथा वरिष्ठ अधिकारी-गण भी उपस्थित थे।

संहायक प्रबन्धक (हिन्दी) श्री पौहारी शरण सिन्हा से स्वागत भाषण के बाद संपर्क अधिकारी श्री के. के. तिवारी ने राजभाषा क्लब के संबंध में संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया। राजभाषा क्लब के अध्यक्ष और महाप्रबन्धक (कुल्टी व स्टिस्कॉन) श्री विनय कुमार साहा ने क्लब की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए हिन्दी प्रयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। महाप्रबन्धक (वर्क्स) श्री के. डी. ढिल्लन ने अपने भाषण में कुल्टी वर्क्स में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की सराहना की। समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री एम. एफ. मेहता, प्रबन्ध निदेशक ने पूरी कम्पनी में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति का उल्लेख करते हुए आशा व्यक्त की कि हमारी कम्पनी राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में आगे रहेगी।

पुरस्कार वितरण के बाद कवि सम्मेलन आरंभ हुआ। कवि सम्मेलन का शुभारंभ वाराणसी की कवयित्री विभा मिश्र की "सरस्वती वंदना" से हुआ। इसके बाद श्री कुमार वृजेन्द्र श्री बुद्धिनाथ मिश्र, श्री मंसूर आलम ने अपनी सरस रचनाओं का पाठ किया। श्री मिश्र के गीत सराहे गए। कवि सम्मेलन को ठहाकों से भरने का श्रेय बम्बई से पधारे हास्य कवि श्री हुल्लड़ मुरादाबादी को रहा। उनकी दो छोटी-छोटी रचनाएं बड़ी ही मर्मस्पर्शी रहीं। श्री माणिक वर्मा की उपस्थिति से श्रोताओं ने भरपूर आनन्द लिया। इनकी व्यंग्य रचनाएं न केवल सराही गईं बल्कि श्रोताओं को सोचने-समझने को बाध्य किया।

—केशवदेव झा

सचिव (क्लब) एवं मुख्य कार्मिक प्रबन्धक, कुल्टी वर्क्स

3. दक्षिण मध्य रेलवे हुबली में हिन्दी पुस्तकालय का उद्घाटन

दक्षिण-मध्य रेलवे के महाप्रबन्धक श्री मलिक द्वारा तारीख 18-1-85 को दक्षिण-मध्य रेलवे हुबली स्टेशन (हुबली मंडल) परहिन्दी पुस्त, कालय का भव्य उद्घाटन किया गया। महाप्रबन्धक श्री मलिक-दक्षिण-मध्य रेलवे मुख्यालय अन्य विभाग अध्यक्षों सहित पुस्तकालय प्रांगण में पधारे। हुबली मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री ए. एन. पेरूनाल, अपरमंडल रेल प्रबंधक श्री रा. रे. वड़गी और वरिष्ठ हिंदी अधिकारी श्री लालाराम मिलवारे ने आगे बढ़कर उनकी आगवानी की। अपर मंडल रेल प्रबंधक तथा राजभाषा अधिकारी श्री वड़गी ने पुष्प माला अर्पित करके उनका स्वागत किया।

इसके बाद राजभाषा हिंदी प्रचार और प्रसार के लिये हुबली स्टेशन पर हिंदी पुस्तकालय के लिये नव-निर्मित कक्ष का उद्घाटन श्री मलिक ने किया। उन्होंने पुस्तकालय में प्रवेश करके दीप प्रज्वलित किया और सरस्वती पूजा की। इस अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने करतल ध्वनि से हर्ष व्यक्त किया। कार्यक्रम का प्रारम्भ कु. पद्मा चौगुले द्वारा सरस्वती वन्दना से हुआ।

हिंदी अधिकारी श्री लालाराम मिलवारे ने महाप्रबंधक को हुबली मंडल पर हिंदी प्रचार-प्रसार की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हुबली मंडल पर इस समय 10 पुस्तकालय हैं, जिसमें से 7 पुस्तकालयों के लिए अलग स्थान की व्यवस्था हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने हुबली मंडल पर हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

हिन्दी अधिकारी

मंडल कार्यालय, कार्मिक शाखा, हुबली

4. लघु उद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्ली में संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी

लघु उद्योग सेवा संस्थान, औखला, नई दिल्ली में 9 जनवरी, 1985 को "सरकारी कामकाज में हिंदी" विषयक संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह आयोजन विकास आयुक्त (ल. उ.) के कार्यालय की "हिंदी संवर्द्धन योजना" के अधीन किया गया था। इस योजना क तहत पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी देश भर के सात लघु उद्योग सेवा संस्थानों, में एक दिवसीय हिन्दी संगोष्ठी आयोजित किये जाने का लक्ष्य है और यह संगोष्ठी इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी थी। भारत के सभी प्रमुख नगरों में लघु उद्योग सेवा संस्थानों में हिन्दी के प्रति जागृति उत्पन्न करने एवं हिन्दी के अनुकूल वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से ही इन संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है।

संगोष्ठी के आरम्भ में श्री एस. बन्धोपाध्याय निदेशक, क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र ने सभी अतिथियों का स्वागत किया तथा श्री एस. नील-कण्ठन, निदेशक (हिन्दी) विकास आयुक्त (ल. उ.) संगोष्ठी की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला।

संगोष्ठी का उद्घाटन प्रसिद्ध साहित्यकार एवं पत्रकार श्री हिमांशु जोशी ने किया तथा संस्थान में 12 दिसम्बर, 1984 को हुई हिन्दी निबन्ध एवं वाक् प्रतियोगिताओं तथा हिंदी व्यवहार प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 500 रुपए के नकद पुरस्कार भी वितरित किए। संगोष्ठी के प्रथम सत्र की अध्यक्षता करते हुए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के निदेशक श्री राजमणि तिवारी ने राष्ट्रीय गौरव और प्रजातन्त्र की सफलता के लिए सरकारी कामकाज हिंदी में किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस काम में कोई रुकावट नहीं है और सभी को हिन्दी में काम करने की पूरी छूट है। लघु उद्यमी प्रायः भारतीय भाषाएं बोलते हैं और अंग्रेजी के माध्यम से उन तक पहुंचना कठिन है। उन्होंने रूस, इटली, जापान आदि देशों के उदाहरण देते हुए अपनी ओजपूर्ण आवाज में कहा कि इन देशों की औद्योगिक प्रगति अपनी-अपनी भाषाओं में ही हुई हैं।

सगोष्ठी के दूसरे सत्र में श्री के. के. पाण्डे संयुक्त निदेशक (तकनीकी) राजभाषा विभाग ने कम्प्यूटर इत्यादि घोर तकनीकी संयंत्रों के माध्यम से हिन्दी के प्रयोग की महती सम्भावनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।

तेलुगु, भाषी विद्वान डा. पाण्डु रंगराव, निदेशक (राजभाषा) संघ लोक सेवा आयोग ने इस मंच से अपनी प्रांजल और परिष्कृत भाषा एवं विशिष्ट शैली में कहा कि हमें हिन्दी का प्रयोग कानूनी अनिवार्यता मानकर या औपचारिक नियम पालन मात्र मान कर नहीं करना है अपितु आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी अधिकारी

एवं कर्मचारी इस जनभाषा को, राष्ट्रभाषा की कड़ी हिन्दी को इसके प्रति सच्ची निष्ठा, श्रद्धा एवं सहज अनुराग की भावना से प्रतिष्ठित करें।

हिन्दी के अनन्य सेवी श्री हरिबाबू कंसल, भूतपूर्व उपसचिव, राजभाषा विभाग ने हिन्दी में काम करने को अधिक सरल बताते हुए सभी को हिन्दी में अधिक से अधिक काम करने को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश में आर्थिक सम्पन्नता के साथ-साथ सांस्कृतिक सम्पन्नता का होना भी बहुत जरूरी है और इस लिहाज से अपनी भाषा का सुदृढ़ एवं संजीव होना बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा कि हिन्दी में काम करते हुए अशुद्धियों से घबराना नहीं चाहिए और यदि किन्हीं प्रान्तीय भाषा भाषियों को हिन्दी व्याकरण, लिंग आदि की दृष्टि से कठिनाई होती है तो उससे घबरा कर हिन्दी में काम करना बन्द नहीं करना चाहिए। उनकी टिप्पणी थी–"लैट हिन्दी बी ऑफ मेस्क्यूलिन जेण्डर"।

प्रसिद्ध नाटककार एवं भूतपूर्व मुख्य अनुवाद अधिकारी, रक्षा मंत्रालय श्री रेवती सरण शर्मा जी ने सरकारी कामकाज में अनुवाद की प्रक्रिया को व्यर्थ एवं हास्यास्पद बताते हुए सीधी-सादी और बोल-चाल की भाषा में लिखने तथा अंग्रेजी का अंधानुकरण न करके हिन्दी के मूल वाक्य विन्यास को अपनाने पर जोर दिया।

प्रसिद्ध लेखक एवं भूतपूर्व भारतीय उच्चायुक्त (द्विजी एवं टोंगा) कैप्टन भगवान सिंह जी ने दूसरे सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में तथा वातावरण को हिन्दीमय बनाने में ऐसी संगोष्ठियों आदि का आयोजन एक ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि सरकारी तन्त्र में हिन्दी अधिकारियों को सरकार की भाषा नीति के कार्यान्वयन का माध्यम मात्र न समझ कर उन्हें व्यापक अधिकार एवं अन्य विभागों का संचालन तथा उत्तरदायित्व भी दिया जाना चाहिए इससे सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग सहजता से स्वतः ही बढ़ता रहेगा।

इस अवसर पर एक लघु प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें लघु उद्योग सेवा संस्थान में पिछले दो वर्षों में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कैप्टन भगवान सिंह ने किया।

लघु उद्योग सेवा संस्थान में आयोजित संगोष्ठी के समापन अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन करती हुई श्रीमती मोहिनी हिंगोरानी।

अन्त में संगोष्ठी व प्रदर्शनी के सफल आयोजन एवं कुशल संचालन के लिए संस्थान के निदेशक श्री नागाराजन एवं हिन्दी अधिकारी श्रीमती मोहिनी हिंगोरानी की सभी ने मुक्त कण्ठ से सराहना की।

–मोहिनी हिंगोरानी
हिन्दी अधिकारी
लघु उद्योग सेवा संस्थान, ओखला, नई दिल्ली

5. लघु उद्योग सेवा संस्थान, त्रिचूर में हिन्दी संगोष्ठी

श्री वी. एन उण्णी, स्टेशन निदेशक, आकाशवाणी, त्रिचूर की अध्यक्षता में दिनांक 18 जनवरी, 1985 को लघु उद्योग सेवा संस्थान, त्रिचूर में एक दिन की हिन्दी संगोष्ठी सम्पन्न हुई। त्रिचूर लघु उद्योग सेवा संस्थान, के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अलावा, लघु उद्योग, सेवा संस्थान, मद्रास तथा क्षेत्रीय परीक्षक केन्द्र, मद्रास और उत्पादन केन्द्र, एट्टुमनुर के हिन्दी कर्मचारी भी उपस्थित थे। श्री महादेव शास्त्री, सहायक आयुक्त (आयकर विभाग) त्रिचूर ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया।

श्री के. ए. मैथ्यू, उपनिदेशक (रसायन) लघु उद्योग संस्थान, त्रिचूर में मुख्य अतिथि तथा संगोष्ठी में उपस्थिति व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत किया।

श्री शास्त्री ने अपने उद्घाटन भाषण में सरकारी कामकाज में हिन्दी की आवश्यकता पर जोर दिया। दक्षिण क्षेत्र में इस प्रकार की संगोष्ठियों के आयोजन के लिए उन्होंने विकास आयुक्त (लघु उद्योग) नई दिल्ली तथा लघु उद्योग सेवा संस्थान, त्रिचूर की मुक्त कंठ से प्रशंसा की।

श्री उण्णी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इस बात पर जोर दिया कि कि हिन्दी केवल उत्तर भारत की भाषा नहीं है, जैसा कि दक्षिण लोग समझते हैं। राष्ट्रीय एकता के लिए एक सम्पर्क भाषा की जरूरत है और संविधान में यह दर्जा हिन्दी को दिया गया है, अतः हिन्दी का पढ़ना हम सबके लिए जरूरी है।

श्री नाहर सिंह वर्मा, हिन्दी अधिकारी, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, नई दिल्ली ने संगोष्ठी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने तथा सरकारी कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रूचि जागृत करने के लिए, इस प्रकार की संगोष्ठियों का अयोजन निहायत जरूरी है।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री महादेव शास्त्री ने इस योजना के अधीन आयोजित विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं में विजयी हुए कर्मचारियों को नकद पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र प्रदान किए।

नाहर सिंह वर्मा
हिन्दी अधिकारी
कार्यालय विकास आयुक्त
लघु उद्योग, नई दिल्ली

6. लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर में हिन्दी संगोष्ठी

लघु उद्योग विकास संगठन की हिन्दी संवर्द्धन योजना के अन्तर्गत 16-10-1984 को लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर में, प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी एवं वयोवृद्ध साहित्यकार श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी की अध्यक्षता में "उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में हिन्दी" विषय पर एक हिन्दी संगोष्ठी आयोजित की गई। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध-निदेशक, श्री आनन्दी लाल बांगटा ने दीप जलाकर संगोष्ठी का उद्घाटन किया। उन्होंने अपने संक्षिप्त एवं सार गर्भित भाषण में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि स्वतन्त्र राष्ट्र के लिए एक सर्वसम्मत राजभाषा का होना जरूरी है और हमारे संविधान में यह स्थान हिन्दी को दिया गया है।

इस अवसर पर हिन्दी प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन संयुक्त विकास आयुक्त श्री निर्मल सिंह हीरा ने किया। इस प्रदर्शनी में लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो) तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी में किए जा रहे कार्यों की एक झांकी प्रस्तुत की गई।

लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर के निदेशक श्री गिरवर प्रसाद अग्रवाल ने संगोष्ठी के अध्यक्ष, मुख्य अतिथि तथा अन्य विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों, हिन्दी सेवियों, राजभाषा अधिकारियों आदि का स्वागत करते हुए कहा कि हमारे संगठन का मुख्य कार्य लघु उद्योग के माध्यम से जनता की सेवा करना तथा उन्हें लघु उद्योग लगाने के लिए तकनीकी तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना है। चूंकि राजस्थान राज्य एक हिन्दी भाषी क्षेत्र है और यहां की सरकारी कामकाज की भाषा हिन्दी है तथा अधिकांश जनता, खास तौर से दूर-दराज की ग्रामीण जनता, हिन्दी ही जानती है, अतः उनके पास हिन्दी के माध्यम से हमारा पहुंचना इस दिशा में एक सही कदम है। इसी उद्देश्य को लेकर यह संगोष्ठी यहां आयोजित की गई है, और इस कार्य में हिन्दी को एक माध्यम बनाकर जनता की सेवा बेहतर तरीके से की जा सकती है।

संयुक्त विकास आयुक्त, श्री निर्मल सिंह हीरा ने अपने भाषण में लघु उद्योग विकास संगठन की हिन्दी संवर्द्धन योजना तथा इसके अधीन देश भर में हर वर्ष की जा रही हिन्दी संगोष्ठियों के बारे में बताते हुए कहा कि हिन्दी संगोष्ठियों के आयोजन से हिन्दी का अनुकूल वातावरण बनाने में मदद मिली है और इससे लघु उद्योग विकास संगठन में हिन्दी का प्रयोग काफी हद तक बढ़ा है। पिछले वर्ष 1983-84 में 7 लघु उद्योग सेवा संस्थानों—इंदौर, कानपुर, बंबई, बंगलौर, कटक, गोहाटी तथा अहमदाबाद में इस तरह की एक दिवसीय हिन्दी संगोष्ठियां आयोजित की गई थीं तथा पिछले वर्ष के अनुभव से उत्साहित होकर इस वर्ष भी 7 संस्थानों—जयपुर, नई दिल्ली, त्रिचुर, इलाहाबाद नागपुर, हैदराबाद तथा रांची में संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर में यह इस वर्ष की पहली संगोष्ठी है। संगोष्ठी के द्वितीय सत्र में विभिन्न विद्वानों ने अपने आलेख पढ़े तथा अपने विचार रखे। इनमें मुख्य थे—डॉ. बिश्म्भर नाथ उपाध्याय, हिन्दी विभागाध्यक्ष, जयपुर विश्वविद्यालय, जयपुर, डा. कलानाथ शास्त्री, निदेशक, भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर; पंडित देवीशंकर तिवारी; श्री राजेन्द्र शंकर भट्ट; श्री सुशील चन्द्र आनन्द; महालेखाकार, श्री अश्विनी कुमार; डा. शिब्बन कृष्णन् रैना; श्री आत्मा राम शर्मा; श्री ज्ञान प्रकाश; श्री रेवती राम शर्मा; श्री जोन तालिवुद्दीन आदि

लघु उद्योग विकास संगठन के मुख्यालय के हिन्दी अधिकारी श्री नाहर सिंह वर्मा ने मुख्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में तेजी से बढ़ रहे हिन्दी के प्रयोग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यालय में 25 से 30 प्रतिशत तथा हिन्दी भाषी क्षेत्रों के कुछेक संस्थानों में 40 से 50 प्रतिशत तक कार्य मूल रूप से हिन्दी में हो रहा है तथा तकनीकी साहित्य, प्रोजेक्ट रिपोर्ट व प्रोजेक्ट प्रोफाइलें रिपोर्टें आदि जनता को हिन्दी में उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रायः सभी वक्ताओं ने इस तरह के आयोजन की सराहना की और कहा कि केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों को भी इस तरह की संगोष्ठियां आयोजित करनी चाहिए, ताकि सरकारी कामकाज में हिन्दी को समुचित स्थान मिल सके।

अंत में पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि हमने अपनी आज़ादी की लड़ाई में हिन्दी को एक कारगर हथियार के रूप में प्रयुक्त किया था और हिन्दी एक ऐसी भाषा है, जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। यह भाषा, अत्यन्त सरल है तथा इसकी लिपि सर्वोत्कृष्ट एवं वैज्ञानिक है। यह थोड़े से श्रम से बहुत जल्दी सीखी जा सकती है। राष्ट्रभाषा हिन्दी में अपना काम करने में हमें गर्व का अनुभव करना चाहिए। इस अवसर पर हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी कर्मचारियों और अधिकारियों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार भी प्रदान किए गए

—महेश प्रसाद शर्मा
राजभाषा अधिकारी
लघु उद्योग सेवा संस्थान, जयपुर

7. निदेशक दूर संचार कार्यालय, भोपाल में हिन्दी पत्रिका का विमोचन

मध्य प्रदेश दूरसंचार परिमंडल के महाप्रबंधक श्री पी. एस. जोशी ने दिनांक 8.10.84 को निदेशक दूरसंचार कार्यालय भोपाल की हस्तलिखित त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका "प्रयास" के प्रवेशांक का विमोचन करते हुए कहा कि सरकारी कार्यालयों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी के प्रचार-प्रसार में अधिकाधिक योगदान देना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस पत्रिका के सतत प्रकाशन से कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी।

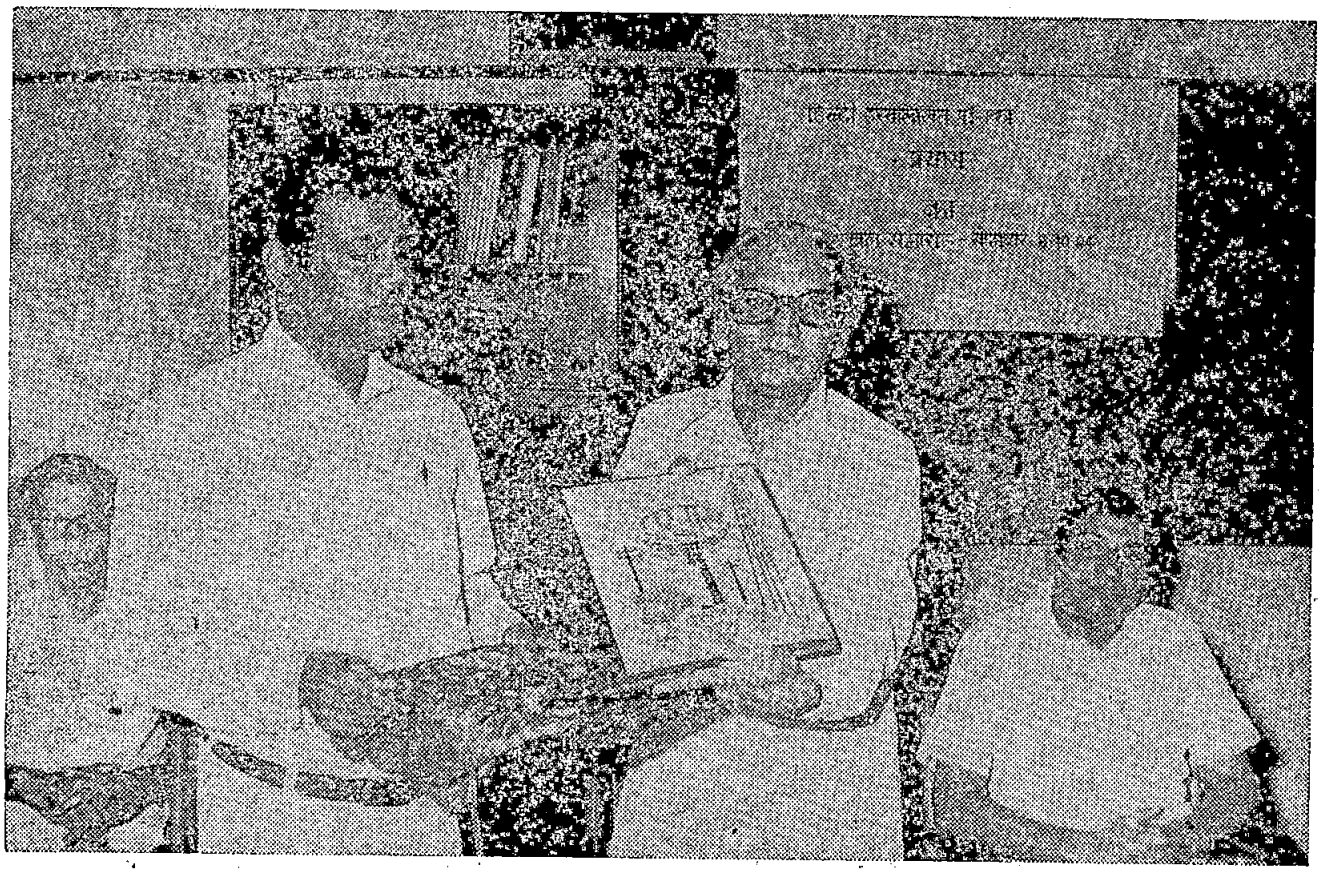

मध्य प्रदेश दूर संचार परिमंडल के महाप्रबंधक श्री पी० एस० जोशी द्वारा निदेशक, दूरसंचार की हस्तलिखित त्रैमासिक पत्रिका 'प्रयास' का विमोचन।

कार्यक्रम की शुरूआत महाप्रबन्धक द्वारा मां सरस्वती को माल्यार्पण से की गई। श्री गोपालदास निदेशक दूरसंचार भोपाल ने आरंभ में मुख्य अतिथि का स्वागत कर हस्तलिखित हिन्दी पत्रिका "प्रयास" की जानकारी दी तथा दूरसंचार परिक्षेत्र भोपाल के कार्यालय में हो रही हिन्दी कार्य की प्रगति पर प्रकाश डाला। दूरसंचार परिमंडल के वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी श्री आर. के. गौड़ एवं पोस्टमास्टर जनरल, कार्यालय के हिन्दी अधिकारी डा. क.मा. भाटी ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किये।

क. भा. भाटी
कृते पोस्टमास्टर जनरल
म. प्र. परिमंडल, भोपाल

8. हिन्दी परीक्षाओं के प्रमाण पत्रों का वितरण

इलेक्ट्रॉनिकी आयोग (आई.पी.ए.जी.), पुष्प भवन, नई दिल्ली में 21 दिसम्बर, 1984 को सेमीनार हाल में गृह मंत्रालय के अधीन हिंदी शिक्षण योजना, की प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ परीक्षाओं के प्रमाण पत्रों के वितरण का समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह की अध्यक्षता भारत सरकार के अपर सचिव डॉ. न. शेषगिरी ने की। समारोह के शुरू में इलेक्ट्रॉनिकी आयोग (आई. पी. ए. जी.) के हिंदी अधिकारी श्री अशोक कुमार चोपड़ा ने हिंदी की राष्ट्रीय-महत्ता पर विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने इसी संदर्भ में आगे कहा कि राष्ट्र की अखंडता, एकता तथा अक्षुणता के लिए एक "संपर्क भाषा" की जरूरत है और वह है "हिंदी"। राजभाषा के रूप में तो हिंदी संविधान-पीठिका पर प्रतिष्ठापित है ही परन्तु राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हिंदी एक संपर्क भाषा" के रूप में भी स्थापित है। अपर सचिव डॉ. न. शेषगिरी ने इन परीक्षाओं को उतीर्ण करने पर अपने कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रकट कीं। अंत में प्रत्येक कर्मचारी को अपर सचिव महोदय ने बारी बारी से प्रमाण पत्र प्रदान किए।

9. "विश्व हिन्दी सम्मान" समारोह

26 नवम्बर, 1984 को नयी दिल्ली के विट्ठल भाई पटेल-भवन में "विश्व हिन्दी दर्शन द्वारा आयोजित "विश्व हिन्दी सम्मान" समारोह में पांच विद्वानों को विदेशों में उनकी हिन्दी सेवाओं के उपलक्ष्य में सम्मानित किया गया। सम्मानित व्यक्तियों में सोवियत संघ के प्रोफेसर ई.पी. चेलीशेव, डा. व्लादीमिर लिपेरोवस्की, अमेरिका के पं. रामलाल, ब्रिटेन के श्री जगदीश मिश्र कौशल तथा कनाड़ा की श्रीमती निर्मला आदेश थीं। उन्होंने चन्दन की माला अर्पित करने के साथ सम्मान-पट्टिका भी भेंट की गई। इस क्रम का पहला आयोजन जनवरी, 1983 में हुआ था।

विश्व हिन्दी दर्शन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 'विश्व हिन्दी सम्मान समारोह' में 5 विदेशी विद्वानों का सम्मान।

"विश्व हिन्दी दर्शन" के सम्पादक श्री लल्लन प्रसाद व्यास ने बताया कि "विश्व हिन्दी सम्मान" समारोह का उद्देश्य एक ओर भारतवासियों को विदेशों में हिन्दी भाषा और साहित्य की प्रगति और विकास से अवगत कराना है तथा दूसरी ओर विदेशों में हिन्दी संबंधी गतिविधियों को भारत की मुख्य धारा से जोड़ना है। ऐसे कार्य क्रम सहज ही भारत और विश्व देशों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों को परिपुष्ट करने में सहायक बनते हैं। इस प्रकार हिन्दी सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

सम्मानित व्यक्तियों का परिचय "विश्व हिन्दी दर्शन" के सह-सम्पादक श्री हरि बाबू कंसल ने दिया तथा उन्हें चन्दन मालाएं तथा सम्मान पट्टिकाएं श्री लल्लन प्रसाद व्यास, श्री गोपाल प्रसाद व्यास, डा. लोकेश चन्द्र, श्री लक्ष्मी चन्द जैन तथा कुमारी निर्मला देशपाण्डे द्वारा भेंट की गई।

सोवियत संघ की ओर से सद्भावना व्यक्त करते हुए प्रो. चेलीशेव ने हिन्दी को भारतीय संस्कृति की संदेशवाहिका बताया। डा. लिपेरोवस्की, पं. रामलाल, श्री कौशल तथा श्रीमती निर्मला आदेश ने भी अपने विचार व्यक्त किए

आशीर्वचन प्रदान करते हुए श्री गोपाल प्रसाद व्यास ने कहा कि हिन्दी की प्रगति के अवरोध के सम्बन्ध में हम दूसरों को दोष देना छोड़े, हिन्दी को स्वयं अपनाएं तथा अपने उदाहरण से दूसरों को प्रेरित करें। कुमारी निर्मला देशपाण्डे ने बताया कि पूज्य विनोबा जी ने देश में हजारो किलोमीटर की पदयात्रा की, उसमें वह अपने विचार हिन्दी के माध्यम से व्यक्त करते थे।

अध्यक्ष पद बोलते हुए त्रिनिडाड के महाकवि प्रो. हरिशंकर आदेश ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से यह व्यक्त होता है कि हिन्दी अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव तथा मैत्री बढ़ाने में सहायक बन सकती है। इससे हिन्दी सेवियों को प्रोत्साहन मिलता है। अतः यह परम्परा निरन्तर चलती रहनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे कार्यक्रम भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी आयोजित किए जाएं।

इस कार्यक्रम में सम्मानित विदेशी अतिथियों के अतिरिक्त 9 अन्य विदेशी अतिथि थे। लाओस राजदूतावास के द्वितीय सचिव श्री पैलूका खोउन्नाउचांग तथा दिल्ली के अनेक साहित्यकार तथा हिन्दी प्रेमी उपस्थित थे।

कार्यक्रम का प्रारम्भ प्रो. आदेश द्वारा रचित गीत से हुआ जिसे पंकज भरत, रुचि तथा निशि ने प्रस्तुत किया। धन्यवाद ज्ञापन "विश्व हिन्दी दर्शन" के व्यवस्थापक श्री दिलीप कुमार ने किया।

सम्मानित विदेशी अतिथियों का परिचय

प्रोफेसर ई० पी० चेलीशेव

सोवियत विज्ञान अकादमी के संवादी सदस्य तथा सोवियत लेखक यूनियन के सदस्य है। हिन्दी को समृद्ध तथा समुन्नत करने में आपका विशेष योगदान रहा है। डाक्टर की उपाधि के लिए आपके शोध प्रबन्ध का विषय था "आधुनिक हिन्दी कविता की परम्परा और नवीनता" सन् 1967 में आधुनिक हिन्दी काव्य" शीर्षक पुस्तक रूसी भाषा में प्रकाशित की। भारतीय लेखकों की 30 से अधिक पुस्तकों का रूसी में सम्पादन किया है। आपने "हिन्दी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास," "सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला" आदि पुस्तकें तथा भारतीय साहित्यकारों

पर अनेक विचारोत्तेजक निबन्ध लिखे हैं उनकी हिन्दी सवाओं को दृष्टि में रखकर उन्हें सन 1967 में। "जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार" से सम्मानित किया गया था। भारत के विभिन्न स्थानों पर सम्पन्न हूए अनेक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सम्मेलनों में आपने अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है। डा. चेलीशेव अपने देश की अनेक साहित्यिक तथा वैज्ञानिक संस्थानों से सम्बन्धित हैं।

डा० व्लादी मीर लिपेरोवस्की

आपका जन्म मास्को में अगस्त, 1927 में हुआ। आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात 1953–56 तक सोवियत संघ की विज्ञान अकादमी के प्राच्य विद्या संस्थान में उत्तर स्नातक थे। 1956 से लेकर आज तक आप इसी संस्थान में अध्येता के रूप में काम करते हैं। आपके अनुसंधान का क्षेत्र नवीन भारतीय आर्य भाषाएं, विशेषतया हिन्दी भाषा है।

आपकी लिखी हुई अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई (रूसी भाषा में)

1. आधुनिक साहित्यिक हिन्दी में क्रिय" के अर्थ (क्रिया-भाव) की व्याकरणिक कोटि 1964।
2. हिन्दी भाषा में योगिक (संयुक्त एवं मिश्रित) वाक्य–1972।
3. हिन्दी भाषा के नामात्मक शब्द भेद–1978।
4. हिन्दी में क्रिया–1984।

आपने सुनीत कुमार चटर्जी की "इण्डो आर्यन एण्ड हिन्दी" नामक पुस्तक का अंग्रेजी से रूसी में अनुवाद किया। यह पुस्तक रूसी अनुवाद में प्रकाशित हुई। सोवियत संघ में सन 1972 में जो दो खण्डों वाला हिन्दी-रूसी शब्दकोश निकला, उस शब्दकोश के चार संकलनकर्ताओं-में से आप एक हैं।

आपके दो निबंध (मानोग्राफ) प्रकाशगृह में हैं :–

1. हिन्दी वाक्य-विन्यास की समस्याएं।
2. आधुनिक बृज भाषा के व्याकरण की रूप-रेखा।

पुस्तकों या निबंधों के अतिरिक्त आपके बहुत से लेख पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं।

श्री जगदीश मिश्र कौशल

आपका जन्म 19, अगस्त, 1932 को भारत में हुआ। सन् 1966 से इंगलैण्ड में कार्य कर रहे हैं। वहां हिन्दी का पहला समारोह सन् 1970 में आयोजित किया जिसमें खूब उपस्थिति रही तथा उसका प्रसारण बी बी सी टेलीविजन द्वारा हुआ। इंग्लैण्ड की चतुर्थ तुलसी जन्म शताब्दी समारोह समिति तथा पंचम सूर जन्म शताब्दी समारोह समिति के अध्यक्ष रहे। सन् 1972 से हिन्दी साहित्य सभा के महामंत्री हैं। ब्रिटेन में हिन्दी सम्मेलन के अध्यक्ष। लन्दन से प्रकाशित हो रहे हिन्दी साप्ताहित "अमरदीप" के सन् 1971 के सम्पादक हैं। अनेक चर्चाओं में भाग लेते रहे हैं आपके अनेक लेख अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं की पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं।

पं० रामलाल

जन्म स्थान–गयाना (दक्षिण अमेरिका) आपके पिताजी बिहार से मजदूरी के लिए 1912 में गयाना गये थे। छोटी आयु से ही हिन्दी तथा भारतीय संस्कृति एवं वैदिक धर्म के प्रचार -प्रसार के कार्य में लगे हैं। आप टैगोर मेमोरियल हाईस्कूल में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष रहे। गयाना के राजनैतिक क्षेत्र में भी सक्रिय रहे। आपको गयाना के स्वतन्त्रत संघर्ष में दो वर्ष काला पानी का दण्ड भी दिया गया था। गयाना के हाईस्कूल में हिन्दी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाने में आपका बड़ा हाथ था। अब आप न्यूयार्क में रह रहे हैं (वहां भी आप भारतीय संस्कृति तथा हिन्दू धर्म के प्रचार में लगे हैं।

श्रीमती निर्मला आदेश

आपने अपने विद्वान पति श्री हरिशंकर आदेश के साथ त्रिनिडाड तथा कनाडा में हिन्दी के प्रचार प्रसार में ऐतिहासिक योगदान किया है। आप एक विदुषी के साथ-साथ संगठन कुशल महिला हैं। हिन्दी साहित्य भूषण, साहित्य शास्त्री तथा लन्दन विश्वविद्यालय की जी सी ई. एडवांस्ड लेविल हिन्दी लिटरेचर परीक्षाओं के लिए शिक्षण करती हैं। "ज्योति" (मासिक) तथा "जीवन ज्योति" (त्रैमासिक) पत्रिकाओं की सह-सम्पादिका। "त्रिनि डाड में प्रथम हिन्दी साधक," उभरते क्षितिज" तथा पाठ्यपुस्तकों "हिन्दी विवेक" (3 भाग) की लेखिका हैं। अठाहर वर्ष त्रिनिडाड में हिन्दी प्रचार का कार्य किया। आजकल कनाडा में कार्यरत हैं।

डा० नारायण दत्त पालीवाल
उप निदेशक (भाषा) एवं सचिव, हिन्दी अकदमी

10. मेरठ में विधि संगोष्ठियों का आयोजन

भारत सरकार, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधायी विभाग (विधि साहित्य प्रकाशन) की ओर से 13 और 14 सितम्बर, 1984 को मेरठ में दो संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। प्रथम संगोष्ठी का आयोजन 13 सितम्बर, 1984 को मंगलपाण्डे हाल, मेरठ कालेज, मेरठ में "विधि शिक्षा का माध्यम हिन्दी–हिन्दी में विधि पुस्तकें लिखाने में अध्यापकों का सहयोग" विषय पर किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षटा मेरठ कालेज के प्राचार्य श्री वी. बी. चौहान ने की तथा मेरठ कालेज के प्रशासक श्री पूरन लाल शर्मा ने विशेष अतिथि का पद ग्रहण किया। मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति डा. एस. डी. लोइवाल व्यस्तता के कारण संगोष्ठी में पधार न सके। दूसरी संगोष्ठी का आयोजन 14 सितम्बर, 1984 को मेरठ बार एसोसिएशन हाल, मेरठ में "न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग की समस्याएं और उनका समाधान" विषय पर किया गया। इस संगोष्ठी में भाग लेने के लिए श्री राम भगत पासवान संसद सदस्य (राज्य सभा) तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय से सम्बद्ध हिन्दी सलाहाकार समिति के सदस्य विशेष रूप से दिल्ली से मेरठ गए और उन्होंने इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि का पद ग्रहण किया। संगोष्ठी की अध्यक्षता मेरठ के जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री हरीश चन्द्र मित्तल ने की और मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री ठाकुर गजराज सिंह गहलौत ने विशेष अतिथि का पद ग्रहण किया। दोनों संगोष्ठियों में श्री जगत नारायण, प्रधानसंपादक, विधि साहित्य प्रकाशन ने उपस्थित महानुभावों का अभिवादन किया तथा विधायी विभाग द्वारा हिन्दी में अब तक किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर

विशेष बल दिया कि भारत सरकार, विधि मंत्रालय, द्वारा प्रकाशित "विधि शब्दावली" अनेक विद्वानों के अथक प्रयास और कठिन परिश्रम से, संविधान की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जिससे कि सभी प्रदेशों में उसका एक रूपता से प्रयोग किया जासके। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि उस शब्दावली का निःसंकोच यथावत प्रयोग किया जाना चाहिए। दोनों संगोष्ठियों में विभिन्न वक्ताओं ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए :–

मेरठ कालेज, मेरठ

1. **डा.वी बी. चौहान, प्रिंसिपल, मेरठ कालेज**–विधि की शिक्षा ही हिन्दी में क्यों हों, मेडिकल और इंजीनियरिंग में हिन्दी माध्यम क्यों न हो ? बार काउंसिल आफ इंडिया हिन्दी माध्यम से पढ़े हुए विधि विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करता है, जिसके कारण हिन्दी माध्यम से पढ़े हुए विधि स्नातकों को उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल में अपना नामांकन कराना पड़ता है। जबकि बारकाउंसिल आफ इंडिया नामांकन की फीस केवल 250 रुपये लेती है, वहां उत्तर प्रदेश बार काउंसिल नामांकन की फीस 750–00 रुपये लेती है। इस प्रकार हिन्दी माध्यम से पढ़ने वाले विधि स्नातकों को नामांकन के लिए 500 रुपये अधिक देने पड़ते हैं। भारत सरकार के यहां बैठे प्रतिनिधि यह आश्वासन दें कि वे इन दोनों कठिनाइयों को दूर करेंगे।

2. **श्री पूरन लाल शर्मा, प्रशासक मेरठ कालेज**–विधि साहित्य प्रकाशन ने हिन्दी में विधि पुस्तकें प्रकाशित करके विधि विद्यार्थियों की कठिनाई दूर की है। इन पुस्तकों को पाठ्यक्रम में लगाया जाना चाहिए इस कीमत में इतनी अच्छी पुस्तकें बाजार में नहीं मिलेंगी।

3. **श्री आर० सी० शर्मा, अध्यक्ष, विधि विभाग, मेरठ कालेज**–विधि शब्दावली का पूर्ण तया प्रयोग करने में कुछ कठिनाइयां हैं। मेरठ में सर्व प्रथम एल–एल. एम. की परीक्षा हिन्दी माध्यम से प्रारम्भ की गई थी। बार काउंसिल आफ इंडिया हिन्दी माध्यम से पढ़ने वालों क नामांकन नहीं करता है। वह अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वालों का नामांकन करता है, जो कि केवल 250 रुपये देने पर हो जाता है। हिन्दी माध्यम से पढ़ने वालों को उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के माध्यम से नामांकन कराना पड़ता है। इस प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए। हिन्दी माध्यम को सभी जगह अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो जो हिन्दी माध्यम लेते हैं, वे नुकसान में रहते हैं।

4. **श्री कैलाश चन्द्र गौतम, प्रवक्ता, मेरठ कालेज एवं अधिवक्ता**–क्या कभी हम अंग्रेजी को भी क्लिष्ट कहते हैं। पुस्तकों की भाषावही होगी, जो उसका स्तर होगा। सरल हिन्दी या कठिन हिन्दी कुछ नहीं होती। हमें अपने व्यवसाय या जीवन के मूल्यों में आस्ता नहीं है। हमारे में कोई नागरिक चेतना नहीं है। हम आस्था व हीनता की स्थिति में है। हमें हिन्दी भी उतनी ही अच्छी लगनी चाहिए, जितनी अंग्रेजी। मैं अपनी कक्षाओं में अच्छी हिन्दी में पढ़ाता हूँ। मुझे आज तक किसी विद्यार्थी ने नहीं कहा कि हमें आपकी हिन्दी समझ में नहीं आती। इस प्रकार की संगोष्ठियां होतीं रहनी चाहिए। बी. ए. की कक्षाओं में "दैनिक विधि" (एवरीडे ला) विषय होना चाहिए।

5. **श्री श्याम कुमार शर्मा, डीन, ला फैक्लटी, मेरठ विश्वविद्यालय**–बार काउंसिल आफ इंडिया ने शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप से अंग्रेजी रखा है। यह एक पहली कठिनाई है, इसे दूर किया जाना चाहिए

6. **श्री ओम प्रकाश प्रवक्ता, मेरठ कालेज**–यदि हम हिन्दी से प्रेम करने लगें तो हम हिन्दी माध्यम से अच्छा पढ़ा सकते हैं। पढ़ाते समय हमें ऐसी हिन्दी का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू तथा मेरठ का भी कछ पुट हो, जिस विद्यार्थीगण विधि को आसानी से समझ सकें। विधि को हमें हिन्दी में ही पढ़ाना चाहिए, साथ ही समझाने के लिए थोड़ी अंग्रेजी भी चलती रहे तो ठीक है।

7. **श्री आनन्द प्रकाश अग्रवाल, प्रवक्ता, मेरठ कालेज**–जब मैं हिन्दी में पढ़ाता हूँ तब विद्यार्थि कहते हैं कि यह हिन्दी नहीं है। अगर आप अपनी किताबें उस भाषा में दें, जिसे हम मातृभाषा कहते हैं तो हम उसे स्वीकार करेंगे।

8. **श्री रामेश्वर प्रसाद गौतम, अधिवक्ता**–काम मुश्किल नहीं है, प्रयास करने की आवश्यकता है। हम इस शब्दावली एवं भाषा से परिचित हो सकते हैं। आप सब–हिन्दी को अपने जीवन में ढालें। हमारे लिए ये कार्य मुश्किल नहीं है। विधि साहित्य प्रकाशन की हिन्दी पुस्तकें निश्चित रूप से अच्छी और सस्ती हैं। जिस प्रकार की संगोष्ठी आज हो रही है, यह आज से 37 वर्ष पूर्व होनी चाहिए थी।

9. **श्री बांके सिंह बालियान, विधि विद्यार्थी, प्रथम वर्ष**–हिन्दी के जो अधिकृत कानूनी शब्द हैं, उनका जरूर प्रयोग किया जाना चाहिए। हिन्दी को अपनाना चाहिए।

10. **श्री गौतम सिंह, विधि विद्यार्थी, तृतीय वर्ष**–अंग्रेजी का ज्ञान होने से सफलता नहीं मिलती। अध्यापक को चाहिए कि अंग्रेजी का ज्ञान न होने से विद्यार्थियों को हतोत्साहित न करें। हम हिन्दी माध्यम से पढ़ें तो हैं लेकिन हमें नौकरियों व स्पर्धाओं में उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है। हिन्दी माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों को प्रवेश मिलने में भी हेय दृष्टि से देखा जाता है तथा हिन्दी माध्यम हमारी अक्षमता माना जाता है।

मेरठ बार एसोसिएशन, मेरठ

1. **श्री रामभगत पासवान, संसद सदस्य (राज्य सभा)**

संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के पद से बोलते हुए विधि, न्याय और कम्पनी कार्यमंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य श्री भगत पासवान ने कहा–यहाँ मिली जानकारी से मुझे हर्ष हुआ है कि अंग्रेजी की जड़े हिलने लगी हैं, वह घायल हो गई है। यह खुशी का विषय है कि हमारे देश में हमारी भाषा लोकप्रिय हो रही हैं। अधिवक्ताओं कि बहुत बड़ी भूमिका है। बड़े-बड़े लोग आप लोगों में से ही हुए है। भारत की 90 प्रतिशत जनता न्यायालयों से सम्बद्ध है और वह आपके सम्पर्क में आती हैं। सभी चाहते हैं कि वकील, मुवक्किल और न्यायाधीश की भाषा एक हो जाए तो अच्छा होगा। समाज और देश के निर्माण में आपकी बहुत बड़ी सेवा है। देश को आपसे बहुत अशाएं हैं। हिन्दी भाषा का प्रयोग, क्षेत्रीयता और प्रान्तीयता की भावना और समस्या को उभरने नहीं देता। अखिल भारतीय परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम से बैठने वाले परीक्षार्थी अब अंग्रेजी माध्यम से बैठने वाले परीक्षार्थियों की बराबरी करने लगे हैं। उनके बारे में ऐसी व्यवस्था की गई है कि हिन्दी माध्यम से बैठने वाले परीक्षार्थियों के परीक्षा-पत्र हिन्दी जानने वाले ही देखें।

2. **श्री कैलाश चन्द्र गौतम, अधिवक्ता**—हिन्दी या अंग्रेजी में बहस करने से कोई अन्तर नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कहते कैसे हैं। हिन्दी के लिए एक चेतना की आवश्यकता है। यह एक राष्ट्रीय कर्त्तव्य है। लिखने की भाषा बोलने की भाषा नहीं हो सकती। इसलिए अच्छी हिन्दी लिखिए। मैं जिला न्यायाधीश से निवेदन करता हूं कि कम से कम वे निर्णय जो आप हिन्दी में दे सकते हैं, जैसे 'एडमिटेड' या 'एडजोरन्ड' हिन्दी में दिए जाने चाहिए।

3. **श्री मेघ श्याम शमशीरी, अपर जिला न्यायाधीश, मेरठ**—हमको हिन्दी का प्रयोग ही करना चाहिए। अगर हम नहीं कर रहें हैं तो गलती कर रहें हैं। 90 प्रतिशत ऐसे मामले हैं, जिनमें आसानी से हिन्दी का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे स्थगन के लिए आवेदन या अन्य आदेश। हमारे अन्दर लगन और सचाई होनी चाहिए। पिछले 10 वर्षों में हिन्दी प्रदेशों के न्यायालयों द्वारा दिए जाने वाले हिन्दी निर्णयों का स्तर बहुत अच्छा रहा है। खेद की बात है कि जब हम मुंसिफ और मजिस्ट्रेट के रूप में हिन्दी में निर्णय लिखते हैं, तब बाद में जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश बन जाने पर हिन्दी में निर्णय लिखना क्यों बन्द कर देते हैं? पुस्तकों की भाषा को यदि सरल बना दें तो उनके लिए अच्छा होगा। भाषा समर्थ और असमर्थ नहीं होती, भाषा का प्रयोग करने वाले समर्थ होने चाहिए।

4. **श्री हरीश चन्द्र मित्तल, जिला न्यायाधीश, मेरठ**—मैं अपनी तरफ से जितना भी हो सकेगा, हिन्दी में आदेश दूंगा तथा हिन्दी का प्रयोग करूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं काफी कार्य हिन्दी में करूंगा।

5. **श्री रामेश्वर प्रसाद गौतम, अधिवक्ता**—हीनता की भावना को निकालना होगा। विधायी विभाग के हिन्दी प्रकाशन अच्छे हैं और कम कीमत पर उपलब्ध हैं।

6. **श्री धर्मवीर सिंह शर्मा, अधिवक्ता**—केन्द्रीय अधिनियमों में राज्य विधान मण्डलों द्वारा किए गए संशोधनों को जोड़ा जाए। छपाई का स्तर पढ़ने योग्य नहीं है, छपाई सुन्दर होनी चाहिए। राज्य विधान मण्डलों की विधियों को भी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित कराया जाए।

7. **श्री विभूति प्रसाद ऐरन, अधिवक्ता**—केन्द्रीय अधिनियमों के संशोधनों को भी छापने की व्यवस्था करें। अब निर्णय अच्छी हिन्दी में लिखे जाने लगे हैं, लेकिन प्रार्थना पत्र वकीलों द्वारा अच्छी हिन्दी में नहीं दिए आते। अतः विधि मंत्रालय ऐसी पुस्तकें प्रकाशित करें, जिनमें प्रार्थना पत्रों आदि का प्रारूप दिया गया हो।

8. **श्री धर्मवीर द्विवेदी, अधिवक्ता**—हिन्दी भाषी राज्यों के न्यायालयों में प्रयोग किए जा रहे फार्मों में एक-रूपता लाने के लिए विधि मंत्रालय कार्य करे। विधि मंत्रालय हिन्दी में एक ऐसे वकालत-नामे का प्रारुप बना सकता है, जो सभी प्रदेशों में प्रयुक्त हो। इस समय भिन्न भिन्न प्रकार के वकालत नामों का प्रयोग हो रहा है।

9. **श्री महेन्द्र गुप्ता, अधिवक्ता**—हिन्दी में बोलने वाले वकील के बारे में मुवक्किल समझता है कि वकील साहब कुछ नहीं जानते।

10. **श्री राजबीर प्रसाद, अधिवक्ता**—मैं श्रम न्यायालयों में विधि व्यवसाय करता हूं। श्रम न्यायालयों में अधिकरतर बिना पढ़े लिखे लोग आते हैं, वे हमसे कहते हैं कि कोई ऐसी पुस्तक बता दें, जो उनकी समझ में आ जाए किन्तु हिन्दी की किताब उनकी समझ में नहीं आती। अतः श्रम विधि पर सरल हिन्दी में पुस्तक लिखवाई जाए।

11. **श्री बाबूराम वर्मा, अधिवक्ता**—न्यायालयों म हिन्दी का प्रयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए।

12. **श्री कौशल कुमार, अधिवक्ता**—हिन्दी म पुस्तकों का पूर्ण अभाव है। इन्हें अधिकाधिक प्रकाशित करना चाहिए। ये पुस्तक आसान, सस्ती और अद्यतन सामग्री से पूर्ण होना चाहिए। विधि पत्रिकाओं में निर्णय विलम्ब से छपते हैं।

दोनों संगोष्ठियों के अन्त में श्री सुरेश चन्द्र माथुर, सहायक संपादक विधि साहित्य प्रकाशन ने उपस्थित महानुभावों के प्रति आभार प्रकट किया।

सुरेश चन्द्र माथुर,
सहायक सम्पादक,
विधि साहित्य प्रकाशन

"एक दिन हम देखेंगे कि देश के सभी काम हिन्दी में हो रहे हैं

—ए० न० के० पद्मनाभन

आदेश—अनुदेश

राजभाषा विभाग की कतिपय उपलब्धियां

राजभाषा विभाग परिपत्र सं० 135।सं०सं०।रा०भा०/85 दिनांक जनवरी, 1985 की प्रतिलिपि

विषय :—वर्ष 1984-85 में राजभाषा विभाग की कतिपय उपलब्धियां

वर्ष 1984 के अन्त में राजभाषा विभाग की गतिविधियों में हुई प्रगति के बारे में कुछ आकड़े सूचनार्थ प्रस्तुत हैं :—

1. हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें

राजभाषा विभाग द्वारा किए गए प्रयत्नों के फलस्वरुप विभिन्न मंत्रालयों की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों के आकड़े पिछले वर्षों के मुकाबले में अच्छे रहे। यही नहीं कि बैठकों की संख्या में प्रगति हुई है बल्कि समितियों की संख्या भी बढ़ा दी गयी है जिससे सारे विभागों के ऊपर इन समितियों द्वारा नजर रखी जा सके :—

वर्ष	समितियों की संख्या	बैठकों की संख्या
1981	24	24
1982	27	18
1983	27	49
1984	29	54

2. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां और उनकी बैठक

इसी प्रकार देश के प्रमुख नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा हिन्दी के राजभाषा के रुप में कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया गया और उपलब्ध सूचनाओं एवं आंकड़े के अनुसार इससे कार्यान्वयन में अभूतपर्व सफलता मिली :—

वर्ष	समितियों की संख्या	बैठकों की संख्या
1981	55	57
1982	57	58
1983	61	102
1984	61	113

ऊपर देखने से विदित होगा कि राजभाषा विभाग के विशेष प्रयत्नों के कारण नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का आयोजन अच्छी तरह से किया जा सका। वर्ष के दौरान हमारे पास दो उप सचिवों के पद भी खाली थे फिर भी बैठकों का आयोजन किया गया।

वर्ष 1985 में हम रु. 4,000 और रु. 2,000 बड़े और छोटे नगरों की समितियों की बैठकें आयोजित करने के लिए खर्च दे रहे हैं जिससे वर्ष 1985 में और अच्छी तरह बैठकें होने की संभावना है।

3. निरीक्षण

देश को विभिन्न भागों में बांटकर उप सचिवों आदि के स्तर पर राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के लिए निरीक्षणों के लिए दिनांक 31-8-1984 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12020/54/81-राभा (ख-2)/1187 द्वारा व्यवस्था की गई है। अधिकारियों के बाहर जाने से कार्यालयों/विभागों/उपक्रमों के उच्चाधिकारियों से संपर्क स्थापित किया गया और इसका कार्यान्वयन पर काफी असर पड़ा है।

4. वार्षिक कार्यक्रम का मुद्रण एवं वितरण

वार्षिक कार्यक्रम पहले नहीं छपवाया जाता था और इसका वितरण भी नहीं हो पाता था। वर्ष 1983 में पहले हमने 1983-84 के लिए 20,000 प्रतियां छपवाई थीं और उनका वितरण देश के केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों/उपक्रमों में किया गया था। इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा और 1984-85 के लिए 30,000 प्रतियां छपवाकर वितिरित कराई गई। वर्ष 1985-86 के लिए भी 30,000 प्रतियां छपवा कर वितरित की गई। उचित समय पर कार्यक्रम के वितरण एवं इसमें समाहित विशेष सूचना से कार्यान्वयन के लिए एक नई दिशा प्रदान की गई है।

इस वर्ष 1985 में प्रधानमन्त्री जी और गृह मन्त्री जी के आदेश/संदेश भी इसमें दिए गए हैं जिससे विभिन्न सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों पर इसका और भी प्रभाव अवश्य पड़ेगा और कार्यान्वयन को गति मिलेगी।

5. योजनागत स्कीमें

वर्ष 1984-85 में योजनागत स्कीमों के कार्यान्वयन से भी बहुत लाभ होन की संभावना है जिसमें हमारी प्रमुख उपलब्धियां हैं :—

(क) तकनीकी कक्ष की स्थापना

तकनीकी कक्ष की स्थापना आधुनिकतम देवनागरी उपकरणों जैसे देवनागरी कंप्यूटर, इलेक्ट्रानिकी टाइपराइटर, इलेक्ट्रोनिकी टेलिप्रिंटर आदि के उत्पादन तथा कार्यालयों में प्रयोग से संबंधित समन्वय के लिए की गई है।

इसमें अब संयुक्त निदेशक (रु. 1500-1800) के पद को अपग्रेड करके निदेशक (रु. 1500-2000) कर दिया गया है और उनके नीचे निम्नलिखित स्टाफ स्वीकृत किया गया है :—

सहायक निदेशक (तक)	(रु. 650—1200)—2
तकनीकी सहायक	(रु. 425—700)—1
उच्च श्रेणी लिपिक	(रु. 330—560)—1
चपरासी	(रु. 196—232)—1

एक स्टाफ कार की भी व्यवस्था की गई है और आशा की जाती है कि जैसे ही वित्त प्रभाग से अनुमति मिल जायेगी, कंप्यूटर, भाषा-प्रयोगशाला, इलेक्ट्रानिकी टाइपराइटर आदि इस विभाग में उपलब्ध हो जायेंगे ।

(ख) कार्यान्वयन पक्ष की प्रगति के लिए उप निदेशक, कार्यान्वयन की बम्बई में नियुक्ति

इस कार्यालय के लिए निम्नलिखित पद स्वीकृत किए गए हैं:—

1. उप निदेशक	(रु. 1100—1600—1
2. सहायक निदेशक	(रु. 799—1300)—1
3. अनुसंधान अधिकारी	(रु. 650—1200)—1
4. उच्च श्रेणी लिपिक	(रु. 330—560)—1
5. अवर श्रेणी लिपिक	(रु. 260—400)—2
6. आशुलिपिक ग्रेड "डी"	(रु. 330—560)—2
7. चपरासी	(रु. 196—232)—2
8. चौकीदार	(रु. 196—232)—1
योग	11 (ग्यारह)

इस कार्यालय में उप निदेशक (कार्यान्वयन) दिनांक 28-9-1984 से काम करने लगे हैं । निरीक्षणों की संख्या अच्छी है और बंबई तथा उसके पास के प्रांतों में निरीक्षणों द्वारा हिंदी की राजभाषा के रूप में अच्छी प्रगति होने की काफी संभावना हो गई है । वित्त प्रभाग ने इसी प्रकार के कार्यालयों के लिए हैदराबाद और कलकत्ता में उप निदेशकों के पदों के लिए भी सहमति देने का आश्वासन दिया है और वित्तीय वर्ष 1985-86 में वह भी कर दिया जायेगा ।

(ग) बम्बई में अनुवाद प्रशिक्षण कार्यालय की स्थापना

केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की एक शाखा अनुवादकों के प्रशिक्षण के लिए बम्बई में जनवरी, 1985 से खोल दी गई है । इसमें पहले सत्र में इस समय 16 अनुवादक प्रशिक्षण के लिए आये हैं, यह संख्या और भी बढ़ने की आशा है । केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में हम 30 से 35 अनुवादकों को प्रशिक्षण देते थे । इसके लिए वित्त प्रभाग ने निम्नलिखित पद स्वीकृत किए हैं :—

1. संयुक्त निदेशक	(रु. 1500—1800)—1
2. प्रशिक्षण अधिकारी	(रु. 650—960)—2
3. आशुलिपिक	(रु. 425—700)—1
4. उच्च श्रेणी लिपिक	(रु. 330—560)—1
5. चपरासी	(रु. 196—232)—1

इसी प्रकार केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो का एक और प्रशिक्षण संस्थान कलकत्ता में खोला जाना है । आशा है उसके लिए वित्त प्रभाग से अगले वित्तीय वर्ष में ही स्वीकृति मिल जायेगी ।

(घ) केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान

इसके लिए वित्त प्रभाग ने निदेशक पद की स्वीकृति दी है । साथ ही निम्नलिखित पद भी मंजूर किए गए हैं :—

1. निदेशक	(रु. 1500—1800)—1
2. आशुलिपिक ग्रेड "सी"	(रु. 425—700)—1
3. अवर श्रेणी लिपिक	(रु. 260—400)—1
4. चपरासी	(रु. 196—232)—1

पदों को भरने के लिए विभिन्न कार्यालयों में परिपत्र परिचालित किया जा रहा है और अधिकारियों के चयन के लिए कार्रवाई शीघ्र ही की जायेगी ।

6. हिन्दी शिक्षण योजना

हिंदी शिक्षण योजना के अधिकारियों के पदों का पुनर्गठन कर दिया गया है और इस संबंध में आदेश शीघ्र ही जारी किए जाने वाले हैं । आशा है इससे भी हिंदी शिक्षण योजना के कामों में प्रगति होगी ।

7. केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा

पिछले साल भर में हमने केन्द्रीय सचिवालय 'राजभाषा' सेवा के गठन के बारे में कार्रवाई कर ली है । "क" और "ख" पदों के बारे में एक बैठक हुई और इसमें निदेशक एवं उप निदेशक के पदों के लिए चयन कर लिया गया है । जहां तक सहायक निदेशक (हिंदी अधिकारी) के और पद हैं उनकी भी वरीयता सूचियां बनाने का कार्य प्रगति पर है । यह कार्य राजभाषा विभाग में वर्ष 1976 से लंबित था और उपरोक्त सारी कार्रवाई वर्ष 1983-84 में की गई है । राजभाषा विभाग की उपलब्धियों में इसका प्रमुख स्थान है ।

8. अन्य उपलब्धियां

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित उपलब्धियां राजभाषा विभाग की रही हैं :—

(क) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों एवं सरकारी उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा केन्द्रीय सरकार के सचिवों, संयुक्त सचिवों तथा और अधिकारियों के दो सम्मेलन राजभाषा विभाग की ओर से आयोजित किए गये । इससे हिन्दी के कार्यान्वयन पर सारे देश में मंत्रालयों/विभागों में असर पड़ा है । इन सम्मेलनों में संयुक्त सचिवों के स्तर तक इनाम दिए गए और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों को भी पुरस्कार दिए गए ।

(ख) जैसा कि वार्षिक कार्यक्रम 1984-85 में दिया गया है कार्यशालाओं का आयोजन विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में किया गया । पहले ये कार्यशालाएं इस स्तर पर और कभी नहीं आयोजित की गई थी । "मेकन" रांची द्वारा आयोजित कार्यशाला अभूतपूर्व थी ।

(ग) राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी के राजभाषा के रूप में प्रयोग में तकनीकी विकास के लिए एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित कर ली गई है ।

(घ) अंग्रेजी के टाइपिस्टों एवं आशुलिपिकों को हिन्दी में काम करने पर प्रोत्साहन देने की योजना राजभाषा विभाग के दिनांक 12 अगस्त, 1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14012/55176-रा. भा. (ग) द्वारा जारी की गई है। इसके अतिरिक्त हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन के लिए प्रोत्साहन योजना जो पिछले लगभग 6 वर्षों से लम्बित थी उस पर भी वित्त प्रभाग की सहमति लेकर दिनांक 25-5-1984 को कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/12012/1/84 रा. भा. (क-2) जारी कर दिया गया है। यह राजभाषा विभाग की वर्ष 1983-84 की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और आशा है कि कार्यान्वियन को इससे विशेष रूप से गति मिलेगी।

9. बैंकों आदि में भी विशेष रूप से हिन्दी को बढ़ाने का प्रयास किया गया और विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की अनेक शाखाओं में केवल हिन्दी में काम करने की व्यवस्था की गई है। यहां हमारी उपलब्धियां अभूतपूर्व हैं और जैसे ही पूर्ण रूप से सूचना प्राप्त होती है हम इसके बारे में पूरी जानकारी अलग से प्रस्तुत करेंगे। कुछ बैंकों द्वारा केवल हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था "क" क्षेत्रों में की गई है जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें हमें वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग का विशेष सहयोग मिला है।

10. हिन्दी दिवस सारे देश में बहुत से केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा मनाया गया जिससे हिन्दी की राजभाषा के रूप में कर्मचारियों को एहसास हो। दूरदराज में स्थापित हिन्दी भाषी क्षेत्रों में भी इसका आयोजन विभिन्न केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्वारा किया गया।

11. हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियों का रजिस्ट्रेशन कक्षाओं में भाग लेने वालों की संख्या एवं परीक्षाओं में पास होने वाले प्रशिक्षार्थियों की संख्या देखने से यह पता चलेगा कि किस प्रकार इसमें भी वृद्धि हुई है :—

(क) प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ परीक्षाएं

वर्ष	प्रशिक्षार्थियों के रजिस्ट्रेशन की सं.	परीक्षाओं में भाग लेने वालों को सं.	परीक्षाएं पास करने वालों की संख्या
1981	29,605	20,098	16,350
1982	37,736	26,433	21,754
1983	36,594	26,816	22,574
1984	89,436	13,194	11,090

(एक सत्र)

(ख) हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि परीक्षाएं

वर्ष	प्रशिक्षार्थियों के रजिस्ट्रेशन की सं.	परीक्षाओं में भाग लेने वालों की सं.	परीक्षाएं पास करने वालों की संख्या
1981	5,369	4,247	2,749
1982	5,446	4,522	3,048
1983	5,356	4,354	2,883
1984	5,881	5,040	3,527

12. केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा किए जा रहे कार्यों में भी काफी प्रगति हुई है जो निम्नलिखित है :—

(अ) अनुवाद की सामग्री का विवरण

वर्ष	अनुवाद के लिए प्राप्त सामग्री के मानक पृष्ठ	अनुदित सामग्री के मानक पृष्ठ	वर्ष के अंत में अनुवाद के लिए शेष सामग्री
1981-82	39,576	35,074	65,442
1982-83	41,414	41,239	48,429
1983-84	27,039	40,034	44,768
1984-85	31,425	28,000 (लगभग)	46,972

(दिसम्बर, 84 तक) दिसम्बर के अंत में कार्य की प्रगति इस प्रकार है कि वर्ष 84-85 में पिछले वर्ष से अधिक अनुवाद कार्य होना अवश्यम्भावी है।

(ब) अनुवाद में प्रशिक्षित कर्मचारियों का विवरण

वर्ष	प्रशिक्षण के लिए आए नाम और पिछले वर्ष का शेष	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	शेष
1981	291+814=1105	120	985
1982	227+985=1212	118	1094
1983	236+1094=1330	135	1195
1984	227+1195=1422	147	1275

बम्बई में एक और शाखा जनवरी, 1985 में खोलने के पहले विशेष यत्नों से केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में भी प्रशिक्षार्थियों की संख्या बढ़ा दी गई।

13. पिछले 5 वर्षों से केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में 6 जनवरी, 1984 को केन्द्रीय हिन्दी समिति की बैठक का भी आयोजन किया गया। इसमें लिए महत्वपूर्ण निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

14. राजभाषा विभाग में कई वर्षों से विचार किया जा रहा था कि कुछ योजनागत स्कीमें बनाई जाएं और योजना आयोग से उसके लिए अनुमोदन की व्यवस्था की जाए। सन् 1982 में सतत प्रयत्नों के पश्चात वित्तीय वर्ष 1983-84 के लिए योजना आयोग ने प्रथम बार राजभाषा विभाग को 5 लाख रुपये का अनुदान दिया और दूसरे वर्ष यह राशि 84-85 की योजनाओं के लिए बढ़ा कर 20 लाख रुपये कर दी। उल्लेखनीय है कि कुछ ही दिन पहले सन् 1985-86 के लिए योजना आयोग ने राजभाषा विभाग की योजनाओं के लिए 75 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। आशा की जाती है कि राजभाषा विभाग उपलब्ध राशि का समुचित उपयोग कर हिन्दी की राजभाषा के रूप में प्रगति के लिए योजनाएं कार्यान्वित करेगा जिससे कि ध्येयों की उपलब्धि अभूतपूर्व रूप से हो और इस संबंध में सांविधिक एवं विधिक प्रावधानों के कार्यान्वयन में प्रगति लाई जा सके।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों एवं सरकारी उपक्रमों में कार्यान्वयन में हुई प्रगति के बारे में सूचना मंगाई जा रही है और आते ही सूचनार्थ प्रस्तुत की जाएगी।

15. राजभाषा विभाग के कार्यकलापों में सक्रिय रूप में वर्ष 1983 एवं 1984 में किए गए प्रयत्नों के कारण ही आज इतनी प्रगति हुई है और उपर्युक्त उपलब्धियां हमारे सम्मुख हैं जिसे विनम्र सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। ☐☐

'कोई स्वभाषा ही हमारी राजभाषा हो सकती है, विदेशी भाषा नहीं' प्रान्तों में अलग अलग प्रान्तीय भाषाएं और केन्द्र में कोई न कोई सार्वजनिक भाषा हो, यह अवश्यकता है। यह भाषा हिन्दी ही है।'

—श्री तुबुलूरि लक्ष्मीनारायण

(सम्पादक 'साप्ताहिक जागृति,' विजयवाड़ा)

'अखिल भारतवर्ष में हिन्दी एक समान रूप से लोकप्रिय संपर्क भाषा है और सभी के लिए इसे बोलना, समझना, सीखना अच्छा है।

—चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य

सं० 14025:2183–रा०भा० (घ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, प्रथम तल,
खान मार्केट, नई दिल्ली–3
दिनांक 29–10–84

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों की सहायता के लिए कार्यशालाओं की स्थापना

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. ई–13022/3/73 हिन्दी दिनांक 1–10–1973 की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निर्देश हुआ है, जिसके अधीन सभी मंत्रालयों/विभागों से हिन्दी के माध्यम से सरकारी कामकाज करने में अधिकारियों और कर्मचारियों की झिझक को दूर करने के लिए हिन्दी कार्याशालाओं के आयोजन करने का अनुरोध किया गया था। ये कार्यशालाएं संबंधित कार्यालय की सुविधा के अनुसार प्रतिदिन या एक दिन छोड़कर दूसरे दिन एक-एक घण्टे की कक्षा से 30 कार्य-दिवस की अवधि के लिए आयोजित की जाती थीं। यह देखने में आया है कि अधिकतर कार्यालय अपनी सुविधा के लिए ये कार्यशालाएं पूरे 5 या 6 दिन के लिए आयोजित करते हैं। अतः यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में ये कार्यशालाएं पूरे दिन के लिए चलाई जाएंगी और उसकी अवधि 6 दिनों से अधिक नहीं होगी।

2. कार्यशाला के लिए पहले की भांति कुल 30 पाठ होंगे, जिनमें से पहले 18 पाठ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के लिए समान विषयों के टिप्पण और आलेखन से संबंधित होंगे और ये पाठ इस विभाग द्वारा तैयार किये जा चुके हैं। शेष 12 पाठ भारत सरकार के विशिष्ट मंत्रालय/विभाग के कार्य से संबंधित विषयों के टिप्पण और आलेखन पर होंगे और ये पाठ संबंधित संस्थाओं द्वारा तैयार किये जाएंगे।

3. यह निर्णय लिया गया है कि इस विषय में पहले जारी किए गए आदेशों के अधिक्रमण में हिन्दी कार्यशालाओं के शिक्षण देने के लिए अधिकारियों को प्रत्येक 2 घण्टे भाषण के लिए 50 रू० की दर से मानदेय/मेहनताना का भुगतान किया जाएगा। मानदेय/भुगतान की कुल राशि किसी भी हालत में रू० 750 से अधिक नहीं होगी। ये आदेश जारी होने की तिथि से लागू समझे जाएंगे।

ह०

(राम निवास बंसल)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक का कार्यालय।
3. निर्वाचन आयोग।
4. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
5. सतर्कता आयोग।

फ. सं. 14025/2/83–रा. भा.(घ) दिनांक–24–10–1984

1. भारत सरकार के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग।
2. राजभाषा विभाग के सभी अधीनस्थ डेस्क अनुभाग।
3. सभी संघ शासित क्षेत्र।
4. हिन्दी शिक्षण योजना के सभी सर्वकार्यभारी अधिकारी।
5. संयुक्त निदेशक, हि. शि. यो. मयूर भवन, 10वां तल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली।
6. गृह मंत्रालय, वित्त अनुभाग–11 उनके यू. ओ. नं. 4802/48, वित्त दिनांक 1–10–1984 के संदर्भ में।
7. केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, एक्स-वाई, 68 सरोजनी नगर, नई दिल्ली। उनके प. सं. 7/33/1095 दि. 16–1–1984 के संदर्भ।

सं० 12011/5/83-रा० भा० (घ)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

नई दिल्ली-3
दिनांक 29-10-84

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—निजी प्रयत्नों से हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी, हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि परीक्षाएं तथा स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं आदि की मान्यता प्राप्त हिन्दी परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन—एक मुश्त पुरस्कार संबंधी आदेशों का समेकित किया जाना—पुरस्कार की राशि में वृद्धि

उपरोक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 21-5-1977 के कार्यालय ज्ञापन सं. 120/313/76-रा. भा.(घ) में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को (1) निजी प्रयत्नों से हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी, हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि परीक्षाएं पास करने पर और (2) मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ऐसी हिन्दी परीक्षाएं पास करने पर, जिन्हें भारत सरकार (शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय) द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष या उससे उच्चतर परीक्षा के रूप में मान्यता दी गई है, निम्नलिखित मान से, एकमुश्त पुरस्कार देने के संबंध में राष्ट्रपति जी की संस्वीकृति देने का आदेश हुआ है :—

परीक्षा	पुरस्कार
1. हिन्दी शिक्षण योजना की प्रबोध परीक्षा	रू० 250.00 (दो सौ पचास)
2. हिन्दी शिक्षण योजना की प्रवीण परीक्षा	रू० 250.00 (दो सौ पचास)
3. हिन्दी शिक्षण योजना की प्राज्ञ परीक्षा	रु० 300.00 (तीन सौ)
4. हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी टाइपिंग परीक्षा	रु० 200.00 (दो सौ)
5. हिन्दी शिक्षण योजना की हिन्दी आशुलिपि परीक्षा	रु० 500.00 (पांच सौ)
6. स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली ऐसी हिन्दी परीक्षाएं जिन्हें भारत सरकार (शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय) द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष या उससे उच्च परीक्षा के रूप में मान्यता दी गई है	रु० 300.00 (तीन सौ)
7. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की हिन्दी परिचय परीक्षा	रु० 300.00 (तीन सौ)

स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं की मान्यता प्राप्त परीक्षाएं और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की परिचय परीक्षा पास करने पर, अराजपत्रित कर्मचारियों को एकमुश्त पुरस्कार के अतिरिक्त 12 मास की अवधि के लिए वेतन वृद्धि की राशि के समान वैयक्तिक वेतन भी दिया जाए। वैयक्तिक वेतन के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेश इस वैयक्तिक वेतन के लिए भी लागू होंगे। परन्तु :

1. जिस कर्मचारी ने पहले से ही किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, सरकारी अभिकरण या गैर सरकारी संस्था द्वारा ली गई मैट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर परीक्षा, हिन्दी विषय (किसी भी रूप में) या हिन्दी माध्यम से पास की है अथवा जिसकी मातृभाषा हिन्दी है, अथवा जिसे हिन्दी के सेवाकालीन प्रशिक्षण से छूट मिली है, वह कर्मचारी हिन्दी परीक्षाएं पास करने पर एकमुश्त पुरस्कार पाने का पात्र नहीं होगा।
2. जिस कर्मचारी ने पहले से ही किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, सरकारी अभिकरण या गैर सरकारी संस्था द्वारा ली गई मिडिल (कक्षा 8) या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ (किसी भी रूप में) या हिन्दी माध्यम से पास की है, वह कर्मचारी हिन्दी प्रवीण और हिन्दी प्रबोध परीक्षाएं पास करने पर एकमुश्त पुरस्कार पाने का पात्र नहीं होगा।
3. जिस कर्मचारी ने पहले से ही किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, सरकारी अभिकरण या गैर सरकारी संस्था द्वारा ली गई प्राइमरी (कक्षा 5) या उसके समकक्ष या उससे उच्चतर परीक्षा, हिन्दी विषय के साथ (किसी भी रूप में) या हिन्दी माध्यम से पास की है, वह कर्मचारी प्रबोध परीक्षा पास करने पर एकमुश्त पुरस्कार पाने का पात्र नहीं होगा।
4. जिस कर्मचारी ने—
   (1) सरकारी नौकरी में आने से पहले घोषित किया था कि हिन्दी टाइपिंग में उसकी गति 25 शब्द प्रति मिनट या उससे अधिक थी, अथवा
   (2) उसने पहले ही सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हिन्दी टाइपिंग का प्रशिक्षण लिया है और वहां से हिन्दी टाइपिंग परीक्षा पास की है, अथवा
   (3) जिसके लिए हिन्दी टाइपिंग परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं है।

वह कमचारी हिन्दी टाइपिंग परीक्षा पास करने पर एक मुश्त पुरस्कार पाने का पात्र नहीं होगा ।

5. जिस कमचारी ने—

(1) भारत सरकार की नौकरी में आने से पहले घोषित किया था कि हिन्दी आशुलिपि में उसकी गति 80 शब्द प्रति मिनट या उससे अधिक थी, अथवा

(2) उसने पहले ही सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण लिया है और वहां से हिन्दी आशुलिपि परीक्षा पास की है, अथवा

(3) जिस के लिए हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है ।

वह कमचारी हिन्दी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर एकमुश्त पुरस्कार पाने का पात्र नहीं होगा ।

2. इस एकमुश्त पुरस्कार के मंजूर किये जाने और इसकी अदायगी के बारे में अन्य शर्तें होंगी :—

(1) उपर्युक्त एकमुश्त पुरस्कार, प्रचालन कर्मचारियों के अतिरिक्त केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जो ऐसे स्थानों पर तैनात हैं जहां हिन्दी शिक्षण योजना के प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है अथवा जहां संबंधित पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है ।

(2) जो कर्मचारी पाठ्यक्रम के रूप में अपने लिए निर्धारित परीक्षा पास करते हैं, उन्हें इसके लिए एकमुश्त पुरस्कार नहीं दिया जाएगा ।

(3) एकमुश्त पुरस्कार उस वैयक्तिक वेतन और नकद पुरस्कार के अतिरिक्त होगा जिसके लिए कर्मचारी समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों के अनुसार पात्र हैं ।

(4) एकमुश्त पुरस्कार, संबंधित कर्मचारी की पहली बार परीक्षा में शामिल होने की तिथि से 15 मास की अवधि के अन्दर परीक्षा पास करने पर ही दिया जाएगा ।

(5) जिन कर्मचारियों ने हिन्दी शिक्षण योजना के किसी भी केन्द्र से कभी भी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, चाहे वह कितनी भी थोड़ी अवधि का क्यों न हो, उन्हें उस प्रशिक्षण से संबंधित परीक्षा के लिए एकमुश्त पुरस्कार नहीं दिया जाएगा । लेकिन यदि अन्य परिस्थितियों के अनुसार प्रचालन कर्मचारी इसके पात्र हैं तो उनके एकमुश्त पुरस्कार में से केवल इसलिए कटौती नहीं की जाएगी कि वे यदाकदा हिन्दी शिक्षण योजना की कक्षाओं में भाग लेते रहे हैं ।

3. जो कर्मचारी हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं की निजी तौर पर तैयारी करते हैं, उन्हें कार्यालय के समय में हिन्दी कक्षाओं में जाने वाले अन्य प्रशिक्षार्थियों के समान ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी, लेकिन जो कर्मचारी स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं की मान्यताप्राप्त परीक्षाओं में या केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की 'परिचय' परीक्षा की तैयारी करते हैं, उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की सुविधा नहीं दी जाएगी ; निजी तौर से परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कर्मचारी केवल एकमुश्त पुरस्कार के हकदार होंगे । उनके व्यय अथवा उनके द्वारा संस्थाओं को दी जाने वाली फीस की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी ।

4. ये एकमुश्त पुरस्कार केन्द्रीय सरकार के उन कमचारियों को दिए जाएंगे जो जनवरी, 1985 तक होने वाली संबंधित परीक्षाओं में पास होंगे ।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय ज्ञापन के लिए उनके किन कर्मचारियों को प्रचालन कर्मचारी समझा जाए, इस बारे में प्रशासनिक मंत्रालय स्वयं निर्णय करेंगे । वैसे प्रचालन कर्मचारियों से मतलब सामान्यतः उन कर्मचारियों से होता है, जिनके काम का स्थान नियत नहीं होता और न घंटे नियत होते हैं अथवा जो अधिकतर दौरे पर रहते हैं और जिनके कारण वे नियमित रूप से हिन्दी कक्षाओं में उपस्थित नहीं रह सकते ।

6. एकमुश्त पुरस्कार पाने वाले प्रत्येक कमचारी को इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 12013/3/76-रा. भा.(घ), दि. 21-5-1977 के साथ दिए गए घोषणा पत्र को भरना होगा और इसके आधार पर एकमुश्त पुरस्कार के लिए संबंधित कर्मचारी की पात्रता निर्धारित की जाएगी ।

7. एकमुश्त पुरस्कार, संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा मंजूर किया जाएगा और दिया जाएगा तथा इस लेखे पर जो खर्च होगा वह उनके द्वारा ही वहन किया जाएगा ।

भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग यदि चाहें तो विभागाध्यक्षों को उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कर्मचारियों को एक मुश्त पुरस्कार स्वीकृत करने का अधिकार सौंप सकते हैं ।

संघ क्षेत्रों के कर्मचारियों के संबंध में एकमुश्त पुरस्कारों की मंजूरी और अदायगी संघ क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा की जाएगी और इस संबंध में हुआ व्यय संबंधित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा वहन किया जाएगा ।

8. स्वायत्त संगठनों, निगमों, निकायों, सरकारी उद्यमों आदि के कर्मचारियों के बारे में भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों को चाहिए कि वे इन संगठनों, निकायों आदि को सुझाव दें कि वे नकद पुरस्कार की योजना इसी आधार पर चालू करें और पुरस्कार स्वयं स्वीकृत करें । इस संबंध में हुआ व्यय संबंधित संगठनों और निकायों आदि द्वारा वहन किया जाएगा ।

9. यह कार्यालय ज्ञापन सभी संबंधित के ध्यान में लाया जाए ।

10. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की सहमति से जारी किये जा रहे हैं जो इन आदेशों के प्रयोजन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय की शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।

11. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय की सहमति से उनकी दिनांक 17-7-1984 की अशासकीय टिप्पणी सं. 2125/ई-111/84 के अनुसार जारी किया जा रहा है । भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/ से अनुरोध है कि वे इसको संबंधित कर्मचारियों के ध्यान में तत्काल लाएं ।

12. ये आदेश दिनांक 1-10-1984 से लागू समझे जाएं ।

(राम निवास बंसल)
उप सचिव, भारत सरकार

सं० ई-11011/7/84-हिन्दी

भारत सरकार

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर, 1984

संकल्प

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय, खाद्य विभाग ने अपने कार्य-क्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक योजना आरम्भ करने का निश्चय किया है। इस योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय (खाद्य विभाग) के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर हिन्दी में लिखी गई मानक मूल पुस्तकों के लिए दो वर्षों में एक बार 5,000/- रुपये व 2,500/- रुपये का एक-एक नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

(2) इस योजना का उद्देश्य खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय (खाद्य विभाग) के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए भारत के लेखकों को प्रोत्साहित करना है।

(3) केवल उच्च स्तर की मूल पुस्तकों पर ही, चाहे वे हस्त-लिपि में हों अथवा प्रकाशित रूप में, पुरस्कार प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा।

(4) खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय, खाद्य विभाग को पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के चयन और इस प्रकार के चयन को शासित करने वाले नियम बनाने का अनन्य अधि-कार होगा।

(5) पुरस्कार योजना में भारतीय लेखक भाग ले सकते हैं, जिनमें बहु-लेखकों वाली पुस्तकों के वे सम्पादक भी शामिल हैं जिन्होंने स्वयं ही उन पुस्तकों में पर्याप्त रूप से अंशदान दिया हो और साथ ही सम्पादकीय प्राक्कथन भी दिया हो। प्रकाशित पुस्तकों और लेखक द्वारा प्रकाशन के लिए प्रस्तावित हस्तलिपियों दोनों को ही स्वीकार किया जाएगा बशर्ते कि वे मूल रूप में लिखी गई हों और उनसे किसी अन्य व्यक्ति की कापी राइट का उल्लंघन न होता हो।

(6) लेखकों का मूल्यांकन पुरस्कार वाले वर्षों के पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत की गई पुस्तकों/हस्त-लिपियों के रूप में उनके द्वारा किये गए मूल लेखन के आधार पर किया जाएगा।

(7) पुरस्कार प्रदान करने के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली सर्वोत्तम पुस्तकों/हस्तलिपियों के चयन के लिए एक मूल्यांकन समिति होगी।

(8) सचिव, खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय, खाद्य विभाग, पुरस्कार प्रदान करने के लिए अंग्रेजी और हिन्दी के प्रमुख समाचार पत्रों में एक नोटिस देकर लेखकों से आवे-दन पत्र आमंत्रित करेंगे। खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय, खाद्य विभाग, अपनी ओर से किसी भी पुस्तक को पुरस्कार देने के बारे में विचारार्थ शामिल कर सकता है।

(9) लेखकों से अपेक्षित होगा कि वे अपने आवेदन पत्र तथा पुस्तकें/हस्तलिपियों की पांच प्रतियां सचिव, खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय, खाद्य विभाग को भेजें। इस प्रकार प्रस्तुत पुस्तकों/हस्तलिपियों की प्रतियां लेखकों को लौटाई नहीं जाएंगी।

(10) यदि इस पुरस्कार योजना में शामिल किसी मूल पुस्तक को किसी योजना के अन्तर्गत पुरस्कार मिल चुका हो तो लेखक को सचिव, खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय खाद्य विभाग को भेजे जाने वाले अपने पत्र में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर देना चाहिए।

(11) कोई लेखक पुरस्कार के लिए एक से अधिक प्रविष्टि भेज सकता है। तथापि, कोई भी लेखक दो वर्ष की अवधि विशेष में योजना के अन्तर्गत एक से अधिक पुरस्कार का हकदार नहीं होगा।

(12) यदि पुरस्कार प्राप्त किसी पुस्तक/हस्तलिपि के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की राशि को साथी लेखकों में बराबर वितरित किया जाएगा।

(13) यदि कोई भी पुस्तक/हस्तलिपि पुरस्कार/पुरस्कारों के लिए उपयुक्त नहीं पाई जाती है तो पुरस्कार/पुरस्कारों को खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय, खाद्य विभाग द्वारा रोक लिया जाएगा।

(14) पुरस्कार खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय, खाद्य विभाग द्वारा विशेष तौर पर आयोजित समारोह अथवा अन्य किसी उपयुक्त अवसर पर प्रदान किए जाएंगे।

(15) सचिव, खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय, खाद्य विभाग पुरस्कार प्रदान करने से काफी समय पूर्व पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कार के लिए उनके चुने जाने के बारे में सूचना देंगे ।

सामान्य :

1. जो लेखक पुरस्कार के लिए विचारार्थ अपनी पुस्तक प्रस्तुत करेगा उसका कापी राइट समाप्त नहीं होगा ।

2. अनूदित पुस्तक पर पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

3. यदि कोई अप्रकाशित पुस्तक पुरस्कार के लिए चुनी जाती है तो पुरस्कार की राशि का भुगतान लेखक द्वारा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा इसमें किन्हीं भी सरकारों से सहायता प्राप्त कर रहे किसी भी संस्थान या संगठन से सहायता लिए बिना इस पुस्तक को प्रकाशित कराये जाने के बाद ही किया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

ह०/-

(एच० डी० बंसल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

संख्या 14017/10/79-रा० भा० (घ)

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
लोकनायक भवन, खान मार्किट,
प्रथम तल,
नई दिल्ली-110003,
दिनांक : 23-3-85

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—हिन्दी टाइपिंग परीक्षा में टंकण गति का होना आवश्यक

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग द्वारा जारी किए अनुदेशों के अनुसार हिन्दी टाइपिंग परीक्षा के लिए यह व्यवस्था थी कि यदि कोई प्रशिक्षार्थी हिन्दी टाइपिंग परीक्षा के थ्योरी पेपर में पास हो जाता था लेकिन टंकण गति में फेल हो जाता था तो भी वह पास घोषित किया जाता था । कुछ मंत्रालयों ने यह सूचित किया कि जो कर्मचारी हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित हिन्दी टंकण परीक्षा पास करके आते हैं वे हिन्दी टाइपिंग ठीक ढंग से नहीं कर पाते । हाल ही में दिनांक 2-2-1985 को विज्ञान भवन में आयोजित राजभाषा सम्मेलन में योजना की टाईप परीक्षा के संबंध में चर्चा की गई और कहा गया कि गति परीक्षा में शून्य अंक प्राप्त करने पर भी प्रशिक्षार्थी पास घोषित कर दिया जाता है फलस्वरूप परीक्षा में उत्तीर्ण टाइपिस्ट हिन्दी में टाईप नहीं कर पाता । उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि हिन्दी टंकण के लिए दो पेपर होंगे—(1) थ्योरी 50 नम्बर और (2) हिन्दी टंकण 50 नम्बर । थ्योरी में कम से कम 25 और टाइपिंग में भी कम से कम 25 नम्बर आने चाहिएं । पास होने के लिए हर एक पर्चे में पास होना अर्थात 25 अंक लेना जरूरी है । दोनों मिलकर ही पास होने के लिए 50 अंक चाहिएं । यदि कोई प्रशिक्षार्थी थ्योरी में पास हो जाता है लेकिन टंकण 25 शब्द प्रति मिनट की गति के हिसाब से पास नहीं कर पाता है तो उसे एक मौका और दिया जाए ताकि वह टंकण का पर्चा दुबारा से दे सके । इसे सभी की जानकारी में लाया जाये ।

ह०/-

(राम निवास बंसल)
उप सचिव (सेवा)

राजभाषा खंड (विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि के क्षेत्र में राजभाषा की उन्नति के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

1. **प्रारम्भ**:—भारत सरकार, विधायी विभाग ने विधि के क्षेत्र में संघ की राजभाषा और राज्यों की राजभाषाओं के प्रचार और विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने की एक स्कीम बनाई है ।

2. **संक्षिप्त नाम**—इस स्कीम का नाम "विधि के क्षेत्र में संघ की राजभाषा और राज्यों की राजभाषाओं की उन्नति के लिए स्कीम" है ।

3. **प्रविषय**—अनुदान विधि के क्षेत्र में हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य के विकास और प्रचार के लिए परियोजनाओं या कार्यकलापों के लिए अनुज्ञेय होंगे। ये विधिक विषयों पर प्रस्तावित टीकाओं, ग्रंथों, विद्वतापूर्ण पुस्तकों, विधि पत्रिकाओं, विधि सार- संग्रहों और ऐसे अन्य प्रकाशनों के रूप में हो सकेंगे, जो विधि के क्षेत्र में हिन्दी और राज्यों की राजभाषाओं की अनुवृद्धि, प्रचार, विकास और प्रयोग के लिए सहायक हों ।

सहायता के लिए आवेदनों पर विचार करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जाएगी । समिति निम्नलिखित प्रवर्गों के व्यक्तियों से मिलकर बनेगी :—

1. उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या पदासीन न्यायाधीश,
2. अधिवक्ता, जो विधिज्ञों में प्रतिष्ठित हो,
3. किसी विश्वविद्यालय के विधि संकाय में विधि का आचार्य (प्रोफेसर),
4. संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड ।

संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी समिति का सचिव भी होगा । नियुक्त किए जाने वाले सदस्य केवल ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें विधि के ज्ञान के अतिरिक्त संबंधित भाषा का भी अच्छा ज्ञान हो ।

समिति संबंधित संगठन की स्कीम में उपयुक्त परिवर्तन या उपांतरण करने का परामर्श भी दे सकेगी ।

4. **सहायता की मात्रा**—वित्तीय सहायता के लिए सभी निवेदन विहित प्ररूप में संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, भगवानदास रोड़, नई दिल्ली को भेजे जाएंगे । वित्तीय सहायता के लिए सभी निवेदनों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा और अनुदान केवल अनुमोदित कार्य-मदों के लिए ही मंजूर किए जाएंगे । मंजूर किया गया अनुदान विभिन्न परियोजनाओं/कार्यकलापों/प्रयोजनों आदि के कार्यान्वयन में होने वाले प्रत्याशित शुद्ध व्यय के 85 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

टिप्पण—"प्रत्याशित शुद्ध व्यय" से, उत्पादित साहित्य के विक्रय से प्रत्याशित प्राप्तियों को घटाने के पश्चात् कुल प्रत्याशित व्यय अभिप्रेत है ।

अनुदानों का संदाय, किए जाने वाले कायकलापों की प्रकृति और कार्य की प्रगति के आधार पर, किश्तों में किया जाएगा ।

5. **आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया**—आवेदन विहित प्ररूप में संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, भगवानदास रोड़, नई दिल्ली को इस प्रकार भेजे जाएं कि वे उस वित्तीय वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष के फरवरी के अंत से पूर्व पहुंच जाएं जिस वर्ष के लिए अनुदान के लिए निवेदन किया गया है । प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज होंगे :—

(i) संगठन के उद्देश्यों और कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण;

(ii) संगठन रजिस्ट्रीकृत संगठन है या नहीं;

(iii) अंतिम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट;

(iv) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए संगठन के लेखा-परीक्षित लेखाओं की एक प्रति और अंतिम तुलनापत्र की एक प्रति;

(v) प्रबन्ध-मंडल के शासी निकाय का गठन;

(vi) उस वर्ष की बाबत आय और व्यय का प्राक्कलन जिसके लिए आवेदन किया गया है;

(vii) राज्य सरकार या अन्य निकायों से अब प्राप्त अनुदानों का विवरण , प्रत्येक मामले में यह उपदर्शित किया जाए कि (क) वह प्रयोजन क्या था जिसके लिए अनुदान प्राप्त किया गया था, (ख) उसका कैसे और कब उपयोग किया गया, (ग) उस दिशा में क्या प्रगति हुई जिसके लिए सहायता दी गई थी और (घ) क्या पूर्ववर्ती सहायता से संलग्न सभी शर्तों का सम्यक् रूप से पालन किया गया था;

(viii) विचाराधीन स्कीमों के वास्ते अनुदानों के लिए अन्य राज्य सरकारों या निकायों को, यदि कोई हों, किए गए निवेदन से संबंधित जानकारी, उन सरकारों और निकायों क ऐसे निवेदनों पर विनिश्चय संसूचित किए जान चाहिएं;

(ix) यह बचनबंध कि एक बार किसी परियोजना/स्कीम आदि के प्राक्कलन आदि युक्तियुक्त मानकर अनुमोदित कर दिए जाने और उन प्राक्कलनों के आधार पर अनुदान निर्धारित किए जाने पर संगठन, विधायी विभाग के पूर्व अनुमोदन के बिना, उनमें उपान्तरण नहीं करेगा;

(x) प्राक्कलित व्यय का पूर्ण औचित्य;

(xi) नई प्रकाशित कृतियों के लिए निवेदन की दशा में पांडुलिपि की प्रति, लेखक के ऐसे प्रमाणपत्र के साथ जिसमें संस्था को प्रकाशन हाथ में लेने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, जांच के लिए दी जाए;

(xii) पहले आवेदन के साथ संस्थाओं के पूववर्ती प्रकाशन भेजे जाने चाहिएं और पश्चातवर्ती निवेदनों की दशा में वे प्रकाशन भेजे जाने चाहिएं जो अन्तरिम अवधि के दौरान निकाले गए हों;

(xiii) अनुदानों की सहायता से साथ में ली जाने वाली परियोजना/स्कीम आदि पर नियोजित कर्मचारियों की अर्हताओं, अनुभव का विवरण ।

6. **अनुदानों के लिए शर्तें**--संगठनों के लिए मंजूर किए गए अनुदान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :-

(1) विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय का कोई अधिकारी या भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग का कोई अधिकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संगठन का निरीक्षण कर सकेगा ।

(2) संगठन, अनुदान का धन प्राप्त करने से पूर्व यह बचनबद्ध करेगा कि उसकी सहायता से चलाई जाने वाली परियोजना या स्कीम सरकार द्वारा नियत युक्तियुक्त समय के भीतर पूरी की जाएगी और अनुदान का उपयोग केवल उस प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए वह मंजूर किया गया है । ऐसा करने में असफल रहने पर संगठन अनुदान की पूरी रकम, उस पर उतने ब्याज सहित जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए, सरकार को वापस करने का दायी होगा ।

(3) किश्तों में संदेय अनुदान की किसी पश्चातवर्ती किश्त का संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि पूर्ववर्ती किश्त के अधिकांश भाग का उपयोग न कर लिया गया हो, और लेखा-परीक्षा लेखाओं का विवरण, पूर्ववर्ती किश्त की सहायता के लिए गए कार्य की रिपोर्ट सहित, निवेदन के साथ न दिया गया हो, क्योंकि उसका उन्मोदन केवल तभी किया जाएगा जब कार्य की समाधानप्रद प्रगति के बारे में विधायी विभाग का समाधान हो जाएगा।

(4) केन्द्रीय सहायता से निकाले गए सभी प्रकाशनों की इतनी प्रतियां, जो पन्द्रह से अधिक नहीं होंगी, जिनका विनिश्चय विधायी विभाग करे, विधायी विभाग को निःशुल्क प्रदत्त की जाएंगी ।

(5) संगठन केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए अनुदान की सहायता से पूर्णतः या सारतः अर्जित या सृजित आस्तियों का लेखा-परीक्षित अभिलेख विहित प्रोफार्मा में रखेगा और उसकी एक प्रति विनिर्दिष्ट तारीख तक या युक्तियुक्त समय के भीतर अभिलेख के लिए विधायी विभाग को देगा । इस प्रकार सृजित आस्तियों का व्ययन, विल्लंगम या उपयोग, विधायी विभाग से पूर्व अनुमोदन के बिना, उन प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना चाहिए जिनके लिए अनुदान दिया गया है।

(6) संगठन के लेखाओं को समुचित रूप से रखा जाना चाहिए और जब कभी अपेक्षा की जाए प्रस्तुत किया जाना चाहिए । इन लेखाओं की विधायी विभाग कभी भी जांच कर सकेगा ।

(7) संगठन पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान इस स्कीम के अधीन संगठन द्वारा प्राप्त प्रत्येक अनुदान की बाबत एक उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

(8) जब विधायी विभाग के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि संगठन के कार्यकलापों का प्रबन्ध समुचित रूप से नहीं किया जा रहा या मंजूर किए गए धन का उपयोग अनुमोदित प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा रहा है तब अनुदान का संदाय रोका जा सकेगा ।

(9) पुस्तक का लेखक साधारणतः, यथास्थिति, केन्द्रीय अधिनियमों या राज्य अधिनियमों के प्राधिकृत हिन्दी पाठों में प्रयुक्त हिन्दी की विधि शब्दावली का प्रयोग करेगा । पुस्तक में समान या समरूप पदों के लिए राजभाषा खण्ड, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विधी शब्दावली में दिए गए हिन्दी के विधिक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा । जहां अधिनियमितियों के पाठों को उद्धृत किया जाना है वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय अधिनियमों या राज्य अधिनियमों के हिन्दी पाठों में प्रयुक्त शब्दों का यथावत् प्रयोग किया जाना चाहिए । निर्णयों के प्रति निर्देश और उनसे उद्धरणों को, यथासम्भव, दो हिन्दी विधि रिपोर्टों, अर्थात् "उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका" और "उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका" से लिया जाएगा, जो विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जाती हैं । ये अनुदेश हिन्दी से भिन्न राजभाषाओं के संबंध में भी, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे ।

(10) संगठन पर यह आबद्धकर होगा कि वह उस कार्य के संबंध में, जिसके लिए अनुदान मंजूर किया जाना है, विधायी विभाग द्वारा दिए गए अनुदेशों और सुझावों को कार्यान्वित करें । संगठन विधायी विभाग को किसी विषय पर ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण, विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर, देगा जिसकी विधायी विभाग द्वारा अपेक्षा की जाए ।

वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों का संक्षिप्त ब्यौरा

वर्ष 1985–86 के वार्षिक कार्यक्रम की प्रतियां सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को वितरित की जा चुकी हैं। वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी तथा गृह मंत्री जी ने विशेष बल दिया है। वार्षिक कार्यक्रम में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनका ब्यौरा संक्षेप में इस प्रकार है :—

1. मंत्रालय/विभाग और "क" क्षेत्र में स्थित किसी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय के बीच कम से कम दो-तिहाई पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाये।

2. "ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के साथ 40 प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में किया जाये।

3. "ग" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के साथ 10 प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में किया जाये।

4. कहीं से भी प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये जायें।

5. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित कागजात हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी किये जायें।

6. जिन कार्यालयों में 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं, उन कार्यालयों को राजपत्र में अधिसूचित किया जाये।

7. प्रक्रिया साहित्य, रजिस्टरों के शीर्ष, फार्म, पत्र-शीर्ष, रबड़-मोहर, नाम पट्ट आदि द्विभाषी रूप में तैयार किये जायें।

8. "क" क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के बीच 25 प्रतिशत तार देवनागरी में भेजे जायें।

9. जिन कार्यालयों में एक भी देवनागरी का टाइपराइटर नहीं है वहां कम से कम एक देवनागरी टाइपराइटर अवश्य हो तथा 'क' क्षेत्र में खरीदे जाने वाले कुल टाइपराइटरों के 50 प्रतिशत टाइपराइटर देवनागरी के खरीदे जायें। इसी प्रकार "ख" क्षेत्र में स्थित कार्यालय वर्ष में खरीदे जाने वाले कुल टाइपराइटरों का 25 प्रतिशत देवनागरी टाइपराइटर खरीदें और "ग" क्षेत्र में 10 प्रतिशत टाइपराइटर देवनागरी क खरीदें जाएं।

10. विभिन्न कार्यालय नए देवनागरी टाइपराइटर खरीदने के अतिरिक्त शेष कमी को पूरा करने के उद्देश्य से रोमन लिपि के टाइपराइटरों में से कम से कम 10 प्रतिशत देवनागरी लिपि के टाइपराइटरों में बदलवाएं।

11. अधीनस्थ सेवाओं तथा पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिन्दी के प्रयोग की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी का विकल्प दिया जाए। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्रों में हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए।

12. जो कर्मचारी हिन्दी का प्रयोग करने में हिचकते हैं, उनकी हिचक को दूर करने के लिए वर्ष में कम से कम 2 बार हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन करने की व्यवस्था की जाए।

13. सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों एवं निगमों से अपेक्षा की गई है कि वे वर्ष में कम से कम एक बार हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन करें।

85-M/P(D)143MofHA—7,000—28-10-85—GIPS

सत्यमेव जयते

गृह मंत्री, भारत
नई दिल्ली
25 जनवरी, 1985

संदेश

हमारे संविधान में हिन्दी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है जिसके प्रावधानों के कार्यान्वयन का उत्तरदायि हम सभी पर है।

संसद द्वारा पारित सरकार की भाषा नीति संबंधी संकल्प के अनुसार संघ सरकार पर यह उत्तरदायित्व डाला गया है हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिये वह एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करके उसे कार्यान्वित करे। इसी परिप्रेक्ष्य में राजभाषा विभ प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम बनाता है और सभी मंत्रालयों, विभागों तथा उनके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा सरक उपक्रमों, निगमों आदि द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए उसे प्रचारित करता है। इस कार्यक्रम में हिन्दी के प्रगामी प्र संबंधी कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और यह अपेक्षा की जाती है कि वर्ष के दौरान यथासंभव इन्हें प्राप्त कर लिया जाए।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ राजभाषा विभाग की ओर से अनेक प्रोत्साहन योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। राजभाषा विभाग के अधिकारी समय-समय पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सरकारी उपक्रमों, निगमों आदि में हिन्दी में किए जा रहे कार्य की प्रगति का निरीक्षण भी करते हैं। विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से राजभाषा नियम, अधिनियम आदि की जानकारी देनें का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न सलाहकार समितियों, कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, कर्मचारियों की झिझक मिटाने के लिए हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। परन्तु इन सब के बावजूद वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाते जिसके फलस्वरूप हिन्दी की राजभाषा के रूप में उतनी प्रगति नहीं हो पायी जितनी अपेक्षा की जाती है। राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए बनाए गए वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रति उदासीनता उचित नहीं है।

मैं यह आशा करता हूं कि जिस प्रकार भारत सरकार के अन्य सांविधानिक एवं विधिक प्रावधानों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाता है उसी प्रकार राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का भी अनुपालन किया जाएगा और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सक्रिय रूप से प्रयास किया जाएगा।

(एस. बी. चव्हाण)
गृह मंत्री

भारतीय स्टेट बैंक, मद्रास द्वारा प्रकाशित त्रिभाषी बैंकिंग शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी–मलयालम) की एक प्रति महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी को करते हुए, श्री वी. एम. टी. जोशी, महाप्रबन्धक (योजना)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के लिए श्री जयपालसिंह द्वारा लोकनायक भवन खान मार्केट, नई दिल्ली से प्रकाशित तथा प्रबन्धक भारत सरकार मुद्राणालय, शिमला द्वारा मुद्रित ।